

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 818 OF 2024

IN THE MATTER OF:

DHARMENDER KUMAR SINGH

.....APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS.

.....RESPONDENT(s)

INDEX

S.No.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	RESPONSE ON BEHALF OF RESPONDENT NO.4 IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 04.02.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL	
	ANNEXURES	
2.	COPY OF THE NOTIFICATION DT. 27.03.1991 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-1	
3.	COPY OF THE KML FILE ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-2.	
4.	COPY OF THE MAP ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-3.	

5.	COPIES OF THE PHOTOGRAPHS OF SURHA TAL ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-4.	
6.	COPY OF THE WORKING MANAGEMENT PLAN OF SURHA TAL ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-5	
7.	COPY OF THE NOTIFICATION DT. 10.12.2002 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-6.	
8.	COPY OF THE PUBLIC NOTICE DT. 18.12.2006 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-7.	
8.	COPY OF THE ORDER DT. 29.08.2016 AND 20.03.2018 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-8.	
9.	COPY OF THE NOTIFICATION DT. 08.03.2019 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-9.	
10.	COPY OF THE KML FILE ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-10.	
11.	COPY OF THE MINUTES OF MEETING DT. 26.11.2020 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-11.	

12.	COPY OF THE LETTER DT. 04.01.2021 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-12.	
13.	COPY OF THE LETTER DT. 21.01.2025 AND PLOT WISE DETAILS OF REVISED/RATIONALISED AREA ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-13.	
14.	COPY OF THE REVENUE RECORDS ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-14.	
15.	COPY OF THE RANGE CASE NO. 01/2022-23 DT. 03.04.2022 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-15.	
16.	COPY OF THE ORDER DT. 19.12.2023 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-16.	
17.	COPY OF THE PHOTOGRAPHS OF SOLID WASTE DISPOSAL CENTRE ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-17.	
18.	COPY OF THE LETTER DT. 19.12.2023 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-18.	
19.	COPY OF THE RANGE CASE NO. 02/2022-23 DT. 27.03.2023 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-19.	

20.	COPY OF THE ORDER DT. 22.12.2023 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-20.	
21.	COPY OF THE LETTER DT. 28.08.2024 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-21.	

DATE: 13.05.2025

PLACE: KASHI

THROUGH COUNSEL



BHANWAR PAL SINGH JADON

STANDING COUNSEL FOR STATE OF U.P.

EMAIL- bhanwar09jadon@gmail.com

Ph: 9639286572

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 818 /2024



IN THE MATTER OF:

DHARMENDER KUMAR SINGH

.....APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. & OTHERS

.....RESPONDENT(S)

RESPONSE ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 4 IN COMPLIANCE
OF THE ORDER DT. 04.02.2025 PASSED BY THE HON'BLE
NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

I, Dilip Kumar..... aged about 59 years S/o Lal Bahadur Lal,
presently posted as Divisional Forest Officer Kashi N.L.D. Kanungo, do hereby
solemnly affirm and state on oath as under:

1. That the undersigned has been duly authorised to file the present affidavit on behalf of the Chief Wildlife Warden, Uttar Pradesh.



Jr

2. That I, the Deponent in the above captioned matter am fully conversant with the facts of the case and is competent and authorized to swear the present response.


3. That I state that the contents of the affidavit have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

4. That in the present matter, the Hon'ble Tribunal is considering the issue of protection of Surha Tal which is a wet land and the allegation that by the construction of a University and garbage disposal centre, there is an attempt to block the channels of rejuvenation of Surha Tal and, consequently effect on the Bird Sanctuary.

I. BACKGROUND OF THE MATTER:

i. Declaration of Surhatal Bird Sanctuary under Section 18 of the Wild Life (Protection) Act, 1972:

5. That the Governor of State of Uttar Pradesh in exercise of his powers conferred under Section 18 of the Wild Life (Protection) Act, 1972, found the said area in Ballia district to possess significant ecological, faunal, floral, geomorphological, natural, and zoological value for the purpose of



[Handwritten signature]

protection, propagation, and development of wildlife and its environment, and declared the said area as "Surhatal Bird Sanctuary". The said declaration was notified vide Notification No. 1088(1)/14-3-19/89, dated 27.03.1991, issued by the Forest Section-3, Government of Uttar Pradesh. **The total area covered under the sanctuary is 34.329 sq kms (3432.93 hectares), comprising 3300.15 hectares of privately owned land and 132.78 hectares of land owned by the Gram Sabha.**

A Copy of the Notification dt. 27.03.1991 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-1.**

A Copy of the KML file has been annexed herewith as **ANNEXURE A-2.**

Copy of the map of the Surha Tal has been annexed herewith as **ANNEXURE A-3.**

Copies of the Photographs of the Surha Tal have been annexed herewith as **ANNEXURE A-4.**

Copy of the working management plan has been annexed herewith as **ANNEXURE A-5**

ii. **Renaming of Sanctuary to Jayaprakash Narayan Bird**

Sanctuary:

6. Subsequently, by order of the Governor of the State of Uttar Pradesh, the name of the "Surhatal Bird Sanctuary" was changed to "Jayaprakash Narayan Bird Sanctuary" vide Notification No. 2854/14-4-2002-874/2002, dated 10.12.2002, issued by the Forest Department, Government of Uttar Pradesh .



8/

A Copy of the Notification dt. 10.12.2002 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-6.**

iii. Issuance of Public Notice for Claims:


7. That the District Magistrate, Ballia, issued a public notice dated 18.12.2006 under Section 21 of the Wild Life (Protection) Act, 1972, calling upon persons residing within the notified sanctuary limits to submit claims regarding the nature of their rights and ownership. However, due to widespread protests by local residents at the time, no claims were submitted, and the process of claim receipt and hearings remained suspended.

A Copy of the public notice dt. 18.12.2006 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-7.**

iv. Appointment of Sub-Divisional Officer as Forest Settlement Officer:

8. That in compliance with the order dated 29.08.2016, issued by the Special Secretary, Government of Uttar Pradesh, the District Magistrate, Ballia, vide letter dated 20.03.2018, appointed the Sub-Divisional Magistrate, Bansdih, as the Forest Settlement Officer.

A Copy of the order dt. 29.08.2016 and letter dt. 20.03.2018 have been annexed herewith as **ANNEXURE A-8.**



[Handwritten signature]

v. Declaration of Eco-Sensitive Zone by MoEF&CC:

9. That it is pertinent to submit that the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, New Delhi, vide Notification No. G.S.R. 1315(E), dated 08.03.2019, declared an Eco-Sensitive Zone (ESZ) extending up to 1 kilometer from the boundary of the Jayaprakash Narayan Bird Sanctuary. The notified Eco-Sensitive Zone covers an area of 27 sq kms.

A Copy of the Notification dt. 08.03.2019 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-9**.

A Copy of the KML file has been annexed herewith as **ANNEXURE A-10**

vi. Meeting conducted by District Magistrate, Ballia:

10. That a meeting was conducted by District Magistrate, Ballia on 26.11.2020. That in the said meeting the Divisional Director, Social Forestry Division, Ballia and the Divisional Forest Officer, Kashi Wildlife Division, Ramnagar briefed the officers present about the area and expansion of Jai Prakash Narayan (Surhat Taal) Bird Sanctuary. That furthermore, to conserve the Jai Prakash Narayan (Surhat Taal) Bird Sanctuary and to develop a suitable environment for native and migratory birds and eco-tourism in the sanctuary area, due to the lack of budget with



[Handwritten signature]

the Forest Department for cleaning water hyacinths and silt deposits in the area, the District Magistrate, Ballia directed the Divisional Forest Officer, Kashi Wildlife Division, Ramnagar, Varanasi to submit a proposal at the earliest to carry out the work under the MGNREGA scheme.

11. That in the said meeting, the following team was constituted to conduct the survey and demarcation of Jai Prakash Narayan (Surhat Taal) Bird Sanctuary, Ballia:

- Additional District Magistrate, Ballia – Chairperson
- Sub-Divisional Magistrate, Bansdih / Forest Settlement Officer
- Tehsildar, Ballia and Bansdih – Members
- Member nominated by Divisional Forest Officer, Kashi Wildlife Division, Ramnagar, Varanasi
- Member nominated by Divisional Forest Officer, Social Forestry Division, Ballia

12. That after the said survey and demarcation, permanent pillars will be installed marking the sanctuary boundary. The Divisional Forest Officer, Kashi Wildlife Division, Ramnagar, Varanasi was directed to ensure submission of budgetary requirements to the department for this purpose.

A Copy of the minutes of meeting dt.26.11.2020 has been annexed herewith as ANNEXURE A-11.



Dr

vii. Disposal of Claims (Committee Constituted):

13. Furthermore, for the disposal of these claims, a joint team of the Revenue Department, Consolidation Department, and Forest Department was constituted by the District Magistrate, Ballia vide letter dated 04.01.2021. That vide the aforementioned letter dt. 04.01.2021 the Joint team was directed to conduct a physical verification of the claimed areas and submit a joint inspection report to the Divisional Forest Officer, Kashi Wildlife Division, Ramnagar, Varanasi.

A Copy of the letter dt. 04.01.2021 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-12.**

14. That upon thorough review of the joint inspection report submitted by the Joint team, and a proposal for rationalisation/revision of the boundary and area of the Jayaprakash Narayan (Surhatal) Bird Sanctuary was forwarded to the Forest Settlement Officer/Sub-Divisional Magistrate, Bansdih. That based on the said proposal, claims submitted by the farmers and village heads were resolved accordingly by the Forest Settlement Officer/Sub-Divisional Magistrate, Bansdih.

viii. Rationalised/ Revised Area of the Bird Sanctuary and Proposal

for Final Notification:



[Handwritten signature]

15. That pursuant to the above proceedings, the rationalised/ revised area of the Bird Sanctuary is now 1821.81 hectares, comprising 1724.21 hectares of privately owned land by local farmers and 97.60 hectares of Gram Sabha land. For the purpose of declaration under Section 26A of the Wild Life (Protection) Act, 1972, the Divisional Forest Officer, Kashi Wildlife Division, Ramnagar, Varanasi, has written a letter dated 21.01.2025 to the Forest Settlement Officer/Sub-Divisional Magistrate, Bansdih, requesting preparation of maps of the rationalised/ revised area. That vide the said letter it was further directed that upon completion of the maps, a proposal for final notification under Section 26A of the Wild Life (Protection) Act, 1972, shall be submitted to the State Government.

A Copy of the letter dt. 21.01.2025 and the plot wise details of the revised area has been annexed herewith as **ANNEXURE A-13**.

II. STATUS OF THE JANANAYAK CHANDRASHEKHAR

UNIVERSITY:

i. Ownership and Location of Jananayak Chandrashekhar

University:

16. That the Jananayak Chandrashekhar University, Ballia, is established over 78 Khasras of land measuring approximately 51.00 acres (20.642 hectares) located in Village Basantpur Ehtamali. That the said land was originally



W

transferred by the Shaheed Smarak Trust and currently stands mutated in the name of the Higher Education Department.

Copy of the revenue records have been annexed herewith as ANNEXURE A-14.


ii. Registration of Range Case No. 01/2022-23:

17. That upon verification via Google Earth imagery and extensive local demarcation, it was discovered that the area under construction at Jananayak Chandrashekhar University lies within the boundaries of the Jai Prakash Narayan Bird Sanctuary. As a result, Range Case No. 01/2022-23 was registered by the Forest Department against Shri S. T. Pal, Registrar, Jan Nayak Chandrashekhar University, Basantpur, Ballia and Shri Shivam Singh, D.S. Enterprises (Contractor) on 03.04.2022. It is pertinent to submit that the construction of the university has remained halted since the registration of Range Case No. 01/2022-23 and continues to be halted till today.

A Copy of the Range Case No. 01/2022-23 dt. 03.04.2022 has been annexed herewith as ANNEXURE A-15.

iii. Exclusion of University Land from Bird Sanctuary Limits:

18. That the Forest Settlement Officer, exercising his powers under Section 24(2) of the Wildlife (Protection) Act, 1972, passed an order dt.



2

19.12.2022. That vide the said order the Forest Settlement Officer excluded the entire 78 Khasras (51 acres/20.642 hectares) of university land from the notified limits of the bird sanctuary. That the following clarifications were given by the Forest Settlement Officer with respect to the exclusion of the university land:

- No waterlogging exists on the university land.
- The aquatic zone of the sanctuary is approximately 300 to 600 meters from the university campus.
- There is no bird activity, nesting, or breeding observed on the university land due to its elevation of 2.5 to 3 meters above the sanctuary's current water level.

A Copy of the order dt. 19.12.2022 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-16.**

iv. **Wildlife Clearance for existing structures:**

19. That a letter dt. 19.12.2023 has been written by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (Wildlife Division) to the Additional Chief Secretary, Environment, forest and Climate Change Department, Govt. of U.P. That vide the said letter it was informed that a 75th meeting of the Standing Committee of the National Board for Wildlife was held on 17.11.2023 under the chairmanship of Hon'ble Minister for Environment, Forest and Climate Change. That during the said meeting,



av

the proposal for the use of 3.5 hectares of the Non-Forest land from Jai Prakash Narayan Bird Sanctuary for the construction of building/road in the premises of Jannayak Chandrashekhar University was approved with subject to conditions. That the user agency was directed to deposit Rs. 33,52,230/- as Net Present Value for 3.5 hectares and Rs. 243.49 lakhs towards mitigation and conservation measures. That the said amount has not yet been submitted by the user agency. That in relation to the semi-constructed buildings and internal roads within the university premises, located in the sanctuary's protected area, a post-facto wildlife clearance application was submitted on the Parivesh Portal 2.0 on 27.04.2023 (Proposal No. WL/UP/SCH/427387/2023).

Copies of the photographs of the Solid Waste Disposal Centre have been annexed herewith as **ANNEXURE A-17**.

A Copy of the letter dt. 19.12.2023 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-18**.

III. STATUS OF THE SOLID WASTE DISPOSAL CENTRE

20. The Solid Waste Disposal Centre was established nearly 15 years ago and was initially believed to be outside the sanctuary due to unclear boundaries of the Sanctuary. However, recent demarcation revealed that it lies within Khasra No.'s Nos. 481, 482, 580/1, and 581 of Village Basantpur Ehtamali, covering 4.98 acres within sanctuary limits. That this led to registration of



[Handwritten signature]

Range Case No. 02/2022-23 dated 27.03.2023 against the Nagar Palika Parishad, Ballia under sections 27, 29 and 32 of the Wildlife (Protection) Act, 1972. That presently, no solid waste is being disposed at the said site. A Copy of the Range Case No. 02/2022-23 dt. 27.03.2023 has been annexed herewith as ANNEXURE A-19.

i. **Exclusion of the Khasra No.'s of the Solid Waste Disposal**

Centre:

21. That the Sub-Divisional Magistrate/Forest Settlement Officer, Bansdih, Ballia, exercising his powers under Section 24(2)(a) of the Wildlife (Protection) Act, 1972, excluded these abovementioned Khasra No.'s from the purview of Section 18 of the Act vide order dated 22.12.2023.

A Copy of the order dt. 22.12.2023 has been annexed herewith as ANNEXURE A-20.

IV. **CLARIFICATION WITH RESPECT TO THE ORDER DT.**

12.07.2024 PASSED BY THE HON'BLE TRIBUNAL

22. That the Jai Prakash Narayan (Surhatal) Bird Sanctuary contains water throughout the year over approximately 1087.87 hectares of land. That migratory birds visit and stay in the sanctuary during the winter season, from December to February. That there is no likelihood of any adverse




21

impact on the water flow of the Kathar drain and Surhatal due to the construction of Jananayak Chandrashekhar University, Ballia, and the Solid Waste Disposal Center.

23. Furthermore, the Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Azamgarh, has written a letter dt. 28.08.2024 to the Additional District Magistrate (V/R), Agra. That vide the said letter the Regional Officer, UPPCB, Azamgarh provided the measurement of noise levels around Jananayak Chandrashekhar University, Ballia, as conducted on 23.08.2024. That according to the standards prescribed by the Central Pollution Control Board the noise levels are within the parameters.

A Copy of the letter dt. 28.08.2024 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-21**.

24. Hence, it pertinent to state that the the Jananayak Chandrashekhar University, Ballia, and the Solid Waste Disposal Center are located well away from the water boundary of the Jai Prakash Narayan (Surhatal) Bird Sanctuary. The surrounding land is cultivated by local farmers. There are no waterlogged areas near either structure, and no migratory or native birds visit the area. There is also no nesting or breeding of birds within or around the University premises. The Forest Settlement Officer/Sub-Divisional Magistrate, Bansdih, has exercised the powers conferred under Section



8

24(2)(a) of the Wildlife (Protection) Act, 1972, and excluded the respective plots of Jananayak Chandrashekhar University, Ballia, and the Solid Waste Disposal Center from the purview of Section 18 of the said Act.

25. That the deponent is duty bound to fulfil the obligation which are assigned under the law and directions passed by this Hon'ble Tribunal. The Deponent is fully committed to ensure strict adherence to the orders of this Hon'ble Tribunal and undertakes to faithfully comply with any further directions or instructions that may be issued by this Hon'ble Tribunal, without demur or delay.

26. Hence, the present response is being submitted for the kind perusal of this Hon'ble Tribunal. It is prayed that the same be taken on record.


DEPONENT




VERIFICATION

Verified at _____ on this ____ day of May, 2025, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 26 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.


DEPONENT




TESTED
K.P. YADAV
NOTARY PUBLIC

21 2 MAY 2025

उत्तर प्रदेश सरकार

वन अनुभाग- 3

संख्या 1088/11/14-3-19/89

लखनऊ दिनांक 27 मार्च, 1991

13432

35-51

6-4-91

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार की राय है कि वह क्षेत्र जिसका ब्योरा नीचे दी गई अनुसूची में दिया गया है वन्य जीवों और उनके पर्यावरण के संरक्षण, सम्बर्द्धन और विकास के प्रयोजन के लिये पर्याप्त पारिस्थितिक, प्राणिजात, वनस्पतीय, भू-आकृतिक, प्राकृतिक और प्राणितत्वीय महत्व का है।

अतएव, अब, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 अधिनियम संख्या- 53 सन् 1972 की धारा 18 की उपधारा 11 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उक्त क्षेत्र को जो 34.319 वर्ग किलोमीटर से अधिक फैला हुआ है, पक्षी विहार के रूप में घोषित करते हैं, जिसे जिला बलिया का "सुरहाताल पक्षी विहार" कहा जायेगा।

अनुसूचीसुरहाताल पक्षी विहार की सीमाएँ

दक्षिण-पश्चिम- ग्राम भीखपुर की गाटा संख्या 37/2, 37/1, 35, 60, 59, 27, 22, 17, 56, 14, 13, 6 तथा 5 ग्राम भैदपुर की गाटा संख्या 67, 58, 7, 8, 9, 10, 16, 19, 29, 28, 27, 26, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 46, ग्राम बसन्तपुर सहतमाली की गाटा संख्या-578, 517, 516, 515/2, 515/1, 514, 513, 512, 511, 510/2, 510/1, 509, 508, 507, 506, 502, 501, 500, 498, 497 चार भागों में 496, 480, 479, 476,

॥2॥

474, 472, 471, 470, 469, 468, 466, 464, 463,
461, 460, 451, 450, 448, 447, 445, 440, 439,
438, 437, 436, 435, 434, 433, 430, 429, 428,
427, 426, 425, 424, 423, 422, 421, 1, 2, 3,

4, 5, 6, 7, 9/1, 9/2, 9/3, 11, 12, 13, 20,

21, 22, 23, 24, 25/1, 25/2, 26, 27, 28, 29,

ग्राम व सन्तपुर इंगलिश की गाटा संख्या-1, 4, 5, 6, 7, 8

ग्राम बसन्तपुर मुस्तहकम की गाटा सं0-4150, 4159,

4158, 4157/2, 4157/1, 4156, 4155/2, 4155/1,

4154, 4153/1, 4153/2, 4153/3, 4152, 4150,

4151, 4142, 4139, 4140, 4141, 4144, 4145/1,

4145/2, 4174, 4175, 4180, 4181, 4182, 1982,

1962, 1965*

पश्चिम-उत्तर:-

ग्राम विन्दवलिया की गाटा संख्या-1, ग्राम शिवपुर की

गाटा संख्या 744, 443, ग्राम ठेलिया की गाटा संख्या

114, 1, 288, 1/5, 229, 1/5/1, 1/5/2, 1/5/3,

1/5/4, 1/5/5, 1/5/6, ग्राम अखियारपुर की गाटा

संख्या-44, ग्राम कैवली की गाटा संख्या 419, 421,

422, 423, 424, 434, 437, 440, 439, 441, 443,

444, 447, 449, 453, 454, 459, 460, 463, 464,

466, 469, 470, 472*

उत्तर-पूर्व:-

ग्राम सिधौली की गाटा संख्या-44, 93, 94, 84, 77, 110,

10, 85, 99, 130, 100, 130, 151, 152, 153, 224, 39, 227,

74, 136, ग्राम जजियापुर की गाटा संख्या 186, 190, 191,

192, 193, 194, 195, 196, 205, 217, 218, 219, 225,

226, 228, 229, ग्राम मैरीटार की गाटा संख्या-1314,

Page -3/

128/4
141/4

॥३॥

1332, 1333, 1336, 1337, 1338, 1389, 1391, 1398,
 1422, 1435, 1436, 1458, 1457, 1464, 1463, 1464, 1465,
 1466, 1467, 1473, 1474, 1476, 1477, 1483, 1484,
 1489, 1491, 1631, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648,
 1649, 1650, 1665, 1666, 1668, 1674, 1675, 1678,
 ग्राम अनकटपुर की गाटा संख्या 169, ग्राम राजपुर की
 गाटा संख्या 304, 305, 307, 308, 309, 310, 311,
 312, ग्राम चवरी की गाटा संख्या 11, ग्राम बड़सरी
 की गाटा संख्या-117, 118, 130, 131, 132, 133,
 136, 137, 138, 140 ग्राम जानीदुर की गाटा संख्या-
 30, 31, 32, 33, 39, 37, 38, 41, 43, 46, 50, 51,
 ग्राम कोल हुमरिया की गाटा संख्या-22, 20, 24, 28,
 38, 36, 41, 42, ग्राम कोल खुर्द की गाटा संख्या-26,
 25, 24, 42, 41, 29, 28, 26, 27, 18, 22 व 24.

पूर्व-दीक्षण:-

ग्राम कुलवरिया की गाटा संख्या 6, 7, 8, 18, 30, 28, 39,
 35, 111, 44, 109, 107, 51, 53, 54, 52, 59, ग्राम
 गल्हया • की गाटा संख्या-163, 82, 81, 80, 49, 52,
 50, 47, 45, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 30, ग्राम
 हुमरी की गाटा संख्या-39, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
 110, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120,
 121, 122, 125, 126, 10, 11, 15, 24, 25, 26, 28,
 29, 30, 31, 32, 49, 50, 51, 52, 54, 45, 41, 18, 17,
 16, 12, 9, 8, 7, 6, 5, 114, 128, 129, 130, 132,
 134, 135, 146, 147, 142, 152, 153, 154, 156,
 157, 159, 160, 161, 166, 167, 173, 174, 177,

1/2

४४

179, 180, 181, 194, 195, 198, 200, 199, ग्राम
 सोनपुरा खुर्द की गाटा संख्या-114, 112, 116, 113,
 110, 111, 109, 97, 100, 99, 98, 95, 94, 93, 92,
 91, 72, 71, 70, 68, 41, 28, 44, 43, 41, 39, 38,
 37, ग्राम सोनपुरा क्ला की गाटा संख्या-95, 96, 97,
 116, 117, 115, 114, 113, 112, 111, 110, 109,
 106, 105, 102, 101, 100, 99, 78, 77, 76, 75, ग्राम
 सलेमपुर की गाटा संख्या-90, 91, 101, 102, 105, 106,
 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118,
 119, 121, 122, 123, 125, 126, 133, 134, 135,
 139, 140, 141, 142/1, 142/2, 159, 160, 161,
 162, 165, 166, 167, 155, 154, ग्राम परतपुर की
 गाटा संख्या 35, 36, 54, 55, 53, 52, 51, 50, 49,
 48/2, 48/1, 47, 46 और 45°

सुरहाताल पक्षी विहार का क्षेत्रफल

जिला	ग्राम	स्वामित्व		कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
		निजी भूमि हेक्टर में	ग्राम समाज भूमि हेक्टर में	
1	2	3	4	5
बलिया	सोनपुर क्ला	46.00	0.87	46.87
	सोनपुर खुर्द	41.00	0.55	41.55
	हमरी	176.22	0.80	177.02
	सरयां	4.07	—	4.07
	धधरौली	20.07	0.80	20.87
	परतपुर	32.46	3.47	35.93

loc — 5/

1	2	3	4	5
भेदपुर	16.46	0.45	16.91	
भीखपुर	11.36	—	11.36	
वासदेवपुर	—	7.89	7.89	
श्रीपुर	—	6.51	6.51	
सलेमपुर ✓	78.32	0.40	78.72	
वसन्तपुर रहतमाली ✓	692.59	10.00	702.59	
वसन्तपुर सुस्तकम	44.29	—	44.29	
ताल सुरहा ✓	1006.37	81.50	1087.87	
आराजी ईंग्लिस वसन्तपुर	17.78	0.02	17.80	
घवरीकरन ✓	39.40	—	39.40	
गल्हया ✓	99.30	—	99.30	
घवरी ✓	75.63	—	75.63	
वभनौली	15.41	0.78	16.19	
पुलवरिया	21.31	—	21.31	
विन्दवलिया ✓	104.41	0.03	104.44	
ढोलिया ✓	153.44	—	153.44	
शिवपुर	12.14	—	12.14	
वर्मपुर	14.03	0.13	14.16	
अखियापुर	16.76	1.48	18.24	
कैवली ✓	30.05	2.69	32.74	
सिधौली	6.07	—	6.07	
माधौपुर	8.05	0.04	8.09	
जजियापुर ✓	15.28	1.21	16.49	
गडारी पाह ✓	50.43	1.69	52.12	

1004
1912

(6)

1	2	3	4	5
	भैरीटार	14.17	—	14.17
✓	ओझवतिया ✓	70.04	3.75	73.79
✓	फाफर ✓	42.23	2.43	44.66
✓	सिरमौर	34.95	0.47	35.42
	अनकटपुर	38.72	—	38.72
	राजपुर	12.61	—	12.61
	आंधी	30.94	—	30.94
	वडसरुी	32.75	0.32	33.07
	नरायनपुर	7.75	0.20	7.95
	हथिवदा	15.66	1.82	17.48
	गजियापुर ✓	17.48	—	17.48
	कोल हुमरिया	48.39	—	48.39
	कोल खुर्द	43.47	2.48	45.95
	साहोडीह	42.29	—	42.29
	कुल योग:	3,300.15	132.78	3,432.93

3,432.93 हे०
या 34.329 वर्ग कि०मी०

आज्ञा से,


राजीव रत्न शाह
सचिव।

GPS Coordinates Of Villages Falling In Eco-Sensitive Zone of Jai Prakash Narayan (Surhatal) Bird Sanctuary, Ballia, Uttar Pradesh			
Village GP	Village Name	Latitude	Longitude
a	Ankantpur	25° 51' 7.920" N	84° 12' 18.720" E
b	Babhanauli	25° 48' 32.879" N	84° 12' 16.560" E
c	Badari	25° 50' 23.399" N	84° 12' 59.879" E
d	Basantpur	25° 50' 2.339" N	84° 7' 55.859" E
e	Bhimpur	25° 48' 50.760" N	84° 9' 58.079" E
f	Delhuaa	25° 52' 13.080" N	84° 9' 21.899" E
g	Dhyinpur	25° 48' 50.040" N	84° 9' 51.239" E
h	Dubauli	25° 48' 27.479" N	84° 10' 30.241" E
i	Dumari	25° 48' 27.061" N	84° 11' 47.101" E
j	Fulwaria	25° 49' 10.801" N	84° 12' 27.180" E
k	Ghagharauli	25° 48' 28.260" N	84° 11' 57.419" E
l	Jajiyapur	25° 51' 56.581" N	84° 11' 11.519" E
m	Kaithwali	25° 52' 21.601" N	84° 10' 5.639" E
n	Maritar	25° 51' 34.740" N	84° 11' 48.300" E
o	Narayanpur	25° 50' 11.101" N	84° 12' 59.220" E
p	Ojhawaliya	25° 48' 32.400" N	84° 8' 48.721" E
q	Paraspur	25° 48' 44.100" N	84° 10' 8.760" E
r	Rajpur	25° 50' 53.880" N	84° 12' 31.140" E
s	Sahodih	25° 49' 52.259" N	84° 12' 53.039" E
t	Salempur	25° 48' 42.001" N	84° 10' 14.340" E
u	Sarayan	25° 48' 24.300" N	84° 11' 9.539" E
v	Shivpur	25° 51' 19.199" N	84° 8' 21.300" E
w	Sidhauli	25° 52' 22.019" N	84° 10' 44.040" E
x	Sripur	25° 48' 32.699" N	84° 9' 41.821" E
y	Surypura	25° 51' 48.060" N	84° 9' 7.441" E
z	Vasdevpur	25° 48' 48.060" N	84° 9' 45.659" E
a1	Hanumanganj	25° 48' 5.996" N	84° 8' 21.253" E
b1	Barhmain	25° 48' 18.666" N	84° 8' 23.485" E

255

c1	Paraspur	25° 48' 32.182" N	84° 10' 11.116" E
d1	Jainhpath	25° 49' 49.924" N	84° 13' 18.574" E


Protected Area & Eco Sensitive Zone Map of Jai Prakash Narayan (Surhatal) Bird Sanctuary, Ballia, Uttar Pradesh



GPS Point Code	Latitude	Longitude	GPS Point Code	Latitude	Longitude	GPS Point Code	Latitude	Longitude	GPS Point Code	Latitude	Longitude
S1	25° 51' 59.589" N	84° 10' 4.598" E	S7	25° 48' 57.066" N	84° 10' 33.107" E	E12	25° 52' 10.8" N	84° 8' 49.66" E	E17	25° 48' 18.7" N	84° 11' 22.596" E
S2	25° 51' 40.396" N	84° 11' 28.327" E	S8	25° 48' 46.350" N	84° 9' 24.942" E	E13	25° 52' 26.4" N	84° 10' 52.8" E	E18	25° 48' 30.2" N	84° 9' 58.533" E
S3	25° 50' 49.047" N	84° 12' 23.646" E	S9	25° 48' 33.002" N	84° 8' 33.181" E	E14	25° 51' 35.9" N	84° 12' 29.1" E	E19	25° 48' 12.0" N	84° 9' 6.579" E
S4	25° 50' 2.175" N	84° 12' 49.223" E	S10	25° 49' 51.016" N	84° 8' 18.892" E	E15	25° 50' 32.2" N	84° 13' 24.9" E	E20	25° 49' 12.5" N	84° 7' 55.474" E
S5	25° 49' 58.023" N	84° 12' 5.460" E	S11	25° 51' 6.926" N	84° 8' 37.232" E	E16	25° 49' 14.2" N	84° 12' 46.3" E	E21	25° 50' 45.9" N	84° 7' 48.859" E
S6	25° 49' 2.094" N	84° 12' 8.891" E									

Village GPS Code	Village Name	Latitude	Longitude	Village GPS Code	Village Name	Latitude	Longitude	Village GPS Code	Village Name	Latitude	Longitude
a	Ankantpur	25° 51' 7.920" N	84° 12' 18.720" E	k	Ghagharauli	25° 48' 28.260" N	84° 11' 57.419" E	u	Sarayan	25° 48' 24.300" N	84° 11' 9.539" E
b	Babhanauli	25° 48' 32.879" N	84° 12' 16.560" E	l	Jajiyapur	25° 51' 56.581" N	84° 11' 11.519" E	v	Shivpur	25° 51' 19.199" N	84° 8' 21.300" E
c	Badari	25° 50' 23.399" N	84° 12' 59.879" E	m	Kaithwali	25° 52' 21.601" N	84° 10' 5.639" E	w	Sidhauri	25° 52' 22.019" N	84° 10' 44.040" E
d	Basantpur	25° 50' 2.339" N	84° 7' 55.859" E	n	Maritar	25° 51' 34.740" N	84° 11' 48.300" E	x	Sripur	25° 48' 32.699" N	84° 9' 41.821" E
e	Bhimpur	25° 48' 50.760" N	84° 9' 58.079" E	o	Narayanpur	25° 50' 11.101" N	84° 12' 59.220" E	y	Surypur	25° 51' 48.060" N	84° 9' 7.441" E
f	Delhuua	25° 52' 13.080" N	84° 9' 21.899" E	p	Ojhawaliya	25° 48' 32.400" N	84° 8' 48.721" E	z	Vasdevpur	25° 48' 48.060" N	84° 9' 45.659" E
g	Dhyinpur	25° 48' 50.040" N	84° 9' 51.239" E	q	Paraspur	25° 48' 44.100" N	84° 10' 8.760" E	a1	Hanumanganj	25° 48' 5.996" N	84° 8' 21.253" E
h	Dubauli	25° 48' 27.479" N	84° 10' 30.241" E	r	Rajpur	25° 50' 53.880" N	84° 12' 31.140" E	b1	Barhmain	25° 48' 18.666" N	84° 8' 23.485" E
i	Dumari	25° 48' 27.061" N	84° 11' 47.101" E	s	Sahodih	25° 49' 52.259" N	84° 12' 53.039" E	c1	Paraspur	25° 48' 32.182" N	84° 10' 11.116" E
j	Fulwaria	25° 49' 10.801" N	84° 12' 27.180" E	t	Salempur	25° 48' 42.001" N	84° 10' 14.340" E	d1	Jainhpath	25° 49' 49.924" N	84° 13' 18.574" E

Google Image Map of Protected Area & Eco Sensitive Zone Jai Prakash Narayan (Surhatal) Bird Sanctuary, Ballia, Uttar Pradesh



Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community

GPS Point Code	Latitude	Longitude	GPS Point Code	Latitude	Longitude	GPS Point Code	Latitude	Longitude	GPS Point Code	Latitude	Longitude
S1	25° 51' 59.589" N	84° 10' 4.598" E	S7	25° 48' 57.066" N	84° 10' 33.107" E	E12	25° 52' 10.8" N	84° 8' 49.66" E	E17	25° 48' 18.7" N	84° 11' 22.596" E
S2	25° 51' 40.396" N	84° 11' 28.327" E	S8	25° 48' 46.350" N	84° 9' 24.942" E	E13	25° 52' 26.4" N	84° 10' 52.8" E	E18	25° 48' 30.2" N	84° 9' 58.533" E
S3	25° 50' 49.047" N	84° 12' 23.646" E	S9	25° 48' 33.002" N	84° 8' 33.181" E	E14	25° 51' 35.9" N	84° 12' 29.1" E	E19	25° 48' 12.0" N	84° 9' 6.579" E
S4	25° 50' 2.175" N	84° 12' 49.223" E	S10	25° 49' 51.016" N	84° 8' 18.892" E	E15	25° 50' 32.2" N	84° 13' 24.9" E	E20	25° 49' 12.5" N	84° 7' 55.474" E
S5	25° 49' 58.023" N	84° 12' 5.460" E	S11	25° 51' 6.926" N	84° 8' 37.232" E	E16	25° 49' 14.2" N	84° 12' 46.3" E	E21	25° 50' 45.9" N	84° 7' 48.859" E
S6	25° 49' 2.094" N	84° 12' 8.891" E									


Village GPS Code	Village Name	Latitude	Longitude	Village GPS Code	Village Name	Latitude	Longitude	Village GPS Code	Village Name	Latitude	Longitude
a	Ankantpur	25° 51' 7.920" N	84° 12' 18.720" E	k	Ghagharauli	25° 48' 28.260" N	84° 11' 57.419" E	u	Sarayan	25° 48' 24.300" N	84° 11' 9.539" E
b	Babhanauli	25° 48' 32.879" N	84° 12' 16.560" E	l	Jaiyapur	25° 51' 56.581" N	84° 11' 11.519" E	v	Shivpur	25° 51' 19.199" N	84° 8' 21.300" E
c	Badari	25° 50' 23.399" N	84° 12' 59.879" E	m	Kaithwali	25° 52' 21.601" N	84° 10' 5.639" E	w	Sidhauri	25° 52' 22.019" N	84° 10' 44.040" E
d	Basantpur	25° 50' 2.339" N	84° 7' 55.859" E	n	Maritar	25° 51' 34.740" N	84° 11' 48.300" E	x	Sripur	25° 48' 32.699" N	84° 9' 41.821" E
e	Bhimpur	25° 48' 50.760" N	84° 9' 58.079" E	o	Narayanpur	25° 50' 11.101" N	84° 12' 59.220" E	y	Suryapur	25° 51' 48.060" N	84° 9' 7.441" E
f	Delhuan	25° 52' 13.080" N	84° 9' 21.899" E	p	Ojhawaliya	25° 48' 32.400" N	84° 8' 48.721" E	z	Vasdevpur	25° 48' 48.060" N	84° 9' 45.659" E
g	Dhyinpur	25° 48' 50.040" N	84° 9' 51.239" E	q	Paraspur	25° 48' 44.100" N	84° 10' 8.760" E	a1	Hanumanganj	25° 48' 5.996" N	84° 8' 21.253" E
h	Dubauli	25° 48' 27.479" N	84° 10' 30.241" E	r	Rajpur	25° 50' 53.880" N	84° 12' 31.140" E	b1	Barhmain	25° 48' 18.666" N	84° 8' 23.485" E
i	Dumari	25° 48' 27.061" N	84° 11' 47.101" E	s	Sahodih	25° 49' 52.259" N	84° 12' 53.039" E	c1	Paraspur	25° 48' 32.182" N	84° 10' 11.116" E
j	Fulwaria	25° 49' 10.801" N	84° 12' 27.180" E	t	Salempur	25° 48' 42.001" N	84° 10' 14.340" E	d1	Jainhpath	25° 49' 49.924" N	84° 13' 18.574" E

SOI Topo Sheet Map of Protected Area & Eco Sensitive Zone Jai Prakash Narayan (Surhatal) Bird Sanctuary, Ballia, Uttar Pradesh



GPS Point Code	Latitude	Longitude	GPS Point Code	Latitude	Longitude	GPS Point Code	Latitude	Longitude	GPS Point Code	Latitude	Longitude
S1	25° 51' 59.589" N	84° 10' 4.598" E	S7	25° 48' 57.066" N	84° 10' 33.107" E	E12	25° 52' 10.8" N	84° 8' 49.66" E	E17	25° 48' 18.7" N	84° 11' 22.596" E
S2	25° 51' 40.396" N	84° 11' 28.327" E	S8	25° 48' 46.350" N	84° 9' 24.942" E	E13	25° 52' 26.4" N	84° 10' 52.8" E	E18	25° 48' 30.2" N	84° 9' 58.533" E
S3	25° 50' 49.047" N	84° 12' 23.646" E	S9	25° 48' 33.002" N	84° 8' 33.181" E	E14	25° 51' 35.9" N	84° 12' 29.1" E	E19	25° 48' 12.0" N	84° 9' 6.579" E
S4	25° 50' 2.175" N	84° 12' 49.223" E	S10	25° 49' 51.016" N	84° 8' 18.892" E	E15	25° 50' 32.2" N	84° 13' 24.9" E	E20	25° 49' 12.5" N	84° 7' 55.474" E
S5	25° 49' 58.023" N	84° 12' 5.460" E	S11	25° 51' 6.926" N	84° 8' 37.232" E	E16	25° 49' 14.2" N	84° 12' 46.3" E	E21	25° 50' 45.9" N	84° 7' 48.859" E
S6	25° 49' 2.094" N	84° 12' 8.891" E									

Village GPS Code	Village Name	Latitude	Longitude	Village GPS Code	Village Name	Latitude	Longitude	Village GPS Code	Village Name	Latitude	Longitude
a	Ankantpur	25° 51' 7.920" N	84° 12' 18.720" E	k	Ghagharauli	25° 48' 28.260" N	84° 11' 57.419" E	u	Sarayan	25° 48' 24.300" N	84° 11' 9.539" E
b	Babhanauli	25° 48' 32.879" N	84° 12' 16.560" E	l	Jajyapur	25° 51' 56.581" N	84° 11' 11.519" E	v	Shivpur	25° 51' 19.199" N	84° 8' 21.300" E
c	Badari	25° 50' 23.399" N	84° 12' 59.879" E	m	Kaithwali	25° 52' 21.601" N	84° 10' 5.639" E	w	Sidhaul	25° 52' 22.019" N	84° 10' 44.040" E
d	Basantpur	25° 50' 2.339" N	84° 7' 55.859" E	n	Maritar	25° 51' 34.740" N	84° 11' 48.300" E	x	Sripur	25° 48' 32.699" N	84° 9' 41.821" E
e	Bhampur	25° 48' 50.760" N	84° 9' 58.079" E	o	Narayanpur	25° 50' 11.101" N	84° 12' 59.220" E	y	Suryum	25° 51' 48.060" N	84° 9' 7.441" E
f	Delhua	25° 52' 13.080" N	84° 9' 21.899" E	p	Ojhawaliya	25° 48' 32.400" N	84° 8' 48.721" E	z	Vasdevpur	25° 48' 48.060" N	84° 9' 45.659" E
g	Dhyinpur	25° 48' 50.040" N	84° 9' 51.239" E	q	Paraspur	25° 48' 44.100" N	84° 10' 8.760" E	a1	Hanumanganj	25° 48' 5.996" N	84° 8' 21.253" E
h	Dubauli	25° 48' 27.479" N	84° 10' 30.241" E	r	Rajpur	25° 50' 53.880" N	84° 12' 31.140" E	b1	Barhmain	25° 48' 18.666" N	84° 8' 23.485" E
i	Dumari	25° 48' 27.061" N	84° 11' 47.101" E	s	Sahodih	25° 49' 52.259" N	84° 12' 53.039" E	c1	Paraspur	25° 48' 32.182" N	84° 10' 11.116" E
j	Fulvaria	25° 49' 10.801" N	84° 12' 27.180" E	t	Salempur	25° 48' 42.001" N	84° 10' 14.340" E	d1	Jainhpath	25° 49' 49.924" N	84° 13' 18.574" E



**जय प्रकाश नारायण
(सुरहाताल), पक्षी विहार,
जनपद - बलिया
की**

प्रबन्ध योजना

वर्ष 2020—21 से 2029—30

भाग—1 एवं भाग—2

सुनील चौधरी,

भा0व0से0

मुख्य वन संरक्षक,
वन्य जीव, पश्चिमी क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश, कानपुर
के
निर्देशन में

द्वारा

महावीर कौजलगी,

भा0व0से0

प्रभागीय वनाधिकारी,
काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर,
वाराणसी द्वारा संकलित।

खण्ड प्रथम

भाग-1

खण्ड द्वितीय

प्रस्तावित प्रबन्धन

(Proposed Management)

अण्ड तृतीय

परिशिष्ट

जय प्रकाश

नारायण

(सुरहाताल)

पक्षी विहार

बलिया का

मानचित्र

विषय-सूची

अध्याय	विषय	पृष्ठ
खण्ड-प्रथम		
अध्याय-1		
संरक्षित क्षेत्र का परिचय, नाम, स्थिति, गठन एवं विस्तार		
1.1	इतिहास, नाम, विज्ञप्ति, गठन व विस्तार संक्षिप्त	1-2
1.2	सम्पर्क एवं पहुँच मार्ग	2
1.3	विशिष्टताएँ	2-3
अध्याय-2		
संरक्षित क्षेत्र का विवरण		
2.1	सीमायें	4-5
2.2	भू-विज्ञान, शैल एवं मृदा	5
2.3	भू-तल संरचना (ढरेन) तथा जल विज्ञान (हाइड्रोलोजी)	5
2.4	जलवायु	5-6
2.5	जल संसाधनों की प्रकृति व वितरण	6-7
2.6	वन्य जीवों की विविधता, स्तर, वितरण एवं प्राकृतवास	7-10
अध्याय-3		
प्रबन्ध का इतिहास एवं वर्तमान कार्य प्रणाली		
3.1	संरक्षण इतिहास	11
3.2	प्राकृतिकवास प्रबन्धन	12
3.3	सुरक्षा तथा सूचना तन्त्र	12
3.4	पर्यटन तथा व्याख्यापरक गतिविविधयाँ (इण्टरप्रिजटेशन)	12
3.5	शोध एवं अनुश्रवण	13

3.6	ग्रामों का विस्थापन	13
3.7	प्रशासन एवं संगठन	13—14
3.8	पट्टे (लीजे) इत्यादि	14
3.9	वन अग्नि	14
3.10	जीवाणु तथा रोगाणुओं के संक्रमण की समस्या	14
3.11	वन्य जीवन संरक्षण, रणनीति तथा मूल्यांकन	14—15
3.12	संचार	15
3.13	अन्तर्विभागीय अथवा अन्य संस्थाओं के मध्य (इण्टरएजेन्सी) कार्यक्रम तथा समस्यायें	15—16
3.14	वन्य जीवन के प्रति चुनौतियाँ	16
अध्याय—4		
संरक्षित क्षेत्र तथा सन्धि स्थल भू-उपयोग की स्थिति		
4.1	प्रभावकारी क्षेत्र का विस्तार	17
4.2	भू-उपयोग वर्गीकरण	17
4.3	गाँवों का सामाजिक स्तर	17—18
4.4	गाँवों की संसाधन निर्भरता	18
4.5	भू-दृश्य के उत्पादन क्षेत्र	19
4.6	मानव वन्य जीव द्वन्द्व	19
4.6	समरेखीय संस्थाओं के योगदान का मूल्यांकन	19
4.7	संरक्षित क्षेत्र तथा प्रभावकारी जोन के प्रबन्धन को प्रभावित करने वाली जनसमस्याओं का संक्षिप्त विवरण	19—20
खण्ड—द्वितीय		
अध्याय—5 दृष्टि, उद्देश्य तथा समस्यायें		
5.1	दृष्टि	21
5.2	प्रबन्ध के उद्देश्य	21—22
5.3	उद्देश्य एवं प्राप्ति में समस्यायें	22—23

अध्याय—6		
रणनीतियाँ		
6.1	सीमायें	24—25
6.2	क्षेत्रगत विभक्तता	25
6.3	क्षेत्र योजना	25—30
6.4	उद्देश्यपरक योजनायें	30—35
अध्याय—7		
इकोटूरिज्म (पारिस्थितिकीय पर्यटन) प्रचार तथा पर्यावरण संरक्षण शिक्षा		
7.1	परिचय	36
7.2	उद्देश्य	36—37
7.3	पर्यटन क्षेत्र	37
7.4	वन्य जीव विहार सम्बन्धी प्रचार कार्यक्रम	37—38
7.5	संगठन, ढाँचा तथा प्रबन्धन	38—39
7.6	समस्यायें	39—40
7.7	वांछित पर्यटन हेतु रणनीति	40—42
7.8	नियन्त्रण, पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन	42—43
अध्याय—8		
पारिस्थितिकीय विकास		
8.1	परिचय	44
8.2	विशिष्ट मुद्दे तथा स्वाँट विश्लेषण	44—45
8.3	नीति एवं संस्थागत ढाँचा	45—46
8.4	मुख्य रणनीति	46—47
8.5	सूक्ष्म योजनाओं के माध्यम से वैकल्पिक आजीविका हेतु ग्राम स्तर पर स्थल विशिष्ट रणनीतियाँ	47—50
8.6	ग्राम्य विकास कार्यक्रमों का एकीकरण	50

8.7	क्रियान्वयन रणनीतियाँ	50—52
8.8	धनराशि की व्यवस्था	52—53
8.9	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	54
अध्याय—9		
शोध, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन		
9.1	महत्व	55
9.2	उद्देश्य	56
9.3	शोध प्राथमिकतायें	56—58
9.4	अनुश्रवण	58—59
9.5	प्रशिक्षण	59
अध्याय—10		
संगठन एवं प्रशासन		
10.1	सांगठनिक ढाँचा व उत्तरदायित्व	60
10.2	कर्मचारी / स्टाफ सुविधायें	61—62
अध्याय—11		
बजट		
11.1	प्लान बजट	63
11.2	विशिष्ट मुद्दे तथा स्वीट विश्लेषण	63—67
अध्याय—12		
विभिन्न कार्या का सावधिक लेखा—जोखा		
12.1	शिड्यूल	68
12.2	विचलन एवं लक्ष्य प्राप्ति का अभिलेख	68
12.3	रोजगार सृजन की क्षमता अभिलेख	68
12.4	नियन्त्रण फार्म	69
12.5	कक्ष इतिहास का रख-रखाव	69

खण्ड तृतीय		
परिशिष्ट तथा मानचित्र		
परिशिष्ट-1	जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार क्षेत्र की सीमायें	70—74
परिशिष्ट-2	वन्य जीव संरक्षण अधिनियम-1972 की धारा-21 के अन्तर्गत उद्घोषणा	75—79
परिशिष्ट-2 अ	राजस्व विभाग द्वारा नक्सलवाद की समस्या के समाधान हेतु कार्य योजना तैयार किया जाना	80
परिशिष्ट-3	तामान के आँकड़े	81
परिशिष्ट-4	वर्षा के आँकड़ें	82
परिशिष्ट-5	मानव जातीय वनस्पति औषधि	83—84
परिशिष्ट-6	भवनों की सूची	85
परिशिष्ट-7	ईकोटूरिज्म गाईड	86—97
परिशिष्ट-8	उत्तर प्रदेश में संरक्षित क्षेत्रों के विकास के लिए इकोडेवलपमेण्ट का कार्यक्रम लागू किया जाना	98
परिशिष्ट-9	उप अरण्यपालों तथा उत्तर प्रदेश के वन्य जीव प्रतिपालकों को उक्त एक्ट की अधीन अपराधों के विरुद्ध परिवाद	99
परिशिष्ट-10	उक्त एक्ट की धारा-50 की उपधारा (1) के खण्ड (ए), (बी) तथा (तीन) और उपधारा (6) के खण्ड (ए) के अधीन शक्तियों का प्रयोग	100
परिशिष्ट-11	दि वाइल्ड लाइफ (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1972 (एक्ट संख्या-53,1972) की धारा 50 के साथ पाठित धारा-9 की उपधारा (3) के अधीन शक्तियों का प्रयोग	101
परिशिष्ट-12	उप पुलिस अधीक्षकों, तीनों सहायक निरीक्षकों जो कि तीन पुलिस थाना और पुलिस चौकी में तैनात हों और उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को अपनी अधिकारिता में उक्त एक्ट के अधीन अपराधों के विरुद्ध शिकायत दाखिल करने का प्राधिकार	102

परिशिष्ट-13	क्षेत्रीय निदेशकों को अपर मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, प्रभागीय वनाधिकारियों और प्रभागीय निदेशकों की उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, सहायक वन संरक्षकों को वन्य जीव प्रतिपालक और वन रेंजरो, उप रेंजरो और वन दरोगाओं (फारेस्टर) को सहायक वन्य जीव प्रतिपालक के रूप में, अपनी-अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता	103
परिशिष्ट-14	राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्थिति के अनुसार उभयचरो की सूची	104
परिशिष्ट-15	जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार, बलिया के ग्रामवार आर्थिक-शैक्षणिक आंकड़े	105-106
परिशिष्ट-16	उत्तर प्रदेश के संरक्षित क्षेत्र	107-108
परिशिष्ट-17	उत्तर प्रदेश में पारिस्थितिकीय विकास हेतु शासकीय संकल्प की रूप-रेखा	109-111
परिशिष्ट-18	प्रबन्ध योजना में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची	112
परिशिष्ट-19	वन्य जीव विहार क्षेत्र का मानचित्र	113



परिशिष्ट – 18

प्रबन्ध योजना में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

क्र०सं०	नाम	पद
1.	सर्व श्री दिनेश सिंह	सहायक वन संरक्षक
2.	श्री ब्रजेश कुमार पाण्डेय	क्षेत्रीय वन अधिकारी
3.	श्री जय प्रकाश श्रीवास्तव	वन दरोगा
4.	श्री निशिकान्त सोनकर	वन रक्षक

**जय प्रकाश नारायण
(सुरहाताल), पक्षी विहार,
जनपद - बलिया
की**

प्रबन्ध योजना

वर्ष 2020—21 से 2029—30

भाग—1 एवं भाग—2

सुनील चौधरी,

भा0व0से0

मुख्य वन संरक्षक,
वन्य जीव, पश्चिमी क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश, कानपुर
के
निर्देशन में

द्वारा

महावीर कौजलगी,

भा0व0से0

प्रभागीय वनाधिकारी,
काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर,
वाराणसी द्वारा संकलित।

अध्याय-1

जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार, बलिया

प्रथम खण्ड

क्षेत्र परिचय –

1.1 (अ) जय प्रकाश नारायण पक्षी विहार, जनपद-बलिया (उ0प्र0)

(ब) स्थिति –

जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार जनपद बलिया के अन्तर्गत बाँसडीह तहसील से दक्षिण, बलिया से उत्तर कैथवली से पूरब तथा बाँसडीह रोड से पश्चिम दिशा में स्थित है। इसके चारों ओर पड़ने वाले गाँवों में बसन्तपुर, सूरजपुर, मैरीटार, शिवपुर, राजपुर, नारायणपुर, फुलवरिया कैथवली तथा भीखमपुर, प्रमुख है। क्षेत्र के पूर्ण बन्दोबस्ती कार्यवाही के अभाव में सीमायें पूर्णतः स्पष्ट नहीं है।

(स) स्थापना तथा विस्तार – जयप्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार जनपद बलिया काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी में समाविष्ट है, जो वर्तमान में प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के प्रशासनिक नियन्त्रण में है। भौगोलिक दृष्टि से यह क्षेत्र उत्तरी अक्षांश 26°40' से 26°42' तथा पूर्वी देशान्तर-84°11' से 84°14' के बीच है। कुल क्षेत्रफल 3432.93 हेक्टेयर है। शासनादेश संख्या-1088 /1/14/3-19/89, दिनांक : 27 मार्च 1991 के द्वारा इस क्षेत्र को सुरहाताल पक्षी विहार घोषित किया गया तथा शासनादेश संख्या-2854/14-4-2002-874/2002, लखनऊ, दिनांक : 10 दिसम्बर 2002 के अनुसार इसका नाम परिवर्तित कर जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार घोषित कर दिया गया है। पत्र संख्या-10/काशी प्र0/15-1-व0स0, दिनांक : 18.12.2006 जिलाधिकारी, बलिया द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम-1972 धारा-21 के अन्तर्गत उद्घोषणा कर दावेदारों की आपत्तियों को आमंत्रित किया

गया है। यह पक्षी विहार दक्षिण-पश्चिम में ग्राम भीकमपुर उत्तर-पूर्व ग्राम सिधौली तथा पूर्व दक्षिण में ढुलवारा के बीच है।

1.2 सम्पर्क एवं पहुँच मार्ग – जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार जनपद वाराणसी से सड़क मार्ग द्वारा 160 कि०मी० दूरी पर स्थित हैं एवं बलिया शहर रेलवे स्टेशन से 13 कि०मी० की दूरी पर स्थित है। सुरहाताल से सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन बांसडीह रोड पड़ता है। यह रेलवे स्टेशन बलिया-छपरा ब्राड गेज लाइन पर पड़ता है। छोटा रेलवे स्टेशन होने के कारण कोई होटल नहीं है। बलिया शहर में ही अच्छे होटल एवं खाने-पीने की अच्छी व्यवस्था हैं। वाराणसी से वाराणसी-बलिया राज्य मार्ग द्वारा चलकर बलिया तथा बलिया से बांसडीह रोड पर 14 कि०मी० चलकर मैरीटार होते हुए सुरहाताल पहुँचा जा सकता है।

1.3 विशिष्टताएँ (क्षेत्र का महत्व) – यह ताल बलिया जनपद में जनपद मुख्यालय से उत्तर दिशा में लगभग 10 कि०मी० दूरी पर प्रारम्भ हो जाता है। लगभग 3432.93 हे० (34.329 वर्ग कि०मी० में) फैला हुआ यह ताल जनपद की बलिया एवं बांसडीह तहसील के एक काफी हिस्से को अपने आप में समेटे हुआ है। जनहित एवं लोक मान्यता के आधार पर भृगु आश्रम पर तुरथनाथ के राजा का राज्य था, जिनकी राजधानी इस ताल के किनारे पर बसे गाँव राजपुर में थी। राजा तुरथनाथ कुष्ठ रोग से ग्रसित थे, वे एक बार इसी क्षेत्र से गुजर रहे थे, रास्ते में उन्होंने सुरहाताल क्षेत्र में एक गड्ढे के पानी से अपना हाथ साफ किया तथा राजा ने देखा कि उनके हाथ का कुष्ठ रोग बिल्कुल ठीक हो गया। राजा ने आस-पास के क्षेत्र की खुदाई करवायी तथा इसे एक वृहद ताल का स्वरूप प्रदान किया। आज भी ऐसी मान्यता है कि सुरहाताल में स्नान करने से व्यक्ति को चर्म रोग से मुक्ति मिल जाती है। राजा तुरथ के नाम से ही इसका नाम सुखताल रखा गया। कालान्तर में यह उच्चारण प्रभावित होकर सुरहाताल के रूप में इसका सम्बोधन किया जाने लगा। इस ताल के सम्बन्ध में क्षेत्रीय लोगों की धारणा है कि यह स्थल देवताओं का वास-स्थल होने के कारण सुरहा ताल नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस सन्दर्भ में इस ताल के किनारे बसे ग्राम का उल्लेख किया जाता है। इस ताल के किनारे वर्तमान में एक गाँव शिवपुर है, जिसे लोग देवभरीपुर पुराने नाम के रूप में बताते हैं। ऐसी

कहावत है कि देवता लोग इस स्थान पर भीड़ के शकल में इकट्ठे होते थे। इसलिए इसका नाम देवभरीपुर हुआ था। इसके किनारे पर स्थित दूसरे गाँव सुरजपुरा को लोग प्राचीन सूर्यपुरा बताते हैं। देवताओं का निवास स्थान इसी ग्राम में था। कैथवली को देवताओं के पंचायत स्थल के रूप प्रस्तुत किया जाता है। मैरीटार में सुखपुरा की गन्दगी इकट्ठा किया जाता था। दूसरी मान्यता यह है कि छठवीं शताब्दी में गंगा तथा घाघरा नदियों का संगम इसी जगह पर था। इस ताल के आस-पास 44 गाँव स्थित हैं। इन गाँव के निवासियों के जीवन यापन के लिए सुरहाताल गंगा कें समान हैं। वहाँ के निवासी अपने रोजगार हेतु सुरहाताल पर काफी निर्भर रहते हैं। गर्मियों के दिनों में सुरहाताल से लगभग 50 से 100 कुन्तल तक मछलियाँ हो जाती हैं तथा बरसात के दिनों में सुरहाताल के चारो तरफ लगभग 5000 हे० भूमि जलमग्न हो जाती है।

अध्याय -2

संरक्षित क्षेत्र की पृष्ठ भौमिक सूचनाएँ एवं अन्य विवरण

2.1 सीमाएँ – सुरहाताल बांसडीह तहसील से दक्षिण बलिया से उत्तर कैथवली से पूरब तथा बांसडीह रोड से पश्चिम दिशा में स्थित है। इस क्षेत्र के पूर्ण बन्दोबस्ती कार्यवाही के अभाव में सीमायें, पूर्णतया स्पष्ट नहीं है। सीमाओं का विवरण उत्तर प्रदेश सरकार वन अनुभाग-3 शासनादेश संख्या 1088/14-3/19-89, दिनांक : 27.03.1991 में वर्णित है। कुल क्षेत्रफल 3432.93 हे० जिसमें 3300.15 हैक्टेयर निजी भूमि है तथा 132.78 हेक्टेयर ग्राम समाज की भूमि है। इस ताल के चारों ओर पड़ने वाले गाँव बसन्तपुर, सुरजपुर, सूर्यपुर, मैरीटार, शिवपुर, राजपुर, नरायनपुर, फुलवरिया, कैथवली तथा भीखपुर है।

2.1.1 विधिक सीमाएँ – जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार की विधिक सीमाओं का विवरण उत्तर प्रदेश वन अनुभाग-3 शासनादेश संख्या-1088/1/14/3-19/89 दिनांक : 27.03.1991 में वर्णित है। संरक्षित क्षेत्र से सम्बन्धित बन्दोबस्ती कार्यवाही वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम-1972 धारा-19 से 25 तक उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप प्रगति पर है। स्थानीय लोगों से प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का निस्तारण अभी तक न हो पाने के कारण क्षेत्र का स्पष्ट सीमांकन नहीं हो सका है।

अधिसूचित सीमा के अन्तर्गत स्थानीय कृषकों/ग्रामीणों के स्वामित्व की काफी अधिक भूमि है, जहाँ वर्ष के अधिकांश महीनों में पर्याप्त जल स्तर नहीं रहता है। अतः स्थानीय पारिस्थितिकी तन्त्र से साम्य बनाये रखते हुए उक्त सीमा के संकुचन हेतु उचित प्रयास किया जाना आवश्यक था।

2.1.2 पर्यावरणीय/पारिस्थितिकीय सीमायें – संरक्षित क्षेत्र 34.32 वर्ग किमी के वर्तमान विस्तार में प्रकृति प्रदत्त एक सुदृढ़ एवं सक्रिय जल-प्रधान पारिस्थितिकी तंत्र है। इसकी सीमाओं पर कृषि प्रधान भू-क्षेत्र एवं ग्रामीण आबादी है। इस प्रकार संरक्षित

क्षेत्र के भू-दृश्य क्षेत्र में भी एक अन्य पारिस्थितिकी तंत्र सक्रिय है जो प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष तरीके से संरक्षित क्षेत्र की पारिस्थितिकी से जुड़ा हुआ है।

2.2 भू-विज्ञान शैल एवं मृदा – सुरहाताल पक्षी विहार सीमा में मुख्य रूप से काली मिट्टी पायी जाती है। जहाँ पर ऊँचा क्षेत्र है वहाँ पर पानी का बहाव अधिक होता है। इस मिट्टी में कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा आयरन के कार्बोनेट अधिक होते हैं।

भू-विज्ञानी दृष्टि से यह क्षेत्र चतुर्थकल्पी जलोड अवसादों की मोटी तह से बना है। सम्पूर्ण क्षेत्र को निम्न भागों में विभाजित किया गया है।

1. **बलिया पुरातन जलोढ़क** – इसमें उच्चस्तरीय भू-भाग आते हैं।
2. **नवीन जलोढ़क** – इसमें निम्न स्तरीय भू-भाग आते हैं।
3. **सरोवरीय अवसाद** – यह भाग सतह पर स्थित पुरातन प्रवाहकों एवं तालों के मध्य पाये जाते हैं।

2.3 भू-प्रदेश – सुरहाताल पक्षी विहार क्षेत्रीय दृष्टिकोण से बलिया जनपद का उच्चवर्तीय गंगा मैदान का एक भाग है। जिसके भूखण्ड बहुत ही उपजाऊ है।

जल स्रोत – सुरहाताल पक्षी विहार बलिया का मुख्य जल स्रोत कटहर नाला है, जो सरयू नदी से होता हुआ इस ताल में आता है।

पक्षी विहार में जल की स्थिति – इसमें कटहर नाला का पानी बहाव में रहता है। साथ ही ग्रामों का गन्दा पानी वर्षा के पानी के साथ बहकर आता है, जो जल को प्रदूषित करता है। सूखे के मौसम में ताल में पानी कहीं से भी नहीं आता है। सिल्ट रोकने के लिए भूमि संरक्षण कार्य की आवश्यकता है। जल प्रदूषण के सभी स्रोतों के आवश्यक रोकथाम की आवश्यकता है।

2.4 जलवायु – सुरहाताल पक्षी विहार की जलवायु उत्तर प्रदेश के गांगेय मैदानी क्षेत्रों में पायी जाने वाली उष्ण जलवायु की तरह है। ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी पड़ती है तथा शीत ऋतु में ठण्ड पड़ती है। अधिकतम तापमान 47⁰ सेल्सियस तथा न्यूनतम

तापमान 4⁰ डिग्री सेल्सियस होता है। ग्रीष्म ऋतु में गरम हवाएँ तथा लू चलती है एवं शीत ऋतु में कभी-कभी पाला पड़ता है।

2.4.1 वर्षा विन्यास एवं विवरण – जुलाई से सितम्बर तक सर्वाधिक वर्षा होती है तथा कभी-कभी माह जून में तीसरे सप्ताह में वर्षा प्रारम्भ हो जाती है। कभी-कभी माह जनवरी व फरवरी में भी वर्षा हो जाती है।

सामान्यतः वर्षा का औसत पूरे वर्ष में 800–900 मिमी० रहता है। यह सूचना सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर दिया गया है वर्षा के आंकड़ों का विवरण परिशिष्ट (4) में दिया गया है।

2.4.2 तापमान – सुरहाताल बलिया के तापमान अधिकतम 43.3 सेल्सीयस तथा न्यूनतम 5.4 सेल्सीयस है। यह सूचना जनपद बलिया के सांख्यिकीय पत्रिका में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर आंकलित कर दर्शाया गया है। तापमान के आंकड़ों का विवरण परिशिष्ट (5) में दिया गया है।

2.4.3 पाला – माह दिसम्बर से फरवरी तक रातें काफी ठण्ड होती हैं। पाले का सर्वाधिक प्रकोप जनवरी में होता है।

2.4.4 पवन – ग्रीष्म ऋतु में गरम हवायें (लू) चलती हैं। सामान्य रूप से इस क्षेत्र में वृक्षों की कमी होने के कारण हवा का दबाव समीपवर्ती क्षेत्र की तुलना में अधिक है।

2.4.5 आद्रता – संरक्षित क्षेत्र प्रधानतः एक स्थायी जल निकाय होने के कारण इसके परिवेश में प्रायः वर्ष भर सामान्य आद्रता बनी रहती है। इसका प्रभाव अंशतः इसके चारों ओर के भू-दृश्यक क्षेत्र पर भी परिलक्षित होता है।

2.4.6 सूखा एवं बाढ़ – सूखे के मौसम में इस पक्षी विहार में पानी का विस्तार संकुचित हो जाता है जिससे इसके पारिस्थितिकी तंत्र पर **विपरीत** प्रभाव पड़ता है। संरक्षित क्षेत्र गंगा व घाघरा नदी के मध्य स्थित होने के कारण प्रायः बाढ़ का प्रकोप सहन करता है।

2.5 जल संसाधनों की प्रकृति एवं वितरण – संरक्षित क्षेत्र वस्तुतः 34.32 वर्ग किमी में विस्तारित जल पारिस्थितिकीय युक्त एक विशाल क्षेत्र है। इस क्षेत्र में सरयू/घाघरा नदी से आने वाला कटहर नाला वर्ष भर जल आपूर्ति करता है।

इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र के चारों ओर विस्तीर्ण विशाल भू-भाग इसका जल संग्रहण क्षेत्र है। जिससे वर्षा के दिनों में कई छोटे-मोटे नालों से इसमें जल आता रहता है। कृषि क्षेत्र से बहकर आने वाला जल विभिन्न रसायनों से युक्त होने के कारण प्रदूषित होता है। संरक्षित क्षेत्र के आस-पास कोई औद्योगिक क्षेत्र न होने के कारण अन्य प्रकार के प्रदूषण युक्त जल के प्रवाह से यह क्षेत्र सुरक्षित है।

2.6 वन्य जीवन की स्थिति वितरण व प्राकृतवास – भौगोलिक दृष्टि से जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार गांगेय मैदान का जलाच्छादित भू भाग है। इस विशाल जल-निकाय का पारिस्थितिकी तंत्र अत्यन्त पुराना व परिपक्व है। इसमें विभिन्न प्रकार के जलजीव व जलीय वनस्पतियाँ पायी जाती हैं।

2.6.1 पादप जगत – इस संरक्षित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की जलीय वनस्पतियाँ पायी जाती हैं। इसमें पायी जाने वाली प्रमुख जलीय वनस्पतियों में फौक्सनट पानी बेल, शैवाल (Algae), मार्सेलिया (Marsilia), जंगली चावल (Wild Rice), काई (Spirodala) भूरी काई (Azolla) तथा पुरइन और जलकुम्भी (Water hysinth) हैं।

2.6.2 प्राणी जगत – जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार में पाये जाने वाले प्राणी वर्गवार निम्न है –

2.6.2.1 कशेरुकी प्राणी (Vertebrates) – जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार में कशेरुकी वर्ग के प्राणी बहुतायत पाये जाते हैं –

(क) मत्स्य वर्ग –

(i) सौर	Channa Punctatus	(vi) टैंगर	Fassilis
(ii) मांगुर	Catfish - Clarias spp)	(vii) सूर्या	Sardine
(iii) नैन	Cirrhinus Marigala	(viii) सिद्धी	Heteropenustes
(iv) रोहू	Labeo rohita	(ix) वाम	Sping Eel
(v) पतरा	Hotopterus		

(ख) उभयचरी वर्ग –

- | | | |
|-------|-----------------|---------------|
| (i) | मेढक | Rana Tigrana |
| (ii) | टोड/मेकर | Maitenotix |
| (iii) | राना टिक्नोबारी | Rana Timowari |

(ग) सरीसृप वर्ग –

- | | | |
|-------|--------------|--------------------------|
| (i) | पनिहा साँप | Xenochroupis Piscator |
| (ii) | सुन्दरी कछुआ | Indian flap shell turtle |
| (iii) | पचेड़ा | Kachnga teeta |
| (iv) | काला काठा | Pond turtle |
| (v) | करैत | Bungarus caerullus |

(घ) पक्षी वर्ग – इस संरक्षित क्षेत्र में प्रवासी व अप्रवासी दोनों तरह के पक्षियों का वास है।

- | | | |
|--------|-----------|---------------------------|
| (i) | जल कौआ | Little Cormorant |
| (ii) | डुबडुबी | Little greber or Dabchick |
| (iii) | पुनडुब्बी | Darter or Snake Bird |
| (iv) | नीलसर | Mallard |
| (v) | जल मुर्गी | Indian Moorhen |
| (vi) | बगुला | Little Egret |
| (vii) | स्पाटबिल | Grey Duck |
| (viii) | टीका | Teeka |
| (ix) | नकटा | Comb duck |
| (x) | सुर्खाब | Brahmany duck |

(ड) प्रवासी पक्षी –

(i)	छोटी मुर्गाबी	Common teal
(ii)	सीखपर	Pintail
(iii)	भुआर	Gadwal
(iv)	लालसर	Red crested Pochard
(v)	तिदारी	Shoveller
(vi)	कूट	Coot
(vii)	लालसीर	Common Pochards
(viii)	सावन	Bar headed Goose

2.6.2.2 (limiting Factors) – जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार में निरन्तर विस्तारित हो रही जलकुम्भी से जलराशि में आक्सीजन की प्रतिशत मात्रा निरन्तर कम हो रही है। परिणामतः संरक्षित क्षेत्र की जलीय वनस्पति व जलजीवों के अस्तित्व को खतरा है।

अतः संरक्षित क्षेत्र में जलकुम्भी की मौजूदगी लिमिटिंग फैक्टर के रूप में है।

2.6.2.3 अकेशेरुकी प्राणी – जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार में अकेशेरुकी प्राणियों मुख्यतया निम्न प्रकार पाये जाते हैं –

(i)	अमीबा	(Amoeba)
(ii)	पैरामीसियम	Paramecium
(iii)	केंचुआ	Earthworm
(iv)	जोंक	Leech
(v)	झींगा	Prawn
(vi)	घोंघा	Snail
(vii)	सीपा	Fren water
(viii)	केकड़ा	Crab

संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र में इनका स्थान, स्तर, वितरण जनसंख्या घनत्व इत्यादि का वैज्ञानिक अध्ययन अभी तक नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में शोध की आवश्यकता है।

अध्याय-3

प्रबन्धन का इतिहास तथा वर्तमान पद्धतियाँ

3.1 संरक्षण इतिहास –सुरहाताल पक्षी विहार बलिया में प्रवासी पक्षी जाड़ा बिताने हेतु आते हैं तथा स्थानीय पक्षियाँ भी ताल में आती हैं। इनकी सुरक्षा हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने विज्ञप्ति संख्या 1088/14-3-89 मार्च 1991 द्वारा सुरहाताल को पक्षी विहार घोषित किया है। इस ताल में 3300.15 हेक्टेयर निजी भूमि तथा ग्राम समाज की भूमि मात्र 132.78 हेक्टेयर है। वन विभाग की कोई भूमि नहीं है। निजी भूमि पर ग्रामवासियों द्वारा धान की रोपाई करके अन्न पैदा किया जाता है। सम्पूर्ण ताल के क्षेत्र में मल्लाहों द्वारा तथा ग्रामवासियों द्वारा मछली पकड़ा जाता है। वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम-1972 की धारा-21 के अन्तर्गत जिलाधिकारी बलिया द्वारा विज्ञप्ति/पत्रांक -10/काशी प्र0/15-टी0सी0, दिनांक : 18.12.2006 द्वारा उद्घोषणा कर जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार की सीमान्तर्गत विभिन्न प्रकार के दावों एवं अधिकारों के सम्बन्ध में स्थानीय निवासियों की आपत्तियों/दावों को आमंत्रित किया गया है। दावों से सम्बन्धित पत्रावलियों का निस्तारण किया जा रहा है। संरक्षित क्षेत्र के प्रबन्धन के क्रम में विगत में प्रमुख रूप से निम्न कार्य कराये गये हैं –

1. देशी व प्रवासी पक्षियों के प्राकृतवास में सुधार हेतु जल क्षेत्र के उथले भागों में कृत्रिम द्वीपों (माउण्ड्स) का निर्माण।
2. पक्षियों तथा अन्य जलीय जन्तुओं को अवलोकित करने हेतु वाच टावरों का निर्माण।
3. संरक्षित क्षेत्र से हानिकारक वनस्पति जैसे जलकुम्भी इत्यादि उन्मूलन हेतु वार्षिक सफाई।
4. भू-दृश्य क्षेत्र की ग्रामीण जनता हेतु विकास कार्य यथा हैण्डपम्प, खड़जा मार्ग इत्यादि।
5. भू-दृश्य क्षेत्र में रोजगार परक कार्य यथा मधुमक्खी पालन के व्यवसाय हेतु अनुदान।

- 3.2 प्राकृतवास प्रबन्धन** – जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितकीय तंत्र का अभी तक सुचारु रूप से वैज्ञानिक अध्ययन न होने के कारण इसके प्राकृतवास के विभिन्न घटकों तथा कारकों की यथार्थपरक सूक्ष्म जानकारी उपलब्ध नहीं है। अतः प्राकृतवास प्रबन्धन के तौर पर अभी तक संरक्षित क्षेत्र से हानिकारक वनस्पति – जलकुम्भी इत्यादि की सफाई मात्र ही की जाती रही है।
- 3.3 सुरक्षा एवं खुपिया तंत्र** –संरक्षित क्षेत्र की सुरक्षा संरक्षा हेतु प्रारम्भ से ही मात्र दो वन्य जीव रक्षक तैनात रहे हैं। इस प्रकार संरक्षित क्षेत्र की सुरक्षा हेतु स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक ढाँचा क्षीण है। और सम्भवतः इसी कारण सुरक्षा एवं सुरक्षा तंत्र जैसे पक्षो पर स्थिति संतोषप्रद नहीं है।
- 3.4 पर्यटन व प्रचार-प्रसार** – जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार जनपद-बलिया एक विस्तृत जल निकाय है। जिसके चारों ओर गाँव बसे हुए हैं। यहाँ के ग्रामवासी/मल्लाह, मछुआरे तथा अन्य निर्बल वर्ग के लोग अपनी रोजी-रोटी तथा व्यवसाय हेतु विभिन्न तरीके से इसी तालाब पर निर्भर हैं। इस जल क्षेत्र को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम-1972 की धारा-18 के अन्तर्गत पक्षी विहार के रूप में अधिसूचित हुए लगभग बीस साल हो रहा है परन्तु अभी तक सम्यक बन्दोबस्ती कार्यवाही पूर्ण न होने के कारण इसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित नहीं किया जा सका है। पक्षी विहार के सन्निकट बसन्तपुर क्षेत्र में शहीद स्मारक पार्क का निर्माण किया गया है, जहाँ आने वाले स्थानीय पर्यटक को भी अभी पक्षी विहार की ओर आकृष्ट नहीं किया जा सका है। वस्तुतः इस संरक्षित क्षेत्र के प्रति स्थानीय जनता का विरोध तथा बन्दोवस्ती कार्यवाही की धीमी प्रगति तथा प्रबन्धन की उचित प्रणाली व शैली का अभाव ही इसके प्रमुख कारण है। प्रबन्धन की असफलता का स्तर यह है कि वन एवं वन्यजीव, पर्यावरण तथा पक्षी विहार, के प्रचार-प्रसार हेतु यहाँ पर लगाए गए अनेक प्रदर्शन बोर्ड, पट्टिकाएँ तथा होर्डिंग्स इत्यादि स्थानीय निवासियों द्वारा तोड़-फोड़ तथा उखाड़ दिए जाते हैं।

- 3.5 शोध तथा अनुश्रवण** – पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार एक पूर्ण, संतुलित व महत्वपूर्ण जल निकाय है। इस विस्तृत जल क्षेत्र में अनेक जलीय वनस्पतियाँ, जल-जीव व प्रवासी एवं अप्रवासी पक्षियाँ बहुतायत संख्या में पायी जाती हैं। प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में बाहर से प्रवासी पक्षी शीत ऋतु की शुरुआत में यहाँ आते हैं और बसन्त ऋतु में चले जाते हैं। यहाँ पर गुजारे गए प्रवास काल में उनके द्वारा इस संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकीय तंत्र में क्या योगदान निहित रहता है, यह शोध का विषय है। इसके अतिरिक्त संरक्षित क्षेत्र के जल जीवन/प्राकृतवास तथा जलीय वनस्पति व जलजीवन का अभी तक वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया गया है। स्थानीय वायु, मिट्टी तथा जल प्रदूषण के कारकों का इसके पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ने वाले प्रभाव के परिणामों का भी अभी तक नियमित व सुव्यवस्थित अनुश्रवण न किए जाने के कारण विगत के अनेक पारिस्थितिकी सम्बन्धी आँकड़ों का अभाव है। संरक्षित क्षेत्र के प्रबन्धन के क्रम में किए गए अनेक कार्यों के फलस्वरूप यहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र के सुधार-स्तर का वैज्ञानिक-अध्ययन भी किया गया प्रतीत नहीं होता। हाँ, विगत के दो-तीन वर्षों में स्थानीय स्तर पर आयोजित कार्यशालाओं के माध्यम से स्थानीय निवासियों में पर्यावरण के प्रति जागरुकता की भावना का संचार हुआ अवश्य परिलक्षित होता है।
- 3.6 गाँवों की पुर्नस्थापना** – संरक्षित क्षेत्र की सीमा में गाँव स्थित न होने के कारण पुर्नस्थापन की आवश्यकता नहीं रही है, परन्तु संरक्षित क्षेत्र की सीमा में आस-पास के 44 ग्रामों की 3300.15 है० कृषि भूमि सम्बन्धी बन्दोबस्त की कार्यवाही प्रगति पर है।
- 3.7 प्रशासन तथा संगठन** – सुरहाताल पक्षी विहार बलिया में वर्तमान में इसकी प्रशासनिक व्यवस्था प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग वाराणसी के नियंत्रण में परियोजना अधिकारी, कछुआ पुनर्वास परियोजना सारनाथ वाराणसी द्वारा की जाती है।

स्थानीय स्तर पर संरक्षित क्षेत्र की सुरक्षा, संरक्षा तथा अन्य प्रबन्धन तथा पारिस्थितिकी विकास सम्बन्धी कार्यों के संचालन हेतु दो वन रक्षक/वन्य जीव

रक्षक तैनात है, कुल मिलाकर संरक्षित क्षेत्र हेतु वर्तमान सांगठनिक ढाँचा अप्रभावी व अपर्याप्त है।

- 3.8 लीजें तथा पट्टे इत्यादि** – संरक्षित क्षेत्र में किसी प्रकार की लीजें/पट्टे इत्यादि का आवंटन नहीं किया गया है, परन्तु संरक्षित क्षेत्र घोषित होने के पूर्व से ही अनेक स्थानीय निवासियों की पैतृक भूमि इस क्षेत्र में सम्मिलित है। उक्त भूमि का उनके द्वारा कृषि कार्य हेतु उपयोग किया जाता है। वर्तमान में उक्त कृषि भूमि के दावों का निस्तारण कार्य किया जा रहा है।
- 3.9 वन अग्नि** – संरक्षित क्षेत्र प्रमुखतः जल-निकाय होने के कारण किसी-प्रकार की अग्नि दुर्घटनाओं अथवा ऐसी सम्भावनाओं के निराकरण हेतु विगत में कोई रणनीति निर्धारित नहीं की गयी है। प्रथम दृष्टया इसकी आवश्यकता भी नहीं है।
- 3.10 कीटाणु तथा रोगाणु जनित संक्रमण** – संरक्षित क्षेत्र के विगत के प्रबन्धन में यद्यपि इस मुद्दे को उपेक्षित किया जाता रहा है, परन्तु शोध आधारित निष्कर्षों के आधार पर विभिन्न संरक्षित क्षेत्र के जल जीवों व वनस्पतियों का आयातित जल प्रदूषण तथा मवेशियों से रोगों के संक्रमण की ग्राह्यता का आकलन कर उचित निरोधात्मक निदान आवश्यक होगा।
- 3.11 वन्य जीवन संरक्षण रणनीति तथा मूल्यांकन** – जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार की स्थापना सम्बन्धी शासकीय अधिसूचना जारी होने के पश्चात् संरक्षित क्षेत्र के प्रबन्धन के क्रम में जलीय जीव जन्तु वनस्पति पक्षियों तथा उनके प्राकृतवास की सुरक्षा-संरक्षा हेतु निम्न रणनीति अपनायी जाती रही हैं –
1. जलीय प्राणियों उनके प्राकृतवास तथा प्रवासी व स्थानीय पक्षियों की सुरक्षा हेतु वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम-1972 के प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में वन्य जीव अपराधियों के विरुद्ध निरोधात्मक विधिक कार्यवाही।
 2. प्राकृतवास की गुणवत्ता में सुधार व वृद्धि हेतु जलकुम्भी इत्यादि हानिकारक वनस्पति का संरक्षित क्षेत्र से उन्मूलन/निस्तारण।
 3. वन्य प्राणियों के प्रति संवेदनशीलता जागृत करने के उद्देश्य से स्थानीय स्तर पर कार्यशालाओं एवं गोष्ठियों का आयोजन।

4. पर्यावरण एवं वन्य जीवों के प्रति जन जागरुकता तथा प्रचार-प्रसार हेतु पोस्टर, बोर्ड, होर्डिंग्स, इत्यादि की स्थापना।
5. स्थानीय निर्बल वर्ग के निवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने में वित्तीय अनुदान व तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना।
6. स्थानीय निवासियों की मूलभूत आवश्यकताओं यथा पेयजल तथा सड़क मार्ग इत्यादि की स्थापना सम्बन्धी कार्य।

उपरोक्त कार्यों का अनुश्रवण व मूल्यांकन किए जाने पर सकारात्मक परिणाम दृष्टिगोचर हुए हैं।

- 3.12 संचार** – सुरहाताल पक्षी विहार पूर्वी उ0प्र0 जनपद बलिया का एकमात्र बड़ा ताल है। जिसमें कोई संचार व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वायरलेस हैन्ड सेट, बड़ा सेट, टेलीफोन आदि नहीं है। इस कारण कोई आवश्यक सूचना लिया जाना या दिया जाना सम्भव नहीं है।
- 3.13 अन्तर्विभागीय/अन्य संस्थाओं के मध्य कार्यक्रम व समस्याएँ** – संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र के सम्यक विकास हेतु स्थानीय स्तर पर कार्यरत विभिन्न संस्थाओं/विभागों के मध्य साझा व समन्वित कार्यक्रम की यथेष्ट, आवश्यकता है। विगत में इस प्रकार की रणनीति को न संज्ञान में लिया गया और न ही इसकी समीक्षा की गयी। संरक्षित क्षेत्र के प्रबन्धन में स्थानीय सभी कारकों में वस्तुतः जन-समुदाय का सहयोग सर्वाधिक उपयोगी व अपरिहार्य है। इस हेतु उनके रोजगार व व्यवसाय तथा शिक्षा की व्यवस्था में सहयोग कर उनका भावनात्मक सहयोग अर्जित किया जा सकता है। इस कार्य में अन्य संगत विभागों तथा संगठनों/संस्थाओं का सहयोग अपेक्षित होगा। अतः जनपद स्तर पर प्रशासन, निर्माण विभाग, कुटीर उद्योग, मत्स्य पालन, रेशम तथा मधुमक्खी पालन, तथा शिक्षा विभाग से समन्वित तालमेल कर वांछित कार्यक्रम के संचालन हेतु रणनीति निर्धारित की जा सकती है।

जय प्रकाश नारायण संरक्षित क्षेत्र के प्रबन्धन में अभी तक इस प्रकार का कोई ठोस व सक्रिय कार्यक्रम अथवा रणनीति निर्धारित नहीं की गई है।

- 3.14 वन्य जीवन के प्रति चुनौतियाँ** – जयप्रकाश नारायण, पक्षी विहार जैव व अजैव घटकों का प्रमुखतः एक जल पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसमें जल जीवों के अस्तित्व के सापेक्ष स्थानीय कारकों के रूप में विभिन्न चुनौतियाँ भी विद्यमान हैं –
- i) आखेट** – स्थानीय लोगों द्वारा चोरी छिपे इस संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश कर मछली, कछुआ, झींगा तथा प्रवासी व अप्रवासी पक्षियों का अवैध आखेट कर लेना।
 - ii)** संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर कृषि क्षेत्र से जल प्रवाह के साथ विषैले रासायनिक द्रव्यों के प्रवाह से जल वनस्पति व जल जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव।
 - iii)** संरक्षित क्षेत्र में जलावरण के रूप में निरन्तर आच्छादित होती जा रही जलकुम्भी।
 - iv)** स्थानीय निवासियों का संरक्षित क्षेत्र के प्रति असन्तोष व असहयोग।

अध्याय -4

संरक्षित क्षेत्र व सन्धिस्थल अवस्थित भू-उपयोग की स्थिति

(THE PROTECTED AREA AND THE INTERFACE LAND USE SITUATION)

4.1 जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार के अधिसूचित क्षेत्र (34.33 वर्ग किमी) के अतिरिक्त इसके चारों ओर का भूदृश्य क्षेत्र भी इसके प्रभावकारी जोन (Zone of influence) में पारिस्थितिकीय दृष्टि से अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित है। भू-दृश्य क्षेत्र में प्रमुखतः कृषि व आवासीय क्षेत्र सम्मिलित है। वर्षा ऋतु में जल प्रवाह के साथ कृषि क्षेत्र से मिट्टी, खाद, विषैले रसायन तथा अन्य विजातीय वनस्पति (खर-पतवार) संरक्षित क्षेत्र में एकत्र होकर इसकी मौलिक पारिस्थितिकीय संरचना को प्रभावित करते हैं।

4.2 भू-उपयोग-वर्गीकरण (LAND USE CLASSIFICATION) -

संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर प्रमुखतः निम्न दो प्रकार के भू उपयोग क्षेत्र हैं -

- (i) आवासीय भू-क्षेत्र (गाँव व बस्तियाँ इत्यादि)।
- (ii) कृषि क्षेत्र।
- (iii) चारागाह क्षेत्र -जिसमें ग्राम समाज भूमि, सड़को व नहरों के किनारे के वन क्षेत्र तथा बाग-बगीचे सम्मिलित हैं।
- (iv) अन्य क्षेत्र जिसमें, सड़क मार्ग व नहरें सम्मिलित हैं।

4.3 जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार के आस-पास भू-दृश्य क्षेत्र में 44 गाँव स्थित हैं, जिनकी कुल जनसंख्या 53233 है। इस घनी आबादी वाले क्षेत्र में गरीबी, बेरोजगारी तथा असमानता की विषम स्थिति है। इस क्षेत्र में लगभग 35.90 प्रतिशत परिवारों की जीविका कृषि आधारित है। इसके अतिरिक्त 15.75 प्रतिशत परिवार दुग्ध व्यवसाय/मवेशी पालन, 14.98 प्रतिशत परिवार मत्स्य पालक/आखेट

तथा अन्य छोटे-मोटे कार्य कर अपना जीवन निर्वहन करते हैं। इस प्रकार जनसंख्या का एक बड़ा भाग संरक्षित क्षेत्र के संसाधनों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर निर्भर हैं।

इसके अतिरिक्त गरीबी के आँकड़े और भी भयावह हैं। लगभग 41.50 प्रतिशत परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। यह लोग संरक्षित क्षेत्र से अवैध रूप से मत्स्य आखेट तथा उत्पादों का दोहन कर अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।

इन गाँवों में शिक्षा का स्तर भी निम्न है। लगभग 54 प्रतिशत लोग अशिक्षित हैं। 25 प्रतिशत व्यक्ति प्राथमिक स्तर पर, 12 प्रतिशत हाईस्कूल, 16 प्रतिशत इण्टरमिडिएट तथा मात्र 2 प्रतिशत व्यक्ति स्नातक स्तर पर शिक्षा ग्रहण किये हैं। आर्थिक शैक्षणिक आंकड़े परिशिष्ट-15 में दिये गये हैं।

4.4 ग्रामीणों की संसाधन निर्भरता –

1. सुरहाताल पक्षी विहार के इर्द-गिर्द भूमि सामान्य कृषि भूमि है। इसके चारो ओर कई गाँव हैं। ग्रामवासियों की निर्भरता वन्य जीव विहार के संसाधनों पर रहती है। वन्य जीव विहार के निकटवर्ती ग्रामों में औसत जोत कम है तथा चारागाह भी नहीं है। इसलिए इन गाँवों की मवेशियाँ गाँवों के साथ ही साथ वन्य क्षेत्र के किनारे चराई करती हैं। इससे पक्षियों के ताल में रहने से अवरोध होता रहता है साथ में जैविक दबाव के कारण प्राकृतिकवास को भी क्षति पहुँचती है।
2. आस-पास के ग्रामवासियों की आर्थिक दशा काफी खराब है जीवन यापन हेतु ये लोग इस क्षेत्र में संसाधनों की प्राप्ति हेतु सुरहाताल पक्षी विहार में मछली पकड़ना एवं अन्य व्यवसायिक कार्य करते हैं।

जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार सीमा के इर्द-गिर्द ग्रामीणों की कृषि भूमि स्थित है इनमें खेती का कार्य होता है। कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु रसायनिक उर्वरक एवं कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। यह कीटनाशक बरसात में वर्षा के पानी के साथ संरक्षित क्षेत्र में आता है। इससे जलीय जीवों एवं

वनस्पतियों पर कुप्रभाव पड़ता है। साथ ही जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र भी कुप्रभावित होता है।

- 4.5 भू-दृश्य क्षेत्र के उत्पादन क्षेत्र – ()** संरक्षित क्षेत्र के सीमाओं पर चारो ओर विस्तारित भू-दृश्य क्षेत्र में कृषि क्षेत्र ही प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त दुग्ध व्यवसाय व मत्स्य व्यवसाय भी गौण उत्पादन क्षेत्र के रूप में मौजूद है।
- 4.6 मानव-वन्य जीव द्वन्द्व –** संरक्षित क्षेत्र अथवा उसके चारो ओर विस्तारित भू-दृश्य क्षेत्र में किसी प्रमुख मानव वन्य जीव द्वन्द्व की स्थिति नहीं है। नीलगायों द्वारा कृषि क्षेत्र में फसले नष्ट करने की घटनायें इस द्वन्द्व में सम्मिलित की जा सकती हैं। संरक्षित क्षेत्र पर इस प्रकार के द्वन्द्व से अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ने की सम्भावना को चिन्हित किया जा सकता है।
- 4.7 सम रेखीय संस्थाओं के योगदान का मूल्यांकन –** संरक्षित क्षेत्र के सम्बन्ध में स्थानीय तौर पर अन्य किसी संस्था स्वैच्छिक संगठन अथवा विभाग से किसी प्रकार के सक्रिय योगदान अथवा सहभागिता की स्थिति प्रायः शून्य है।
- 4.8 संरक्षित क्षेत्र तथा प्रभावकारी जोन (भू-दृश्य क्षेत्र) को प्रभावित करने वाली जन समस्याओं का संक्षिप्त विवरण –** जनपद बलिया स्थित जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार के चारो ओर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी बेरोजगारी असंतुलित सामाजिक-आर्थिक स्थिति तथा शिक्षा के अभाव इत्यादि कारकों की उपास्थित से संरक्षित क्षेत्र तथा उसके प्रबन्धन की सफलता प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है।
- (i)** गरीब समुदाय के बिन्द, मल्लाह केवट तथा अन्य लोग संरक्षित क्षेत्र से मछली झींगा प्रवासी-अप्रवासी पछियों को विक्रय करने हेतु आखेट का प्रयास करते हैं। इसके अतिरिक्त कई तरह की जलवनस्पति जैसे पुरइन और सेवार इत्यादि का भी दोहन करते हैं।
- (ii)** शिक्षा तथा पर्यावरण के प्रति जागरुकता के अभाव में अपेक्षाकृत समृद्ध ग्रामीण लोगों द्वारा उक्त प्रकार के आखेट को क्रय कर भक्षण करने की प्रवृत्ति के कारण उक्त अवैध आखेट को प्रोत्साहन मिलता है।

- (iii) जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप अधिक अन्न उत्पादन के लक्ष्य से लोग अपनी फसलों में अनियन्त्रित मात्रा में रसायनिक उर्वरक व कीटनाशकों का प्रयोग कर जल तथा मृदा प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न करते हैं। जो जल प्रवाह के साथ संरक्षित क्षेत्र में मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र की सक्रियता व संतुलन को क्षीण करता है।
- (iv) स्थानीय राजनैतिक प्रतिस्पर्धा के कारण भी जन सामान्य में संरक्षित क्षेत्र के प्रति आक्रोश बढ़ाकर संरक्षित क्षेत्र में प्रतिबन्धित क्रिया-कलापों को बढ़ावा दिया जाता है।
- (v) बन्दोबस्त की कार्यवाही पूर्ण न हो पाने के कारण स्थानीय जन सहयोग का अभाव है।

अध्याय –5

दृष्टि उद्देश्य और समस्याएँ

5.1 दृष्टि – जनपद बलिया स्थित विस्तृत जल क्षेत्र सम्पन्न सुरहाताल (वर्तमान जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार) को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पक्षी अभ्यारण्य के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम-972 की धारा-18 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार अनुभाग-3 शासनादेश संख्या 1088/14-3/19.89 द्वारा अधिसूचित किया गया। पक्षी विहार घोषित करने की पृष्ठ भूमि में इस जल निकाय में प्रति वर्ष हजारों की संख्या में आने वाले प्रवासी पक्षियों के साथ-साथ स्थानीय पक्षियों एवं विभिन्न प्रकार के जलजीवों व जल वनस्पति को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हुए इस संरक्षित क्षेत्र को एक सक्रिय व गतिशील स्थायी पारिस्थितिकीय तंत्र के रूप में विकसित करना था।

तदनुसार वर्तमान प्रबन्ध योजना का प्रमुख उद्देश्य इस विस्तृत जल क्षेत्र के एक स्वस्थ, सक्रिय व आदर्श व गतिशील पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में विकसित कर पर्यावरण संरक्षण तथा पारिस्थितिकी पर्यटन हेतु एक मजबूत आधारशिला प्रदान करना है। उचित व वैज्ञानिक प्रबन्धन के आधार पर यह कार्य प्रस्तावित प्रबन्ध योजना अवधि में सम्भव होने की आशा है।

5.2 प्रबन्धन के उद्देश्य –

1. गांगेय मैदान के पारिस्थितिकीय तंत्र एवं जैव विविधता का संरक्षण तथा संवर्धन।
2. संरक्षित क्षेत्र की जैव विविधता को सजीव संग्रहालय अथवा जीन बैंक के रूप में विकसित करना।
3. वन्य जीवों एवं उनके प्राकृतवास का संरक्षण एवं संवर्धन करना।
4. प्रवासी एवं स्थानीय पक्षियों का संरक्षण एवं संवर्धन।
5. पक्षियों हेतु सुरक्षित निर्जन स्थलों एवं भोज्य पदार्थों में वृद्धि करना।
6. प्राकृतिक परिस्थितिकीय तंत्र को विशिष्ट रूप से विकसित होने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न करना।

7. जनसाधारण को क्षेत्रीय वनस्पतियों एवं वन्य जीवों के विषय में व्याख्यात्मक अध्ययन का अवसर प्रदान करना।
8. क्षेत्रीय/स्थानीय निवासियों की सहभागिता से संरक्षण का कार्य करना।
9. पर्यावरण चेतना आधारित पर्यटन को बढ़ावा देना एवं संरक्षित क्षेत्र को प्राकृतिक पारिस्थितिकी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना।
10. संरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत एवं आस-पास के क्षेत्र में पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरणीय शोध अध्ययन को बढ़ावा देना।

5.3 उद्देश्य/लक्ष्य प्राप्ति में समस्याएँ – प्रबन्ध योजना में लक्ष्यों को प्रस्तावित करते हुए पक्षी विहार से सम्बन्धित अनेक प्रकार की समस्याओं का विश्लेषण एवं समीक्षा आवश्यक है ताकि तदनुसार विभिन्न सम्बन्धित योजनाओं को संशोधित, सुदृढ़ व लचीलेपन के साथ प्रस्तुत किया जा सके। उद्देश्य प्राप्ति की समस्याओं को प्रमुखतः तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है।

(क) क्षेत्रगत समस्याएँ – जयप्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार 34.33 वर्ग किमी क्षेत्र का एक विस्तृत जल निकाय है जिसमें 33.00 वर्ग किमी निजी भूमि तथा लगभग 1.33 वर्ग किमी ग्राम समाज की भूमि है। पक्षी विहार के अन्तर्गत निजी स्वामित्व वाली भूमि के अधिग्रहण में अनेक बाधाएँ हैं। सम्बन्धित भूमि के मालिक/कृषक इस मुद्दे को लेकर प्रायः आन्दोलित होकर पक्षी विहार की स्थापना का प्रारम्भ से ही विरोध करते रहे हैं। पक्षी विहार के इर्द गिर्द सामान्य कृषि भूमि है तथा निकटवर्ती ग्रामीणों की औसत जोत कृषि भूमि कम है। इसके अतिरिक्त अन्य अनेक वर्गों के ग्रामीणों की निर्धनता तथा बेरोजगारी भी उन्हें पक्षी विहार के संसाधनों का दोहन करने को विवश करती हैं। अनेक व्यक्ति इस जल क्षेत्र से अवैध मत्स्य आखेट कर अपना जीवन-यापन करते हैं। समीपस्थ गाँवों के सम्पन्न लोग माँस भक्षण हेतु पक्षियों तथा अन्य जल जीवों के आखेट को प्रश्रय देते हैं। बहुत से ग्रामीण इस जल क्षेत्र की वनस्पतियों यथा कमलगट्टा, पुरइन इत्यादि को एकत्र कर विक्रय करते हैं। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के जैविक दबाव के कारण पक्षियों तथा जल जीवों के प्राकृतवास को क्षति पहुँचती है।

(ख) प्रदूषणजनित समस्या –

(i) जयप्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार के आस-पास निकटवर्ती गाँवों की कृषि भूमि विस्तारित है जिसमें अधिक उत्पादन प्राप्ति हेतु कृषक लोग प्रायः अनियंत्रित मात्रा में कीटनाशक तथा उर्वरक रसायनों का प्रयोग करते हैं। यह विषाक्त रसायन वर्षा के पानी के साथ बहकर संरक्षित क्षेत्र में जल की गुणवत्ता में ह्रास करता है। इस प्रकार का प्रदूषण जलीय वनस्पति एवं जलजीवों के लिए घातक होता है।

(ii) निकटवर्ती गाँवों के मवेशी भी संरक्षित क्षेत्र के इर्द-गिर्द चराई करते हुए संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और इस प्रकार अनेक जल जीवों तथा पक्षियों में संक्रमण तथा रोगों की सम्भावनायें लगातार बनी रहती हैं।

(ग) प्रशासनिक समस्याएं –

(i) जयप्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार संरक्षित क्षेत्र वर्तमान में काशी वन्य जीव प्रभाग वाराणसी रामनगर के प्रशासनिक नियंत्रण में है जो मुख्यालय से लगभग 185 किमी दूर पड़ता है। अतः संरक्षित क्षेत्र के सक्रिय, व्यवस्थित, प्रभावी तथा त्वरित प्रबन्धन में यह एक प्रमुख अड़चन है। –

1. पक्षी विहार में तैनात कर्मचारियों की संख्या आवश्यकता से कम है तथा साथ-साथ आवश्यक संसाधन नाममात्र के ही उपलब्ध है।
2. संरक्षण, विकास कार्य करने हेतु संसाधनों का अभाव है।
3. विभिन्न शासकीय संस्थाओं से समन्वय एवं सहयोग में भी कमी है। इस कारण विकास कार्य का सीमित प्रभाव होता है।
4. स्थानीय लोगों को इस क्षेत्र की महत्ता से सम्बन्धित जानकारी का भी अभाव है। अतः संरक्षण में उनका सहयोग नहीं मिल पा रहा है।

अध्याय-6

प्रमुख रणनितियाँ

6.1 सीमायें –

जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार की स्थापना के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति संख्या 1088/14-3-19-89 दिनांक : 27 मार्च 1991 में संरक्षित क्षेत्र की सीमाओं को संरक्षित क्षेत्र तथा कृषि क्षेत्र की संधि पर स्थित भूखण्डों की आराजी संख्या/गाटा नम्बर है वर्णित किया गया है। जनपद बलिया स्थित राजस्व विभाग/जिला कलेक्टर द्वारा इस प्रकार का भौतिक सीमांकन सम्भव नहीं हो सका है और न ही अभी तक इस संरक्षित क्षेत्र का स्पष्ट मानचित्र ही प्राप्त है। इस प्रकार वर्तमान में संरक्षित क्षेत्र का स्पष्ट रेखांकन व सीमांकन नहीं हो सका है। वस्तुतः संरक्षित क्षेत्र से सम्बन्धित बन्दोवस्त की कार्यवाही प्रगति पर है। विभिन्न दावेदारों की आपत्तियों/दावों के निस्तारण के उपरान्त ही संरक्षित क्षेत्र का मौके पर स्पष्ट सीमांकन सम्भव हो सकेगा। वर्तमान में संरक्षित क्षेत्र की सीमा जल विस्तार के रूप में ही अभिकल्पित है।

जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार हेतु अधिसूचित सीमा के अन्तर्गत लगभग 3300 है० कृषि भूमि सम्पूर्ण निजी स्वामित्व की है। इसमें से 2000 है० भूमि पर वर्ष के अधिकांश महीनों में पर्याप्त जल स्तर नहीं रहता है। अतः पक्षी विहार की सीमा के सकारात्मक निर्धारण हेतु निम्न स्थिति का अध्ययन कर वांछित जैव पारिस्थितिकी के साथ साम्य स्थापित करते हुए सीमा का पुर्ननिर्धारण किया जायेगा –

- (क) माह फरवरी में जल स्तर अथवा जल सीमा की स्थिति जी०पी०एस० लोकेशन के अनुसार।
- (ख) माह जून में जल सीमा की स्थिति उपरोक्तानुसार।

पक्षी विहार तथा इसके पारिस्थितिकी तन्त्र के सापेक्ष उक्त दोनों जल स्तरों की पर्याप्तता का अध्ययन विश्लेषण करते हुए एक मध्यम स्थिति का आंकलन

कर यथासम्भव वर्तमान सीमा को अतिआवश्यक मानक के अनुसार संकुचित/नियन्त्रित करने का सकारात्मक प्रयास किया जायेगा।

6.2 क्षेत्रगत विभक्तता –

पारिस्थितिकीय प्रबन्धन की दृष्टि से संरक्षित क्षेत्र के सापेक्ष निम्न दो क्षेत्रों को संज्ञान में लिया जाना उपयुक्त होगा –

(क) आन्तरिक क्षेत्र –

यह क्षेत्र वस्तुतः सम्पूर्ण संरक्षित क्षेत्र के रूप में चिन्हित होगा तथा इसमें अभयारण्य से सम्बन्धित समस्त विधिक प्रावधान लागू होंगे। संरक्षित क्षेत्र की बन्दोबस्त प्रक्रिया में तार्किक दृष्टि से वास्तविक उपयोगी भू-खण्ड ही सम्मिलित किये जायेंगे।

(ख) प्रतिरोधक क्षेत्र –

संरक्षित क्षेत्र से बाहर चारों ओर लगभग 5 किमी⁰ चौड़ी पट्टी का भू-दृश्य क्षेत्र प्रतिरोधक जोन के रूप में चिन्हित कर संरक्षित क्षेत्र के प्रबन्धन हेतु चयनित किया जायेगा। इस क्षेत्र की उन सभी गतिविधियों तथा क्रियाकलापों को जिनसे संरक्षित क्षेत्र प्रभावित तथा प्रेरित होता है तथा संरक्षित क्षेत्र का उस क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभावों तथा सम्बन्धित समस्त आयामों को प्रबन्धन में सम्मिलित किया जायेगा। इस जोन में अभयारण्य सम्बन्धी विभिन्न विधिक प्रावधान लागू नहीं होंगे यद्यपि वन्य जीव संरक्षण सम्बन्धी सामान्य प्रावधान यथावत रहेंगे।

6.3 क्षेत्र योजना –

संरक्षित क्षेत्र में पारिस्थितिकी विकास तथा संरक्षण-सर्वधन सम्बन्धी विभिन्न कार्यों को सम्बन्धित क्षेत्र में समुचित रूप में लागू करने हेतु निम्न प्रकार योजनाबद्ध किया जायेगा।

6.3.1 संरक्षण क्षेत्र योजना –

संरक्षित क्षेत्र में सक्रिय पारिस्थितिकी तंत्र को सक्रियता सुदृढ़ता गतिशीलता एवं निरंतरता प्रदान करने हेतु निम्न कार्य किए जायेंगे –

(i) संरक्षित क्षेत्र में अभयारण्य सम्बन्धी समस्त विधिक प्रावधानों यथा आखेट एवं प्रवेश पर प्रतिबन्ध इत्यादि को प्रभावी स्तर पर क्रियान्वित करना। इस हेतु पर्याप्त वनकर्मियों एवं सुरक्षा बल की तैनाती तथा पुलिस एवं प्रशासन का सहयोग वांछित होगा

(ii) पक्षी विहार में जल की स्थिति –

इसमें कटहर नाला का पानी बहाव में रहता है। साथ ही ग्रामों का गन्दा पानी वर्षा के पानी के साथ बहकर आता है, जो जल को प्रदूषित करता है। सूखे के मौसम में ताल में पानी कहीं से भी नहीं आता है। सिल्ट रोकने के लिए भूमि संरक्षण कार्य की आवश्यकता है। जल प्रदूषण के सभी आवश्यक रोकथाम के उपाय किये जायेंगे।

(iii) शरण स्थल विकास –

वर्तमान में पक्षी विहार स्थल को और अधिक सुन्दरता और मनोरंजन दृष्टिकोण से स्थानीय पक्षियों के साथ-साथ प्रवासी पक्षियों की समदृष्टि से विकास हेतु आईलैण्ड निर्माण, वृक्ष पट्टिकाओं व घास वाली भूमि की स्थापना के अतिरिक्त पक्षियों के पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण तथा हानिकारक खर-पतवार नियंत्रण आदि कार्य किये जायेंगे।

(iv) अवांछित हानिकारक खरपतवारों का उन्मूलन –

खरपतवार का तात्पर्य स्थान विशेष पर अवांछित पादपों से है। वेटलैण्ड सामान्यतः पौधों के घने क्षेत्र होते हैं। जलीय पादपों की बढ़ोत्तरी नम भूमि की सम्पन्नता की द्योतक होती हैं। यह पादप जलीय जीवों, जल पक्षियों और मछलियों के लिए भोजन एवं प्रजनन स्थल उपलब्ध कराते हैं। ऐसे में पौधों को खरपतवार कह पाना मुश्किल हो जाता है परन्तु जब किसी विशेष प्रकार के पादपों का अनुपातिक दृष्टि से बहुमत हो जाता है, तो वह अन्य उपयोगों हेतु वांछित प्रजाति के पादपों की वृद्धि को बाधित कर देता है या प्रजाति को नष्ट कर देता है जिसका सीधा प्रभाव नम भूमि जीवन जगत पर पड़ता है। इस प्रभाव से यह खरपतवार का रूप धारण

कर लेता है। जलीय वनस्पतियों की घनीवृद्धि जल पक्षियों के संचरण को प्रभावित करती हैं तथा इन पक्षियों को भोजन खोजने एवं तैरने में बाधा पैदा करती हैं ये खरपतवार पूरे क्षेत्र को ढक लेती हैं और वांछित प्रजातियाँ नष्ट हो जाती हैं। इनमें मुख्यतया जलकुम्भी है।

(v) मत्स्य प्रबन्ध –

सुरहाताल पक्षी विहार में मत्स्य-भोजी और कीट-भक्षी, जलपक्षी भी प्रवास करते हैं। मत्स्य भोजी पक्षियों के लिए अधिक मात्रा में मछली की आवश्यकता होती है। विशेष तौर पर प्रजनन काल में ऐसी स्थिति में मछलियों का पर्याप्त मात्रा बनाये रखना आवश्यक हो जाता है। अतः अवैध मत्स्य आखेट पर प्रभावी नियन्त्रण आवश्यक है।

(vii) जलीय वनस्पतियों तथा जीवों का संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान का अध्ययन कर उनके संवर्धन व संरक्षण हेतु विशेष उपाय किए जायेंगे।

6.3.2 पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन योजना –

(अ) वन्य जीवों के सापेक्ष –

(i) जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार, बलिया के अन्तर्गत जल क्षेत्र में जलजीवों की प्रजातियों का पारिस्थितिकी महत्व के आधार पर वैज्ञानिक अध्ययन के उपरान्त कतिपय न्यून हो रहे जलजीवों के पुनर्वास की योजना तैयार की जायेंगी।

(ii) संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी तथा पारिस्थितिकी पर्यटन महत्व को दृष्टिगत रखते हुए जल निकाय में घड़ियाल/मगर प्रजातियों के पुनर्वास हेतु योजना तैयार की जाय।

(iii) संरक्षित क्षेत्र में शरद ऋतु में आने वाले प्रवासी पक्षियों की घटती संख्या के कारणों का अध्ययन कर उनके शीतकालीन प्रवास की प्रोत्साहन योजना तैयार की

जायेगी। इस हेतु निम्न बिन्दुओं पर ध्यान केन्द्रित कर योजना को मूर्तरूप दिया जाय –

- (क) प्रवासी पक्षियों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले प्राकृतवास के स्वरूप का अध्ययन तथा तदनुसार वर्तमान प्राकृतवास के विभिन्न अवयवों में गुणात्मक सुधार।
- (ख) पक्षियों के अवैध आखेट पर पूर्ण तथा प्रभावी नियंत्रण।
- (ग) स्थानीय जन मानस में वन्य जीवों विशेषकर पक्षियों के पर्यावरणीय एवं आर्थिक योगदान की भूमिका के प्रति भावनात्मक जागरुकता का संचरण।
- (घ) पक्षियों तथा अन्य जलजीवों के आखेटकों को पकड़वाने वाले मुखविरों को आर्थिक प्रोत्साहन।
- (ब) **स्थापित बस्तियों का पुनर्वास** –संरक्षित क्षेत्र की सीमा में कोई गाँव नहीं है। अतः किसी विस्थापन या पुनर्वास की आवश्यकता नहीं है।

6.3.3 पारिस्थितिकीय पर्यटन क्षेत्र की योजना –पारिस्थितिकी पर्यटन का ज्ञानवर्धन एवं मनोरंजन के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण कार्य में भी महत्वपूर्ण योगदान है। जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार में पर्यटन को प्रोत्साहन देने हेतु निम्न रणनीतियाँ अपनायी जायेगी।

- (क) समुचित माध्यमों से पक्षी विहार का प्रचार-प्रसार।
- (ख) संरक्षित क्षेत्र तक पहुँचनेके लिए मुख्य मार्गों से लिंक रोड्स का निर्माण
- (ग) संरक्षित क्षेत्र की सीमा पर वाच टावरों का निर्माण।
- (घ) संरक्षित क्षेत्र के सन्निकट पर्यटकों के निवास हेतु डारमेटरी, जलपानगृह प्रसाधन सुविधा, नावघाट इत्यादि का निर्माण।
- (ङ) नेचर इन्टरप्रिटेशन सेन्टर तथा कैम्प-साइट का निर्माण तथा संचालन।

6.3.4 जयप्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार के चारों ओर पाँच किमी⁰ चौड़ी पट्टी में पड़ने वाला भू-दृश्य क्षेत्र प्रतिरोधक क्षेत्र के रूप में चिन्हित कर इसके अन्तर्गत विभिन्न उन जैविक-अजैविक क्रियाकलापों गतिविधियों का अध्ययन किया जायेगा, जिनसे संरक्षित क्षेत्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। सम्बन्धित विभिन्न कारकों के विश्लेषण के उपरान्त आवश्यक रणनीति का निर्धारण कर उपयुक्त एवं आवश्यक योजनाओं को क्रियान्वित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में विभिन्न सूचनाएँ निम्न प्रकार सूचीबद्ध कर आवश्यक रणनीति अपनायी जाये।

1. भू-दृश्य क्षेत्र के प्रत्येक गाँव में गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को चिन्हित कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने हेतु तकनीकी एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उन्हें संरक्षित क्षेत्र सम्बन्धी विकास कार्यों में नियोजित किया जाय। जीविका तथा अर्थोपार्जन हेतु वैकल्पिक व्यवसाय यथा मधुमक्खी पालन, रेशमकीट पालन, मत्स्यपालन इत्यादि में अल्पकालीन प्रशिक्षण दिलाकर कच्चेमाल की आपूर्ति तथा बाजार एवं वाणिज्यिक मार्गदर्शन इत्यादि सुनिश्चित किया जायेगा।
2. कृषि फसलों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु जैविक खाद के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जाय। इस हेतु विभागीय व्यय पर जैविक खाद/वर्मी कम्पोस्ट प्लाण्ट लगाया जाय।
3. भू-दृश्य क्षेत्र से संरक्षित क्षेत्र को बहने वाले नालों में सिल्टरोधक चेक डैम निर्मित किए जाँय।
4. भू-दृश्य क्षेत्र के मवेशियों से संक्रमण की रोकथाम करने हेतु वार्षिक टीकाकरण कार्यक्रम सुनिश्चित किया जायेगा।
5. भू-दृश्य क्षेत्र के विद्यालयों में पर्यावरण विषय पर वार्षिक गोष्ठियाँ, कार्यशालाएँ तथा व्याख्यान आयोजित किए जायें।
6. सामान्य जनमानस में पर्यावरण के प्रति जागरुकता पैदा करने हेतु विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाय।

6.3.5 प्रशासनिक योजना –

जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार का जल पारिस्थितिकी तंत्र अत्यन्त सुदृढ़ व गतिशील है। इसके प्रबन्धन हेतु सक्षम प्रशासनिक तंत्र की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए निम्न व्यवस्थाओं का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।

- (i) संरक्षित क्षेत्र की सुरक्षा तथा संरक्षण संवर्धन हेतु इसके किनारे प्रत्येक पाँच किमी की दूरी पर सुरक्षा वन चौकी स्थापित की जायेगी। प्रत्येक चौकी पर दो सशस्त्र वन कर्मी तथा एक नाविक तैनात रहेंगे।
- (ii) प्रत्येक तीन वन चौकियों पर तैनात वन कर्मियों के कार्यों के अनुश्रवण हेतु एक वन दरोगा की तैनाती होगी।
- (iii) सुरक्षा-संरक्षण एवं संवर्धन तथा अन्य विभिन्न कार्यों के त्वरित निस्तारण को देखते हुए स्थानीय स्तर पर जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार रेंज की स्थापना किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iv) संरक्षित क्षेत्र का प्रशासनिक नियंत्रण जनपद स्तरीय वन प्रभाग द्वारा किया जाना प्रभावी एवं उपयुक्त होगा।

6.4 उद्देश्यपरक योजनायें – जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार के प्रबन्धन के प्रमुख उद्देश्यों यथा प्रवासी व आवासी पक्षियों का संरक्षण-संवर्धन जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के विकास इत्यादि को दृष्टिगत रखते हुए संरक्षित क्षेत्र का बहुआयामी प्रबन्धन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

6.4.1 प्राकृतवास प्रबन्धन –

संरक्षित क्षेत्र के जल पारिस्थितिकी तंत्र को सक्रिय, स्वस्थ व गतिशीलता प्रदान करने हेतु यहाँ के प्राकृतवास का प्रबन्धन सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है क्योंकि प्राकृतवास के बहुआयामी विभिन्न अवयवों में असंतुलन पैदा होने से संरक्षित क्षेत्र का पारिस्थितिकी तंत्र सीधे प्रभावित होकर नष्ट होने लगता है। प्राकृतवास का समुचित प्रबन्धन न होने से वन्य जीवों के भोजन, प्राणवायु, (आक्सीजन) तथा

आश्रय स्थल में कमी होने लगती है। परिणामतः अन्तर्द्वन्द्व बढ़कर विनाश की कगार तक जा पहुँचता है।

6.4.1.1 वन क्षेत्र प्रबन्धन –

जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार में विचरण करने वाले पक्षियों हेतु संरक्षित क्षेत्र के अन्दर तथा किनारे-किनारे मिट्टी के टीले (माउण्ड)/लघु द्वीप बनाकर उन पर विभिन्न प्रकार के फलदार वृक्षों का रोपण किया जायेगा ताकि पक्षियों के बैठने, विश्राम करने, घोंसले बनाने तथा प्रजनन की सुविधा में वृद्धि हो। इस हेतु प्रतिवर्ग किमी क्षेत्र में कम से कम एक द्वीप अवश्य बनाया जाय जिसका ऊपरी क्षेत्र (जलस्तर से ऊपर) कम से कम 50 वर्ग मी० हो। प्रति माउण्ड 5 वृक्ष लगाये जायेंगे।

(ख) प्रतिरोधक क्षेत्र/भू-दृश्य क्षेत्र जो कि संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर पाँच किमी चौड़ी पट्टी में विस्तारित होगा, में भी प्रचुर मात्रा में वनस्पति को संघनित किया जायेगा ताकि संरक्षित क्षेत्र में विचरण करने वाले प्रवासी व अप्रवासी पक्षियों को अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति वहाँ से भी सम्भव हो सके। भू-दृश्य क्षेत्र में वृक्षों के पातन पर भी विशेष नियंत्रण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ग) संरक्षित क्षेत्र की सीमा पर चारों ओर 10 मीटर की पट्टी में विभिन्न प्रजाति के वृक्षों का रोपणकर वातावरण के समशीतोष्ण बनाने की योजना सुनिश्चित की जायेगी।

6.4.1.2 घास क्षेत्र प्रबन्धन –

संरक्षित क्षेत्र के किनारे-किनारे प्राकृतिक रूप से उगी वनस्पति तथा घास इत्यादि की चराई हेतु प्रायः समीपवर्ती गाँवों से मवेशी इत्यादि आते रहते हैं। मवेशी यहाँ आकर चराई के साथ-साथ जलग्रहण तथा स्नान हेतु संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश कर जाने से जलजीवों में संक्रमण फैलने का भय बना रहता है। अतः संरक्षित क्षेत्र से बाहर भू-दृश्य क्षेत्र में यथा सम्भव सामुदायिक भूखण्डों पर चारागाह विकसित किए जाने की योजनाओं का संचालन किया जायेगा।

6.4.1.3 जल स्रोत प्रबन्धन –

जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार एक स्थायी जल निकाय है। वर्षा जल की उपलब्धता के आधार पर इसके जलस्तर में परिवर्तन होता रहता है। इस क्षेत्र में सामान्य औसत वर्षा 900 मिमी अभिलिखित की गयी है। इस संरक्षित क्षेत्र का मुख्य जल स्रोत कटहर नाला है जो सरयू/घाघरा नदी से होता हुआ इस जल निकाय में मिलता है। इस क्षेत्र के जल प्रबन्धन में मुख्यतः दो पक्षों को सम्मिलित किया जा सकता है।

1. गाद-प्रतिरोधी प्रबन्धन –

सुरहाताल/जयप्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार में आस-पास के भू-दृश्य क्षेत्र से कई छोटे-मोटे नाले आकर मिलते हैं। इन नालों से वर्षा जल के साथ मिट्टी, गाद, बालू इत्यादि बहकर आती है जो निरन्तर इस जल निकाय को उथला कर इसकी जलधारण क्षमता को कम कर रही है। अतः इसे रोकने के लिए निम्न उपाय किए जायेगे।

- (क) इस संरक्षित क्षेत्र के जल-संग्रहण क्षेत्र में भूमि संरक्षण हेतु कृषि क्षेत्रों (खेतों) का समतलीकरण
- (ख) बंजर तथा सामुदायिक भूमि पर वृक्षारोपण।
- (ग) संरक्षित क्षेत्र में गिरने (मिलने) वाले समस्त छोटे-बड़े नालों में प्रत्येक 100 मीटर पर पक्के चेकडैम का निर्माण तथा नालों के किनारे बाँस, काँस तथा पतावर-घास का रोपण।

2. जल प्रदूषण निवारक प्रबन्धन –

- (क) प्रतिरोधक क्षेत्र/भू-दृश्य क्षेत्र में कृषि क्षेत्रों में अधिक उत्पादन हेतु प्रयोग किए जाने वाले उर्वरक तथा कीटनाशक रसायनों के विकल्प के रूप में जैविक खादों के उपयोग को प्रतिस्थापित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कृषकों में जैविक खाद के प्रति उन्मुखीकरण करने के उद्देश्य से स्थानीय स्तर पर कम्पोस्ट

खाद/वर्मी कम्पोस्ट प्लांट स्थापित कराये जाँय तथा कृषको के गोबर गैस प्लांट स्थापित करने हेतु अनुदान दिया जाय।

- (ख) संरक्षित क्षेत्र में जल प्रदूषण स्तर की जानकारी हेतु निरन्तर वैज्ञानिक विधियों से अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाय। विषाक्त रसायनों के निवारण हेतु उपयुक्त उपाय सुनिश्चित किए जायेंगे।

6.4.2 सुरक्षा योजना –

जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार में अवैध आखेट प्रवेश तथा वन्य जीव संरक्षण प्रावधानों के उल्लंघन को रोकने हेतु निम्न प्रकार विशेष सुरक्षा प्रबन्ध किए जायेगे।

- (i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा पर प्रत्येक पाँच किमी की दूरी पर सुरक्षा चौकियों की स्थापना तथा प्रत्येक चौकी पर दो नियमित सशस्त्र वन कर्मियों दो दैनिक श्रमिक प्रहरी तथा एक नाविक की तैनाती प्रत्येक चौकी के पास नाव घाट का निर्माण।
- (ii) प्रत्येक तीन सुरक्षा चौकियों पर तैनात सुरक्षा बल के आपसी समन्वय आकस्मिक छापेमारी, सामूहिक गश्त तथा अन्य आवश्यक विधिक मामलों के निस्तारण/निष्पादन हेतु एक वन दरोगा की तैनाती।
- (iii) इस वन अधिकारी द्वारा संरक्षित क्षेत्र के भू-दृश्य क्षेत्र की विषयगत गतिविधियों पर दृष्टि रखते हुए भू-दृश्य क्षेत्र के प्रबन्धन का उत्तरदायित्व का निर्वहन किया जायेगा।
- (iv) संरक्षित क्षेत्र के पूर्ण प्रबन्धन तथा स्थानीय प्रशासनिक नियंत्रण हेतु जनपद स्तर पर जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार रेंज की स्थापना।
- (v) संरक्षित क्षेत्र को जनपद स्तरीय वन प्रभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में किया जायेगा।
- (vi) अवैध आखेट तथा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम-1972 के प्रावधानों के उल्लंघन के मामलों में सूचना प्रदान करने वाले मुखबिरों को प्रोत्साहन धनराशि की व्यवस्था।

- (vii) भू-दृश्य क्षेत्र के प्रत्येक गाँव में इको समितियों की स्थापना।
- (viii) क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा विधिक मामलों की समीक्षा तथा पुलिस से निरन्तर सम्पर्क व सहयोग सुनिश्चित किया जायेगा।

6.4.3 अग्नि सुरक्षा योजना –

संरक्षित क्षेत्र में गर्मी के मौसम में बीच बीच में उथली भूमि जल से बाहर आ जाती है और उस झाड़ झंखाड़ तथा बड़ी-बड़ी घास उग कर सूख जाती है। इसमें आग लगने की सम्भावना रहती है। अतः संरक्षित क्षेत्र में अवैध प्रवेश पर कड़ा प्रतिबन्ध सुनिश्चित किया जायेगा।

6.4.4 वन्य जीव की मवेशियों से संक्रमण की रोकथाम –

- (i) संरक्षित क्षेत्र के आस-पास भू-दृश्य क्षेत्र के मवेशियों द्वारा चराई करने तथा संरक्षित क्षेत्र के जल में प्रवेश करने से जल जीवों के विभिन्न संक्रमणों से ग्रस्त हो जाने की आशंका बनी रहती है। अतः इन मवेशियों के चारण हेतु भू-दृश्य क्षेत्र के गाँवों में लघु चारागाहों को विकसित किया जायेगा। तथा ग्राम्य विकास विभाग के सहयोग गाँवों में तालाबों का निर्माण कराया जायेगा।
- (ii) गाँव स्तर पर स्थापित इको समितियों के माध्यम से गोष्ठियाँ व कार्यशालाएँ आयोजित कर ग्रामीणों में पर्यावरण तथा वन्य जीवों के प्रति जन जागरण अभियान चलाया जायेगा।
- (iv) सन्निकटवर्ती गाँवों के पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाने हेतु वार्षिक टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जायेगा।
- (v) **मानव संसाधन विकास योजना –**

संरक्षित क्षेत्र पूर्व में आस-पास के निवासियों की आजीविका का प्रमुख संसाधन क्षेत्र था, परन्तु पक्षी विहार गठन के बाद वन्य जीव संरक्षण अधिनियम-1972 के प्रावधानों के कारण इन संसाधनों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लग गया है, लोगों की निजी जोत भी क्षेत्र की सीमा में आंशिक रूप से सम्मिलित हो जाने के कारण

उनकी कृषि में कमी और पशुओं की चराई पर प्रतिबन्ध के कारण मानव व वन्य जीवों में टकराव हो जाना स्वाभाविक ही है और आस-पास के निवासियों में मधुरता नहीं है। इस प्रकार के टकराव को कम करने के लिए निम्न रणनीति अपनायी जायेगी।

1. पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम चलाये जायेगे।
2. जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार कार्यक्रम चलाये जायेगें।
3. वन्य जीवों द्वारा मानव व उनकी सम्पत्ति क्षति को नियंत्रित करना होगा।
4. कोर जोन व बफरजोन के मध्य सीमा पर बन्धा के किनारे चेनलिंग फेसिंग की जानी चाहिए।

अध्याय-7

पारिस्थितिकीय पर्यटन प्रचार एवं पर्यावरण संरक्षण शिक्षा

7.1 परिचय –

मनोरंजन के उपलब्ध संसाधनों में पर्यटन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। पर्यटन मनोरंजन के साथ-साथ ज्ञानवर्धन में भी सहायता करता है। पारिस्थितिकी पर्यटन का संरक्षण कार्य में महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि इसके माध्यम से विभिन्न श्रेणी के पर्यटकों के माध्यम से जैव विविधता संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ती है। सुरहाताल पक्षी विहार काफी अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है इस ताल में प्रवासी पक्षियाँ जाड़े में आती हैं। जिसको देखने के लिए स्थानीय लोग आते हैं। क्षेत्र का विकास कम होने के कारण अभी विदेशी लोग नहीं के बराबर आते हैं। यदि क्षेत्र का समुचित रूप से विकास किया जाय तो शरदऋतु में तिब्बत, चीन साइबेरिया से आने वाले प्रवासी पक्षियों की संख्या में और वृद्धि होगी। इस प्रकार यह पक्षी विहार देशी-विदेशी पर्यटकों के आकर्षक के प्रमुख केन्द्रों में एक होने का गौरव प्राप्त कर सकेगा।

7.2 उद्देश्य –

पक्षी विहार में पर्यटन का मुख्य उद्देश्य पर्यटकों में मनोरंजन के साथ ही साथ उनका ज्ञानवर्धन करते हुए संरक्षण के प्रति जनता में जागरूकता बढ़ाना एवं वन्य जीव विहार की जैव विविधता संरक्षण एवं प्रबन्ध को सुदृढ़ करना है। इस प्रकार पक्षी विहार में पारिस्थितिकीय पर्यटन के निम्न उद्देश्य होंगे।

1. पर्यटकों को पक्षी विहार के प्राकृतिक पर्यावरण का अनुभव कराना।
2. पर्यटकों को संरक्षित क्षेत्र में उपस्थित पक्षियों एवं वनस्पतियों से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध कराना।
3. पर्यटकों को प्रोत्साहित करते हुए जैव विविधता संरक्षण कार्य में सहयोग प्राप्त करना।

4. पक्षी विहार के क्षेत्र को प्राकृतिक मनोरंजन स्थल के रूप में विकसित करना, जिससे पर्यटकों के माध्यम से संरक्षण के प्रति जनता को जागरूक बनाया जा सके।
5. पक्षी विहार से सम्बन्धित प्रचार-प्रसार करना।

7.3 पर्यटन क्षेत्र –

जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार का सम्पूर्ण क्षेत्र पर्यटन क्षेत्र के रूप में मान्य होगा परन्तु पर्यटकों को जल क्षेत्र में प्रवेश तथा भ्रमण निम्न उपबन्धों के अधीन होगा –

- (i) संरक्षित क्षेत्र में पर्यटकों को केवल विभाग द्वारा अनुबन्धित नौकाओं में ही भ्रमण की अनुमति होगी।
- (ii) पर्यटकों को शस्त्र लेकर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
- (iii) किसी पक्षी या पक्षी समूह से निकटतम 100 मी० तक ही जाने की अनुमति होगी।

7.4 पक्षी विहार व्याख्या कार्यक्रम –

पक्षी विहार में आने वाले पर्यटकों का मनोरंजन के अतिरिक्त प्रकृति एवं पर्यावरण के विभिन्न आयामों से परिचित करवाकर उनका ज्ञानवर्धन करना सार्थक उपलब्धि होगी। विभिन्न वन्य जीवों का लावण्य, सौन्दर्य, पारिस्थितिकी तंत्र तथा पर्यावरण में उनका स्थान व योगदान इत्यादि सभी कुछ जान लेने के बाद पर्यटकों के माध्यम से सम्पूर्ण मानव समाज की चेतना को एक नयी दिशा, नये प्रयासों की ओर उन्मुख किया जाना अधिक सरल होगा। अतः यहाँ आने वाले पर्यटकों के वन्य जीव उन्मुखीकरण हेतु इस पक्षी विहार के माध्यम से निम्न कार्यक्रमों का संचालन किया जायेगा—

- (i) स्थानीय विद्यालयों में प्रतिमाह वनाधिकारियों द्वारा वन्य जीव व्याख्यान व वन्य जीव चलचित्रों का प्रदर्शन किया जायेगा।
- (ii) समाचार पत्रों में पक्षी विहार तथा वन्य जीव विषयक सामग्री का प्रकाशन।

- (iii) संरक्षित क्षेत्र/पक्षी विहार के आस-पास मार्गों के किनारे, गाँवों में, निकटवर्ती शहीदपार्क, बलिया नगर तथा रेलवे स्टेशन इत्यादि महत्वपूर्ण स्थलों पर वन्य जीव तथा पक्षी विहार की विशिष्टताओं का प्रदर्शन करने वाले चित्रांकित लेखों से सज्जित आकर्षक बोर्ड तथा होर्डिंग्स की स्थापना।
- (iv) पक्षी विहार के सन्निकट शहीद पार्क के पास “प्रकृति एवं वन्य जीव व्याख्या केन्द्र” की स्थापना। इन्टरप्रिटेशन सेन्टर पर वन्य जीवों के विभिन्न पक्षों का प्रदर्शन करने वाली सामग्री, वन्य जीव ट्राफी, साहित्य तथा वन्य जीव सम्बन्धित चलचित्रों के प्रदर्शन की व्यवस्था की जायेगी।

7.5 सांगठनिक ढाँचा एवं प्रबन्धन –

जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार के क्षेत्र में पारिस्थितिकी पर्यटन को प्रोत्साहन देने हेतु स्थानीय स्तर पर समुचित तंत्र की स्थापना के पश्चात् निहित लक्ष्यों के अनुसार प्रबन्ध कार्यक्रम लागू किए जायेंगे।

1. पक्षी विहार के सन्निकट शहीदपार्क को संरक्षित क्षेत्र से सम्बद्ध कर वहाँ इको-पर्यटन कार्यालय की स्थापना की जाय जहाँ पर्यटकों की समस्त सुविधाओं सूचनाओं एवं अन्य आवश्यक कार्यक्रमों के संचालन की व्यवस्था हो। स्वयं शहीद पार्क को राष्ट्रीय स्तर के स्मारक के तुल्य विकसित कर इसे पर्यटन क्षेत्र में शामिल किया जाय। इसी परिसर में नेचर इन्टरप्रिटेशन सेन्टर की भी भव्य व्यवस्था की जायेगी।
2. स्थानीय स्तर पर मल्लाहो एवं नाविकों को अनुबन्धित कर उन्हें वन्य जीव विषय में प्रशिक्षित कर संरक्षित क्षेत्र में नियोजित किया जायेगा।
3. स्थानीय शिक्षित युवाओं को वन्य जीव विषय में प्रशिक्षित कर उन्हें पक्षी विहार के अन्तर्गत गाइड्स के रूप में नियोजित किया जायेगा।
4. पर्यटकों के संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश हेतु शहीद पार्क के पास संरक्षित क्षेत्र के किनारे मुख्य नियंत्रक द्वारा होगा जहाँ निर्धारित प्रवेश शुल्क तथा अन्य औपचारिकताओं के

पश्चात् विभागीय अथवा अनुबन्धित नौकाओं में गाइड्स के साथ पर्यटक पक्षी विहार में भ्रमण हेतु प्रवेश कर सकेंगे।

5. पर्यटकों को संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश से पूर्व प्लावन सुरक्षा आवरण (safety jackets) की सुविधा उपलब्ध की जायेगी।
6. इको-पर्यटन कार्यालय प्रभारी स्थानीय पर्यटन विभाग के निरंतर सम्पर्क में रहकर पर्यटकों के आवागमन तथा विश्राम हेतु आवश्यक मार्गदर्शन तथा सहयोग सुनिश्चित करेगा।
7. इको-पर्यटन प्रभारी उप वन रेंजर स्तर का होगा जो उपरोक्त व्यवस्थाओं के अतिरिक्त पक्षी विहार एवं वन्य जीवों से सम्बन्धित प्रचार-प्रसार, वन्य जीव व्याख्यान केन्द्र, वन्य जीव संग्रहालय इत्यादि सभी सम्बन्धित पक्षों के प्रबन्धन के उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगा।

7.6 मुद्दे तथा समस्याएँ – जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार में इको-पर्यटन की सुदृढ़ आधार शिला की स्थापना एवं विकास में प्रमुख समस्यायें निम्न प्रकार हैं –

1. पक्षी विहार में समुचित पर्यटन सुविधा का नितान्त अभाव है।
2. पर्यटन सम्बन्धी व्यवसाय में सहभागिता का न होना।
3. स्थानीय लोगों की पर्यटन की दृष्टिकोण से प्रचार-प्रसार में कमी।
4. पर्यटन विकास से सम्बन्धित विभिन्न शासकीय विभागों में आपसी समन्वय का न होना।
5. संरक्षित क्षेत्र की भूमि का बन्दोबस्त पूर्ण न हो पाने के कारण स्थानीय जन समुदाय की प्रतिक्रिया का अनुकूल न होना।
6. संरक्षित क्षेत्र के वैज्ञानिक प्रबन्धन के अभाव में प्रवासी पक्षियों की घटती संख्या।

7. वन्य जन्तु प्रशिक्षित गाइड्स का अभाव
8. इको-पर्यटन के प्रबन्धन हेतु विभागीय इकाई/संगठन अन्य जनपद में स्थित होना वस्तुतः पारिस्थितिकी विकास तथा पारिस्थितिकी पर्यटन परस्पर पूरक होने के कारण दोनों पक्षों के प्रभावी प्रबन्धन हेतु जनपद स्तर पर नियंत्रण इकाई का होना आवश्यक है।

7.7 वांछित स्तरीय पर्यटन हेतु रणनीतियाँ तथा प्राप्ति हेतु उपाय –

जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार के अन्तर्गत पर्यटन क्षेत्र के विस्तार हेतु व्यापक तथा मौलिक प्रयासों की आवश्यकता है। अतः इस हेतु आधार भूत रणनीतियों का निर्धारण कर तदनुसार संरक्षित क्षेत्र से सम्बन्धित बहुपक्षीय विकासोन्मुख प्रबन्धन किया जायेगा।

7.7.1 पर्यटन गतिविधियों का विविधीकरण/विस्तारीकरण –

1. जनपद स्तरीय पर्यटन विभाग कार्यालय से निरन्तर सम्पर्क रखते हुए सूचनाओं का आदान प्रदान।
2. प्रिंट तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया के पत्रकारों द्वारा संरक्षित क्षेत्र भ्रमण तथा स्थानीय स्तर पर गोष्ठी का आयोजन।
3. संरक्षित क्षेत्र तथा वन्य जीव विषयक साहित्य/सामाग्री का प्रकाशन तथा विभिन्न राजकीय विभागों व विद्यालयों में निःशुल्क वितरण।
4. स्थानीय, जनपद तथा राज्य की राजधानी में संरक्षित क्षेत्र पक्षी बिहार के प्रचार-प्रसार हेतु होर्डिंग्स की स्थापना।
5. स्थानीय नागरिकों हेतु देश-प्रदेश के विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों के भ्रमण हेतु टूर-पैकेज इत्यादि की व्यवस्था।
6. स्थानीय ददरी मेले में वन्य जीव प्रदर्शनी का आयोजन।

7. जनपद के अन्य महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थलों को इको-पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करना।

7.7.2 आधारभूत संरचना की आवश्यकता तथा विकास –

1. संरक्षित क्षेत्र की लम्बित बन्दोबस्त कार्यवाही का पूर्ण किया जाना।
2. संरक्षित क्षेत्र का भौतिक विकास जिसमें संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर सीमा पर दस मीटर चौड़ी परिमिति में विभिन्न प्रजातियों के पादपों से सम्पन्न हरित पट्टी की स्थापना, अन्तर्जलीय द्वीपों (माउन्ड्स) व वाच टावरों का निर्माण जल क्षेत्र की सफाई तथा सीमा पर सुरक्षा चौकियों की स्थापना।
3. संरक्षित क्षेत्र के सन्निकट इको पर्यटन कार्यालय, व्याख्यान व प्रचार प्रसार केन्द्र, वन्य जीव संग्रहालय, पुस्तकालय, पर्यटक आवास गृह, जलपान गृह व प्रसाधन इत्यादि की स्थापना।
4. स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवको/युवतियों को पर्यावरण तथा वन्य जीव प्रशिक्षण उपलब्ध करवाकर उन्हें नाविक, वन्य जीव गाइड, वाचर, वाहन चालक तथा संरक्षित क्षेत्र में अन्य पदों पर नियोजन।
5. संरक्षित क्षेत्र की पारिस्थितिकी के वैज्ञानिक विकास हेतु अध्ययन व शोध केन्द्र की स्थापना।

7.7.3 सड़क एवं मार्ग पर्याप्त हैं – मुख्य मार्गों से संरक्षित क्षेत्र की सीमा पर स्थित चौकियों तक लिंक मार्गों का निर्माण किया जायेगा।

7.7.4 स्थानीय समुदायों की भागीदारी – संरक्षित क्षेत्र में पर्यटन को प्रोत्साहन देने हेतु स्थानीय समुदायों की सहभागिता का महत्वपूर्ण योगदान है। इसे निम्न प्रकार सुनिश्चित किया जायेगा।

- (i) संरक्षित क्षेत्र के निकटवर्ती गाँवों के मल्लाह तथा नाविक समुदाय के लोगों को वन्य जीव तथा विशेष रूप से पक्षियों के विषय में लघु प्रशिक्षण देकर संरक्षित क्षेत्र में पर्यटकों को भ्रमण कराने हेतु अनुबन्धित कर रोगजार प्रदान किया जायेगा।

- (ii) स्थानीय क्षेत्र के शिक्षित युवकों को वन्य जन्तु में लघु प्रशिक्षण देकर उन्हें गाइड्स के रूप में पंजीकृत कर संरक्षित क्षेत्र में पर्यटकों को भ्रमण कराने के कार्यों में नियोजित किया जाय।
- (iii) संरक्षित क्षेत्र के आस-पास पर्यटकों की सुविधा हेतु जलपान तथा अन्य वस्तुओं के विक्रय हेतु दुकाने लगाने में स्थानीय निवासियों को वरीयता दी जाय।
- (iv) इको समितियों से विचार विमर्श कर संरक्षित क्षेत्र के अतिरिक्त जनपद के अन्य स्थलों का पर्यटन की दृष्टि से विकास किये जाने की योजना तैयार की जायेगी।

7.7.5 संरक्षण शिक्षा कार्यक्रम – जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार में इको पर्यटन को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु यह आवश्यक है कि यहाँ आने वाले पर्यटकों को वन एवं वन्य जीव तथा स्थानीय जल क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में व्यापक व वैज्ञानिक जानकारी प्रदान कर उन्हें मानसिक धरातल पर इस पक्षी विहार के साथ भावनात्मक अनुभूति के साथ जोड़ा जा सके। इस हेतु निम्न कार्यक्रमों का संचालन किया जायेगा।

1. पक्षी विहार के आस-पास वन्य जीव तथा पर्यावरण संरक्षण विषयक लेख तथा चित्र प्रदर्शन होर्डिंग्स तथा बोर्ड स्थापित किये जायेंगे।
2. पक्षी विहार के सन्निकट नेचर इण्टरप्रिटेशन सेन्टर/व्याख्या केन्द्र की स्थापना की जाय जहाँ प्रकृति तथा वन्य जीव सम्बन्धित विभिन्न पक्षों का साकार, समूर्त चित्रात्मक साहित्य तथा चलचित्रों के माध्यम से पर्यटकों का मनोरंजन कर शिक्षित एवं जागरुक बनाया जा सके। इस केन्द्र को नवीनतम प्रचार-प्रसार उपकरणों से सुसज्जित कर प्रकृति व्याख्या/अध्ययन केन्द्र के रूप में विकसित किया जायेगा।

7.8 संचालन अनुश्रवण व मूल्यांकन – जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार में इको पर्यटन पक्ष के रचनात्मक विकास हेतु बहुआयामी प्रयासों की आवश्यकता है। इस हेतु किए गए किये जा रहे प्रयासों तथा पक्षी बिहार के विषय में आगन्तुकों व पर्यटकों तथा समाज के अन्य वर्गों से प्राप्त सुझाव/शिकायतों का भी रचनात्मक

उपयोग किया जाना चाहिए। अतः पक्षी विहार में आने वाले पर्यटकों के समबन्ध में निम्न तथ्यों का संग्रह किया जायेगा।

1. पक्षी विहार आने वाले पर्यटकों की माहवार संख्या, पर्यटकों की राष्ट्रीयता, शिक्षा, आयु, लिंग इत्यादि का अभिलेख रखा जायेगा।
2. प्रवेश तथा भ्रमण सुविधा उपलब्ध कराने से प्राप्त मासिक आय विवरण अभिलिखित किया जायेगा।
3. पर्यटकों की शिकायतों तथा सुझाव हेतु पंजी रखी जायेगी जिसमें अंकित विवरण की समीक्षा का संरक्षित क्षेत्र के प्रबन्धन में महत्वपूर्ण योगदान होगा।

अध्याय –8

इकोडेवलपमेन्ट (पारिस्थितिकी विकास)

- 8.1 परिचय** – संरक्षित क्षेत्र के अन्दर कोई गाँव नहीं है परन्तु आस-पास भू-दृश्य क्षेत्र (बफर जोन) में कुल 44 गाँव हैं। इन गाँवों के निवासियों में से अधिकांश के पास आजीविका के पर्याप्त संसाधनों का अभाव होने के कारण इनकी आंशिक निर्भरता का स्रोत संरक्षित क्षेत्र ही है। इनमें से लगभग 113 परिवारों के स्वामित्व की भूमि संरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत ही पड़ती है और लगभग 2928 व्यक्ति अन्य प्रकार से संरक्षित क्षेत्र के प्राकृतिक उत्पादों पर निर्भर हैं। इस प्रकार संरक्षित क्षेत्र पर जीविका जनित दबाव को कम करने के उद्देश्य से इन गाँवों में इको डेवलपमेन्ट कार्यक्रम प्रभावी ढंग से चलाया जाना आवश्यक होगा।
- 8.2 उद्देश्य** – जयप्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार के आस-पास भू-दृश्य क्षेत्र में स्थानीय लोगों के आर्थिक सामाजिक एवं शैक्षिक स्तरों के अध्ययन विश्लेषण के पश्चात् इस क्षेत्र में इकोडेवलपमेन्ट (पारिस्थितिकी विकास) कार्यक्रम चलाए जाने की आवश्यकता निम्न उद्देश्यों से प्रेरित है –
- (i)** स्थानीय लोगों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कर संरक्षित क्षेत्र पर उनकी निर्भरता कम करना और इस प्रकार उन्हें पर्यावरण संरक्षण के प्रतिसकरात्मक रूप से तैयार करना।
 - (ii)** अल्प आय तथा निर्धन बस्तियों में सुविधा कार्यक्रमों के माध्यम से संरक्षित क्षेत्र के प्रति भावनात्मक लगाव पैदा करना।
 - (iii)** पारिस्थितिकी संरक्षण हेतु कृषि फसलों में जैविक उर्वरकों/कीटनाशकों के प्रयोग को प्रोत्साहन देना।
 - (iv)** समाज की नई पीढ़ी विशेषकर छात्र वर्ग को पक्षी विहार से विभिन्न रूपों में जोड़कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता विकसित करना।

8.2.1 स्वाट विश्लेषण तथा विशिष्ट मुद्दे –

जयप्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार के आस-पास कुल 44 गाँव है। जिनमें आर्थिक सामाजिक तथा शैक्षणिक स्तरों के आंकड़े रिपोर्ट परिशिष्ट-3 में संलग्न है। आकड़ों के अध्ययन-विश्लेषण के उपरान्त निम्न निष्कर्ष परिलक्षित होते हैं—

1. प्रायः सभी गाँवों में उच्च, मध्यम तथा निम्न आय वर्ग के लोग बढ़ते क्रम में सम्मिलित हैं।
2. जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त संसाधनों के अभाव तथा बेरोजगारी की आम समस्या के कारण बहुत से लोग संरक्षित क्षेत्र के संसाधनों का विभिन्न प्रकार से उपयोग करते हैं। युवा वर्ग के लोग, बेरोजगार लोग, हताशा में अवैध आखेट के दुस्साहस का भी प्रयास करते हैं।
3. संसाधनों के अभाव व आर्थिक दुर्बलता के कारण समुदाय का एक बड़ा वर्ग पर्याप्त शैक्षणिक स्तर तक नहीं पहुँच सका है और इस प्रकार स्थानीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के प्रति व्यापक उन्मुखीकरण की स्थिति नहीं है। वस्तुतः संरक्षित क्षेत्र के प्रति स्थानीय लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन की आवश्यकता है।
4. संरक्षित क्षेत्र पक्षी विहार के आस पास का क्षेत्र कृषि प्रधान होने के कारण मवेशियों की संख्या भी अधिक है। संक्रामक रोग फैलने से मवेशियों की क्षति होने से एक ओर स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति बिगड़ती है तो दूसरी तरफ संरक्षित क्षेत्र के पक्षियों व अन्य जलजीवों में संक्रमण फैलने की सम्भावना रहती है।

8.3 नीति व संस्थागत ढाँचा – जयप्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार संरक्षित क्षेत्र को प्रबन्धन हेतु प्रमुखतः दो भागों में विभक्त किया गया है। संरक्षित क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत मुख्य भाग तथा संरक्षित क्षेत्र के बाहर स्थित लगभग 44 गाँवों में भू-दृश्य क्षेत्र/प्रतिरोधक क्षेत्र की भाँति प्रबन्धन कार्य किए जायेंगे। भू-दृश्य क्षेत्र के गाँवों में लोगों की आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक स्थितियों को आँकड़ाबद्ध कर उसका अध्ययन व विश्लेषण कर यह आकलन सम्भव हो सका है कि इन स्थानीय समुदायों को विकास के माध्यम से संरक्षित क्षेत्र से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों तरह से जोड़ा जाना चाहिए।

भू-दृश्य क्षेत्र के पारिस्थितिकी विकास हेतु उत्तर प्रदेश शासन अनुभाग-4 शासकीय पत्र संख्या-मू0ओ084/14-प0भू0 99-63/97 दिनांक : 21 मई, 1999 द्वारा जारी शासकीय संकल्प की रूप रेखा के क्रम में निम्न स्तरों पर पारिस्थितिकी विकास समितियों की स्थापना की जायेगी-

1. ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति
2. ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति की कार्यकारी समिति
3. संरक्षित क्षेत्र स्तरीय पारिस्थिति विकास समिति।

8.4 (क) प्रमुख रणनीतियाँ – इकोडेवलपमेन्ट कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्णित उद्देश्यों के क्रम में प्रमुख रूप से द्विधारीय रणनीति बनायी जायेगी। इसमें व्यापक रणनीति तथा ग्राम स्तरीय स्थल विशिष्ट रणनीतियां सम्मिलित होगी।

(ख) स्थानीय विभिन्न समुदायों विशेषकर मल्लाह वर्ग के ग्रामीणों द्वारा पक्षी विहार के एक बड़े क्षेत्र में जंगली चावल/तिन्ना (Wild Rice) की खेती की जाती है। उक्त चावल के औषधिक महत्व के कारण इसकी देश के सम्पन्न वर्ग तथा विदेशों में पर्याप्त माँग है तथा इसकी उँची कीमत पर बिक्री की जा सकती है। अतः इको समितियों के माध्यम से इस चावल के उत्पादन एवं वाणिज्यिक प्रोत्साहन हेतु एक योजना बनाई जायेगी, जिसके अन्तर्गत उत्पादन से विक्रय तक सभी आवश्यक स्तरों पर विभाग द्वारा प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जायेगा। इस प्रकार स्थानीय लोगों के आर्थिक उन्नयन हेतु उन्हें प्रत्यक्ष तौर पर संरक्षित क्षेत्र के साथ सकारात्मक भागीदारी का अवसर दिया जायेगा।

8.4.1 व्यापक रणनीति –

संरक्षित क्षेत्र पर जैविक दबाव कम करने के लिए आवश्यक है कि वफरजोन एवं उससे बाहर के क्षेत्रों के लिए व्यापक रणनीति बनाई जाय। ऐसे क्षेत्रों के लिए पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक किया जाय एवं वनों की सुरक्षा में उनको भागीदार बनाकर उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जाय। इसके

लिए व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु संगोष्ठियां आयोजित की जाय तथा वर्तमान परिदृश्य में पर्यावरण संरक्षण की महत्ता से ग्रामीणों को शिक्षित किया जाय।

समुचित इकोडेवलपमेन्ट कार्यक्रम हेतु निम्न बिन्दुओं को भी अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाय -

1. स्थापित इको समितियों के माध्यम से कृषि क्षेत्रों तथा सामुदायिक बंजर भूमि में भूमि संरक्षण कार्य कराये जाँय।
 2. संरक्षित क्षेत्र की ओर बहने वाले नालों पर पक्के चेक डैमों का निर्माण तथा नालों के किनारे चारा-पत्ती प्रजाति के वृक्षों का रोपण कार्यक्रम चलाया जाय।
 3. शैक्षिक विकास हेतु इको समितियों के माध्यम से गरीब क्षेत्रों में पाठ्यपुस्तकें तथा लेखन सामग्री का वितरण।
 4. पालतू मवेशियों का वार्षिक टीकाकरण कार्यक्रम।
 5. सामुदायिक भूमि पर लघु चारागाह हों व तालाबों का निर्माण तथा पुराने तालाबों का पुनरुद्धार कार्यक्रम।
 6. अल्प आय व निर्धन बस्तियों में पेयजल की व्यवस्था सम्बन्धी कार्यक्रम
 7. ग्रामीण क्षेत्रों व विद्यालयों में पर्यावरण व वन्य जीव संरक्षण सम्बन्धी गोष्ठियाँ व कार्यशालाओं का आयोजन
 8. संरक्षित क्षेत्र में नियोजन/नौकरी हेतु भू-दृश्य क्षेत्र के स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जायेगी।
- 8.5 ग्राम स्तरीय विशिष्ट रणनीति -**
- (क) इकोडेवलपमेन्ट कार्यक्रम के अन्तर्गत संरक्षित क्षेत्र के बाहर 5 कि०मी० के दायरे में स्थित 44 गाँवों में इकोडेवलपमेन्ट कार्यक्रम क्रियान्वित करने के लिए स्थल-विशिष्ट सूक्ष्म योजना बनायी जायेगी। प्रत्येक गाँव में पारिस्थितिकीय विकास सभा का गठन किया जायेगा। इस सभा में गाँव के प्रत्येक परिवार का केवल एक व्यक्ति सदस्य

के रूप में नामित किया जायेगा जिसमें कम से कम 30 प्रतिशत महिलायें होंगी। गाँव की पारिस्थितिकी विकास सभा द्वारा इकोडेवलपमेंट कार्यक्रम के लिए एक समिति का चुनाव किया जायेगा। जिसको ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति (V.D.C.) कहा जायेगा जिसके सदस्य निम्नलिखित होंगे—

1. अध्यक्ष
2. पुरुष सदस्य
3. पुरुष सदस्य
4. महिला सदस्य
5. महिला सदस्य

उपरोक्त सदस्यों में एक सदस्य पिछड़ी जाति एवं एक सदस्य अनुसूचित जाति का होगा। यदि महिला अध्यक्ष के पद पर चुनी जाती है तो अन्य सदस्यों में केवल एक महिला चुनी जायेगी। इकोडेवलपमेंट से सम्बन्धित सभी कार्यक्रम ग्रामवासियों के सहयोग से बनाये जायेंगे। माइक्रोप्लान बनाने के लिए एक "स्पीयर हेड" टीम का गठन किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित अधिकारी/व्यक्ति शामिल होंगे —

1. सहायक वन संरक्षक।
2. वन क्षेत्राधिकारी।
3. वन विद्
4. एन0जी0ओ0 पुरुष।
5. एन0जी0ओ0 महिला।

स्पीयर हेड टीम गाँव में बैठक कर वहाँ की स्थिति का अध्ययन कर ग्रामीणों से वार्तालाप कर उनके सहयोग एवं सुझाव के आधार पर माइक्रोप्लान तैयार करेगी तथा उस माइक्रोप्लान के आधार पर पारिस्थितिकीय विकास कार्यक्रम चलाया जायेगा।

(ख) ग्राम स्तर पर निर्धारित रणनीति के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे (वी0पी0एल0) 50 प्रतिशत परिवारों के विकास हेतु निम्न कार्यों को सम्मिलित कर संचालित किया जायेगा –

क्र० सं०	वर्ष	ग्राम	प्रस्तावित कार्य							
			कार्य	परिवारों की सं०	कार्य	परिवारों की सं०	कार्य	परिवारों की सं०	कार्य	परिवारों की सं०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	2020–21	शिवपुर, अख्तियारपुर, सिधौली, नारायणपुर	मधुमक्खी पालन	70	कुक्कुट पालन	70	मत्स्य पालन	70	संरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न कार्य	87
2	2021–22	औंधी, बनियापुर, सूर्यपुरा, सोनपुरकला, मेदपुर	मधुमक्खी पालन	70	कुक्कुट पालन	70	मत्स्य पालन	70	संरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न कार्य	95
3	2022–23	राजपुर,	मधुमक्खी पालन	70	कुक्कुट पालन	70	मत्स्य पालन	70	संरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न कार्य	100
4	2023–24	अनकटपुर, कैथवली, साहोडीह	मधुमक्खी पालन	70	कुक्कुट पालन	70	मत्स्य पालन	70	संरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न कार्य	92
5	2024–25	राजपुर, बसन्तपुर, बडसरी, भीखपुर	मधुमक्खी पालन	70	कुक्कुट पालन	70	मत्स्य पालन	70	संरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न कार्य	96
6	2025–26	श्रीपुर, मैरीटार, फुलवरिया, बसुदेवपुर	मधुमक्खी पालन	70	कुक्कुट पालन	70	मत्स्य पालन	70	संरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न कार्य	100
7	2026–27	मैरीटार	मधुमक्खी पालन	70	कुक्कुट पालन	70	मत्स्य पालन	70	संरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न कार्य	97

8	2027-28	कोलखुर्द, सलेमपुर, बभनौली	मधुमक्खी पालन	70	कुक्कुट पालन	70	मत्स्य पालन	70	संरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न कार्य	99
9	2028-29	परसपुर, बभनौली, सरया	मधुमक्खी पालन	70	कुक्कुट पालन	70	मत्स्य पालन	70	संरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न कार्य	105
10	2029-30	डुमरी	मधुमक्खी पालन	70	कुक्कुट पालन	70	मत्स्य पालन	70	संरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न कार्य	97

संरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न कार्य यथा प्राकृतवास प्रबन्ध, इकोपर्यटन, सुरक्षा एवं विकास कार्यो में उपरोक्त अन्तिम स्तम्भ में उल्लिखित परिवारों को रोजगार प्रदान किया जायेगा।

8.6 ग्राम्य विकास कार्यक्रमों का एकीकरण –

संरक्षित क्षेत्र के गाँवों हेतु बनायी गयी स्थल विशिष्ट सूक्ष्म योजनाओं में ग्राम्य विकास के विभिन्न आयामों को समन्वित कर सम्यक विकास की रुपरेखा तैयार की जायेगी। इसमें ग्रामीणों में व्यवसाय, कुटीर उद्योगों की स्थापना, भूमि संरक्षण, तालाबों का निर्माण, चारागाह विकास, पेयजल व्यवस्था, स्वास्थ्य शिक्षा इत्यादि विभिन्न पक्षों के सम्मिलित करते हुए सम्बन्धित विभागों की जिला स्तरीय इकाइयों को इस दिशा में सक्रिय किया जायेगा। इस प्रकार क्षेत्र में व्यापक विकास का स्तर तथा शैक्षणिक स्तर बढ़ने से एक ओर संरक्षित क्षेत्र पर स्थानीय लोगों की निर्भरता समाप्त होगी तो दूसरी ओर संरक्षित क्षेत्र के प्रति लोगों का भावनात्मक लगाव स्थापित होगा।

8.7 क्रियान्वयन रणनीतियाँ – संरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत व समीपस्थ गाँवों में वन्य जीव एवं जैव विविधता संरक्षण कार्यक्रमों में स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी को और अधिक बढ़ाने के उद्देश्य से शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रमों में सहभागिता की नीति अपनायी जाय। अतः जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार के भू-दृश्य क्षेत्र के गाँवों में पारिस्थितिकी

विकास के कार्यक्रमों के सक्रिय व प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्न रणनीतियाँ अपनायी जायेगी –

8.7.1 पारिस्थितिकी विकास समितियों की स्थापना – उत्तर प्रदेश शासन पत्र सं० यू०ओ० 84 / 14-प०भू०-99 / 63-97 वन अनुभाग-4 दिनांक : 21 मई 1999 द्वारा जारी शासकीय संकल्प की रूपरेखा के क्रम में निम्न समितियों की स्थापना की जायेगी।

- (क) ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति।
- (ख) ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति की कार्यकारी समिति।
- (ग) संरक्षित क्षेत्र स्तरीय पारिस्थितिकी विकास समिति।

8.7.2 “शासकीय संकल्प की रूप रेखा” – उत्तर प्रदेश में पारिस्थितिकीय –विकास हेतु उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या यू०ओ०-84 / 14-प०भू०-99-63 / 97, वन अनुभाग-4, दिनांक 21 मई, 1999 द्वारा जारी में कार्य संचालन हेतु नियम निर्धारित किए गए हैं। तदनुसार उपरोक्त समितियों का कार्य संचालन होगा।

पारिस्थितिकी विकास क्रियाकलाप – उत्तर प्रदेश में पारिस्थितिकी विकास हेतु शासन द्वारा जारी संकल्प की रूप रेखा के क्रम संख्या 9 पर उल्लिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

8.7.3 माइक्रोप्लानिंग – संरक्षित क्षेत्र के चारो ओर 5.00 किमी के दायरे में (भू-दृश्य क्षेत्र) स्थित गाँवों में इकोडेवलपमेन्ट कार्यक्रमों के संचालन हेतु प्रत्येक गाँव का माइक्रोप्लान तैयार किया जायेगा। माइक्रोप्लान की तैयारी की प्रक्रिया में निम्न बिन्दुओं पर ध्यान दिया जायेगा—

1. ग्रामवासियों की माइक्रोप्लान की तैयारी में भागीदारी व सक्रिय भूमिका।
2. माइक्रोप्लान की तैयारी क्रियाओं व प्रस्तावों में पारदर्शिता।
3. संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर जागरूकता।

4. इको विकास समिति के गठन द्वारा संस्थागत ढाँचे की स्थापना।
 5. ग्रामीणों व अन्य संस्थाओं द्वारा अतिरिक्त योगदान।
 6. स्थानीय प्रयास और आत्म-निर्भरता को बढ़ावा।
- 8.8 निवेश तथा धनस्रोत की रणनीति –** जयप्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार क्षेत्र के पारिस्थितिकी विकास हेतु तैयार किए गए माइक्रोप्लान में प्रस्तावित किए गए कार्यों की प्रकृति तथा मात्रा ग्राम विशेष के आकार तथा आर्थिक समाजिक संरचना के ऊपर निर्भर होगी। गाँव की कृषि व सामुदायिक भूमि, निकटवर्ती वन क्षेत्र तथा संरक्षित क्षेत्र को नियोजन तथा प्रबन्धन की दृष्टि से एक इकाई के रूप में चिन्हित कर इकोडवलपमेन्ट के कार्यक्रमों को माइक्रोप्लान में सम्मिलित किया जायेगा।

8.8.1 माइक्रोप्लान की लागत का आधार परिवार होगा –

- (अ) माइक्रोप्लान की लागत का आधार परिवार होगा। निवेश हेतु उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना के अन्तर्गत प्रति परिवार अधिकतम रु0 5000.00 की धनराशि का प्राविधान होगा। यह प्राविधान माइक्रोप्लान के कार्यों के निर्धारण हेतु है। इसका यह आशय कदापि नहीं है कि प्रत्येक परिवार को नकद अथवा लाभ के रूप में रु0 5000.00 वानिकी परियोजना से उपलब्ध कराये जाने हैं। एक गाँव में औसतन 60 परिवारों के आधार पर रु0 3.00 लाख का मानक निर्धारित किया गया है। इस प्रकार छोटे गाँव के लिए रु0 3.00 लाख से कम व बड़े गाँव के लिए रु0 4.00 लाख तक का प्राविधान किया जा सकता है।
- (ब) माइक्रोप्लान में अपनाये जा रहे सभी इकोडवलपमेन्ट कार्यों की लागत का कम से कम एक चौथाई हिस्सा (25 प्रतिशत) लाभार्थियों द्वारा वहन किया जायेगा। सामुदायिक कार्यों के लिए यह योगदान सामग्री (भूमि आदि) श्रम अथवा कुछ अवधि विशेष के लिए अपने अधिकारों का स्थगन आदि रूप में हो सकता है। व्यक्तिगत लाभार्थी द्वारा लागत का कम से कम 25 प्रतिशत व्यय स्वयं वहन किया जायेगा। किसी एक व्यक्तिगत लाभार्थी को किसी भी दशा में इको विकास समिति के कुल पूँजी निवेश का 5 प्रतिशत से अधिक की धनराशि नहीं दी जायेगी।

(स) व्यक्तिगत लाभार्थी को सहयोग अग्रिम या ऋण के रूप में दिया जायेगा। समिति द्वारा व्यक्तिगत लाभार्थी को ऋण के रूप में उपलब्ध करायी गयी धनराशि वापसी पर समिति के कोष में जमा की जायेगी, जिससे रिवाल्विंग फण्ड स्थापित हो सके। इको विकास समिति ऋण की शर्त व ब्याज की दर तय करने के लिए स्वतन्त्र होगी, परन्तु उसे ऋण माफ करने का अधिकार नहीं होगा।

8.8.1 इको विकास के लिए संरक्षित क्षेत्र से बाहर कराये जाने वाले कार्य –

1. संरक्षित क्षेत्र के बाहर बफर जोन में ईंधन चारा के प्रजातियों का रोपण।
2. गाँव में तथा बफर जोन में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य।
3. मवेशियों का टीकाकरण।
4. गाँव वासियों को पेयजल सुविधा हेतु हैण्डपम्प की स्थापना, कूप निर्माण आदि।
5. ग्रामवासियों को फलदार प्रजातियों के पौध वितरण।
6. ईंधन की खपत कम करने के लिए उन्नति किस्म का चूल्हा एवं प्रेशर कुकर का वितरण।
7. ग्रामवासियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दोना-पत्तल बनाना, मधुमक्खी पालन, मत्स्य व्यवसाय आदि का प्रशिक्षण एवं उपकरण उपलब्ध कराना।
8. प्रत्येक वर्ष के लिए गाँवों की संख्या चयन कर गाँव की बैठक कर उपरोक्त कार्यों को ध्यान में रखते हुए गाँव की प्राथमिकताओं/आवश्यकताओं व वन्य जीव के संरक्षण एवं विकास को ध्यान में रखकर प्रत्येक ग्राम के लिए रु0 5.00 लाख तक का प्रस्ताव तैयार किया जायेगा जिसमें प्रथम वर्ष 3.00 लाख व द्वितीय वर्ष रु0 2.00 लाख का कार्य प्रस्तावित किया जायेगा।

8.8.2 इकोविकास हेतु ग्रामीणों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का एक और प्रयास "स्वयं सहायता समूह"। स्थापित किए गए माइक्रोप्लान में प्रत्येक गाँव में तीन स्वयं सहायता समूहों के संचालन तथा वित्तपोषण की रुपरेखा का समावेश सार्थकतापूर्ण कदम होगा।

- 8.9 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन** – इको डेपवलपमेंट के अन्तर्गत माइक्रोप्लान के आधार पर विकास कार्यक्रम चलाना एक नया प्रयोग है। इस कार्यक्रम की सफलता ग्रामीणों के सहयोग एवं उनके योगदान पर निर्भर करती है, क्योंकि माइक्रोप्लान के वजट के कुल धनराशि का 25 प्रतिशत अंश ग्रामीण द्वारा अंशदान के रूप में देना है। इसके अलावा कार्यक्रम को सही ढंग से पूरा करने के लिए उन्हें तकनीकी सहयोग एवं जानकारी की आवश्यकता होगी, ऐसी स्थिति में चलाये जाने वाले कार्यक्रम का समय-समय पर पर्यवेक्षण एवं उनका मूल्यांकन आवश्यक है। इनका मूल्यांकन एवं पर्यवेक्षण प्रभाग स्तर से किया जायेगा।
- 8.9.1** ग्राम तथा संरक्षित क्षेत्र स्तरीय समितियों के स्तर पर आय-व्यय का मासिक व वार्षिक लेखा-जोखा रखा जायेगा।
- 8.9.2** मासिक त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती रहेगी।

अध्याय—9

शोध, अनुश्रवण एवं प्रशिक्षण

9.1 महत्व — बलिया जनपद के अत्यन्त प्राचीन सुरहाताल को जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार/संरक्षित क्षेत्र के रूप में स्थापित किए जाने की वास्तविक सार्थकता इस क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र का आकलन, अध्ययन के जरिए इसके वर्तमान स्वरूप को पहचान कर इसकी सक्रियता, गतिशीलता को मौलिक स्तर पर लौटाकर ले आने में है। इस विशाल जल क्षेत्र में एक व्यापक जल पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित है, जिसमें विभिन्न जल वनस्पतियों जल-जीवों तथा प्रवासी-अप्रवासी पक्षियों की हिस्सेदारी तो है ही साथ में स्थानीय जैव-अजैव घटकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है।

9.1.1 नम भूमि क्षेत्रों में शोध कार्य कभी प्राथमिकता से नहीं किए गए, परन्तु विगत कुछ वर्षों में राष्ट्रीय, अन्तरराष्ट्रीय संरक्षण निकाय, नम भूमियों व जल-पक्षियों के संरक्षण में रूचि ले रहे हैं।

इसी क्रम में बाम्बे नेचुरल हिस्ट्रीय सोसायटी द्वारा भारत में नम भूमियों के सूचीबद्ध करने में सहयोग किया जा रहा है। वन्य जीव प्रबन्ध में शोध और अनुश्रवण बहुत कम क्षेत्रों में हुआ है। इस दिशा में नाम मात्र की प्रगति हुई है। इसका मुख्य कारण नीति, स्पष्ट उद्देश्यों, प्राथमिकताओं का अभाव तथा अपर्याप्त कोष सहायता है। शोध कार्य केवल जैविक क्षेत्र में ही नहीं वरन सामाजिक तथा प्रबन्ध क्षेत्र में भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। शोध से बेहतर प्रबन्धन में सहयोग प्राप्त होगा। इसके लिए आधारभूत आंकड़े एकत्र कर भविष्य में प्रबन्ध हेतु गाइड लाइन तैयार की जायेगी। क्षेत्र का पर्याप्त संरक्षण न होने के कारण पारिस्थितिक परिवर्तन हो रहे हैं। जिनका प्रभाव पक्षी वर्ग की संख्या तथा उनकी संख्या संरचना पर पड़ रहा है इसके अतिरिक्त वनस्पतियों के क्रम में भी परिवर्तन हो रहे हैं। वर्तमान समय में इस क्षेत्र में शोध कार्य एवं उसका मूल्यांकन आवश्यक है।

9.2 उद्देश्य (Objectives) –

1. वनस्पतियों, प्राणियों एवं झील के जल चक्र के अन्तर सम्बन्धों का आँकलन करना।
2. संरक्षित क्षेत्र में विद्यमान विभिन्न वनस्पतियों और जीवों की सूची तैयार करना।
3. संरक्षित क्षेत्र के महत्वपूर्ण वनस्पतियों एवं जीवों के प्राकृतिक इतिहास का अध्ययन।
4. संरक्षित क्षेत्र में कुछ पक्षियों के प्रजनन सफलता एवं प्रजाति संरचना पर प्राकृतवास संरक्षण के प्रभाव का अध्ययन।
5. प्राप्त आँकड़ों के आधार पर संरक्षित क्षेत्र के विकास हेतु प्रबन्ध योजना को संशोधित करना।
6. भविष्य में अन्य जल स्रोतों के पक्षी अभ्यारण में विकास हेतु संरक्षित क्षेत्र को प्रतिदर्श रूप में तैयार करना।

9.3 शोध प्राथमिकतायें –

शोध हेतु महत्वपूर्ण निम्न विषयों को अध्ययन में सम्मिलित किया जायेगा।

(अ) पर्यावरण –

1. जल विज्ञान
2. मौसम विज्ञान
3. जल के भौतिक रासायनिक गुण

(ब) वनस्पति –

1. प्लैक्टन
2. प्राथमिक उत्पादकता
3. जैव वनस्पति प्लैक्टनों की जैव मात्रा व समुदाय में ऋत्तिक तथा वार्षिक परिवर्तन।

(1) जलीय वनस्पति –

1. जलीय पौधे की जैव मात्रा में ऋत्विक एवं वार्षिक विभिन्नताएं।
2. जलीय वनस्पति की प्रजाति वैविध्य एवं परिवर्तन।
3. जलकुम्भी, पटैरा, मोथा, बेहया, कार्निया के उन्मूलन का पक्षी समष्टि पर प्रभाव।

(2) सरीसृप – संरक्षित क्षेत्र में पर्यटकों के आकर्षण हेतु घड़ियाल/मगर का पुनर्वास।

(3) पक्षीवर्ग –

1. जलीय पक्षियों के समष्टि का अनुश्रवण।
2. उप निवेशीय पक्षियों के प्रजातियों (स्पाट बिल, इगरेट, आइबिस) उप निवेशन की दर।
3. कुछ महत्वपूर्ण बत्तख, स्टार्क और सारस प्रजातियों द्वारा प्राकृतिवास का उपयोग।

रिसर्च स्टाफ – शोध कार्यो को संचालित करने हेतु तीन शोध वैज्ञानिकों की आवश्यकता होगी –

1. पक्षी वैज्ञानिक
2. सरोवर वैज्ञानिक
3. पादप पारिस्थितिकी वैज्ञानिक

उपकरण –

(अ) प्रयोगशाला उपकरण – प्रयोगशाला उपकरणों में निम्न उपकरण आवश्यक है –

1. कम्पाउण्ड माइक्रोस्कोप
2. इनवर्टेड माइक्रोस्कोप
3. डिसेक्शन माइक्रोस्कोप
4. आक्सीजन एनालइजर
5. वी0ओ0डी0 इनक्यूबेटर

6. रेफ्रीजरेटर

7. केमिकल्स

फील्ड उपकरण – निम्न उपकरणों की आवश्यकता होगी –

1. टेलीस्कोप
2. वाइनाकुलर
3. जूम
4. टेलिलेन्स सहित कैमरा
5. विडियो कैमरा
6. वधशाला सम्बन्धी उपकरण, वर्षामापी, तापमापी, वायुदाबमापी, वायुगति एवं दिशामापी आदि।

(स) **भवन** – संरक्षित क्षेत्र के निकट एक शोध प्रयोगशाला की स्थापना होनी चाहिए। अधिकारी/कर्मचारियों के लिए भवन होना चाहिए।

(द) **वाहन** – शोध अधिकारियों के लिए मोटर साइकिल तथा कर्मचारियों के लिए साइकिल, नाव आदि उपलब्ध करानी चाहिए।

(य) **प्रतिफल** – प्रत्येक 6 माह में अन्तिम सूचना वन विभाग के अधिकारियों को भेजी जायेगी तथा परियोजना पूर्ण होने पर अन्तिम विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, साथ ही अभ्यर्थियों के रुचि के अनुसार संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थिति सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर पी0एच0डी0 हेतु अनुमति दी जायेगी। शोध पत्र की एक प्रति वन विभाग को भी प्रस्तुत की जायेगी।

9.4 अनुश्रवण –

1. विभिन्न स्तरों किए गए शोध व अध्ययन तथा निष्कर्ष व प्रबन्धन हेतु वांछित संस्तुतियाँ प्रत्येक 6 माह में विभागीय उच्च अधिकारियों को प्रेषित की जायेगी।
2. पारिस्थितिकी विज्ञान विशेषज्ञों तथा पर्यावरण विभाग के अधिकारियों की समिति उपरोक्त शोध-निष्कर्षों का अध्ययन करेगी। अध्ययन-आख्या तथा संस्तुतिया वन विभाग को प्रस्तुत की जायेगी।

3. पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी विषयों में रुचि रखने वाले स्नातकोत्तर/अर्ह छात्रों को संरक्षित क्षेत्र में अध्ययन व शोध की अनुमति दी जायेगी। शोध पत्र की प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

9.5 प्रशिक्षण – सुरहाताल पक्षी विहार संरक्षित क्षेत्र के सम्बन्धित स्टाफ के ज्ञान को अद्यतन बनाये रखने हेतु निम्न विषयों पर पुनः प्रशिक्षण आवश्यक –

(क) **विविध नियम तथा उनके क्रियान्वयन/लागू करने सम्बन्धी विषयों में प्रशिक्षण** –

1. भारतीय वन अधिनियम-1927
2. वन्य संरक्षण अधिनियम-1980
3. वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम-1972 (यथा संशोधित)
4. वृक्ष संरक्षण अधिनियम-1976
5. भारतीय दण्ड संहिता
6. पारिस्थितिकी विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण

(ख) विभिन्न अस्त्रों को चलाने के लिए प्रशिक्षण।

(ग) अपराध को वर्गीकृत कर विवेचन साक्ष्य एकत्रण और आरोप पत्र प्रेषित कर पैरवी सम्बन्धी प्रशिक्षण।

(घ) वन्य जीवों की गणना सम्बन्धी प्रशिक्षण।

(ङ) वन्य जीवों के सामान्य प्रबन्ध सम्बन्धी प्रशिक्षण।

9.2.2 औपचारिक प्रशिक्षण – संरक्षित क्षेत्र में तैनात सभी अधिकारियों को वन्य जीव संस्थान देहरादून द्वारा आयोजित किये जाने वाले औपचारिक कोर्स में बारी-बारी से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। अधीनस्थ स्टाफ को कालागढ़ में कार्बेट वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान भेजकर प्रशिक्षित कराना होगा।

अध्याय-10

ढाँचा एवं दायित्व

वर्तमान में जयप्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार का प्रशासनिक नियन्त्रण एवं प्रबन्धन प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी द्वारा किया जा रहा है। इस पक्षी विहार हेतु पृथक से कोई पद स्वीकृत न होने के कारण प्रबन्ध योजना के विभिन्न प्राविधानों का क्रियान्वयन किया जाना सम्भव नहीं होगा। अतः इस पक्षी विहार के पारिस्थितिकी तन्त्र को स्थायी गतिशीलता प्रदान करने हेतु निम्न पदों की स्वीकृति प्राप्त कर वनाधिकारियों की तैनाती सुनिश्चित की जायेगी।

क्र० सं०	पद एवं नाम	पदों की सं०	दायित्व
1.	वन्य जीव प्रतिपालक	1	संरक्षित क्षेत्र का प्रबन्धन एवं नियन्त्रण
2.	क्षेत्रीय वन अधिकारी	1	संरक्षित क्षेत्र का प्रबन्धन, सुरक्षा एवं विभिन्न विकास कार्यों का क्रियान्वयन।
3.	शोध अधिकारी	1	संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी तन्त्र का अध्ययन, विश्लेषण तथा शोध
4.	उप वन रेंजर	1	ईको पर्यटन प्रभारी
5.	वन दरोगा	2	सुरक्षा एवं विधिक कार्यों का निस्तारण
6.	वन रक्षक / वन्य जीव रक्षक	10	संरक्षित क्षेत्र की सुरक्षा
7.	नाविक	5	संरक्षित क्षेत्र में सुरक्षा बलों नावों द्वारा गश्त व भ्रमण कराना, आवश्यकतानुसार पर्यटकों को भ्रमण कराना।
8.	जीप / वाहन चालक	1	वाहन संचालन
9.	अर्दली / पत्रवाहक	2	सहायक
10.	कनिष्ठ लिपिक	2	कार्यालय कार्य

10.2 कर्मचारी/स्टाफ सुविधाएं –

इस पक्षी विहार से सम्बद्ध स्टाफ के लिए निम्न विवरण के अनुसार आवासीय तथा अनावासीय भवनों की आवश्यकता है –

क्र० सं०	भवन का प्रकार	आवास की संख्या
1.	कार्यालय भवन	1
2.	आवासीय भवन टाइप-3	1
3.	आवासीय भवन टाइप-2	2
4.	आवासीय भवन टाइप-1	10

इसके अतिरिक्त पक्षी विहार के प्रभावी नियन्त्रण एवं रख-रखाव हेतु निम्न संचार व्यवस्था का भी होना अत्यन्त आवश्यक है –

क्र०सं०	वाहन का प्रकार	संख्या
1.	जीप	1
2.	मोटर साइकिल	2
3.	साइकिल	6
4.	बोट	4
5.	टेलीफोन	1

(2) वर्दी एवं फील्ड सामान –

निर्मित वर्दी में खाकी वर्दी ग्रेट कोट, बेल्ट, जूता, टोपी, वैज, आदि प्रत्येक स्टाफ के लिए आवश्यक है। क्षेत्रीय वन अधिकारी को नियमित वर्दी भत्ता दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त व्यूशेड/वाच टावर पर वाइनाकुलर टेलीस्कोप आदि सामान सही

अवस्था में होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों को छाता, टार्च, बरसाती, जूते व रेनकोट आदि दिये जायेंगे।

अन्य सुविधाएं –

संरक्षित क्षेत्र के स्टाफ के लिए वन क्षेत्र कार्यालय पर दवाओं सहित फर्स्ट एड बाक्स की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

अध्याय-11

जयप्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार में संरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत बजट से सम्बन्धित आगामी दस वर्षों का आय-व्यय का आंकलन निम्न प्रकार प्रस्तावित है –

11.1 विगत दशकों में जयप्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार आय की योजना निरूपित नहीं की गई, क्योंकि इस क्षेत्र में बन्दोबस्त सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण न हो पाने के कारण प्रत्यक्ष तौर पर किसी प्रकार के आय का निर्धारण करना अव्यवसायी तथा अप्रासंगिक रहा है।

परन्तु आगामी वर्षों में संरक्षित क्षेत्र की बन्दोबस्त कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् उचित प्रबन्ध शैली अपना कर संरक्षित क्षेत्र के विकास के क्रम में यहाँ पर इको-पर्यटन की असीम सम्भावनायें हैं। वन्य जीव विहार में नौका भ्रमण/पक्षी अवलोकन हेतु पर्यटकों से प्राप्त प्रवेश शुल्क के अतिरिक्त नौकाओं के पंजीकरण शुल्क इत्यादि के आधार पर आगामी दस वर्षों में वार्षिक अनुमानित आय निम्न सारिणी के अनुसार है –

सारिणी –11.1

क्र० सं०	मद	संख्या	दर रु०	इकाई	सकल आय वार्षिक लाख में	वर्ष में 150 दिन
1	2	3	4	5	6	7
1	नौकाओं का पंजीकरण	25	500	वार्षिक	0.125	—
2	प्रवेश शुल्क					
i)	देशी पर्यटक	500	50	दिन	37.50	—
ii)	विदेशी पर्यटक	50	250	दिन	18.75	—
योग –					56.375	

11.2 जयप्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार, बलिया में आगामी दस वर्षों में प्रस्तावित कार्य एवं व्यय का विवरण निम्न प्रकार प्रस्तावित कर सारिणी-11.2 में दिया गया है –

जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार, बलिया की वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2020-21 से 2029-30 तक

(रु० लाख में)

क्र० सं०	विवरण	मद	इकाई	वर्ष																			
				2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25		2025-26		2026-27		2027-28		2028-29		2029-30	
				भौ०	वि०	भौ०	वि०																
1	जल संग्रहण क्षेत्रों से आने वाले नालों की सफाई	प्राकृतवास सुधार, विकास व संरक्षण	किमी०	12	10.00	12	10.00	12	10.00	12	10.00	12	10.00	12	10.00	12	10.00	12	10.00	12	10.00		
2	बड़े आई लैण्डों का निर्माण एवं उन पर वृक्षारोपण		संख्या	2	5.00	2	5.00	2	5.00	2	5.00	2	5.00	2	5.00	2	5.00	2	5.00	2	5.00		
3	हानिकारक खर पतवार उन्मूलन		हे०	100	15.00	100	15.00	100	15.00	100	15.00	100	15.00	100	15.00	100	15.00	100	15.00	100	15.00		
4	ताल के किनारों पर माउण्ड		संख्या	1000	2.50	1000	2.50	1000	2.50	1000	2.50	1000	2.50	1000	2.50	1000	2.50	1000	2.50	1000	2.50		
5	ताल के बाहरी किनारों पर परिधि में 200 मीटर के अन्दर झाड़ीदार वृक्षारोपण		रो० किमी०	5	2.50	5	2.50	5	2.50	5	2.50	5	2.50	5	2.50	5	2.50	5	2.50	5	2.50		
योग -प्राकृतिकवास सुधार -				-	35.00	-	35.00	-	35.00	-	35.00	-	35.00	-	35.00	-	35.00	-	35.00	-	35.00		
1	प्रत्येक वर्ष चयनित ग्रामों में गाँवों की बैठक कर उनकी प्राथमिकताओं, आवश्यकताओं व वन्य जीव एवं पक्षी विहार के विकास व संरक्षण को ध्यान में रखकर ग्राम में विकास कार्य	पारिस्थितिकीय विकास	गाँव	5	5.00	5	5.00	5	5.00	5	5.00	5	5.00	5	5.00	5	5.00	5	5.00	5	5.00		
2	चयनित ग्राम में चयनित परिवारों को रोजगार हेतु लघु उद्योगों/मधुमक्खी पालन इत्यादि हेतु सहायता		परिवार	-	0.00	50	25.00	50	25.00	50	25.00	50	25.00	50	25.00	50	25.00	50	25.00	50	25.00		
योग -पारिस्थितिकीय विकास -				-	5.00	-	30.00	-	30.00	-	30.00	-	30.00	-	30.00	-	30.00	-	30.00	-	30.00		

1	प्राकृतिक व्याख्या केन्द्र व पर्यटन/आगन्तुक केन्द्र निर्माण व रख-रखाव	ल0स0	1	30.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00
2	गौचालय निर्माण व रख-रखाव	संख्या	-	0.00	2	2.00	-	0.00	2	1.00	-	0.00	-	0.00	2	1.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
3	जलापूर्ति साधन, हैण्ड पम्प मरम्मत व रख-रखाव	संख्या	2	2.50	2	2.50	2	2.50	2	2.50	2	2.50	2	2.50	2	2.50	2	2.50	2	2.50	2	2.50
4	वाच टावर का निर्माण व रख-रखाव	संख्या	2	10.00	2	12.00	2	12.00	1	8.00	1	8.00	1	9.00	1	9.00	1	10.00	1	10.00	1	10.00
5	नाव घाटों का निर्माण व रख-रखाव	ल0स0	1	5.00	1	5.00	-	0.00	-	0.00	1	5.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
6	ताल के किनारे पैदल बटिया का निर्माण व रख-रखाव	संख्या	4	2.50	8	5.00	8	5.00	8	5.00	7	4.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
7	सोलर लाइट की स्थापना व रख-रखाव	संख्या	5	1.50	4	1.20	2	0.60	4	1.20	-	-	-	-	-	-	4	1.50	-	-	-	-
8	जनरेटर क्रय व रख-रखाव	संख्या	1	0.75	-	0.00	-	0.00	1	0.90	-	0.00	-	0.00	1	1.00	-	0.00	-	0.00	1	1.00
9	वाटर पम्प	संख्या	1	1.50	-	-	2	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4.00	-	-
10	प्रदर्शनी	ल0स0	Ls.	1.00	Ls.	1.00	Ls.	1.00	Ls.	1.00	Ls.	1.00	Ls.	1.00	Ls.	1.00	Ls.	1.00	Ls.	1.00	Ls.	1.00
11	साइनबोर्ड	संख्या	10	1.00	10	1.00	-	0.00	-	0.00	10	1.20	10	1.20	-	0.00	-	0.00	10	1.50	-	0.00
12	प्राकृतिक व्याख्या केन्द्र का अतिरिक्त विकास	ल0स0	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	1	5.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	1	6.00	-	0.00
13	पुस्तकें	संख्या	Ls.	0.50	Ls.	0.50	Ls.	0.50	Ls.	0.50	Ls.	0.50	Ls.	0.50	Ls.	0.50	Ls.	0.50	Ls.	0.50	Ls.	0.50
14	अन्य उपकरण	ल0स0	Ls.	1.00	Ls.	1.00	Ls.	1.00	Ls.	1.00	Ls.	1.00	Ls.	1.00	Ls.	1.00	Ls.	1.00	Ls.	1.00	Ls.	1.00

ईको टुरिज्म

15	लान एवं चिल्ड्रेन पार्क का निर्माण व रख-रखाव	इको टूरिज्म	ल0स0	Ls.	6.00	-	0.00	Ls.	3.00	-	0.00												
16	पर्यटकों के बैठने हेतु ब्यू-शेड का निर्माण		ल0स0	2	5.00	2	5.00	2	5.00	2	5.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	2	5.00	-	0.00	-	0.00
17	पार्किंग स्थल निर्माण		ल0स0	Ls.	1.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00								
18	जलपान गृह		ल0स0	1	7.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	1	7.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
योग -इकोटूरिज्म -				-	76.25	-	42.20	-	39.60	-	32.10	-	37.20	-	27.20	-	24.00	-	26.50	-	34.50	-	21.00
1	वन रेंज कार्यालय	प्रशासनिक कार्य व सुधार	संख्या	-	0.00	1	15.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
2	क्षेत्रीय वन अधिकारी आवास		संख्या	-	0.00	1	18.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
3	वन्य जीव प्रतिपालक कार्यालय एवं आवास		संख्या	-	0.00	-	0.00	2	25.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
4	वन दरोगा आवास		संख्या	-	0.00	2	15.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
5	वन्य जीव रक्षक चौकियों का निर्माण व रख-रखाव		संख्या	-	0.00	4	25.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
6	नाव क्रय		ल0स0	-	0.00	3	6.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
7	जीप/वाहन क्रय व रख-रखाव		ल0स0	-	0.00	1	10.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
8	मोटरसाइकिल क्रय व रख-रखाव		संख्या	-	0.00	1	1.00	1	1.00	-	0.00	1	1.00	1	0.30	-	0.00	1	0.30	-	0.00	2	0.60
9	विभिन्न शोध उपकरण		ल0स0	-	0.00	Ls.	1.20	Ls.	1.20	Ls.	1.20	Ls.	1.20	Ls.	2.00								
10	पुरस्कार एवं प्रोत्साहन		ल0स0	-	0.00	Ls.	1.00																

11	भवनों एवं उपकरणों का रख-रखाव	प्रशासनीक कार्य व सुधार	ल0स0	-	0.00	Ls.	2.00	Ls.	2.00														
12	कर्मचारी सुविधा		ल0स0	-	0.00	Ls.	2.00	Ls.	2.00	Ls.	2.00	Ls.	2.50	Ls.	2.50								
13	प्रशासनिक व्यय		ल0स0	Ls.	5.00	Ls.	5.00																
योग - प्रशासनीक कार्य व सुधार -				-	5.00	-	101.20	-	37.20	-	11.20	-	12.70	-	12.80	-	12.50	-	12.80	-	12.50	-	13.10
सम्पूर्ण योग -				-	121.25	-	208.40	-	141.80	-	108.30	-	114.90	-	105.00	-	101.50	-	104.30	-	112.00	-	99.10

अध्याय –12

(SCHEDULE OF OPERATIONS AND MISCELLANEOUS, REGULATIONS)**विभिन्न कार्यों का सावधिक लेखा-जोखा**

- 12.1** शिड्यूल – संरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न कार्य उपयोगिता एवं श्रम व धनराशि की उपलब्धता के मध्य सामंजस्य स्थापित करते हुए वर्ष के विभिन्न काल खण्डों में सम्पन्न कराने हेतु कार्यों की एक समय-सारिणी निर्धारित की जायेगी। कार्यों की उपयोगिता तथा सफलता में उपयुक्त काल-क्रम निर्धारण का उपेक्षित महत्व है।
- 12.2** विचलन एवं लक्ष्य प्राप्ति का अभिलेख – संरक्षित क्षेत्र में कराये गए/कराये जाने वाले विभिन्न कार्यों के वार्षिक लक्ष्य, प्राप्ति तथा विचलन को अभिलिखित करने हेतु एक पंजी का रख रखाव किया जायेगा। पंजी में भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति व विचलन का वार्षिक विवरण निम्न प्रारूप में अंकित करना होगा।

लक्ष्य एवं विचलन सारिणी 12.1

क्र० सं०	वर्ष	भौतिक तथा वित्तीय विवरण				
		कार्य का विवरण	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	विचलन	विचलन का कारण
1	2	3	4	5	6	7

संरक्षित क्षेत्र की प्रबन्धयोजना में निर्धारित कार्यों के सापेक्ष भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों की प्रगति न हो पाने की स्थिति में विचलन का पूर्ण विवरण मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव पश्चिमी क्षेत्र को प्रस्तुत किया जायेगा तथा विचलन अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

- 12.3** रोजगार सृजन की क्षमता का अभिलेख – संरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत प्रबन्धन के क्रम में संचालित विभिन्न योजनाओं के जरिए प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार सृजन की क्षमता का आकलन करते हुए अभिलेखों में सम्बन्धित सूचनाएं आख्या संकलित की जायेगी।

(क) श्रम रोजगार सारिणी – 12.2

क्र० सं०	वर्ष	कार्य/योजना का नाम	सृजित मानव/कार्य दिवस	समतुल्य धनराशि	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6

(ख) व्यावसायिक रोजगार सारिणी – 12.3

क्र० सं०	योजना का नाम	व्यवसाय	विभागीय अनुदान संख्या	ई०डी०सी० कोष से सहायता (रु०)	रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5	6

व्यावसायिक रोजगार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के विवरण हेतु एक पृथक पंजी रखी जायेगी, जिसमें निम्न विवरण अंकित किया जायेगा –

सारिणी – 12.4

क्र० सं०	रोजगार प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम	पता	व्यवसाय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5

12.4 नियन्त्रण फार्म (Control Forems) –

जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार क्षेत्र में इस अभिलेख की आवश्यकता नहीं है।

12.5 कक्ष इतिहास का रख-रखाव –

जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार क्षेत्र में इसकी आवश्यकता नहीं है।

परिशिष्ट-1
उत्तर प्रदेश सरकार
वन अनुभाग-3
संख्या 1088(1)/14-3-19/89
लखनऊ, दिनांक 27 मार्च 1991

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार की राय है कि वह क्षेत्र जिसका व्यौरा नीचे दी गयी अनुसूची में दिया गया है वन्य जीवों और उनके पर्यावरण के संरक्षण, सम्बर्द्धन और विकास के प्रयोजन के लिए पर्याप्त पारिस्थितिक, प्राणिजात, वनस्पतीय, भू-आकृतित्व, प्राकृतिक और प्राणितत्वीय महत्व का है।

अतएव अब वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (अधिनियम-संख्या 53 सन् 1972) की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उक्त क्षेत्र को जो 34.319 वर्ग किलोमीटर से अधिक फैला हुआ है, पक्षी विहार के रूप में घोषित करते हैं, जिसे जिला बलिया का जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार कहा जायेगा।

अनुसूची

जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार की सीमायें :

दक्षिण-पश्चिम

ग्राम भीखमपुर की गाटा संख्या 37/2, 37/1, 35, 60, 59, 27, 22, 17, 56, 14, 13, 6 तथा 5 ग्राम भेंदपुर की गाटा संख्या 67, 58, 7, 8, 9,10, 116, 19, 29, 28, 27, 26, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 46, ग्राम बसन्तपुर एहतमाली की गाटा संख्या-578, 517, 516, 515/2, 515/1, 514, 513, 512, 511, 510/2, 510/1, 509, 508, 507, 506, 502, 501, 500, 498, 497 (चार भागों में) 496, 480, 479, 476, 474, 472, 471, 470, 469, 468, 466, 464, 464, 463, 461, 460, 451, 450, 448, 447, 445, 440, 439, 438, 437, 436, 435, 434, 433, 430, 429, 428, 427, 426, 425, 424, 423, 422, 421, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9/1, 9/2, 9/3, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 25/1, 25/2, 26, 27, 28, 29, ग्राम व सन्तपुर इंग्लिश की गाटा संख्या-1, 4, 5, 6, 7, 8 ग्राम बसन्तपुर मुस्तहकम की गाटा सं० -1,4,5,6,7,8 ग्राम बसन्तपुर मुस्तहकम की गाटा सं० 4160, 4159, 4158, 4157/2, 4157/1, 4156, 4155/2, 4155/1, 4154, 4153/1, 4153/1, 4153/2, 4153/3, 4152, 4150, 4151, 4142, 4139, 4140, 4141, 4144, 4145/1, 4145/2, 4174, 4175, 4180, 4181, 4182, 1982, 1962, 1965

पश्चिम-उत्तर

ग्राम विन्दवलिया की गाटा संख्या-1, ग्राम संख्या-1, ग्राम शिवपुर की गाटा संख्या 744, 443, ग्राम ठेलिया की गाटा संख्या 114, 1, 288, 1/5, 229, 1/5/1, 1/5/2, 1/5/3, 1/5/4, 1/5/5, 1/5/6, ग्राम अख्तियारपुर की गाटा संख्या-44, ग्राम कैथवली की गाटा संख्या 419, 421, 422, 423, 424, 434, 437, 440, 439, 441, 443, 444, 447, 449, 453, 454, 459, 460, 463, 464, 466, 469, 470, 472

उत्तर-पूर्व

ग्राम सिधरौली की गाटा संख्या -44, 93, 94, 84, 77, 110, 10, 85, 99, 130, 100, 130, 151, 152, 153, 224, 39, 227, 74, 136, ग्राम जजियापुर की गाटा संख्या 186, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 205, 217, 218, 219, 225, 226, 228, 229, ग्राम मैरीटार की गाटा संख्या 1314, 1332, 1333, 1336, 1337, 1338, 1389, 1391, 1398, 1422, 1435, 1436, 1458, 1457, 1464, 1463, 1464, 1466, 1467, 1473, 1474, 1476, 1477, 1483, 1484, 1489, 1491, 1631, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1665, 1666, 1668, 1674, 1675, 1678, ग्राम अनकटपुर की गाटा संख्या 169, ग्राम राजपुर की गाटा संख्या 304, 305, 307, 308, 309, 310, 311, 312 ग्राम चवरी की गाटा संख्या 11, ग्राम बड़सरी की गाटा संख्या 117, 118, 130, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 140, ग्राम जाजीपुर की गाटा सं0 30, 31, 32, 33, 39, 37, 38, 41, 43, 46, 50, 51, ग्राम कोल डुमरिया की गाटा संख्या 22, 20, 24, 28, 38, 36, 41, 42 ग्राम कोल खुर्द की गाटा संख्या 26, 25, 24, 42, 41, 29, 28, 26, 27, 18, 22 व 24

पूर्व-दक्षिण

ग्राम फुलवरिया की गाटा संख्या 6, 7, 8, 18, 30, 28, 39, 35, 111, 44, 109, 107, 51, 53, 54, 52, 59, ग्राम गल्हया की गाटा संख्या 163, 82, 81, 80, 49, 52, 50, 47, 45, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 30, ग्राम डुमरी की गाटा संख्या 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 125, 126, 10, 11, 15, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 49, 50, 51, 52, 54, 45, 41, 18, 17, 16, 12, 9, 8, 7, 6, 5, 114, 128, 129, 130, 132, 134, 135, 146, 147, 142, 152, 153, 154, 156, 157, 159, 160, 161, 166, 167, 173, 174, 177, 179, 180, 181, 194, 195, 198, 200,

199 ग्राम सोनपुरा खुर्द की गाटा संख्या 114, 112, 116, 113, 110, 111, 1112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 125, 126, 133, 134, 135, 139, 140, 141, 142/1, 142/2, 159, 160, 161, 162, 165, 166, 167, 155, 154, ग्राम परतपुर की गाटा संख्या 35, 36, 54, 55, 53, 52, 51, 50, 49, 48/1, 47, 46 और 45

जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार का क्षेत्रफल

जिला	ग्राम	स्वामित्व		कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
		निजी भूमि (हेक्टेयर में)	ग्राम समाज भूमि (हे०में)	
1	2	3	4	5
बलिया	सोनपुर कला	46.00	0.87	46.87
	सोनपुर खुर्द	41.00	0.55	41.55
	डुमरी	176.22	0.80	177.02
	सरयां	4.07	-	4.07
	धधरौली	20.07	0.80	20.87
	परतपुर	32.46	3.47	35.93
	भेदपुर	16.46	0.45	16.91
	भीखपुर	11.36	0.45	16.91
	वासदेवपुर	-	7.89	7.89
	श्रीपुर	-	6.51	6.51
	सलेमपुर	78.32	0.40	78.72
	वसन्तपुर एहतमाली	692.59	10.00	702.59
	वसन्तपुर मुस्तकम	44.29	-	44.29
	ताल सुरहा	1006.37	81.50	1087.87
बसन्तपुर	17.78	0.02	17.80	

बलिया	यवरीकरन	39.40	-	39.40
	गल्हया	99.30	-	99.30
	चवरी	75.63	-	76.63
	वभनौली	15.41	0.78	16.19
	फुलवरिया	21.31	-	21.31
	विन्दवलिया	104.41	0.03	104.44
	ढेलिया	153.44	-	153.44
	शिवपुर	12.14	-	12.14
	तूर्मपुर	14.03	0.13	14.16
	अख्तियारपुर	16.76	1.48	18.24
	कैथवली	30.05	2.69	32.74
	सिधौली	6.07	-	6.07
	माधौपुर	8.05	0.04	8.09
	जजियापुर	15.28	1.21	16.49
	गडारी पाह	50.43	1.69	52.12
	मैरीटार	14.17	-	14.17
	ओझवलिया	70.04	3.75	73.79
	फाफर	42.23	2.43	44.66
	सिरमौर	34.95	0.47	35.42
	अनकटपुर	38.72	-	38.72
	राजपुर	12.61	-	12.61
	आंधी	30.94	-	30.94
	बडसरी	32.75	0.32	33.07
नरायनपुर	7.75	0.20	7.95	
हथिवदा	15.66	1.82	17.48	

बलिया	गजियापुर	17.48	-	17.48
	कोल डुमरिया	48.39	-	48.39
	कोल खुर्द	43.47	2.48	45.95
	साहोडीह	42.29	-	42.29
	कुल योग -	3,300.23	132.70	3432.93
				3432.93 ha.
			या	34329 वर्ग किमी

आज्ञा से,
ह0/-
(राजीव रत्न शाह)
सचिव।

संख्या 1088(11)/14-3-19/89

प्रतिलिपि अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद की प्रतिलिपि सहित अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना को विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड-ख में असाधारण गजट के दिनांक 03.04.91 के अंक में प्रकाशित कर दें तथा उसकी 50 प्रतियां इस अनुभाग को भेजने का कष्ट करें।

आज्ञा से
ह0/-
(गोपी मोहन श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

सं0 1088(11)/14-3-19/89

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. संयुक्त सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ/समस्त मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0।
3. मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उ0प्र0, लखनऊ।
4. आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
5. जिलाधिकारी, बलिया।
6. जन संरक्षक, सा0वा0, पूर्वी क्षेत्र, वाराणसी।
7. विधायी अनुभाग-1
8. पर्यटन/मत्स्य अनुभाग।

आज्ञा से
ह0/-
(गोपी मोहन श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

परिशिष्ट-2

वन्य जीव संरक्षण अधिनियम-1972 की धारा-21 के अन्तर्गत उद्घोषणा

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम-1972 की धारा-18 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित क्षेत्र को वन्य जीव और उनके पर्यावरण का संरक्षण, संवर्द्धन एवं विकास कार्य के प्रयोजन के लिए पर्याप्त पारिस्थितिकी, प्राणिजात, वनस्तीय भू-आकृतित्व, प्राकृतिक और प्राणितत्व महत्व को पाते हुए बलिया जिले में "सुरहाताल पक्षी विहार" घोषित किया गया है, जिसकी अधिसूचना उत्तर प्रदेश वन अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-1000 (1)/14-3-9/89, लखनऊ, दिनांक 27 मार्च, 1991 द्वारा निर्गत की जा चुकी है। अधिसूचना संख्या-उत्तर प्रदेश वन अनुभाग-4, संख्या-2854/चौदह/4-2002-875/2002, लखनऊ, दिनांक 10.12.2002 द्वारा महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश द्वारा "सुरहाताल पक्षी विहार" का नाम परिवर्तित कर "जय प्रकाश नारायण पक्षी विहार" कर दिया गया, सीमायें निम्न प्रकार हैं-

जिला	जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार की सीमायें :
बलिया	<p>दक्षिण-पश्चिम -</p> <p>ग्राम भीखमपुर की गाटा संख्या-37/2, 37/1, 35, 60, 59, 27, 22, 17, 56, 14, 13, 6 तथा 5 ग्राम भेंदपुर की गाटा संख्या 67, 58, 7, 8, 9,10, 116, 19, 29, 28, 27, 26, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 46, ग्राम बसन्तपुर एहतमाली की गाटा संख्या-578, 517, 516, 515/2, 515/1, 514, 513 512, 511, 510/2, 510/1, 509, 508, 507, 506, 502, 501, 500, 498, 497 (चार भागों में) 496, 480, 479, 476, 474, 472, 471, 470, 469, 468, 466, 464, 464, 463, 461, 460, 451, 450, 448, 447, 445, 440, 439, 438, 437, 436, 435, 434, 433, 430, 429, 428, 427, 426, 425, 424, 423, 422, 421, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9/1, 9/2, 9/3, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 25/1, 25/2, 26, 27, 28, 29, ग्राम व सन्तपुर इंग्लिश की गाटा संख्या-1, 4, 5, 6, 7, 8 ग्राम बसन्तपुर मुस्तहकम की गाटा सं० -1,4,5,6,7,8 ग्राम बसन्तपुर मुस्तहकम की गाटा सं० 4160, 4159, 4158, 4157/2, 4157/1 4156, 4155/2, 4155/1, 4154, 4153/1, 4153/1, 4153/2, 4153/3, 4152, 4150, 4151, 4142, 4139, 4140, 4141, 4144, 4145/1, 4145/2, 4174, 4175, 4180, 4181, 4182, 1982, 1962, 1965</p>

बलिया	<p>पश्चिम-उत्तर –</p> <p>ग्राम विन्दवलिया की गाटा संख्या-1, ग्राम संख्या-1, ग्राम शिवपुर की गाटा संख्या 744, 443, ग्राम डेलिया की गाटा संख्या 114, 1, 288, 1/5, 229, 1/5/1, 1/5/2, 1/5/3, 1/5/4, 1/5/5, 1/5/6, ग्राम अख्तियारपुर की गाटा संख्या-44, ग्राम कैथवली की गाटा संख्या 419, 421, 422, 423, 424, 434, 437, 440, 439, 441, 443, 444, 447, 449, 453, 454, 459, 460, 463, 464, 466, 469, 470, 472</p>
	<p>उत्तर-पूर्व –</p> <p>ग्राम सिधरौली की गाटा संख्या-44, 93, 94, 84, 77, 110, 10, 85, 99, 130, 100, 130, 151, 152, 153, 224, 39, 227, 74, 136, ग्राम जजियापुर की गाटा संख्या 186, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 205, 217, 218, 219, 225, 226, 228, 229, ग्राम मैरीटार की गाटा संख्या 1314, 1332, 1333, 1336, 1337, 1338, 1389, 1391, 1398, 1422, 1435, 1436, 1458, 1457, 1464, 1463, 1464, 1466, 1467, 1473, 1474, 1476, 1477, 1483, 1484, 1489, 1491, 1631, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1665, 1666, 1668, 1674, 1675, 1678, ग्राम अनकटपुर की गाटा संख्या 169, ग्राम राजपुर की गाटा संख्या 304, 305, 307, 308, 309, 310, 311, 312 ग्राम चवरी की गाटा संख्या 11, ग्राम बड़सरी की गाटा संख्या 117, 118, 130, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 140, ग्राम जाजीपुर की गाटा सं0 30, 31, 32, 33, 39, 37, 38, 41, 43, 46, 50, 51, ग्राम कोल डुमरिया की गाटा संख्या 22, 20, 24, 28, 38, 36, 41, 42 ग्राम कोल खुर्द की गाटा संख्या 26, 25, 24, 42, 41, 29, 28, 26, 27, 18, 22 व 24</p>
	<p>पूर्व-दक्षिण –</p> <p>ग्राम फुलवरिया की गाटा संख्या-6, 7, 8, 18, 30, 28, 39, 35, 111, 44, 109, 107, 51, 53, 54, 52, 59, ग्राम गल्हया की गाटा संख्या 163, 82, 81, 80, 49, 52, 50, 47, 45, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 30, ग्राम डुमरी की गाटा संख्या 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 125, 126, 10, 11, 15, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 49, 50, 51, 52, 54, 45, 41, 18, 17, 16, 12, 9, 8, 7, 6, 5, 114, 128, 129, 130, 132, 134, 135, 146, 147, 142, 152, 153, 154, 156, 157, 159, 160, 161, 166, 167, 173, 174, 177, 179, 180, 181, 194, 195, 198, 200, 199 ग्राम सोनपुरा खुर्द की गाटा संख्या 114, 112, 116, 113, 110, 111, 1112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 125, 126, 133, 134, 135, 139, 140, 141, 142/1, 142/2, 159, 160, 161, 162, 165, 166, 167, 155, 154, ग्राम परतपुर की गाटा संख्या 35, 36, 54, 55, 53, 52, 51, 50, 49, 48/1, 47, 46 और 45</p>

जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार का क्षेत्रफल –

जिला	ग्राम	स्वामित्व		कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
		निजी भूमि (हेक्टेयर में)	ग्राम समाज भूमि (हे0में)	
1	2	3	4	5
बलिया	सोनपुर कला	46.00	0.87	46.87
	सोनपुर खुर्द	41.00	0.55	41.55
	डुमरी	176.22	0.80	177.02
	सरयां	4.07	–	4.07
	धधरौली	20.07	0.80	20.87
	परतपुर	32.46	3.47	35.93
	भेदपुर	16.46	0.45	16.91
	भीखपुर	11.36	0.45	16.91
	वासदेवपुर	–	7.89	7.89
	श्रीपुर	–	6.51	6.51
	सलेमपुर	78.32	0.40	78.72
	वसन्तपुर एहतमाली	692.59	10.00	702.59
	वसन्तपुर मुस्तकम	44.29	–	44.29
	ताल सुरहा	1006.37	81.50	1087.87
	बसन्तपुर	17.78	0.02	17.80
	यवरीकरन	39.40	–	39.40
	गल्हया	99.30	–	99.30
चवरी	75.63	–	76.63	

1	2	3	4	5
बलिया	वभनौली	15.41	0.78	16.19
	फुलवरिया	21.31	–	21.31
	विन्दवलिया	104.41	0.03	104.44
	ढेलिया	153.44	–	153.44
	शिवपुर	12.14	–	12.14
	तूर्मपुर	14.03	0.13	14.16
	अख्तियारपुर	16.76	1.48	18.24
	कैथवली	30.05	2.69	32.74
	सिधौली	6.07	–	6.07
	माधौपुर	8.05	0.04	8.09
	जजियापुर	15.28	1.21	16.49
	गडारी पाह	50.43	1.69	52.12
	मैरीटार	14.17	–	14.17
	ओझवलिया	70.04	3.75	73.79
	फाफर	42.23	2.43	44.66
	सिरमौर	34.95	0.47	35.42
	अनकटपुर	38.72	–	38.72
	राजपुर	12.61	–	12.61
	आंधी	30.94	–	30.94
	बड़सरी	32.75	0.32	33.07
नरायनपुर	7.75	0.20	7.95	
हथिवदा	15.66	1.82	17.48	

1	2	3	4	5
बलिया	गजियापुर	17.48	—	17.48
	कोल डुमरिया	48.39	—	48.39
	कोल खुर्द	43.47	2.48	45.95
	साहोडीह	42.29	—	42.29
	कुल योग –	3,300.15	132.70	3,432.93
			या	3,432.93 है०
			या	34,329 वर्ग किमी०

उपरोक्त सीमा के अन्तर्गत फैले क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति अपने अधिकार एवं स्वामित्व का अस्तित्व समझता है, तो वह उक्त घोषणा के दो माह के अन्दर अपना दावा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है। दावे में निम्नलिखित बातें आवश्यक रूप से उल्लिखित किया जायेगा –

- (क) उसके अधिकार एवं स्वामित्व की प्रवृत्ति।
 (ख) सीमा।
 (ग) दावे की राशि।
 (घ) प्रतिकर।

ह०/—
 (जिलाधिकारी),
 बलिया।

परिशिष्ट-2 (अ)

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
बलिया।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन,
लखनऊ।

संख्या- 825/रा0स0,

दिनांक : जून 17, 2010

विषय : राजस्व विभाग द्वारा नक्सलवाद की समस्या के सामाधान हेतु कार्य योजना तैयार किया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद के अन्तर्गत सुरहाताल "जय प्रकाश नारायण पक्षी विहार" को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पक्षी विहार के रूप में अधिसूचना जारी की गयी है तथा प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी, बलिया द्वारा इस क्षेत्र का बन्दोबस्त की कार्यवाही न हो पाने के दृष्टिगत अधिसूचित क्षेत्रों की बन्दोबस्त की कार्यवाही हेतु वन बन्दोबस्त अधिकारी नामित किये जाने का अनुरोध किया गया है। शासन द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि नक्सलवाद से प्रभावित जनपदों में वन विभाग से सम्बन्धित वन बन्दोबस्त अधिकारी से केवल वन बन्दोबस्त का ही कार्य लिया जाय।

उक्त के सम्बन्ध में निवेदन करना है कि वन बन्दोबस्त अधिकारी का पद एक अधिसूचित पद है तथा इस जनपद में कोई अधिकारी वन बन्दोबस्त अधिकारी के रूप में नामित नहीं है। बन्दोबस्त अधिकारी का कार्य लेने हेतु शासन स्तर से ही किसी अधिकारी को वन बन्दोबस्त अधिकारी के रूप में नामित किया जाना है।

अतः निवेदन है कि वन विभाग से सम्बन्धित अधिसूचित क्षेत्रों के वन बन्दोबस्त कार्य हेतु किसी अधिकारी को वन बन्दोबस्त अधिकारी के रूप में नामित करने की कृपा करें।

भवदीय,

ह0/-

(संथिल पाण्डियन सी0)

जिलाधिकारी, बलिया।

परिशिष्ट-3
अ-तापमान
अधिकतम व न्यूनतम तापमान का मासिक औसत (सेल्सियस में)

माह	अधिकतम	न्यूनतम
जनवरी	26.77	4.30
फरवरी	29.90	7.00
मार्च	36.61	10.64
अप्रैल	43.46	15.30
मई	44.10	20.44
जून	43.96	23.05
जुलाई	38.54	23.40
अगस्त	36.38	23.54
सितम्बर	35.68	21.86
अक्टूबर	35.45	14.09
नवम्बर	31.20	9.68
दिसम्बर	27.41	6.06

परिशिष्ट-4

जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) (बलिया) जनपद में वर्षा के आंकड़े वर्ष 2010-11 से 2019-20 तक (मि०मी०) में

वर्ष	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2010-11	0.00	4.50	6.40	0.00	0.00	95.00	235.00	363.00	185.00	25.00	0.00	32.00	945.90
2011-12	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	74.00	263.00	282.00	165.00	10.00	0.00	27.00	834.00
2012-13	6.25	0.00	6.40	0.00	0.00	84.20	255.00	297.00	154.00	12.00	0.00	26.00	840.85
2013-14	0.00	6.00	3.00	0.00	0.00	81.00	244.00	267.00	172.00	15.00	0.00	24.00	812.00
2014-15	6.00	0.00	4.00	0.00	0.00	72.00	266.00	287.00	155.00	20.00	0.00	30.00	840.00
2015-16	6.25	0.00	5.00	0.00	0.00	85.00	255.00	290.00	165.00	22.00	0.00	24.00	852.25
2016-17	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	74.00	263.00	282.00	165.00	10.00	0.00	27.00	834.00
2017-18	6.25	0.00	6.40	0.00	0.00	84.20	245.00	297.00	154.00	12.00	0.00	26.00	830.85
2018-19	0.00	6.00	3.00	0.00	0.00	81.00	265.00	267.00	172.00	15.00	0.00	24.00	833.00
2019-20	5.60	0.00	7.00	0.00	0.00	72.00	265.00	288.00	265.00	10.00	0.00	17.00	929.60
योग -	43.35	16.50	54.20	0.00	0.00	802.40	2556.00	2920.00	1752.00	151.00	0.00	257.00	8552.45

परिशिष्ट-5

मानवजातीय वानस्पतिक औषधिक एवं सांस्कृतिक महत्व की पादप प्रजातियों की सूची
M=Medical, R=Religious

कुल	हिन्दी नाम	सामान्य नाम	वैज्ञानिक नाम	महत्व
Acanthaceae	अडूसा	Vasaka	Adhatoda vasica	M
Rutaceae	बेल	Wood apple	Aegle marmelos	MR
Apocynaceae	छितवन	Devil's free	Alstonia scholaris	MR
Meliaceae	नीम	Margosa Tree	Azadirachta India	MR
Scrophulariaceae	ब्राम्ही	Bacapa	Bacopa monnieri	M
Nyctaginaceae	पुनर्नवा	Hogweed	Boerthavia diffusa	M
Fabaceae	ठाक	Palas	Butea monoserma	M
Caealpinaceae	अमलतास	Indian Labrum	Cassila fistula	M
Caealpinaceae	इमली	Tamarind	Tamarindus indica	M
Apiaceae	ब्राम्हमण्डुकी	Indian Pennywort	Centella sriatica	M
Solanaceae	धतूरा	Datura	Dature stramonium	M
Euphorbiaceae	आंवला	Emblica	Emblica officinalis	MR
Euphorblaceae	लाल दुग्धी	Euphorbia	Euphorbla hirta	M
Lythraceae	मेहन्दी	Henna	Lawsonia innermis	MR
Sapotaceae	महुआ	Mahua	Madhuca indica	MR
Lamiaceae	तुलसी	Tulsi (Holybasil)	Ocimum sanctum	MR
Beberidaceae	वत वैगन (पापड़ी)	Indian Podophyllum	Podophyllum hexandrum	M
Euphorblaceae	अरण्डी	Caster Oil Seed	Ricinus communis	M
Euphorblaceae	जैट्रोफा	Purging nut	Jatropha curcus	M

Malvaceae	खरेंटी	Sida	Sida cordifolia	M
Solanaceae	कटकारी कटेरी	Kantkari	Solanum xanthocarpum	M
	मकोप	Black night Shade	Solanum nigrum	M
Myrtaceae	जामुन	Mambol	Syzygium cumini	Medbl e frt.
Menispermaceae	गिलोप	Tino spora	Tinospora cordifolia	M
Zygophyllaceae	छोटो गोखरू	Hpljti	Tribulus terrestris	M
Liliaceae	वन प्याज	Indian squill	Urginea India	M
Nymphaeaceae	कमल	Lotus	Nelumbo nucifera	MR
Compositae	करभंग	Ecipta	Eclipta alba	M
Comaceae	अकोला	Alangium	Alangium lamarcki	M
Ascleridaceae	मदार	Calotropis	Calotropis procera	MR
Verbenaceae	सँभालू	Vitex	Vitex nigundo	M
Boraginaceae	लसोढा	Lesia	Cordia myxa	M
Trapaceae	सिंघाड़ा	Water chest Nut	Trapa bispinosa	Redbl e frt.
Moraceae	बदगर	Banyan Tree	Ficus bengalensis	R
Moraceae	पीपल	Religious Tree	Ficus religiosca	R
Combretaceae	अर्जुन	Arjun	Terminalia arjuna	M
Papilionaceae	कंजी	Indian Beach	Pongamia pinnata	M
Bignoniaceae	बालमखीरा	Sausage Tree	Kigelia pinnata	M

परिशिष्ट-6

कोई राजकीय भवन नहीं है।

Eco-Tourism in India, Policy and Guidelines-1998
Ministry of Tourism, Government of India.

1. ECOTOURISM : DEFINITION :

The activities of persons travelling to and staying in places outside their usual place of residence for not more than one consecutive year for leisure, business and other purposes constitute tourism. Such visit for being close to nature to enjoy its enormous creations, both biotic and abiotic, in a most environment-friendly manner, without any adverse impact on the ecosystem, is particularly known as ecotourism.

According to the World Tourism Organization (WTO), "Tourism that involves travelling to relatively undisturbed natural areas with the specified object of studying, admiring and enjoying the scenery and its wild plants and animals, as well as any existing cultural aspects (both of the past or the present) found in these areas" is defined as ecotourism. Nature tourism (ecotourism) is distinguished from mass tourism on resort tourism by having a lower impact on the environment and by requiring less infrastructure development.

The key elements of ecotourism include a natural environment as the prime attraction, an optimum number of environment-friendly visitors, activities which do not have any serious impact on the ecosystem and the positive involvement of the local community in maintaining the ecological balance. Ecotourism can take many forms and magnitudes. For example 'losing' oneself in a beautiful natural forest or landscape watching animals, birds and trees in a forest, corals and marine life in sea, engaging in trekking, boating or rafting, wandering amongst sand dunes-these are some of the common forms of ecotourism.

Though the concept has gained importance only recently. India has been experiencing various forms of ecotourism all through the ages.

2. ECOTOURISM RESOURCES OF INDIA :

The geographical diversity of India is a wealth of ecosystems, which are well protected and preserved. These ecosystems have become the major resource for ecotourism in India.

They are :

1. Biosphere Reserves.
2. Mangroves.
3. Coral reefs.
4. Deserts.
5. Mountains and Forests.
6. Flora and Fauna.
7. Seas, Lakes and Rivers.
8. Caves

2.1 Biosphere Reserve

Biosphere reserves are multipurpose protected areas, for preservation of the genetic diversity and integrity of plants animals and microorganisms in representative ecosystems. These are seven such reserves in India at present:

1. Nilgiri.
2. Nanda Devi.
3. Nokrek.
4. Great Nicobar.
5. Gulf of Mannar.
6. Manas.
7. Sunderbans.

2.2 Mangroves

Mangroves are very specialized forest ecosystems of tropical and subtropical regions bordering sheltered sea coasts and estuaries.

Major mangroves areas are :

- i) Northern Andaman and Nicobar Islands.
- ii) Sunderbans (West Bengal)
- iii) Bhitarkanika and Mahanandi Delta (Orissa)
- iv) Coringa, Godavari Delta and Krishna Estuary (Andhra Pradesh)
- v) Pichavaram and Point Calimere (Tamil Nadu)
- vi) Goa
- vii) Gulf of Kutch (Gujarat)
- viii) Coondapur (Karnataka)
- ix) Achra/Ratnagiri (Maharashtra)
- x) Vembanad (Kerala)

2.3 Coral Reefs :

There are four major coral reefs identified in the country so far

- i) Gulf of Mannar.
- ii) Andaman and Nicobar Islands.
- iii) Lakshadweep Islands.
- iv) Gulf of Kutch.

2.4 Deserts :

The great Thar desert and the little deserts in the North Western Region of the country are distinct ecosystems which have fascinated tourists from all over the world.

2.5 Mountains and forests :

The great Himalayas and other mountain ranges in the country, along with the snow-clad slopes, forests, and rivers, have also become great

attractions for ecotourists. The country has an area of about 752.3 lakh hectares notified as forest land and of this about 406 lakh hectares are classified as Reserve forests and 215.1 lakh hectares as Protected Forests.

2.6 Flora and Fauna :

India is floristically very rich. She has about 45,000 species of plants. The country also has a great variety of fauna, numbering a little over 65,000 known species, including 1,228 of birds, 428 of reptiles, 372 of mammals, 204 of amphibians and 2,546 of fish.

In order to protect and preserve these genetic constituents, India has created a number of National Park and 421 Wildlifesanctuaries in different parts of the country. Some of these which have already become popular with tourists are Kaziranga and Manas in Assam, Jim Corbett in Uttar Pradesh, Keoladco Ghana, Ranthambore and Sariska in Rajasthan Kanha and Randhavgarh in Madhya Pradesh, Bandipur in Karnataka and Simhpal in Orissa.

2.7 Water resources :

The Arabian Sea, the Indian Ocean and the Bay of Bengal brace the sides of the Indian subcontinent except for the northern boundary. The land mass of India is crossed by several rivers and dotted by lakes at many places. These water bodies provide attractive opportunities for water sports.

3. POLICY AND PLANNING :

The national policy on tourism stipulates that tourism should become a unifying force nationally and internationally, fostering better understanding through travel.

It should also help to preserve, retain and enrich our world-view and life-style, our cultural expressions and heritage in all its manifestations. The

prosperity, that tourism brings should strengthen and cause accretion, rather than damage, to our social and cultural values and depletion of our natural resources.

Realization of these policy objectives particularly in the context of ecotourism would involve a selective approach, scientific planning, effective control and continuous monitoring. The development process itself should meet the following cardinal principles.

- (i) It should involve the local community and lead to the overall economic development of area.
- (ii) It should identify the likely conflicts between resources use for tourism and the livelihood of local inhabitants and attempt to minimize such conflicts.
- (iii) The type and scale of tourism development should be compatible with the environment and sociocultural characteristics of the local community and
- (iv) It should be planned as a part of the overall area development strategy, guided by an integrated land-use plan and associated with commensurate expansion of public services.

The biospheres, mangroves, coral reefs, deserts and mountains which form the core resources for ecotourism are fragile ecosystems. Hence decisions for the development of tourism in such areas have to be based on a thorough understanding of local resources, social and economic factors and other characteristics.

The objectives of tourism development in any specified area, as well as the intended beneficiaries, dependency and scale of development have to be decided on the basis of these factors and discussions and negotiations with those most directly concerned.

The development of physical maintenance for tourism should be preceded by the preparation of an inventory of resources and a zoning/management plan to ensure preservation and public use of valuable natural sites.

Whenever destruction of serious alteration of areas of high primary productivity life wetland, seagrass, beds, coral reefs or rainforests is contemplated, benefits and costs should be carefully assessed before planning tourism development activities. Further, planning and promotion of tourism should be undertaken as a component part of an integrated, comprehensive resources management plan founded on sound ecological principles.

The Tourism Management Plan should be establish standards for resort development covered among others, the style and of structures, treatment of sewage and control of litter preservation of open spaces and public use of fragile areas. It should further lay down procedures to ensure that sewage is not directed to the beach or the ground water and soild waste is systematically collected and disposed of suitably. Adequate precautionary measures should also be taken to avoid noise pollution. It should also specify methods and material for construction activities and minimize any possible adverse impact on local environment.

Physical planning and design should integrate community services including availability of possible water, transportation and tourism. Transportationf and access should also be integrated with other purposes such as industry and trade as communities are the termini for air, land and water access. Physical planning for all travel modes, especially modern tour buses, also needs to be integrated between segments outside and inside the area of attraction.

4. OPERATIONAL GUIDELINES :

The key players in the ecotourism business are the Government both central and at both central and at state levels, the local authorities, the developers and the operators, the visitors and the local community. Each one of them has to be sensitive to the environment and local traditions and follow a set of guidelines for the successful development of tourism. In addition, non-governmental organization and scientific/research institution also have to play a key role in the development of ecotourism.

4.1 The Government :

The Management Plan for each area should be prepared by professional landscape architects and urban planners, in consultation with the local community as well as others directly concerned.

Integrated planning should be adopted to avoid to inter-sectoral and cross-sectoral conflict.

The architectural programme for ecotourism centres should include controlled access point and cabins, roads, self-guided nature trails, transportation options, interpretive centres, signs, observation towers and blinds, adequate but unpretentious lodging and dining facilities, docks, garbage disposal facility and other utilities, as per requirement. If needed, suitable living quarters, and facilities for project personnel have to be provided.

Structures creating visual pollution, unaesthetic values and non-compatible architecture, should be controlled and temporary structures using local environment should be encouraged.

Exclude development in geologically unstable zones and define development and buffer zones after proper environmental impact assessments.

Establish standards, building codes and other regulations.

Specify environmental, physical and social carrying capacities to limit development activities.

Ensure continuous monitoring of adverse effects of tourism activities and initiate suitable corrective measures.

Recognize and award quality labels to ecotourism operators.

Provide visitor information and interpretation services, covering particularly (i) what to see, (ii) how to see (iii) how to behave. It can be by way of brochures, leaflets, specialized guides, visitor information centres and such.

Prepare and widely distribute codes of conduct to all visitors.

Launch training programmes on ecotourism to tourism administrators, planners, operators and general public.

4.2 Developers, Operators and suppliers :

Respect and follow the planning restrictions, standards and codes provided by the government and local authorities.

Implement sound environment principles through a self regulation.

Practice environmental impact assessment for all new projects and conduct regular environmental audit for all ongoing activities leading to development of environmental improvement programmes.

Be sensitive to conservation of environmentally protected or threatened areas, species and scenic aesthetics, achieving landscape enhancement wherever possible.

Ensure that all structures are unobtrusive and do not interfere with the natural ecosystem to the maximum extent.

Recognize the optimal-environmental capacity and sociological use-limits of the site in creating tourist facilities. They should also take into account safety and convenience of tourists.

Buildings should be designed strictly on functional and environmental considerations and avoid over construction.

Local material and designs should be used in all construction to the extent possible.

Physical planning, architectural design and construction of tourist facilities should employ ecofriendly techniques like solar energy, capture and utilization of rain water, recycling of garbage, natural cross-ventilation instead of air-conditioning a high level of self-sufficiency in food generation through orchards, ecological farms, aquaculture and such.

Energy and water-saving practices should be employed to the extent possible. Fresh water management and controlled, sewage disposal should also be practiced.

Control air emissions-both chemical pollutants and noise.

Control and reduce environmentally, unfriendly products such as asbestos, CFCs pesticides and toxic, corrosive, infectious, explosive or flammable material.

Respect and support historic or religious objects and sites.

Provide information and interpretive service to visitors especially on attractions and facilities, safety and security, local customs and traditions, prohibitions and regulations and self-conduct and behaviour.

Ensure adequate opportunities to visitors for communion with nature and native cultures.

In marketing ecotourism products, customers should be given correct information, as the visitors who appreciate ecotourism products usually belong to environmentally-aware groups.

Training and research programmes of the company should include environmental issues.

Prepare tourists to minimize possible negative impact while visiting sensitive environments and cultures before their visit.

Ensure safety and security of visitors and inform them of precautions to be taken.

Exercise due regard for the interest of the local population, including their history, tradition and culture economic development.

Involve the local community to the extent possible in various activities and vocations.

4.3 The Visitors :

Help conserve habitats of flora and fauna and any site, natural or cultural, which may be affected by tourism.

Make no open fires and discourage others from doing so. If water has to be heated with scarce, use as little as possible. Where feasible, use kerosene or fuel-efficient wood stoves.

Remove litter, burn or bury paper and carry back all non-degradable litter.

Keep local water clean and avoid using pollutants such as detergents in streams or springs. If no toilet facilities are available, try to relieve yourself at least 30 meters away from water sources and bury or cover the waste.

Plants should be left to flourish in their natural environment and avoid taking away cuttings seeds and roots.

Leave the camp sites clean after use. Remember that another party will be using the same camp site after your departure.

Help guides and porters to follow conservation measures. Do not allow cooks/porters to throw garbage in streams or rivers.

Respect the natural and cultural heritage of the area and follow local customs.

Respect local etiquette and wear loose clothes. Kissing in public is disapproved of Respect privacy of individuals and ask permission and use restraint in taking photographs of local inhabitants.

Respect holy places do not touch or remove religious objects.

Strictly follow the guidelines for personal safety and security and always take your own precautions and safety measures.

The Destination Population/Host Community :

Realize and respect the value of the environment, the flora and fauna, the monuments and the cultural heritage.

Practice conservation of nature and culture as a way of life.

Establish guidelines to protect valuable local resources and foster tourism management.

Realize and react to the potential threat of investors who see opportunities in development but lack sensitivity to local values.

Become effective nature guides and conservationists of natural areas by enhancing the practical and ancestral knowledge of the natural features of the area.

Be friendly with the visitors and help them to practice ecotourism codes.

4.5 Non-Governmental Organizations/Scientific & Research Institutions:

Create awareness, amongst all concerned, about the importance of sound ecopractices in tourism development. Motivate the local community to increase their involvement in sustainable tourism activities.

Organize training programmes to prepare the local people for taking up various vocations relating to ecotourism.

परिशिष्ट-8

प्रेषक,

हरीश चन्द्र गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

विषय: उत्तर प्रदेश में संरक्षित क्षेत्रों के विकास के लिए इकोडेवलपमेन्ट का कार्यक्रम लागू किया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपकी पत्र संख्या-60 परि0नि0 कैम्प/29-4-2 दिनांक 17 मई, 1997 के सन्दर्भ तथा शासन के पत्र संख्या 1925/14.04.97-825/97 दिनांक 11 जुलाई, 1997 के क्रम में मुझे यह कहना है कि शासन ने प्रदेश में संरक्षित क्षेत्रों के अन्दर एवं उसके समीपस्थ क्षेत्रों में वन्य जीव एवं जैव विविधता कार्यक्रमों में स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इकोडेवलपमेन्ट के कार्यक्रम को अधिक सुनियोजित रूप से चलाने का निर्णय लिया है।

2. शासन के उक्त निर्णय को संलग्न शासकीय संकल्प के प्राविधानों के अनुसार लागू किया जायेगा।
3. कार्यक्रम को लागू किये जाने में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इसके क्रियान्वयन के लिए कोई अतिरिक्त सरकारी स्टाफ नहीं होगा तथा योजना की समाप्ति पर शासन पर किसी प्रकार से कोई आवर्तक व्यय नहीं पड़ेगा।
4. अनुरोध है कि शासकीय संकल्प के प्राविधानों के अनुसार प्रदेश में इकोडेवलपमेन्ट के कार्यक्रम को लागू कराने के लिए आवश्यक प्रभावी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक :-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(हरीश चन्द्र गुप्ता)
प्रमुख सचिव

संख्या : यू0ओ0/94/14-प0भू0-99 दिनांकित

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- (क) अपर मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, उ0प्र0, लखनऊ।
- (ख) मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव), उ0प्र0, लखनऊ।

आज्ञा से,
(हरीश चन्द्र गुप्ता)
प्रमुख सचिव।

परिशिष्ट-9

उत्तर प्रदेश सरकार, वन अनुभाग-3
संख्या-425 (3)/14-तीन-30/73,
लखनऊ, दिनांक : मार्च 08, 1973

अधिसूचना

प्रकीर्ण

दि वाइल्ड लाइफ (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1972 (एक्ट संख्या-53ए 1972) की धारा-55 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश वन प्रभागों के प्रभागी, उप-अरण्यपालों तथा उत्तर प्रदेश के वन्य जीव प्रतिपालकों को उक्त एक्ट के अधीन अपराधों के विरुद्ध परिवाद निर्देशित करने का प्राधिकार देते हैं।

आज्ञा से
ह0/-
(प्रकाश कृष्ण),
आयुक्त एवं सचिव

संख्या-425 (3)/14-तीन-30/73

प्रतिलिपि, विज्ञप्ति की एक अंग्रेजी प्रति सहित, अधीकक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को इस निवेदन से प्रेषित कि विज्ञप्तियों को गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करा दें तथा उसकी 50 प्रतियाँ इस अनुभाग को भेज दें।

आज्ञा से
ह0/-
(महेन्द्र पाल जैन),
उप सचिव

संख्या-425 (3)/14-तीन-30/73

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. मुख्य अरण्यपाल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. मुख्य वन्य जन्तु, प्रतिपालक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य वन्य जन्तु प्रतिपालक, (जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक), उत्तर प्रदेश।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य अरण्यपाल, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त अरण्यपाल, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त प्रभागीय वन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त वन्य जन्तु प्रतिपालक, उत्तर प्रदेश।
8. विधायिका अनुभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
9. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से
ह0/-
(महेन्द्र पाल जैन),
उप सचिव

अधिसूचना

प्रकीर्ण

दि वाइल्ड लाइफ (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1972 (एक्ट संख्या-53ए 1972) की धारा-50 के साथ पठित धारा-9 की उपधारा (3) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित अधिकारियों को, जिन्हें प्राधिकृत अधिकारी कहा गया जायेगा, उक्त एक्ट की धारा-50 की उपधारा (1) के खण्ड (ए), (बी) तथा (तीन) और उपधारा (6) के खण्ड (ए) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने का प्राधिकार देते हैं -

1. निदेशक पार्क एवं पशु विहार।
2. वन्य जन्तु प्रतिपालक।
3. सहायक वन्य जन्तु प्रतिपालक।
4. वन्य जन्तु रक्षक।

आज्ञा से
ह0/-
(प्रकाश कृष्ण),
आयुक्त एवं सचिव

संख्या-696 (1)/14-तीन-31/73

प्रतिलिपि, विज्ञप्ति की एक अंग्रेजी प्रति सहित, अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को इस निवेदन से प्रेषित कि विज्ञप्तियों को गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करा दें तथा उसकी 50 प्रतियाँ इस अनुभाग को भेज दें।

आज्ञा से
ह0/-
(महेन्द्र पाल जैन),
उप सचिव

संख्या-696 (1)/14-तीन-31/73

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. मुख्य वन्य जन्तु, प्रतिपालक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. मुख्य अरण्यपाल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. समस्त अरण्यपाल, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त अतिरिक्त मुख्य अरण्यपाल, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त उप अरण्यपाल, उत्तर प्रदेश।
9. विधायिका अनुभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

आज्ञा से
ह0/-
(महेन्द्र पाल जैन),
उप सचिव।

परिशिष्ट-11

वन अनुभाग-3
संख्या-696/14-तीन-31/73,
लखनऊ, दिनांक : मार्च 14, 1973

अधिसूचना

प्रकीर्ण

दि वाइल्ड लाइफ (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1972 (एक्ट संख्या-53ए 1972) की धारा-50 के साथ पठित धारा-9 की उपधारा (3) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित अधिकारियों को, जिन्हें प्राधिकृत अधिकारी कहा गया जायेगा, उक्त एक्ट की धारा-50 की उपधारा (1) के खण्ड (ए), (बी) तथा (तीन) और उपधारा (6) के खण्ड (ए) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने का प्राधिकार देते हैं -

1. निदेशक पार्क एवं पशु विहार।
2. वन्य जन्तु प्रतिपालक।
3. सहायक वन्य जन्तु प्रतिपालक।
4. वन्य जन्तु रक्षक।

आज्ञा से
ह0/-
(प्रकाश कृष्ण),
आयुक्त एवं सचिव

संख्या-696 (1)/14-तीन-31/73

प्रतिलिपि, विज्ञप्ति की एक अंग्रेजी प्रति सहित, अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को इस निवेदन से प्रेषित कि विज्ञप्तियों को गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करा दें तथा उसकी 50 प्रतियाँ इस अनुभाग को भेज दें।

आज्ञा से
ह0/-
(महेन्द्र पाल जैन),
उप सचिव

संख्या-696 (1)/14-तीन-31/73

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. मुख्य वन्य जन्तु, प्रतिपालक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. मुख्य अरण्यपाल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. समस्त अरण्यपाल, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. समस्त अतिरिक्त मुख्य अरण्यपाल, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त उप अरण्यपाल, उत्तर प्रदेश।
9. विधायिका अनुभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

आज्ञा से
ह0/-
(महेन्द्र पाल जैन),
उप सचिव।

परिशिष्ट-12

वन अनुभाग-3

संख्या-4003 / 14-तीन-67 / 1974,
लखनऊ, दिनांक : अप्रैल 30, 1976

अधिसूचना

प्रकीर्ण

दि वाइल्ड लाइफ (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1972 (एक्ट संख्या-53ए 1972) की धारा-55 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश समस्त सहायक वन्य जीव प्रतिपालकों, समस्त रेंज अफसरों, पुलिस विभाग के समस्त उप पुलिस अधीक्षकों, तीनों सहायक निरीक्षकों जो कि तीन पुलिस थाना और पुलिस चौकी में तैनात हों और उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को अपनी अधिकारिता में उक्त ऐक्ट के अधीन अपराधों के विरुद्ध शिकायत दाखिल करने का प्राधिकार देते हैं।

आज्ञा से
ह0/-
(एन0पी0 त्रिपाठी),
सचिव

संख्या-4003 (1) / 14-तीन-67 / 1974

प्रतिलिपि, अधिसूचना के अंग्रेजी और उर्दू अनुवाद की एक-एक प्रतिलिपि सहित अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को इस निवेदन से प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कराकर इसकी 10 प्रतियाँ शासन को प्रेषित करने की व्यवस्था करें।

आज्ञा से
ह0/-
(चन्द्रहास सिंह),
उप सचिव

संख्या-4003 (1) / 14-तीन-67 / 1974

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. मुख्य अरण्यपाल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. समस्त अतिरिक्त मुख्य अरण्यपाल, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक / उप पुलिस अधीक्षक, प्रभारी, उत्तर प्रदेश।
6. पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. विधायिका अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

आज्ञा से
ह0/-
(चन्द्रहास सिंह),
उप सचिव।

परिशिष्ट-13
 उत्तर प्रदेश, सरकार
 वन अनुभाग-3
 संख्या-2885 (1)/14-चार/1993,
 लखनऊ, दिनांक : अक्टूबर 18, 1993

अधिसूचना

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम-1972 (अधिनियम-संख्या-53 सन् 1972) की धारा-4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और (ग) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, समस्त क्षेत्रीय वन संरक्षकों और क्षेत्रीय निदेशकों को अपर मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, प्रभागीय वन अधिकारियों और प्रभागीय निदेशकों की उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, सहायक वन संरक्षकों को वन्य जीव प्रतिपालक और वन रेंजरों, उप रेंजरों और वन दरोगाओं (फारेस्टर) को सहायक वन्य जीव प्रतिपालक के रूप में अपनी-अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर उक्त अधिनियम-के प्रयोजनों के लिए नियुक्त करते हैं।

आज्ञा से
 ह0/-
 (मोहिन्दर सिंह),
 प्रमुख सचिव

संख्या-2885 (1)/14-चार/1993, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अंग्रेजी अनुवाद सहित इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया इस अधिसूचना को उत्तर प्रदेश असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-4 खण्ड (ख) में आगामी अंक में प्रकाशित कराकर इसकी 1000 प्रतियाँ शासन के वन अनुभाग-4 को भेज दें।

आज्ञा से
 ह0/-
 (पीताम्बर भट्ट),
 अनु0 सचिव

संख्या-2885 (1)/14-चार/1993, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक, (वन्य जीव), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. मुख्य वन संरक्षक, (प्रशासन एवं नियोजन) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
5. संयुक्त सचिव (वन्य जन्तु), भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मन्त्रालय, सी0जी0ओ0 काम्प्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली।
6. समस्त वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, प्रशासन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से
 ह0/-
 (पीताम्बर भट्ट),
 अनु0 सचिव।

परिशिष्ट-14

राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्थिति के अनुसार उभयचरों की सूची

कुल	हिन्दी/प्रचलित नाम	अंग्रेजी नाम	वैज्ञानिक नाम	स्थिति
बुफोनिडे Bufonidae	भेंक	Toad	Bufo Melanostictus	Common
रैनिड Raniidae	मेंढक	Indian Cricket Frog	Rana Tigrina	Common
	मेंढक	Frog	Rana Limnocharis	Common
	मेकचूर	Frog	Rana Crassa	Common
	मेंढक	Skipper Frog	Rana Cyanophlyctis	Common
	मेंढक	Indian Burrowing Frog	Tompterna Breviceps	Common
जेकोफोरोइडी Rhacophoridae	मेंढक	Chunam Frog	Rhacophorus Maculates	Common
माइक्रोहाइलिडी Microhylidae	मेंढक	Narrow Mouthed Frog	Microhyla ornate	Common
		Funny Frog	Uperodon Systema	Common

जय प्रकाश नारायण (सुरताहाल) पक्षी विहार, बलिया के ग्रामवार आर्थिक-शैक्षणिक आँकड़े

क्र० सं०	गाम का नाम	परिवारों की संख्या	जनसंख्या	कृषि भूमि है०	सामुदायिक भूमि है०	कृषि कार्य आधारित परिवारों की संख्या	अन्य व्यवसाय आधारित परिवारों की संख्या					गरीबी रेखा से नीचे वी०पी० एल० परिवारों की संख्या	शैक्षणिक स्तर					बेरोजगारों की संख्या	मवेशियों की संख्या			
							नौकरी	दुग्ध उत्पादन	मत्स्य पालन	कुक्कुट पालन	अन्य		अशिक्षित	प्राथमिक	हाई स्कूल	इण्टर	स्नातक / स्नातकोत्तर		गाय	भैंस	भेड़ बकरी	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	शिवपुर	474	3546	234	21	261	70	29	68	3	41	221	1952	632	460	404	98	172	102	90	123	205
2	सूर्यपुरा	401	285	91	11	156	56	37	87	2	63	173	1495	630	496	176	49	91	80	102	117	84
3	अख्तियारपुर	71	538	88	9	28	6	29	2	0	5	25	429	87	11	8	2	7	22	20	32	10
4	कैथवली	386	2444	112	515	112	49	118	67	2	38	146	1226	531	329	240	118	71	88	85	127	46
5	सिंधौली	15	81	55	3	0	2	8	0	0	4	5	48	25	5	2	0	3	6	5	23	18
6	माधोपुर	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	जजियापुर	17	60	16	2	0	0	7	0	0	9	2	39	15	4	2	0	1	6	7	14	0
8	गडारीपाह	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	ढेलिया	0	0	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	बिन्दवलिया	0	0	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	मैरिटार	1267	8911	320	20	436	213	273	221	4	121	460	4417	1897	1365	748	484	208	312	284	260	103
12	औझवलिया	0	0	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	फाफर	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	सिरमौर	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	अनकटपुर	8	68	6	1	0	1	5	0	0	2	3	37	15	11	6	0	2	3	3	7	0
16	राजपुर	793	5390	73	6	176	5	347	89	1	106	372	2657	1590	633	434	77	66	210	180	160	132
17	औंधी	8	47	30	2	0	0	3	1	2	4	151	25	16	4	2	0	0	3	3	8	28
18	बड़सरी	297	2384	249	17	168	28	65	0	0	34	60	1229	630	326	142	58	37	45	61	63	0
19	नरायनपुर	126	855	34	2	29	6	16	3	0	71	0	504	168	128	53	2	5	20	16	18	0
20	हथिवटा	6	41	16	1	4	0	2	0	0	0	0	21	9	5	4	1	1	4	6	0	0
21	गजियापुर	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र० सं०	गाम का नाम	परिवारों की संख्या	जनसंख्या	कृषि भूमि है०	सामुदायिक भूमि है०	कृषि कार्य आधारित परिवारों की संख्या	अन्य व्यवसाय आधारित परिवारों की संख्या					गरीबी रेखा से नीचे वी०पी० एल० परिवारों की संख्या	शैक्षणिक स्तर					बेरोजगारों की संख्या	मवेशियों की संख्या			
							नौकरी	दुग्ध उत्पादन	मत्स्य पालन	कुक्कुट पालन	अन्य		अशिक्षित	प्राथमिक	हाई स्कूल	इण्टर	स्नातक / स्नातकोत्तर		गाय	बैस	भेड़ बकरी	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
22	कोलडुमरिया	0	0	79	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	कोलखुर्द	12	72	46	0	0	0	2	0	0	9	9	42	27	3	0	0	0	3	3	15	11
24	साहोडीह	261	1850	79	5	147	24	27	0	0	63	162	929	431	305	172	14	19	35	25	82	16
25	परसपुर	93	776	67	8	19	12	18	9	2	34	41	390	252	69	63	2	18	20	27	28	0
26	मेंदपुर	35	257	47	5	8	0	0	0	0	26	22	194	36	13	12	3	9	6	7	0	0
27	भीखपुर	100	806	78	9	68	11	8	7	3	2	56	420	308	39	33	7	13	23	41	37	0
28	वादेवपुर	81	555	29	7	25	9	7	0	0	39	23	352	125	46	23	9	15	22	44	12	0
29	श्रीपुर	174	1469	58	10	55	14	5	18	4	79	58	717	443	186	107	16	34	47	38	95	0
30	बसन्तपुर एहतमाली	0	0	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	बसन्तपुर मुस्तकम	1367	10156	792	221	582	50	61	359	23	229	56	5322	3192	1113	515	14	23	62	74	82	0
32	तालसुरहा	0	0	1088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	आराजी इंग्लिश बसन्तपुर	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	घघरौली	206	1442	43	345	9	18	23	0	3	152	0	1148	211	40	34	9	41	32	42	70	0
35	ववरी	16	96	30	2	14	0	0	0	0	2	0	76	14	4	2	0	6	7	9	14	0
36	भभनौली	108	812	19	3	64	13	15	0	0	17	230	326	298	101	63	24	40	55	48	22	0
37	फुलवरिया	237	1730	40	3	32	18	20	39	3	126	95	1173	349	107	71	30	44	32	52	37	12
38	सोनपुरकला	95	660	69	2	49	5	7	13	5	15	113	329	243	49	34	6	36	38	49	41	0
39	सोनपुरखुर्द	66	398	38	0	23	6	5	9	2	20	0	235	104	36	20	3	33	17	28	18	0
40	डुमरी	616	4362	97	5	201	38	63	95	84	137	311	2707	873	532	232	18	103	187	59	92	160
41	सरयाँ	229	1733	8	1	54	39	12	63	4	58	273	971	555	140	44	22	38	40	53	43	0
42	सलेमपुर	203	1510	59	1	66	22	9	13	8	84	90	711	607	128	46	18	35	46	63	77	0

परिशिष्ट-16
उत्तर प्रदेश के संरक्षित क्षेत्र
राष्ट्रीय उद्यान

क्र० सं०	संरक्षित क्षेत्र का नाम	जनपद	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)
1	दुधवा राष्ट्रीय उपवन	खीरी	490.00
वन्य जीव विहार			
1	चन्द्रप्रभा वन्य जीव विहार	वाराणसी	78.00
2	किशनपुर वन्य जीव विहार	खीरी	227.00
3	कतर्नियाघाट वन्य जीव विहार	बहराइच	400.00
4	रानीपुर वन्य जीव विहार	चित्रकूट	230.00
5	महावीर स्वामी वन्य जीव विहार	ललितपुर	5.00
6	राष्ट्रीय चम्बल वन्य जीव विहार	आगरा, इटावा	635.00
7	कैमूर वन्य जीव विहार	मिर्जापुर, सोनभद्र	501.00
8	हस्तिनापुर वन्य जीव विहार	मेरठ, ज्योतिबाफूले नगर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद	2073.00
9	सोहागी बरवा वन्य जीव विहार	महाराजगंज	428.00
10	सोहेलवा वन्य जीव विहार	श्रावस्ती बलरामपुर	452.00
11	कछुआ वन्य जीव विहार	वाराणसी	7.00
योग -			5036.00

नोट : कछुआ वन्य जीव विहार डिनोटिफाइड होकर गंगा नदी के किमी० संख्या-940 से 970 के मध्य प्रयागराज (इलाहाबाद) वन प्रभाग में स्थानान्तरित हो गया है।

पक्षी विहार			
1	नवाबगंज पक्षी विहार	उन्नाव	2.00
2	समसपुर पक्षी विहार	रायबरेली	8.00
3	लाख बहोशी पक्षी विहार	कन्नौज	80.00
4	सांडी पक्षी बिहार	हरदोई	3.00
5	बखीरा पक्षी विहार	सन्त कबीर नगर	29.00
6	ओखला पक्षी बिहार	गाजियाबाद	4.00
7	समान पक्षी विहार	मैनपुरी	5.00
8	पार्वती अरगा पक्षी विहार	गोंडा	11.00
9	विजयसागर पक्षी विहार	हमीरपुर	3.00
10	पटना पक्षी विहार	एटा	1.00
11	जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार	बलिया	34.00
12	सूरसरोवर पक्षी विहार	आगरा	4.00
योग –			184.00

परिशिष्ट-17

उत्तर प्रदेश में पारिस्थितिकीय -विकास हेतु
शासकीय संकल्प की रूप रेखा
उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या यू0ओ0-84 / 14-प0भू0-99-63 / 97
वन अनुभाग-4, दिनांक 21 मई, 1999 द्वारा जारी

प्रस्तावना :

राज्य में वन्य जीव एवं जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से कई संरक्षित क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय उप वन वन्य जीव विहार और बायोस्फियर रिजर्व स्थापित किये गये हैं।

अब संरक्षित क्षेत्रों के अन्दर एवं उसके समीपस्थ क्षेत्रों में वन्य जीव एवं जैव विविधता संरक्षण कार्यक्रमों में स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी की और अधिक बढ़ाने के उद्देश्य से महामहिम राज्यपाल ने यह निर्णय लिया है कि पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रमों में सहभागिता की नीति अपनायी जाये।

अधोलिखित संकल्प के अनुसार पारिस्थितिकी विकास के कार्यक्रम लिए जायेंगे।

2. परिभाषाएं :

इस संकल्प में, जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा न अपेक्षित हो:

- (1) अधिनियम-का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय वन अधिनियम-1927 से है।
- (2) वार्षिक क्रियान्वयन योजना का अर्थ अनुमोदित माइक्रोप्लान के आधार पर प्रतिवर्ष क्रियान्वित होने वाले क्रिया कलापों से है।
- (3) 'अध्यक्ष' का तात्पर्य अध्यक्ष ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति और पारिस्थितिकी विकास समिति की कार्यकारी समिति से है।
- (4) 'मुख्य वन्य जीव संरक्षक' का अर्थ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम-1972 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियुक्त व्यक्ति से है।
- (5) 'कार्यकारी समिति' का तात्पर्य सात सदस्यीय समिति जिसमें अध्यक्ष शामिल हैं, से है जो इस संकल्प के अधीन गठित ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति के प्रशासनिक और प्रबन्ध सम्बन्धी दायित्वों को निर्वहन करेगी।
- (6) 'वन रक्षक' का तात्पर्य कार्यकारी इकाई बीट के प्रभारी व्यक्ति से है।
- (7) 'वन अधिकारी' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसे राज्य सरकार ने भारतीय वन अधिनियम-1927 के सभी अथवा किसी भी उद्देश्य को क्रियान्वयन हेतु नियुक्त किया हो।
- (8) 'वन दरोगा' का तात्पर्य उस श्रेणी के व्यक्ति से है जो सम्बद्ध अधिकारी के रूप में था जो वन रेंज के अन्तर्गत सेक्शन के पर्यवेक्षण कार्यों को करता है।

- (9) 'शासन' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश शासन से है।
- (10) 'राज्यपाल' का तात्पर्य राज्यपाल, उत्तर प्रदेश से है।
- (11) 'ग्राम सभा', 'ग्राम पंचायत', 'प्रधान', 'उप प्रधान' और 'ग्राम' के अर्थ वहीं होंगे जो उनके लिए संयुक्त प्रान्त पंचायत राज्य अधिनियम-1947 में क्रमशः दिये गये हैं।
- (12) 'परिवार' का अर्थ एक इकाई के रूप में घर में रह रहे अधिवासियों से है।
- (13) 'सदस्य ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति' का तात्पर्य ग्राम में पारिस्थितिकी विकास में भागीदारी हेतु इच्छुक परिवारों द्वारा नामित व्यक्ति से है, जो ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति में प्रतिनिधित्व करेगा।
- (14) 'माइक्रोप्लान' का अर्थ ग्राम स्तर पर प्रबन्धन हेतु पारिस्थितिकी विकास क्रियाकलापों की योजना से है।
- (15) 'संरक्षित क्षेत्र' का अर्थ राष्ट्रीय उपवन, वन्य जीव संरक्षक द्वारा नामित संरक्षित क्षेत्र के प्रभारी वन अधिकारी से है।
- (16) 'परियोजना' का अर्थ उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना से है।
- (17) 'परियोजना इकाई' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना की परियोजना इकाई से है।
- (18) 'नियम पारूप/प्रपत्र' का अर्थ संकल्प के साथ संलग्न नियम पारूप/प्रपत्र से है।
- (19) 'रेंज अधिकारी' का तात्पर्य कार्यकारी इकाई के प्रभारी अधिकारी से है।
- (20) 'प्रेरक दल' का तात्पर्य समुचित तकनीकी ज्ञान वाले व्यक्तियों के उस दल से है, जो ग्राम स्तर पर ग्रामीणों को पारिस्थितिकी विकास के क्रियाकलापों को करने में सहायता प्रदान करेगा।
- (21) 'ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति' का तात्पर्य ग्राम स्तरीय समिति जिसका गठन इस संकल्प में निहित प्राविधानों के अनुसार, सम्बन्धित ग्राम पारिस्थितिकी विकास के क्रियाकलापों के क्रियान्वयन हेतु हुआ है।
- (22) 'वन्य जीव अधिनियम' का तात्पर्य वन्य जीव संरक्षण अधिनियम-1972 और इसके संशोधन तथा उत्तर प्रदेश में इसके प्रवृत्ति के सन्दर्भ में बने नियमों से है।
- (23) 'वर्ष' का अर्थ 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि से है।
- (24) 'कार्यकारी इकाई' का अर्थ उस क्षेत्रीय भाग से है जिसके प्रशासनिक नियंत्रण हेतु घोषणा की गयी है।
- (25) 'वन रेंज' का तात्पर्य उस क्षेत्र से है जिसकी घोषणा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना से की गयी हो या निहित प्राधिकारी द्वारा की गयी है।

(26) 'स्वयं सेवी संस्था' का तात्पर्य व्यक्तियों के उस समूह से है जो सरकार के सुसंगत अधिनियम-के अन्तर्गत स्वैच्छिक संगठन के रूप में पंजीकृत हों।

3. उद्देश्य :

पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम के निम्न उद्देश्य होंगे—

1. संरक्षित क्षेत्र के अन्दर तथा उसके चारों ओर रहने वाले लोगों की आजीविका में समुचित विकल्प उपलब्ध कराते हुए इस प्रकार हस्तक्षेप (मध्यस्थता) करना जिससे कि संरक्षित क्षेत्र के संसाधन सुरक्षित रह सकें।
2. जैव-विविधता संरक्षण में जनता की सहभागिता सुनिश्चित करना।
3. वन्य जन्तुओं द्वारा मानव जीवन एवं सम्पत्ति की क्षति को कम करना।
4. संरक्षित क्षेत्र एवं मानव के आपसी संघर्ष को कम करना।
5. संरक्षित क्षेत्र के संसाधनों पर निर्भरता एवं दबाव को कम करना।
6. संरक्षित क्षेत्र के प्रबन्ध क्षमताओं में सुधार करना एवं संरक्षित क्षेत्र के संसाधनों की सुरक्षा में वृद्धि करना।

परिशिष्ट – 18

प्रबन्ध योजना में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

क्र०सं०	नाम	पद
1.	सर्व श्री दिनेश सिंह	सहायक वन संरक्षक
2.	श्री ब्रजेश कुमार पाण्डेय	क्षेत्रीय वन अधिकारी
3.	श्री जय प्रकाश श्रीवास्तव	वन दरोगा
4.	श्री निशिकान्त सोनकर	वन रक्षक

**जय प्रकाश
नारायण
(सुरहाताल)
पक्षी विहार
बलिया का
मानचित्र**

उत्तर प्रदेश सरकार
वन अनुभाग-4
संख्या-2854/14-4-2002-874/2002
लखनऊ दिनांक 10 दिसम्बर, 2002

कार्यालय ज्ञाप

श्री राज्यपाल महोदय तात्कालिक प्रभाव से "सुरहाताल पक्षी विहार" का नाम परिवर्तित कर "जय प्रकाश नारायण पक्षी विहार" किये जाने के सठर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

Sd/-
नागेश्वर नाथ उपाध्याय
प्रमुख सचिव

संख्या- 2854/4-2002-तददिनांक

प्रतिलिपि :- प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य वन (वन जीव) उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया सभी सम्बन्धितों को अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।

Sd/-
डॉ० अशोक कुमार वर्मा
विशेष सचिव

कार्यालय मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, 30प्र0 लखनऊ
पत्र संख्या : 1995/23-7-1 (सुरहाताल) लखनऊ दिनांक फरवरी 05, 2003

प्रतिलिपि :- प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर एवं राष्ट्रीय चम्बल वन्य जीव प्रभाग, आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Sd/-
मु० अहसन
वन संरक्षक (वन्य जीव)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

वन्य जीव संरक्षण अधिनियम-1972 की धारा-21 के अन्तर्गत उद्घोषणा

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम-1972 की धारा-18 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश द्वारा निम्नलिखित क्षेत्र को वन्य जीव और उनके पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन एवं विकास कार्य के प्रयोजन के लिए पर्याप्त पारिस्थितिक, प्राणिक, वनस्पतीय सू-आकृतिक, प्राकृतिक और प्राणितत्व महत्व को पाते हुए बलिया जिले में "सुरहाताल पक्षी विहार" घोषित किया गया है, जिसकी अधिसूचना उत्तर प्रदेश वन अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-1088 (1)/14-3-19/89, लखनऊ, दिनांक : 27 मार्च 1991, द्वारा निर्गत की जा चुकी है। अधिसूचना संख्या-उत्तर प्रदेश वन अनुभाग - 4 संख्या-2854/चौदह-4-2002-874/2002, लखनऊ, दिनांक : 10.12.2002 द्वारा महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश द्वारा "सुरहाताल पक्षी विहार" का नाम परिवर्तित कर "जय प्रकाश नारायण पक्षी विहार" कर दिया गया। सीमायें निम्न प्रकार हैं -

जिला	जय प्रकाश नारायण पक्षी विहार का क्षेत्र की सीमाएं
बलिया	<p>दक्षिण-पश्चिम :-</p> <p>ग्राम-भीखमपुर के गाटा संख्या-37/2, 37/1, 35, 60, 59, 27, 22, 17, 56, 14, 13, 6 तथा 5 ग्राम भेंदपुर की गाटा संख्या-67, 58, 7, 8, 9, 10, 16, 19, 29, 28, 27, 26, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 46 ग्राम-बसन्तपुर एहतमाली की गाटा संख्या-578, 517, 516, 515/2, 515/1, 514, 513, 512, 511, 510/2, 510/1, 509, 508, 507, 506, 502, 501, 500, 498, 497 (चार भागों में 496, 480, 479, 476, 474, 472, 471, 470, 469, 468, 466, 464, 463, 461, 460, 451, 450, 448, 447, 445, 440, 439, 438, 437, 436, 435, 434, 433, 430, 429, 428, 427, 426, 425, 424, 423, 422, 421, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9/1, 9/2, 9/3, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 25/1, 25/2, 26, 27, 28, 29, ग्राम-बसन्तपुर इलिया की गाटा संख्या-1, 4, 5, 6, 7, 8, ग्राम-बसन्तपुर मुस्तहकम की गाटा संख्या-4160, 4159, 4158, 4157/2, 4157/1, 4156, 4155/2, 4155/1, 4154, 4153/1, 4153/2, 4153/3, 4152, 4150, 4151, 4142, 4139, 4140, 4141, 4144, 4145/1, 4145/2, 4174, 4175, 4180, 4181, 4182, 1982, 1962 एवं 1965।</p> <p>पश्चिम-उत्तर :-</p> <p>ग्राम-विन्दवलिया की गाटा संख्या-1, ग्राम-शिवपुर की गाटा संख्या-744, 443, ग्राम-देलिया की गाटा संख्या-114, 1, 288, 1/5, 229, 1/5/1, 1/5/2, 1/5/3, 1/5/4, 1/5/5, 1/5/6, ग्राम-अख्तियारपुर की गाटा संख्या-44, कैथवली की गाटा संख्या-419, 421, 422, 423, 424, 434, 437, 440, 439, 441, 443, 444, 447, 449, 453, 454, 459, 460, 463, 464, 466, 469, 470, 472।</p> <p>उत्तर-पूर्व :-</p> <p>ग्राम सिधौली की गाटा संख्या-44, 93, 94, 84, 77, 110, 10, 85, 99, 130, 100, 130, 151, 152, 153, 224, 39, 227, 74, 136, ग्राम-जजियापुर की गाटा संख्या-186, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 205, 217, 218, 219, 225, 226, 228, 229, ग्राम-मैरिटार की गाटा संख्या-1314, 1332, 1333, 1336, 1337, 1338, 1389, 1391, 1398, 1422, 1435, 1436, 1458, 1457, 1464, 1463, 1464, 1466, 1467, 1473, 1474, 1476, 1477, 1483, 1484, 1489, 1491, 1631, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1665, 1666, 1668, 1674, 1675, 1678, ग्राम-अनकटपुर की गाटा संख्या-169, ग्राम-राजपुर की गाटा संख्या-304, 305, 307, 308, 309, 310, 311, 312, ग्राम-चवरी की गाटा संख्या-11, ग्राम-बडसरी की गाटा संख्या-117, 118, 130, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 140, ग्राम-लाजीपुर की गाटा संख्या-30, 31, 32, 33, 39, 37, 38, 41, 43, 46, 50, 51, ग्राम-कोलडुमरिया की गाटा संख्या-22, 20, 24, 28, 38, 36, 41, 42, ग्राम-कोलखुर्द की गाटा संख्या-26, 25, 24, 42, 41, 29, 28, 26, 27, 18, 22 व 24।</p> <p>पूर्व-दक्षिण :-</p> <p>ग्राम कुलवरिया की गाटा संख्या-6, 7, 8, 18, 30, 28, 39, 35, 111, 44, 109, 107, 51, 53, 54, 52, 59, ग्राम-गल्हया की गाटा संख्या-163, 82, 81, 80, 49, 52, 50, 47, 45, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 30, ग्राम-डुमरी की गाटा संख्या-39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 125, 126, 10, 11, 15, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 49, 50, 51, 52, 54, 45, 41, 18, 17, 16, 12, 9, 8, 7, 6, 5, 114, 128, 129, 130, 132, 134, 135, 146, 147, 142, 152, 153, 154, 158, 157, 159, 160, 161, 166, 167, 173, 174, 177, 179, 180, 181, 194, 195, 198, 200, 199, ग्राम-सौनपुरा खुर्द की गाटा संख्या-114, 112, 116, 113, 110, 111, 109, 97, 100, 99, 98, 95, 94, 93, 92, 91, 72, 71, 70, 68, 41, 28, 44, 43, 41, 39, 38, 37, ग्राम-सौनपुरा कला की गाटा संख्या-95, 96, 97, 116, 117, 115, 114, 113, 112, 111, 110, 109, 106, 105, 102, 101, 100, 99, 78, 77, 76, 75, ग्राम-सलेमपुर की गाटा संख्या-90, 91, 101, 102, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 125, 126, 133, 134, 135, 139, 140, 141, 142/1, 142/2, 161, 162, 165, 166, 167, 155, 154, ग्राम-परशपुर की गाटा संख्या-35, 36, 54, 55, 53, 52, 51, 50, 49, 48/2, 48/1, 47, 46 व 45।</p>

क्रमशः2

सुरहाताल पक्षी विहार का क्षेत्रफल

जिला	ग्राम	स्वामित्व		कुल क्षेत्रफल (हे० मं)
		निजी भूमि (हे० मं)	ग्राम समाज भूमि (हे० मं)	
				46.87
	सोनपुर कला ✓	46.00	0.87	41.55
	सोनपुर खुर्द ✓	41.00	0.55	177.02
	डुमरी ✓	176.22	0.80	4.07
	अरथि सरथी	4.07	0.00	20.87
	घघरौली	20.07	0.80	35.93
	पखसपुर ✓	32.46	3.47	16.91
	भेंदपुर ✓	16.46	0.45	11.36
	भीखपुर ✓	11.36	0.00	7.89
	वसादेवपुर	0.00	7.89	6.51
	श्रीपुर	0.00	6.51	78.72
	सलेमपुर ✓	78.32	0.40	702.59
	बसन्तपुर एहतमाली ✓	692.59	10.00	44.29
	बसन्तपुर मुस्तकम ✓	44.29	0.00	1087.87
	ताल सुरहा	1006.37	81.50	17.80
	आराजी इंग्लिश बसन्तपुर ✓	17.78	0.02	39.40
	चवरीकरन	39.40	0.00	99.30
	गल्हया ✓	99.30	0.00	75.63
	चवरी ✓	75.63	0.00	16.19
	वमनौली	15.41	0.78	21.31
	फुलवरिया फुलवरिया ✓	21.31	0.00	104.44
	विन्दवलिया ✓	104.41	0.03	153.44
बलिया	ढेलिया ✓	153.44	0.00	12.14
	शिवपुर ✓	12.14	0.00	14.16
	तूर्मपुर	14.03	0.13	18.24
	अख्तियारपुर ✓	16.76	1.48	32.74
	कंधवली ✓	30.05	2.69	6.07
	सिचौली ✓	6.07	0.00	8.09
	गाधौपुर	8.05	0.04	16.49
	जजियापुर ✓	15.28	1.21	52.12
	गडारी पाह	50.43	1.69	14.17
	मैरीटार ✓	14.17	0.00	73.79
	ओझवलिया	70.04	3.75	44.66
	फाफर	42.23	2.43	35.42
	सिरमौर	34.95	0.47	38.72
	अनकटपुर ✓	38.72	0.00	12.61
	राजपुर ✓	12.61	0.00	30.94
	ऊंथी	30.94	0.00	33.07
	बड़सरी ✓	32.75	0.32	7.95
	नरायनपुर	7.75	0.20	17.48
	हथिवदा	15.66	1.82	17.48
	गजियापुर ✓	17.48	0.00	48.39
	कोल डुनरिया ✓	48.39	0.00	45.95
	कोल खुर्द ✓	43.47	2.48	42.29
	साहोडीह	42.29	0.00	3432.93
	योग :-	3300.15	132.78	

(3)

उपरोक्त सीमा के अन्तर्गत फीले क्षेत्रों में यदि कोई व्यक्ति अपने अधिकार एवं स्वत्व का अस्तित्व समझता है तो वह उक्त घोषणा के दो माह के अन्दर अपना दावा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है। दावे में निम्नलिखित बातें आवश्यक रूप में उल्लेख किया जायेगा।

- (क) उसके अधिकार एवं स्वत्व की प्रवृत्ति।
 (ख) सीमा।
 (ग) दावे की राशि।
 (घ) प्रतिकर

कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्तानुसार अपने दावे को प्रस्तुत करे, उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने दावे के साथ आवश्यक विवरण एवं सुस्पष्ट अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करे।

Chhaya
 जिलाधिकारी,
 बलिया।

पत्रांक सं-10/प्रशास/प्र/15-18-T.C-18-12-2006

कार्यालय, जिलाधिकारी, बलिया

दिनांक, बलिया, दिसम्बर, 2006

पत्रांक : /

उक्तदिनांकित।

पत्रांक : /

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

पुलिस अधीक्षक, बलिया।

अपर जिलाधिकारी, (प्रशासन), बलिया को इस आशय से प्रेषित कि समाचार पत्रों में प्रकाशन के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को संकलित कर निस्तारण हेतु परीक्षण कर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी एवं प्रभागीय वनाधिकारी, सामाजिक वानिकी, वन प्रभाग, बलिया।

उप जिलाधिकारी, बलिया/उहसीलदार सदर, जनपद-बलिया को इस आशय से प्रेषित कि नोटिस बोर्ड पर प्रति चस्पा कराये।

जिला सूचना अधिकारी, बलिया को इस आशय से प्रेषित कि इसकी एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें। स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में तत्काल निःशुल्क प्रकाशन कराये जाने का कष्ट करें।

Chhaya
 जिलाधिकारी,
 बलिया।

म.क. / वा.प.हा.

प्रेषक,

संख्या-1677/दो-3-2016-19/3(51)/2006

संजय कुमार सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी
बलिया

जिलाधिकारी,
बलिया।

नियुक्ति अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक : 29 अगस्त, 2016

विषय:- जनपद बलिया में वन बंदोबस्त अधिकारी की तैनाती किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1428/रा0स0, दिनांक 05 जुलाई, 2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा जनपद बलिया में वन बंदोबस्त अधिकारी की तैनाती किए जाने के सम्बन्ध में अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया जनपद बलिया में तैनात डिप्टी कलेक्टरों में से किसी एक डिप्टी कलेक्टर से उनके वर्तमान कार्य के अतिरिक्त वन बंदोबस्त अधिकारी, बलिया का कार्य सम्पादित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजय कुमार सिंह यादव)
विशेष सचिव।

कार्यालय जिलाधिकारी, बलिया

आदेश

विशेष सचिव उ०प्र० शासन के पत्र संख्या 1677/दो-3-2016-19/3(51)/2006 दिनांक 29.08.2016 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में एतद्वारा उप जिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट बॉसडीह को वन बंदोबस्त अधिकारी नामित करते हुये निर्देशित किया जाता है, कि वे उप जिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट बॉसडीह के पदीय दायित्वों के साथ-साथ वन बंदोबस्त अधिकारी बलिया का कार्य भी सम्पादित करेंगे। ~~इसके लिए उनके कोर्ब अधिकार नष्ट (भत्ता देय नहीं) होगा।~~

(भवानी सिंह खंगारौत)
जिलाधिकारी
बलिया

संख्या 553/रा०सहा०

दिनांक: मार्च 20 2018

प्रतिलिपि:-

- 1- प्रमुख सचिव, नियुक्ति उ०प्र० शासन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्तानुसार अनुमोदित करने का कष्ट करे।
- 2- मुख्य वन संरक्षक भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त उ०प्र० लखनऊ।
- 3- पुलिस अधीक्षक बलिया।
- 4- प्रभागीय वनाधिकारी काशी वन्य जीव प्रभाग रामनगर वाराणसी।
- 5- प्रभागीय वनाधिकारी सामाजिक वानिकी वन प्रभाग बलिया।
- 6- अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) बलिया।
- 7- मुख्य राजस्व अधिकारी बलिया।
- 8- उप जिला मजिस्ट्रेट बॉसडीह।
- 9- समस्त उप जिलाधिकारी जनपद बलिया।
- 10- जिला सूचना अधिकारी बलिया।
- 11- आशुलेखक जिलाधिकारी बलिया।

(भवानी सिंह खंगारौत)
जिलाधिकारी
बलिया

लखनऊ

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1172]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 11, 2019/फाल्गुन 20, 1940

No. 1172]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 11, 2019/PHALGUNA 20, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2019

का.आ. 1315(अ).—प्रारूप अधिसूचना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.आ.480 (अ), तारीख 30 जनवरी, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 31 जनवरी, 2018 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, प्रारूप अधिसूचना के उत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई भी आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

और, जय प्रकाश नारायण (सूरहाताल) पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश राज्य में जिला मुख्यालय, बलिया से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। सूरहा ताल झील पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में सबसे बड़ा बाढ़ मैदान झील है। यह गंगा नदी के बाढ़ मैदान में ऑक्स-बाँव झील है, जय प्रकाश नारायण (सूरहाताल) पक्षी अभयारण्य का क्षेत्र 34.329 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है;

और, पक्षी अभयारण्य में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीव जन्तुओं के लिए बहुत अच्छा बास है नेस्टिंग और फीडिंग बास की उपलब्धता के कारण पक्षी अक्सर यहां आते रहते हैं। यह बोसेलैफस ट्रेगोकैमेलस (पलास, 1766), नीलगाय या ब्लू बुल; कैनस यूरियस, एशियाई जैकल; लेपस निग्रिकोलिस, भारतीय खरगोश; मेलिवोरा कैपेंसिस, हनी बेजर; प्राइनायलुरस विवरिनस, फिशिंग कैट; हेर्पेस्टिस एडवाइसी, ग्रे नेवला या सामान्य नेवला; बुलपस बंगालेंसिस बंगाल लोमड़ी; फ्रनामबुलस पेन्नानटी, फाइव-स्ट्रीप्ड पाम गिलहरी; हाइरिट्रिक्स इंडिका, भारतीय क्रास्टेड साही; हरडेला थरजी, क्राउनड नदी कछुए; बेटागुर ढोंगोका, श्री-स्ट्रीप्ड रुफ कछुए; मोरेनिया पेटर्सी, भारतीय आईड कछुए; बेटागुर कचुगा, बंगाल रुफ कछुए या रेड-क्राउनड रुफ कछुए; पंगशुरा स्मिथी, ब्राउन रुफड कछुए; पंगशुरा टेक्टा, भारतीय रुफड कछुए; पंगशुरा टेंटोरिया टेंटोरिया, भारतीय तम्बू कछुए; पंगशुर टेंटोरिया सरकुमडाटा, भारतीय तम्बू कछुए; जिओक्लेमी हैमिल्टोनी, स्पॉटेड तालाब कछुए; मेलानोकेलीस त्रिकारिनाटा, श्री किल्ड लैंड कछुआ; मेलानोसीलीस त्रिजुगा त्रिजुगा, भारतीय काले कछुए; लिसेमीस पंकटाटा

पंकटाटा, दक्षिणी भारतीय फ्लैस्सेल कछुए; लेस्सेमीस पंकटाटा और एंड्रॉसोनी, दक्षिणी भारतीय फ्लैसल कछुए; चित्रा इंडिका, भारतीय नैरो-हेडेड सॉफ्टशेल कछुए; निल्सोनिया गैनेटिका, इंडियन सोफटेल कछुए; निल्सोनिया हरुम, पीकॉक सॉफ्ट-शेल्ड कछुए; पायथन मोलूरस, रॉक पायथन; नाजा नाजा, स्पेक्टेक्लेड कोबरा; वारानस बेंगलेंसिस, बंगाल मॉनिटर; आदि का वास है। पक्षी अभयारण्य पक्षी प्रजातियों की बृहत् संख्या है जैसे एंटीगोन एंटीगोन, सरस क्रेन; बुबुलकस इबिस, कैटल एग्रेट; एग्रेटा गेजेटा, लिटिल एग्रेट; आर्डिया इंटरमीडिया, इंटरमीडिएट एग्रेट; पावो क्रिस्टेटस, पीफ्रोवल; आर्डे सिनेरिया, ग्रे बगुला; कोल्मवा लीविया, रॉक कबूतर; ट्रेरोन फोनीकॉप्टेरा येलो-लेग्ड ग्रीन-कबूतर; एसिडोथेरेस फस्कस, जंगल मैना; एसिडोथेरेस ट्रिस्टिस, सामान्य मैना; एसिडोथेरेस गिंगिनियमियस, बैंक मैना; एसिडोथेरेस फेस्कस, जंगल मैना आदि। अभयारण्य में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों को देखा जाता है जैसे नेट्रा रूफिना, रेड-क्रेस्टेड पोचार्ड; एनास्टोमस ऑसिटान्स, एशियन ओपनबिल-स्टोर्क; काँकोनिया एपिस्कोपस, एशियन वूलीनेक; आर्डे सिनेरिया, ग्रे बगुला; अर्दे पूरपुरेया, बेंगनी बगुला; आर्डेला ग्रेयी, भारतीय तालाब बगुला; नाक्टीकोरेक्स नाक्टीकोरेक्स, ब्लैक क्राउन्ड नाइट बगुला आदि;

और, जय प्रकाश नारायण (सूरहाताल) पक्षी अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएँ इस अधिसूचना के पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, इसलिए, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला बलिया उत्तर प्रदेश राज्य के जय प्रकाश नारायण (सूरहाताल) पक्षी अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 1 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है; जिसके विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमाएं—(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित जय प्रकाश नारायण (सूरहाताल) पक्षी अभयारण्य (25° 50' 31.08" उ अक्षांश 84° 10' 30.75" पू देशांतर) की सीमा से 1 किलोमीटर तक विस्तृत किया गया है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्र 27.00 वर्ग किलोमीटर है।

(2) जय प्रकाश नारायण (सूरहाताल) पक्षी अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण उपाबंध I में दिया गया है।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र उसकी सीमाओं के ब्यौरे तथा अक्षांशों एवं देशांतरों के साथ, उपाबंध-II क, उपाबंध- II ख, उपाबंध- II ग और उपाबंध- II घ के रूप में उपाबंध है।

(4) जय प्रकाश नारायण (सूरहाताल) पक्षी अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू-निर्देशांक उपाबंध III क और उपाबंध ख में दिये गये हैं।

(5) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले पांच ग्रामों की सूची उपाबंध IV के रूप में उपाबंध हैं।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना - (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हैं के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:-

- (i) पर्यावरण,
- (ii) वन और वन्यजीव,

- (iii) कृषि,
- (iv) राजस्व,
- (v) नगर विकास,
- (vi) पर्यटन,
- (vii) ग्रामीण विकास,
- (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण,
- (ix) नगरपालिका,
- (x) पंचायती राज, और
- (xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों का संवर्धन करेगी।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यर्कन करेगी। इस योजना के मानचित्र के साथ विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं का विवरण अनुसमर्थित होगा।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध पैराग्राफ-4 में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों के पारिस्थितिकी अनुकूल विकास के लिए जीवकोपार्जन को सुरक्षित करने के लिए सुनिश्चित किया जा सकेगा।

(8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना की सह विस्तारी होगी।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मॉनीटरी के अपने कार्यों को करने के लिए मॉनीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;
- (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाएं सहायक है जिसमें पारिस्थितिकी पर्यटन में ग्रह वास सम्मिलित है; और

(v) पैराग्राफ 4 के अंतर्गत दिया गया संवर्धित क्रियाकलाप है:

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

(ख) बनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः बनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) प्राकृतिक जल स्रोत.-आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोत की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे।

(3) पर्यटन अथवा पारिस्थितिकी पर्यटन.- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी।

(घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पक्षी अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और अनुज्ञात नहीं होंगे:

तथापि नए, पक्षी अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिसोर्ट का स्थापन केवल पूर्व परिनिश्चित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और निगरानी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंदर किसी नये होटल या सैरगाह या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(4) नैसर्गिक विरासत.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी।

(5) मानव निर्मित विरासत स्थल.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में तैयार की जाएगी।

- (6) **ध्वनि प्रदूषण.**-पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विनियमों को कार्यान्वित करेगा।
- (7) **वायु प्रदूषण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।
- (8) **बहिष्काव का निस्सारण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिष्काव का निस्सारण, साधारणों मानकों के उपबंधों के अनुसार पर्यावरणीय अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।
- (9) **ठोस अपशिष्ट.**- ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-
- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;
- (ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।
- (10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन.**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-
- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के अधीन प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।
- (11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सां.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सां.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (13) **ई-अपशिष्ट.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई-अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (14) **यानीय परिवहन.**- परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा के अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय क्रियाकलापों के अनुपालन को मानीटर करेगी।
- (15) **यानीय प्रदूषण.**- लागू विधियों के अनुसार वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का अनुपालन किया जाएगा और स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।
- (16) **औद्योगिक ईकाइयां.**- (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) फरवरी, 2016 में जब तक कि इस प्रकार अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषण कुटीर उद्योगों की अनुज्ञा दी जाएगी।

(17) पहाड़ी ढलानों को संरक्षण.- पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:-

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण अधिनियम, के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड), 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 के अधीन बनाये गये नियम और अन्य लागू विधियां जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 के 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 के 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 के 53) सम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और बृहत खनिज), पत्थर की खानों और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरूमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालन होगा।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नए उद्योग और उद्योगों में विद्यमान प्रदूषण के विस्तार की अनुज्ञा नहीं होगी: फरवरी, 2016 में जब तक कि इस प्रकार अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषण कुटीर उद्योगों की अनुज्ञा दी जाएगी।
3.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगी।
4.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपचारित बहिर्वाह का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
7.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
8.	ईट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।

ख. विनियमित क्रियाकलाप		
9.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों संबंधी लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और विश्राम स्थलों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के आगे या उसके विस्तार तक, जो भी निकट हो के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर से सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप होगा।
10.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी। गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
11.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होंगे।
12.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकट में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
13.	फर्मों, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और पोल्ट्री फार्मों की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा प्रदान किए गए) होंगे।
14.	सतह और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
15.	खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि कृषि और अन्य उपयोग के लिए।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे और सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से निगरानी की जाएगी।
16.	विद्युत और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबल बिछाना और अन्य बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केबल बिछाए जाने को प्रोत्साहित किया जाएगा)।
17.	पोलिथीन बैगों का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
18.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नवीन सड़कों का संनिर्माण।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ विनियमित होंगे।
19.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।

20.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
21.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
22.	वाणिज्यिक साइन बोर्ड और होर्डिंग्स ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
23.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्वाह का निस्सारण ।	उपचारित जल निकायों में बहिर्वाह के अपशिष्ट जल निस्सारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनःचक्रण और पुनः उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे और अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित बहिर्वाह के पुनर्चक्रण/प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
24.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
25.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
26.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण उपायों नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ किए जाएंगे।
27.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्ध उद्योग, दुग्ध उद्योग, कृषि और मछली पालन ।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।
28.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
29.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
30.	वायु (ध्वनि सहित) और वाहन प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
ग.संबंधित क्रियाकलाप		
31.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और ईंधन का उपयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	वनस्पतिक बाड़ लगाना।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात किया जाएगा ।
36.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	पर्यावरण अनुकूल परिवहन का प्रयोग	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	कौशल विकास ।	
41.	निष्पिकृत भूमि या वन या प्राकृतिक वास का जीर्णोद्धार।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
42.	पर्यावरणीय जागरूकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन मानीटरी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावी मानीटरी पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी प्रभावी के लिए मानीटरी समिति गठित करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी अर्थात्:-

क्र.सं.	मानीटरी समिति का संविधान	पद
1.	जिला मजिस्ट्रेट, बलिया	अध्यक्ष;
2.	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बलिया	सदस्य;
3.	राज्य सरकार द्वारा नामित वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
4.	पीडब्ल्यूडी के कार्यकारी अभियंता, बलिया	सदस्य;
5.	प्रतिष्ठित संस्था या राज्य के विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी का एक विशेषज्ञ	सदस्य;
6.	सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता, बलिया	
7.	जिला कृषि अधिकारी, बलिया	सदस्य;
8.	वन्यजीव वार्डन, काशी वन्यजीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी	सदस्य;
9.	क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला बलिया	सदस्य;
10.	संभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी विभाग, बलिया	सदस्य सचिव।

6. निर्देश-निबंधन:- (1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति के पुनः गठन तक के लिए होगा और बाद में निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संबंधित उद्यान उप वन संरक्षक ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपने क्रियाकलापों की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध V** में संलग्न प्रोफार्मा में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे।

[फा. सं. 25/38/2017-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढकोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध।

संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी संवेदी जोन और संरक्षित क्षेत्र की सीमा का विवरण

जय प्रकाश नारायण (सूरहाताल) पक्षी अभयारण्य से, बलिया पारिस्थितिकी संवेदी जोन के एक किलोमीटर अभयारण्य के चारों ओर के आरंभिक बिंदु है-

उत्तर: पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा कथवली ग्राम के $25^{\circ}52'21.60''$ $84^{\circ}10'05.640$ से आरंभ होती है और उत्तर पूर्व दिशा में जाकर सिद्धौली ग्राम के जीपीएस बिंदु $25^{\circ}52'22.02''$ $84^{\circ}10'44.04$ पर पहुँचती है और इसके बाद रेखा उत्तर-पूर्व दिशा में जाकर जयीयापुरा ग्राम के जीपीएस बिंदु $25^{\circ}51'56.58''$ $84^{\circ}11'11.52$ पर पहुँचती है और पुनः उत्तर-पूर्व दिशा में जाकर मरीतर ग्राम के जीपीएस बिंदु $25^{\circ}51'34.74''$ $84^{\circ}11'48.30$ पर पहुँचती है।


पूर्व: बिंदु के ऊपर से रेखा सिद्धौली अनकंतपुर ग्राम के जीपीएस बिंदु $25^{\circ}51'04.92''$ $84^{\circ}12'18.72$ के साथ दक्षिण की ओर जाती है और राजपुर ग्राम के जीपीएस बिंदु $25^{\circ}50'53.88''$ $84^{\circ}12'31.14$ पर पहुँचती है और फिर रेखा अवनलनाथ ग्राम की उत्तरी एवं पूर्वी सीमा से होते हुए जीपीएस बिंदु $25^{\circ}50'39.72''$ $84^{\circ}12'32.58$ की ओर जाती है। इसके बाद रेखा बदरी ग्राम के जीपीएस बिंदु $25^{\circ}50'23.40''$ $84^{\circ}12'59.88$ के साथ जाती है। इस बिंदु से रेखा नारायणपुर ग्राम की पूर्वी एवं दक्षिणी सीमा के जीपीएस बिंदु $25^{\circ}50'11.30''$ $84^{\circ}12'59.22$ के साथ जाती है।

दक्षिण: बिंदु के ऊपर से सीमा सहोदीह ग्राम के जीपीएस बिंदु $25^{\circ}49'52.26''$ $84^{\circ}12'53.04$ के साथ दक्षिण में जाती है। यह फुलवरिया ग्राम के जीपीएस बिंदु $25^{\circ}49'10.80''$ $84^{\circ}12'27.18$ पर पहुँचती है। इसके बाद सीमा बभानीली, घघरौली, दुमरी, सरायन, सोनपुर कला और सोनपुर खुर्द ग्रामों के जीपीएस बिंदु $25^{\circ}48'32.88''$ $84^{\circ}12'16.56$, $25^{\circ}48'28.26''$ $84^{\circ}11'57.42$, $25^{\circ}48'27.06''$ $84^{\circ}11'47.10$, $25^{\circ}48'24.30''$ $84^{\circ}11'09.54$, $25^{\circ}48'13.98''$ $84^{\circ}10'49.80$, एवं $25^{\circ}48'20.94''$ $84^{\circ}11'02.94$ उ से होते हुए जाती है। इसके बाद सीमा दुबौली ग्राम के जीपीएस बिंदु $25^{\circ}48'27.48''$ $84^{\circ}10'30.24$ के दक्षिण पश्चिम दिशा में जाकर पारसपुर, सलेमपुर, वसदेवपुर, भीमपुर, सररीपुर ग्रामों के जीपीएस बिंदु $25^{\circ}48'44.10''$ $84^{\circ}10'08.76$, $25^{\circ}48'42.00''$ $84^{\circ}10'14.34$, $25^{\circ}48'48.06''$ $84^{\circ}09'45.66$, $25^{\circ}48'32.70''$ $84^{\circ}09'41.82$ तक पहुँचती है।

पश्चिम: बिंदु के ऊपर से सीमा ओझावलिया ग्राम के जीपीएस बिंदु $25^{\circ}48'32.40''$ $84^{\circ}08'48.72$ के दक्षिण पश्चिम दिशा में जाती है और पश्चिम दिशा में जाकर यह बसंतपुर ग्राम के जीपीएस बिंदु $25^{\circ}50'02.34''$ $84^{\circ}07'55.86$ पर पहुँचती है और इसके बाद यह रेखा पश्चिम उत्तर दिशा में जाकर शिवपुर ग्राम के जीपीएस बिंदु $25^{\circ}51'19.20''$ $84^{\circ}08'21.30$ पर पहुँचती है और इसके बाद पुनः पश्चिम-उत्तर दिशा में जाकर सूर्यपुर ग्राम के जीपीएस बिंदु $25^{\circ}51'48.06''$ $84^{\circ}06'07.44$ पर पहुँचती है। इसके बाद यह रेखा देलहुआ ग्राम के जीपीएस बिंदु $25^{\circ}52'13.08''$ $84^{\circ}09'21.90$ के साथ जाती है। इसके बाद अंतर्राज्यीय सीमा के साथ जाकर यह आरंभिक बिंदु तक पहुँचती है।


जय प्रकाश नारायण (सूरहाताल) पक्षी अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल चित्र

Google Image Map of Protected Area & Eco Sensitive Zone Jai Prakash Narayan (Surhatal) Bird Sanctuary, Ballia, Uttar Pradesh



उपाबंध-11ख


भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) टोपोशीट पर जय प्रकाश नारायण (सूरहाताल) पक्षी अभयारण्य, बलिया उत्तर प्रदेश के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध- II ग

मुख्य बिंदुओं और भू-निर्देशांकों के साथ जय प्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

Protected Area & Eco Sensitive Zone Map of Jai Prakash Narayan (Surhatal) Bird Sanctuary, Ballia, Uttar Pradesh




GPS Point Code	Latitude	Longitude									
E1	25° 51' 59.587" N	84° 10' 4.598" E	E7	25° 48' 57.066" N	84° 10' 33.107" E	E12	25° 52' 10.856" N	84° 10' 49.660" E	E17	25° 48' 18.784" N	84° 11' 22.960" E
E2	25° 51' 40.990" N	84° 11' 28.327" E	E8	25° 48' 46.350" N	84° 9' 24.942" E	E13	25° 52' 36.486" N	84° 10' 52.800" E	E18	25° 48' 30.284" N	84° 9' 58.533" E
E3	25° 50' 40.047" N	84° 12' 23.640" E	E9	25° 48' 33.002" N	84° 8' 33.181" E	E14	25° 51' 35.964" N	84° 11' 29.100" E	E19	25° 48' 12.054" N	84° 9' 6.579" E
E4	25° 49' 2.175" N	84° 12' 49.223" E	E10	25° 49' 51.010" N	84° 8' 18.892" E	E15	25° 50' 32.284" N	84° 11' 24.900" E	E20	25° 49' 12.584" N	84° 9' 55.474" E
E5	25° 49' 58.025" N	84° 12' 5.469" E	E11	25° 51' 6.920" N	84° 8' 37.232" E	E16	25° 49' 14.256" N	84° 12' 46.300" E	E21	25° 50' 45.984" N	84° 9' 48.859" E
E6	25° 49' 2.054" N	84° 12' 8.991" E									

Village GPS Code	Village Name	Latitude	Longitude	Village GPS Code	Village Name	Latitude	Longitude	Village GPS Code	Village Name	Latitude	Longitude
a	Ankulpur	25° 57' 7.979" N	84° 12' 18.720" E	k	Choghara	25° 48' 28.209" N	84° 17' 37.419" E	u	Sonyan	25° 48' 24.300" N	84° 11' 9' 539" E
b	Bahamandi	25° 48' 23.879" N	84° 12' 16.560" E	l	Jalyapur	25° 51' 54.581" N	84° 11' 11.519" E	v	Shikpur	25° 51' 19.199" N	84° 9' 21.300" E
c	Badri	25° 50' 23.809" N	84° 12' 50.879" E	m	Kalibaul	25° 52' 21.801" N	84° 10' 56.919" E	w	Richaul	25° 52' 22.019" N	84° 10' 44.040" E
d	Banapur	25° 50' 23.189" N	84° 7' 35.359" E	n	Mastur	25° 51' 34.769" N	84° 17' 48.309" E	x	Sripur	25° 48' 31.099" N	84° 9' 41.821" E
e	Bhikpur	25° 48' 50.769" N	84° 9' 56.079" E	o	Monyapur	25° 50' 11.101" N	84° 12' 49.239" E	y	Soryan	25° 51' 28.069" N	84° 9' 4.441" E
f	Dibna	25° 52' 13.089" N	84° 9' 21.989" E	p	Ohansiya	25° 48' 32.409" N	84° 8' 48.721" E	z	Vaddevpur	25° 48' 48.009" N	84° 9' 45.079" E
g	Dhoyapur	25° 48' 30.040" N	84° 9' 51.299" E	q	Paraspur	25° 48' 44.109" N	84° 10' 8' 769" E	aa	Hanumanpur	25° 48' 5.960" N	84° 8' 21.259" E
h	Dubaul	25° 48' 27.479" N	84° 10' 30.241" E	r	Rajpur	25° 50' 51.589" N	84° 12' 31.149" E	bb	Barkhanda	25° 48' 18.660" N	84° 9' 23.409" E
i	Dumari	25° 48' 27.061" N	84° 11' 47.101" E	s	Sahodh	25° 49' 51.299" N	84° 17' 53.839" E	cc	Panapur	25° 48' 32.182" N	84° 10' 11.139" E
j	Fulwaria	25° 49' 10.801" N	84° 12' 27.189" E	t	Sahyapur	25° 48' 42.001" N	84° 10' 14.549" E	dd	Janipath	25° 49' 40.924" N	84° 13' 14.574" E

उपाबंध- IIघ

अक्षांश और देशांतर और भूमि उपयोग पैटर्न के साथ संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध-III

क : मानचित्र पर दशयि गए संरक्षित क्षेत्र की सीमा के साथ मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

जय प्रकाश नारायण (सूरहाताल) पक्षी अभयारण्य के जीपीएस निर्देशांक		
जीपीएस बिंदु कोड	अक्षांश	देशांतर
एस1	25°51'59.589" उ	84°10'5.598" पू
एस2	25°51'40.396" उ	84°11'28.327" पू
एस3	25°50'49.047" उ	84°12'23.646" पू
एस4	25°50'2.175" उ	84°12'49.223" पू
एस5	25°49'58.023" उ	84°12'5.460" पू
एस6	25°49'2.094" उ	84°12'8.891" पू
एस7	25°48'57.066" उ	84°10'33.107" पू
एस8	25°48'46.350" उ	84°9'24.942" पू
एस9	25°48'33.002" उ	84°8'33.181" पू
एस10	25°49'51.016" उ	84°8'18.892" पू
एस11	25°51'6.926" उ	84°8'37.232" पू

ख : मानचित्र पर दशयि गए संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के साथ मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

पारिस्थितिकी संवेदी जोन के जीपीएस निर्देशांक		
जीपीएस बिंदु कोड	अक्षांश	देशांतर
ई12	25°52'10.825" उ	84°8'49.668" पू
ई13	25°52'26.457" उ	84°10'52.806" पू
ई14	25°51'35.902" उ	84°12'29.113" पू
ई15	25°50'32.274" उ	84°13'24.917" पू
ई16	25°49'14.272" उ	84°12'46.370" पू
ई17	25°48'18.767" उ	84°11'22.596" पू
ई18	25°48'30.299" उ	84°9'58.533" पू
ई19	25°48'12.062" उ	84°9'6.579" पू
ई20	25°49'12.521" उ	84°7'55.474" पू
ई21	25°50'45.905" उ	84°7'48.859" पू

उपाबंध IV

भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

ग्राम जीपीएस कोड	ग्राम के नाम	अक्षांश	देशांतर
क.	अनकंतपुर	25° 51' 7.920" उ	84° 12' 18.720" पू
ख.	बभनौली	25° 48' 32.879" उ	84° 12' 16.560" पू
ग.	बदरी	25° 50' 23.399" उ	84° 12' 59.879" पू
घ.	बसंतपुर	25° 50' 2.339" उ	84° 7' 55.859" पू
ङ.	भीमपुर	25° 48' 50.760" उ	84° 9' 58.079" पू
च.	देलहुआ	25° 52' 13.080" उ	84° 9' 21.899" पू
छ.	धीनपुर	25° 48' 50.040" उ	84° 9' 51.239" पू
ज.	दुबौली	25° 48' 27.479" उ	84° 10' 30.241" पू
झ.	दुमरी	25° 48' 27.061" उ	84° 11' 47.101" पू
ञ.	फुलवरिया	25° 49' 10.801" उ	84° 12' 27.180" पू
ट.	घघरौली	25° 48' 28.260" उ	84° 11' 57.419" पू
ठ.	जजीयापुर	25° 51' 56.581" उ	84° 11' 11.519" पू
ड.	कैथवली	25° 52' 21.601" उ	84° 10' 5.639" पू
ढ.	मरीतर	25° 51' 34.740" उ	84° 11' 48.300" पू
ण.	नारायणपुर	25° 50' 11.101" उ	84° 12' 59.220" पू
त.	ओझवलिया	25° 48' 32.400" उ	84° 8' 48.721" पू
थ.	पारसपुर	25° 48' 44.100" उ	84° 10' 8.760" पू
द.	राजपुर	25° 50' 53.880" उ	84° 12' 31.140" पू
ध.	सहोदीह	25° 49' 52.259" उ	84° 12' 53.039" पू
न.	सलेमपुर	25° 48' 42.001" उ	84° 10' 14.340" पू
प.	सारायन	25° 48' 24.300" उ	84° 11' 9.539" पू
फ.	शिवपुर	25° 51' 19.199" उ	84° 8' 21.300" पू
ब.	सिधौली	25° 52' 22.019" उ	84° 10' 44.040" पू
भ.	सरीपुर	25° 48' 32.699" उ	84° 9' 41.821" पू
म.	सुर्यपुरा	25° 51' 48.060" उ	84° 9' 7.441" पू
य.	वासदेवपुर	25° 48' 48.060" उ	84° 9' 45.659" पू
क1	हनुमानगंज	25° 48' 5.996" उ	84° 8' 21.253" पू
ख1	बरहमाइन	25° 48' 18.666" उ	84° 8' 23.485" पू
ग1	पारसपुर	25° 48' 32.182" उ	84° 10' 11.116" पू
घ1	जैनपथ	25° 49' 49.924" उ	84° 13' 18.574" पू

उपाबंध V

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त: कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबंध करें।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अनुसार। ब्यौरे उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संवेक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संवेक्षा के मामलों का सारांश।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th March, 2019

S.O. 1315(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 480(E), dated the 30th January, 2018, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 31st January, 2018;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, Jai Prakash Narayan (Surahatal) Bird Sanctuary is located about 10 kilometres from the district headquarter Ballia in the State of Uttar Pradesh. Suraha Tal Lake is the largest floodplain lake in Ballia District of Eastern Uttar Pradesh and it is an ox-bow lake in the floodplain of river the Ganga. The Jai Prakash Narayan (Surahatal) Bird Sanctuary is spread over an area of 34.329 square kilometres;

AND WHEREAS, the Bird Sanctuary offers good habitat for a variety of flora and fauna. Various species of birds are known to arrive here frequently due to the availability of nesting and feeding habitats. It is also the habitats of *Boselaphus tragocamelus* (Pallas, 1766), nilgai or blue bull; *Canis aureus*, Asiatic jackal; *Lepus nigricollis*, Indian hare; *Mellivora capensis*, honey badger; *Prionailurus viverrinus*, fishing cat; *Herpestes edwardsii*, grey mongoose or common mongoose; *Vulpes bengalensis* bengal fox; *Funambulus pennantii*, five-striped palm squirrel; *Hystrix indica*, Indian crested porcupine; *Hardella thurjii*, crowned river turtle; *Batagur dhongoka*, three-striped roofed turtle; *Morenia petersi*, Indian eyed turtle; *Batagur kachuga*, bengal roof turtle or red-crowned roofed turtle; *Pangshura smithii*, brown roofed turtle; *Pangshura tecta*, Indian roofed turtle; *Pangshura tentoria tentoria*, Indian tent turtle; *Pangshura tentoria circumdata*, Indian tent turtle; *Geoclemys hamiltonii*, spotted pond turtle; *Melanochelys tricarinata*, three keeled land tortoise; *Melanochelys trijuga trijuga*, Indian black turtle; *Lissemys punctata punctata*, southern Indian flapshell turtle; *Lissemys punctata andersonii*, southern Indian flapshell turtle; *Chitra indica*, Indian narrow-headed softshell turtle; *Nilssonina gangetica*, Indian softshell Turtle; *Nilssonina hurum*, peacock soft-shelled turtle; *Python molurus*, rock python; *Naja naja*, spectacled cobra; *Varanus bengalensis*, bengal monitor; etc. The Bird

Sanctuary is also rich in large number bird species such as *Antigone antigone*, sarus crane; *Bubulcus ibis*, cattle egret; *Egretta garzetta*, little egret; *Ardea intermedia*, intermediate egret; *Pavo cristatus*, peafowl; *Ardea cinerea*, grey heron; *Columba livia*, rock pigeon; *Treron phoenicoptera* yellow-legged green-pigeon; *Acridotheres fuscus*, jungle myna; *Acridotheres tristis*, common myna; *Acridotheres ginginianus*, bank myna; *Acridotheres fuscus*, jungle myna etc. The Sanctuary is also visited by large number of migratory species of birds such as *Netta rufina*, red-crested pochard; *Anastomus oscitans*, asian openbill-stork; *Ciconia episcopus*, Asian woollyneck; *Ardea cinerea*, grey heron; *Ardea purpurea*, purple heron; *Ardeola grayii*, Indian pond heron; *Nycticorax nycticorax*, black-crowned night heron, etc.;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Jai Prakash Narayan (Surahatal) Bird Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent of one kilometre uniform around the boundary of Jai Prakash Narayan (Surahatal) Bird Sanctuary, in Ballia district of Uttar Pradesh as Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.**- (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of one kilometre uniform around the boundary of Jai Prakash Narayan (Surahatal) Bird Sanctuary (25° 50' 31.08" N Latitude 84° 10' 30.75" E Longitude) situated in the Ballia district of Uttar Pradesh. The area of the Eco-sensitive Zone is 27.00 square kilometres.
 - (2) The boundary description of Jai Prakash Narayan (Surahatal) Bird Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is given in Annexure-I.
 - (3) The maps of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as Annexure-IIA, Annexure-IIB, Annexure-IIC and Annexure-IID.
 - (4) The geo-coordinates of Jai Prakash Narayan (Surahatal) Bird Sanctuary and its Eco-sensitive zone are given in Annexure III-A and Annexure III-B.
 - (5) The list of villages falling within the Eco-sensitive Zone is appended as Annexure-IV.
2. **Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.**- (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the Competent authority of State.
 - (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
 - (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-
 - (i) Environment,
 - (ii) Forest and Wildlife,
 - (iii) Agriculture,
 - (iv) Revenue,
 - (v) Urban Development,
 - (vi) Tourism,
 - (vii) Rural Development,
 - (viii) Irrigation and Flood Control,
 - (ix) Municipal,

- (x) Panchayati Raj, and
 (xi) Public Works Department,
- (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.
- (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.
- (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
- (9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.
- 3. Measures to be taken by the State Government.-**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

- (1) **Land use:-** (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
 (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
 (iii) small scale industries not causing pollution;
 (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
 (v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

- (b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.
- (2) **Natural water bodies.**-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.
- (3) **Tourism or Eco-tourism.**- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.
- (b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.
- (c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.
- (d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-
- (i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:
- Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;
- (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;
- (iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.
- (4) **Natural heritage.**- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
- (5) **Man-made heritage sites.**- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution.** -Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.
- (7) **Air pollution.**- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.
- (8) **Discharge of effluents.**- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.
- (9) **Solid wastes.**-Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-
- (a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India

in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-Medical Waste.— Bio Medical Waste Management shall be as under:-

(a) The Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) Safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.— The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) Construction and demolition waste management.— The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.— The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.— The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.— Prevention and control of vehicular pollution shall be in compliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.— (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.— The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) Construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.— All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
A. Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4 th August 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21 st April 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
4.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
7.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
8.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
B. Regulated Activities		
9.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
10.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents.

		<p>Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.</p> <p>(b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.</p>
11.	Felling of trees.	<p>(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government.</p> <p>(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.</p>
12.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
13.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
14.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
15.	Open well, bore well etc. for agriculture or other usage.	Regulated under applicable laws; the activity shall be monitored by the concerned authority.
16.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
17.	Use of polythene bags.	Use of polythene bags are permitted within the Eco sensitive Zone: Provided that based on specific requirement, it shall be regulated as per the applicable laws.
18.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
20.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
21.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
22.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
23.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
24.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air	Regulated as per the applicable laws.

	balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	
26.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
27.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
28.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
30.	Air (including noise) and vehicular pollution.	Regulated under the applicable laws.
C. Promoted Activities		
31.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
32.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
34.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
35.	Vegetative fencing.	Permitted under the applicable laws.
36.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
37.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
38.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
39.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
40.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
41.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
42.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.- For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

SN	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
1.	District Magistrate, Ballia	Chairman, ex officio
2.	Superintendent of Police/ Senior Superintendent of Police, Ballia	Member;
3.	A representative of Non-governmental Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by the State Government	Member;
4.	Executive Engineer of PWD, Ballia	Member;
5.	One expert in Ecology from reputed institution or university of the State	Member;
6.	Executive Engineer of Irrigation Department, Ballia	Member;
7.	District Agriculture Officer, Ballia	Member;

8.	Wildlife Warden, Kashi Wildlife Divison, Ramnagar, Varanasi	Member;
9.	Regional Officer, Uttar Pradesh State Pollution Control Board, District Ballia	Member;
10.	Divisional Director, Social Forestry Division, Ballia	Member-Secretary.

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at Annexure V.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/38/2017-ESZ]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF THE PROTECTED AREA AND ECO-SENSITIVE ZONE OF THE PROTECTED AREA

For Jai Prakash Narayan (Surhatal) Bird Sanctuary, Ballia Eco-sensitive Zone of 1 kilometre uniform has been proposed all around the sanctuary the starting point-

North: The Boundary of eco-sensitive zone starts at N 25°52'21.60" E 84°10'05.640 on Kathwali village and runs on north-east direction till it reaches the village Sidhauri at the Global Positioning System (GPS) point N 25°52'22.02 E 84°10'44.04 and further the line runs on north-east direction till it reaches the village Jayiyapura at the GPS point N 25°51'56.58 E 84°11'11.52 and further continues runs on north-east direction till it reaches the village Maritar at the GPS point N 25°51'34.74 E 84°11'48.30.

East: From the above point the lines runs southwards along the village Sidhauri Ankantpur at the GPS point N 25°51'04.92 E 84°12'18.72 till it reaches the point of the village Rajpur at the GPS point N 25°50'53.88 E 84°12'31.14 and further the lines runs on northern and eastern boundary of Awan Nath village through the GPS point N 25°50'39.72 E 84°12'32.58. Then lines runs along with village Badari at the GPS point N 25°50'23.40 E 84°12'59.88. From this point the lines runs along the eastern and southern boundary of the village Narayanpur at the GPS point N 25°50'11.30 E 84°12'59.22.


South: From the above point the boundary runs south along the village Sahodihat the GPS point N 25°49'52.26 E 84°12'53.04 till it reaches the point of the village Fulwaria at the GPS point N 25°49'10.80 E 84°12'27.18. Further boundary runs through the villages Babhanauli, Ghagharauli, Dumari, Sarayan, Sonpur Kala and Sonpur Khurd the GPS point N 25°48'32.88 E 84°12'16.56, N 25°48'28.26 E 84°11'57.42, N 25°48'27.06 E 84°11'47.10, N 25°48'24.30 E 84°11'09.54, N 25°48'13.98 E 84°10'49.80, and N 25°48'20.94 E 84°11'02.94. Then further boundary runs Southwest direction of the village Dubauli at the GPS point N 25°48'27.48 E 84°10'30.24 till it reaches the point of the village Paraspur, Salempur, Vasdevpur, Bhimpur, Sripur respective the GPS point N 25°48'44.10 E 84°10'08.76, N 25°48'42.00 E 84°10'14.34, N 25°48'48.06 E 84°09'45.66, N 25°48'32.70 E 84°09'41.82.

West: From the above point the boundary runs South-west direction at village Ojhawaliya at the GPS point N 25°48'32.40 E 84°08'48.72 and runs on West direction till it reaches the village Basantpur at the GPS point N 25°50'02.34 E 84°07'55.86 and further the line runs on West-North direction till it reaches the village Shivepur at the GPS point N 25°51'19.20 E 84°08'21.30 and further continues runs on West-North direction till it reaches the village Suryapura at the GPS point N 25°51'48.06 E 84°06'07.44. Then lines run along with village Delhuua at the GPS point N 25°52'13.08 E 84°09'21.90. Then, runs all along the interstate boundary till it reaches the starting point.

ANNEXURE-IIA


GOOGLE IMAGE OF JAI PRAKASH NARAYAN (SURHATAL) BIRD SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE

Google Image Map of Protected Area & Eco Sensitive Zone Jai Prakash Narayan (Surhatal) Bird Sanctuary, Ballia, Uttar Pradesh



ANNEXURE-IIB


MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE JAI PRAKASH NARAYAN (SURHATAL) BIRD SANCTUARY, BALLIA UTTAR PRADESH ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET



ANNEXURE- IIC


MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF JAI PRAKASH NARAYAN BIRD SANCTUARY ALONG WITH PROMINENT POINTS AND GEO-COORDINATES

Protected Area & Eco Sensitive Zone Map of Jai Prakash Narayan (Surhatal) Bird Sanctuary, Ballia, Uttar Pradesh



ANNEXURE- IHD

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE PROTECTED AREA ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE AND LAND USE PATTERN



ANNEXURE-III

A: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS ALONG THE BOUNDARY OF THE PROTECTED AREA SHOWN ON MAP

GPS Coordinates of Jai Prakash Narayan (Surhatal) Bird Sanctuary		
GPS Point Code	Latitude	Longitude
S1	25°51'59.589" N	84°10'5.598" E
S2	25°51'40.396" N	84°11'28.327" E
S3	25°50'49.047" N	84°12'23.646" E
S4	25°50'2.175" N	84°12'49.223" E
S5	25°49'58.023" N	84°12'5.460" E
S6	25°49'2.094" N	84°12'8.891" E
S7	25°48'57.066" N	84°10'33.107" E
S8	25°48'46.350" N	84°9'24.942" E
S9	25°48'33.002" N	84°8'33.181" E
S10	25°49'51.016" N	84°8'18.892" E
S11	25°51'6.926" N	84°8'37.232" E

B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS ALONG THE BOUNDARY OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE PROTECTED AREA SHOWN ON MAP

GPS Coordinates of Eco Sensitive Zone		
GPS Point Code	Latitude	Longitude
E12	25°52'10.825" N	84°8'49.668" E
E13	25°52'26.457" N	84°10'52.806" E
E14	25°51'35.902" N	84°12'29.113" E
E15	25°50'32.274" N	84°13'24.917" E
E16	25°49'14.272" N	84°12'46.370" E
E17	25°48'18.767" N	84°11'22.596" E
E18	25°48'30.299" N	84°9'58.533" E
E19	25°48'12.062" N	84°9'6.579" E
E20	25°49'12.521" N	84°7'55.474" E
E21	25°50'45.905" N	84°7'48.859" E

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGES FALLING WITHIN THE ECO-SENSITIVE ZONE ALONG WITH GEO-COORDINATES

Village GPS Code	Village Name	Latitude	Longitude
a.	Ankantpur	25° 51' 7.920" N	84° 12' 18.720" E
b.	Babhanauli	25° 48' 32.879" N	84° 12' 16.560" E
c.	Badari	25° 50' 23.399" N	84° 12' 59.879" E
d.	Basantpur	25°50' 2.339" N	84° 7' 55.859" E
e.	Bhimpur	25° 48' 50.760" N	84° 9' 58.079" E
f.	Delhuua	25° 52' 13.080" N	84° 9' 21.899" E
g.	Dhyinpur	25° 48' 50.040" N	84° 9' 51.239" E
h.	Dubauli	25° 48' 27.479" N	84° 10' 30.241" E
i.	Dumari	25° 48' 27.061" N	84° 11' 47.101" E
j.	Fulwaria	25° 49' 10.801" N	84° 12' 27.180" E
k.	Ghagharauli	25° 48' 28.260" N	84° 11' 57.419" E
l.	Jajiyapur	25° 51' 56.581" N	84° 11' 11.519" E
m.	Kaithwali	25° 52' 21.601" N	84° 10' 5.639" E
n.	Maritar	25° 51' 34.740" N	84° 11' 48.300" E
o.	Narayanpur	25° 50' 11.101" N	84° 12' 59.220" E
p.	Ojhawaliya	25° 48' 32.400" N	84° 8' 48.721" E
q.	Paraspur	25° 48' 44.100" N	84° 10' 8.760" E
r.	Rajpur	25° 50' 53.880" N	84° 12' 31.140" E
s.	Sahodih	25° 49' 52.259" N	84° 12' 53.039" E
t.	Salempur	25° 48' 42.001" N	84° 10' 14.340" E
u.	Sarayan	25° 48' 24.300" N	84° 11' 9.539" E
v.	Shivpur	25° 51' 19.199" N	84° 8' 21.300" E
w.	Sidhauri	25° 52' 22.019" N	84° 10' 44.040" E
x.	Sripur	25° 48' 32.699" N	84° 9' 41.821" E
y.	Suryapura	25° 51' 48.060" N	84° 9' 7.441" E
z.	Vasdevpur	25° 48' 48.060" N	84° 9' 45.659" E
a1	Hanumanganj	25° 48' 5.996" N	84° 8' 21.253" E
b1	Barhmain	25° 48' 18.666" N	84° 8' 23.485" E
c1	Paraspur	25° 48' 32.182" N	84° 10' 11.116" E
d1	Jainhpath	25° 49' 49.924" N	84° 13' 18.574" E

ANNEXURE -V**Performa of Action Taken Report:**

1. Number and date of meetings
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure)
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

GPS Coordinates of Prominent Points of Jai Prakash Narayan (Surhatal) Bird Sanctuary and Its Eco-Sensitive Zone, Ballia, Uttar Pradesh					
GPS Coordinates of Jai Prakash Narayan (Surhatal) Bird Sanctuary			GPS Coordinates of Eco Sensitive Zone		
GPS Point Code	Latitude	Longitude	GPS Point Code	Latitude	Longitude
S1	25° 51' 59.589" N	84° 10' 4.598" E	E12	25° 52' 10.825" N	84° 8' 49.668" E
S2	25° 51' 40.396" N	84° 11' 28.327" E	E13	25° 52' 26.457" N	84° 10' 52.806" E
S3	25° 50' 49.047" N	84° 12' 23.646" E	E14	25° 51' 35.902" N	84° 12' 29.113" E
S4	25° 50' 2.175" N	84° 12' 49.223" E	E15	25° 50' 32.274" N	84° 13' 24.917" E
S5	25° 49' 58.023" N	84° 12' 5.460" E	E16	25° 49' 14.272" N	84° 12' 46.370" E
S6	25° 49' 2.094" N	84° 12' 8.891" E	E17	25° 48' 18.767" N	84° 11' 22.596" E
S7	25° 48' 57.066" N	84° 10' 33.107" E	E18	25° 48' 30.299" N	84° 9' 58.533" E
S8	25° 48' 46.350" N	84° 9' 24.942" E	E19	25° 48' 12.062" N	84° 9' 6.579" E
S9	25° 48' 33.002" N	84° 8' 33.181" E	E20	25° 49' 12.521" N	84° 7' 55.474" E
S10	25° 49' 51.016" N	84° 8' 18.892" E	E21	25° 50' 45.905" N	84° 7' 48.859" E
S11	25° 51' 6.926" N	84° 8' 37.232" E			

जिलाधिकारी, बलिया की अध्यक्षता में पारिस्थितिकी संवेदी जोन
निगरानी समिति, बलिया की बैठक दिनांक 26.11.2020 का कार्यवृत्त

बैठक में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे -

1. श्री श्रीहरि प्रताप शाही, जिलाधिकारी, बलिया।
2. श्री महाबीर कौजालकी, प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्यजीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी।
3. श्रीमती श्रद्धा यादव, प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बलिया।
4. श्री विपिन कुमार जैन, मुख्य विकास अधिकारी, बलिया।
5. श्री दिनेश सिंह, वन्यजीव वार्डन, काशी वन्यजीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी।
6. प्रो० श्री अनिल कुमार द्विवेदी, पारिस्थितिकी विशेषज्ञ, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
7. श्री सी०बी०पटेल, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, बलिया।
8. श्री एस०बी०मिश्रा, सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, बलिया।
9. श्री शोक विमोचन त्रिपाठी, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया के प्रतिनिधि।
10. श्री धनराज यादव, बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, बलिया।
11. श्री शैलेश कुमार, सिंचाई विभाग, बलिया।
12. कुमारी प्रत्यक्षा, वेस इंडिया, वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि।

कलेक्ट्रेट सभागार, बलिया में उपस्थित अधिकारीगणों के समक्ष प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बलिया एवं प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्यजीव प्रभाग, रामनगर द्वारा जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार के परिक्षेत्र एवं विस्तार के सम्बन्ध में अवगत कराया गया।

जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल), पक्षी विहार के संवर्धन एवं पक्षी विहार क्षेत्र में आने वाले देशी व विदेशी पक्षियों के लिए उपयुक्त वातावरण तथा ईको पर्यटन के विकास हेतु पक्षी विहार क्षेत्र में प्रचूर मात्रा में फँले हुए जलकुम्भी की सफाई एवं सिल्ट की सफाई हेतु वन विभाग द्वारा उपलब्ध बजट की कमी होने की स्थिति में मनरेगा योजना से कार्य कराने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी द्वारा यथाशीघ्र प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत करने हेतु जिलाधिकारी, बलिया महोदय द्वारा अपेक्षा की गयी। यह कार्य निम्न प्रकार टीम के निर्देशन में किया जायेगा।

(2)

- अध्यक्ष
1. मुख्य विकास अधिकारी, बलिया
 2. प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्यजीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी द्वारा नामित सदस्य।
 3. प्रभागीय वनाधिकारी, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, बलिया द्वारा नामित सदस्य।
 4. खण्ड विकास अधिकारी, हनुमानगंज, बेरुआरबारी, बांसडीह एवं दुबहड़।

(कार्यवाही प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी)

जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पंक्षी विहार, बलिया की विज्ञप्ति 27 मार्च, 1991 को विज्ञापित हुआ था, जिसका क्षेत्रफल 3432.93 है० है। 08 मार्च, 2019 को भारत सरकार द्वारा पंक्षी विहार की सीमा से 01.00 किमी० की परिधि में स्थित क्षेत्र को ईको सेन्सिटिव जोन के रूप में विज्ञापित किया गया है। जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पंक्षी विहार, बलिया पंक्षी विहार की सीमा का निर्धारण अभी तक नहीं किया जा सका है, जिससे पंक्षी विहार की वास्तविक स्थिति एवं ईको सेन्सिटिव जोन के वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं है। जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पंक्षी विहार, बलिया के सर्वे एवं सीमांकन हेतु निम्न प्रकार टीम का गठन किया जाता है -

- | | | |
|----|--|-----------|
| | 1. अपर जिलाधिकारी, बलिया | — अध्यक्ष |
| 2. | उपजिलाधिकारी, बांसडीह/वन बन्दोवस्त अधिकारी | — सदस्य |
| 3. | तहसीलदार, बलिया एवं बांसडीह | — सदस्य |
| 4. | प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्यजीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी द्वारा नामित सदस्य। | |
| 5. | प्रभागीय वनाधिकारी, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, बलिया द्वारा नामित सदस्य। | |

जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पंक्षी विहार, बलिया के सर्वे एवं सीमांकन के उपरान्त जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पंक्षी विहार, बलिया के सीमा पर सीमा को प्रदर्शित करते हुए स्थायी पीलर लगवाये जायेगे। इस कार्य हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी आवश्यक बजट की माँग अपने विभाग से करना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही वन विभाग एवं राजस्व विभाग)

जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय के अन्तर्गत 1637 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में महिला छात्रावास का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। इस कार्य में बाधक वृक्षों का पातन भी किया जाना है। जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय का परिसर जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पंक्षी विहार, बलिया से सटा हुआ है। यह क्षेत्र ग्राम-बसन्तपुर के अन्तर्गत पड़ता है। वर्तमान समय में ग्राम-बसन्तपुर चकबन्दी प्रक्रिया के अधीन है। वर्तमान में यह स्पष्ट नहीं है कि प्रस्तावित महिला छात्रावास स्थल जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पंक्षी विहार, बलिया के विज्ञापित क्षेत्र में है, अथवा ईको-सेन्सिटिव जोन की परिधि सीमा के

(3)
अन्तर्गत है। ऐसी स्थिति में मौके की पैमाइश एवं चिन्हीकरण हेतु निम्नानुसार टीम का गठन किया जाता है -

1. उप प्रभागीय वनाधिकारी, बलिया - अध्यक्ष
 2. तहसीलदार, बलिया एवं बाँसडीह - सदस्य
 3. उपसंचालक चकबन्दी, बलिया - सदस्य
 4. प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्यजीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी द्वारा नामित सदस्य।
 5. क्षेत्रीय वन अधिकारी, बलिया - सदस्य
- टीम द्वारा एक सप्ताह के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही कर स्थिति स्पष्ट किया जायेगा।

(कार्यवाही वन विभाग, चकबन्दी विभाग एवं राजस्व विभाग)

प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी द्वारा अवगत कराया गया कि जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल), पंक्षी विहार, बलिया के नाम विज्ञापित भूमि, क्षेत्रफल-3432.93 हे० में 132.07 हे० भूमि विभिन्न ग्राम समाओं की ग्राम समाज भूमि निहित है। यह क्षेत्र तहसील-बलिया एवं बाँसडीह के अन्तर्गत है। अधिसूचित ग्राम समाज भूमि का अमलदरामद जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल), पंक्षी विहार, के नाम यथाशीघ्र कराये जाने हेतु उप जिलाधिकारी, बलिया एवं बाँसडीह से अपेक्षा की गयी।

(कार्यवाही उप जिलाधिकारी, बलिया एवं बाँसडीह)

जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल), पंक्षी विहार, बलिया के नाम अधिसूचित 3432.93 हे० क्षेत्रफल में 44 ग्राम समाओं में निहित 3300.15 हे० भूमि निजी काश्तकारों की है। शासन द्वारा उप जिलाधिकारी, बाँसडीह को वन बन्दोबस्त अधिकारी नियुक्त किया गया है। बन्दोबस्ती की कार्यवाही अत्यन्त धीमी होने के कारण अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी है। जिलाधिकारी महोदय, बलिया द्वारा अपेक्षा की गयी कि वन बन्दोबस्त अधिकारी उप जिलाधिकारी, बाँसडीह एवं वन विभाग बन्दोबस्ती की कार्यवाही में तेजी लावें।

(कार्यवाही प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी एवं उप जिलाधिकारी, बाँसडीह)

(श्रीहरि प्रताप शाही),
जिलाधिकारी,
बलिया।

कार्यालय जिलाधिकारी, बलिया

पत्रांक 1945 / (कार्यवृत्त), दिनांक, बलिया, 04-01-2021

पु०सं०

/दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- कुलपति, चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।
- 2- पुलिस अधीक्षक, बलिया।
- 3- Dr. Rajesh Kumar Srivastava, Director, Vikas Evam Shikshan Samiti (VESS India) D-59/314, A-4, Shivpurwa, Mahmoorganj, Varanasi-221010.
- 4- अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड, बलिया।
- 5- अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, बलिया।
- 6- Shri Anil Kumar Dwivedi, Professor, Pollution & Environment, Assay Research Laboratory (PEARL) Department of Botany, Deen Dayal Upadhaya University, Gorakhpur.
- 7- अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, बलिया।
- 8- जिला कृषि अधिकारी, बलिया।
- 9- श्री दिनेश सिंह, उप प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्यजीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी।
- 10- क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़।
- 11- प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्यजीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी।
- 12- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बलिया / सदस्य सचिव, इको सेन्सिटिव जोन मानिट्रिंग कमेटी, बलिया।
- 13- मुख्य विकास अधिकारी, बलिया।
- 14- बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी बलिया।

(श्रीहरि प्रताप शाही),
जिलाधिकारी,
बलिया

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी

पत्रांक : 2743 / 31, / 2024-25, दिनांक, जनवरी 2, 2025

सेवा में,

उप जिलाधिकारी/वन बन्दोबस्त अधिकारी,
बांसडीह, बलिया।

विषय : जय प्रकाश नारायण पक्षी विहार (सुरहाताल) जनपद बलिया को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा-26 ए के अन्तर्गत विज्ञापित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उक्त विषयक प्रकरण के क्रम में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-1088(1)/14-3-19/89, वन अनुभाग-3, दिनांक 27.03.1991 द्वारा सुरहाताल पक्षी विहार घोषित किया गया था, जिसे पुनः अधिसूचना संख्या-2854/चौदह-4-2002-874/2002, दिनांक 10.12.2002 द्वारा सुरहाताल पक्षी विहार का नाम परिवर्तित कर जय प्रकाश नारायण सुरहाताल पक्षी विहार कर दिया गया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (यथासंशोधित) की धारा-21 के अन्तर्गत जिलाधिकारी, बलिया द्वारा अपने पत्रांक-10/काशी प्र०/15-1/टी०सी०, दिनांक 18.12.2006 द्वारा पक्षी विहार की सीमा के अन्तर्गत फैले क्षेत्र में स्थित व्यक्तियों को अपने अधिकार एवं स्वत्व की प्रवृत्ति हेतु दावे प्रस्तुत करने हेतु विज्ञापित जारी की गयी। पुनः विशेष सचिव उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-1677/2-3-2016-19/3 (51)/2006, दिनांक 29.08.2016 के आदेश के क्रम में जिलाधिकारी बलिया द्वारा अपने पत्र संख्या-5573/रा०सहा०, दिनांक 20.03.2018 द्वारा आपको वन बन्दोबस्त अधिकारी नियुक्त किया गया। जिस क्रम में आपको पक्षी विहार क्षेत्र में स्थित स्थानीय कृषकों/सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं एवं विभिन्न ग्रामों के ग्राम प्रधानों द्वारा प्रस्तुत दावों पर सुनवाई की जानी थी। उक्त के क्रम में दावे प्रस्तुत करने हेतु प्रचार-प्रसार किया गया, जिसके उपरान्त स्थानीय कृषकों एवं ग्राम प्रधानों द्वारा अपने दावे प्रस्तुत किये गये। प्रस्तुत दावों के निस्तारण हेतु जिलाधिकारी बलिया के पत्रांक-1945/कार्यवृत्त, दिनांक 04.01.2021 द्वारा राजस्व विभाग/चकबन्दी विभाग एवं वन विभाग की संयुक्त टीम का गठन किया गया, जो प्राप्त दावों के निस्तारण हेतु भौतिक सत्यापन कर संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी को उपलब्ध करायेगी। संयुक्त टीम द्वारा संयुक्त आख्या रिपोर्ट इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी, जिनकी भली-भांती समीक्षा के उपरान्त संयुक्त आख्या रिपोर्ट को स्वीकृत करते हुये, जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार की सीमा तथा क्षेत्र को संशोधित करने हेतु आपके कार्यालय को प्रस्ताव प्रेषित किये गये। प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर कृषकों/ग्राम प्रधानों के द्वारा उपलब्ध कराये गये दावों के निस्तारण आदेश आप द्वारा पारित कर दिये गये हैं। उपरोक्त कार्यवाहियों के उपरान्त पक्षी विहार के संशोधित क्षेत्र में 1821.81 हे० भूमि है, जिसमें स्थानीय किसानों की निजी भूमि 1724.21 हे० तथा ग्राम समाज की भूमि 97.60 हे० है, जिसका वन संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा-26ए के अन्तर्गत घोषणा कराये जाने हेतु उक्त क्षेत्रों का मानचित्र तैयार किया जाना अतिआवश्यक है। जिसके उपरान्त ही वन संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा-26ए के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रेषित किया जा सकेगा।

अतः उपरोक्त के क्रम में संशोधित क्षेत्र अन्तर्गत आने वाली स्थानीय किसानों की निजी भूमि एवं ग्राम समाज की भूमि का गाटावार विवरण तथा धारा-26ए के उद्घोषणा का प्रस्ताव संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि संशोधित क्षेत्र का मानचित्र तैयार करने हेतु आप अपने स्तर से सम्बन्धित क्षेत्र के लेखपाल एवं वन विभाग की तरफ से परियोजना अधिकारी, कछुआ पुनर्वास केन्द्र, सारनाथ, वाराणसी, क्षेत्रीय वन अधिकारी, कछुआ पुनर्वास केन्द्र एवं स्थानीय कर्मचारी की संयुक्त टीम का गठन करने का कष्ट करें, जिससे कि वन संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा-26ए के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रेषित किया जा सके।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,

काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर,
वाराणसी।

पत्रांक : 2743 / उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी, बलिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि मुख्य विकास अधिकारी, बलिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि उप जिलाधिकारी, (वि०रा०), बलिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि परियोजना अधिकारी, कछुआ पुनर्वास केन्द्र, सारनाथ, वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी, कछुआ पुनर्वास केन्द्र सारनाथ, वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,

काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर,
वाराणसी।

**वन्य जीव संरक्षण अधिनियम-1972 की धारा-26 ए के अन्तर्गत
घोषणा**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम - 1972 (यथा संशोधित) की धारा-18 की उपधारा-1 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश द्वारा अधिसूचना संख्या-1088 (1)/14-3-19/89, वन अनुभाग-3, दिनांक 27.03.1991 द्वारा वन्य जीवों और उनके पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन एवं विकास के प्रयोजन के लिए पर्याप्त पारिस्थितिक, प्राणीजात, वनस्पतीय भू-आकृतिक, प्राकृतिक और प्राणीतत्व महत्व को पाते हुए बलिया जिले के अन्तर्गत "सुरहाताल पक्षी विहार" घोषित किया गया था, जिसका कुल क्षेत्रफल-3432.93 है० (34.3293 वर्ग किमी०) था।

पुनः अधिसूचना संख्या-उत्तर प्रदेश वन अनुभाग-4 संख्या-2854/चौदह-4-2002- 874/2002 लखनऊ, दिनांक 10.12.2002 द्वारा महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश द्वारा सुरहाताल पक्षी विहार का नाम परिवर्तित कर "जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार" कर दिया गया। पक्षी विहार की सीमायें निम्न प्रकार प्रस्तावित की गयी थीं -

जिला	जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार की सीमायें :
बलिया	<p>दक्षिण-पश्चिम -</p> <p>ग्राम भीखमपुर की गाटा संख्या-37/2, 37/1, 35, 60, 59, 27, 22, 17, 56, 14, 13, 6 तथा 5 ग्राम भेदपुर की गाटा संख्या 67, 58, 7, 8, 9, 10, 16, 19, 29, 28, 27, 26, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 46, ग्राम बसन्तपुर एहतमाली की गाटा संख्या-578, 517, 516, 515/2, 515/1, 514, 513, 512, 511, 510/2, 510/1, 509, 508, 507, 506, 502, 501, 500, 498, 497 (चार भागों में) 496, 480, 479, 476, 474, 472, 471, 470, 469, 468, 466, 464, 463, 461, 460, 451, 450, 448, 447, 445, 440, 439, 438, 437, 436, 435, 434, 433, 430, 429, 428, 427, 426, 425, 424, 423, 422, 421, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9/1, 9/2, 9/3, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 25/1, 25/2, 26, 27, 28, 29, ग्राम व बसन्तपुर इंग्लिश की गाटा संख्या-1, 4, 5, 6, 7, 8 ग्राम बसन्तपुर मुस्तहकम की गाटा सं० -1, 4, 5, 6, 7, 8 ग्राम बसन्तपुर मुस्तहकम की गाटा सं० 4160, 4159, 4158, 4157/2, 4157/1, 4156, 4155/2, 4155/1, 4154, 4153/1, 4153/2, 4153/3, 4152, 4150, 4151, 4142, 4139, 4140, 4141, 4144, 4145/1, 4145/2, 4174, 4175, 4180, 4181, 4182, 1982, 1962, 1965</p>
बलिया	<p>पश्चिम-उत्तर -</p> <p>ग्राम विन्दवलिया की गाटा संख्या-1, ग्राम शिवपुर की गाटा संख्या 744, 443, ग्राम ठेलिया की गाटा संख्या 114, 1, 288, 1/5, 229, 1/5/1, 1/5/2, 1/5/3, 1/5/4, 1/5/5, 1/5/6, ग्राम अख्तायारपुर की गाटा संख्या-44, ग्राम कैथवली की गाटा संख्या 419, 421, 422, 423, 424, 434, 437, 440, 439, 441, 443, 444, 447, 449, 453, 454, 459, 460, 463, 464, 466, 469, 470, 472</p>

उत्तर-पूर्व -	<p>ग्राम सिंधौली की गाटा संख्या-44, 93, 94, 84, 77, 110, 10, 85, 99, 130, 100, 130, 151, 152, 153, 224, 39, 227, 74, 136, ग्राम जजियापुर की गाटा संख्या 186, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 205, 217, 218, 219, 225, 226, 228, 229, ग्राम मैरीटार की गाटा संख्या 1314, 1332, 1333, 1336, 1337, 1338, 1389, 1391, 1398, 1422, 1435, 1436, 1458, 1457, 1464, 1463, 1464, 1468, 1467, 1473, 1474, 1476, 1477, 1483, 1484, 1489, 1491, 1631, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1665, 1666, 1668, 1674, 1675, 1678, ग्राम अनकटपुर की गाटा संख्या 169, ग्राम राजपुर की गाटा संख्या 304, 305, 307, 308, 309, 310, 311, 312 ग्राम चवरी की गाटा संख्या 11, ग्राम बड़सरी की गाटा संख्या 117, 118, 130, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 140, ग्राम गजियापुर की गाटा सं 30, 31, 32, 33, 39, 37, 38, 41, 43, 46, 50, 51, ग्राम कोल डुमरिया की गाटा संख्या 22, 20, 24, 28, 38, 36, 41, 42 ग्राम कोल खुर्द की गाटा संख्या 26, 25, 24, 42, 41, 29, 28, 26, 27, 18, 22 व 24</p>
पूर्व-दक्षिण -	<p>ग्राम फुलवरिया की गाटा संख्या-6, 7, 8, 18, 30, 28, 39, 35, 111, 44, 109, 107, 51, 53, 54, 52, 59, ग्राम गल्हया की गाटा संख्या 163, 82, 81, 80, 49, 52, 50, 47, 45, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 30, ग्राम डुमरी की गाटा संख्या 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 125, 126, 10, 11, 15, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 49, 50, 51, 52, 54, 45, 41, 18, 17, 16, 12, 9, 8, 7, 6, 5, 114, 128, 129, 130, 132, 134, 135, 146, 147, 142, 152, 153, 154, 156, 157, 159, 160, 161, 166, 167, 173, 174, 177, 179, 180, 181, 194, 195, 198, 200, 199 ग्राम सोनपुरा खुर्द की गाटा संख्या 114, 112, 116, 113, 110, 111, 109, 97, 100, 99, 98, 95, 94, 93, 92, 91, 72, 71, 70, 68, 41, 28, 44, 43, 41, 39, 38, 37 ग्राम सोनपुरा कला की गाटा संख्या 95, 96, 97, 116, 117, 115, 114, 113, 112, 111, 110, 109, 106, 105, 102, 101, 100, 99, 78, 77, 76, 75 ग्राम सलेमपुर की गाटा संख्या 90, 91, 101, 102, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 125, 126, 133, 134, 135, 139, 140, 141, 142/1, 142/2, 159, 160, 161, 162, 165, 166, 167, 155, 154 ग्राम परसपुर की गाटा संख्या 35, 36, 54, 55, 53, 52, 51, 50, 49, 48/2, 48/1, 47, 46 और 45</p>

जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों का क्षेत्रफलवार विवरण -

जिला	ग्राम	स्वागित्व		कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
		निजी भूमि (हेक्टेयर में)	ग्राम समाज भूमि (हेक्टेयर में)	
1	2	3	4	5
बलिया	सोनपुर कला	46.00	0.87	46.87

	सोनपुर खुर्द	41.00	0.55	41.55
	डुमरी	176.22	0.80	177.02
	सरयौं	4.07	0.00	4.07
जिला	ग्राम	स्वामित्व		कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
		निजी भूमि (हेक्टेयर में)	ग्राम समाज भूमि (हे०मी)	
1	2	3	4	5
बलिया	घघरौली	20.07	0.80	20.87
	परसपुर	32.46	3.47	35.93
	भेदपुर	16.46	0.45	16.91
	नीखपुर	11.36	0.00	11.36
	वासदेवपुर	0.00	7.89	7.89
	श्रीपुर	0.00	6.51	6.51
	तलेमपुर	78.32	0.40	78.72
	वसन्तपुर एहतनाली	692.59	10.00	702.59
	वसन्तपुर मुस्तकम	44.29	0.00	44.29
	ताल सुरहा	1006.37	81.50	1087.87
	आराजी इंग्लिश वसन्तपुर	17.78	0.02	17.80
	चदरीकरण	39.40	0.00	39.40
	गल्हया	99.30	0.00	99.30
	चदरी	75.63	0.00	75.63
	बननीली	15.41	0.78	16.19
	फुलवरिया	21.31	0.00	21.31
	बिन्दवलिया	104.41	0.03	104.44
	टेलिया	153.44	0.00	153.44
	शिवपुर	12.14	0.00	12.14
	सूर्यपुर	14.03	0.13	14.16
	अखियारपुर	16.76	1.48	18.24
	कंधवली	30.05	2.69	32.74
	तिथौली	6.07	0.00	6.07
	नादापुर	8.05	0.04	8.09
जलियापुर	15.28	1.21	16.49	

जिला	ग्राम	स्वागित्त		कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
		निजी भूमि (हेक्टेयर में)	ग्राम समाज भूमि (हे०में)	
1	2	3	4	5
	गञ्जरी पाइ	50.43	1.69	52.12
	मैरीटार	14.17	0.00	14.17
	ओझवलिया	70.04	3.75	73.79
	फाफर	42.23	2.43	44.66
	सिरमौर	34.95	0.47	35.42
बलिया	अनकटपुर	38.72	0.00	38.72
	राजपुर	12.61	0.00	12.61
	औंधी	30.94	0.00	30.94
	बड़सरी	32.75	0.32	33.07
	नरायनपुर	7.75	0.20	7.95
	हथिवदा	15.66	1.82	17.48
	गजियापुर	17.48	0.00	17.48
	कोल डुमरिया	48.39	0.00	48.39
	कोल खुर्द	43.47	2.48	45.95
	साहोडीह	42.29	0.00	42.29
	कुल योग -	3,300.15	132.78	3,432.93
			या	3,432.93 है०
			या	34,329 वर्ग किमी०

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम-1972 (यथासंशोधित) की धारा-21 के अन्तर्गत जिलाधिकारी, बलिया द्वारा अपने पत्रांक 10/काशी प्र०/15-1/टी०सी०, दिनांक 18.12.2006 द्वारा जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल), पक्षी विहार की सीमा के अन्तर्गत फँले क्षेत्र में स्थित व्यक्तियों को अपने अधिकार एवं स्वत्व की प्रवृत्ति हेतु दावे प्रस्तुत करने हेतु विज्ञापित जारी की गयी थी। तत्कालीन समय में स्थानीय व्यक्तियों द्वारा काफी विरोध प्रदर्शन के कारण दावे प्रस्तुत नहीं किये गये और दावों की प्राप्ति/सुनवायी आदि की कार्यवाही स्थगित रहीं।

पुनः विशेष सचिव, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या 1677/दो-3-2016-19/3 (51)/2006, दिनांक 29.08.2016 के आदेश के क्रम में जिलाधिकारी, बलिया द्वारा अपने पत्रांक संख्या-5573/रा०सहा०, दिनांक 20 मार्च 2018 द्वारा उप जिलाधिकारी, बॉसडीह को वन बन्दोबस्त अधिकारी नियुक्त किया गया। समुचित प्रचार-प्रसार नहीं होने एवं स्थानीय लोगों के विरोध करने के कारण दावों की प्राप्ति एवं उनके निस्तारण की कार्यवाही में विलम्ब हुआ। स्थानीय कृषकों/सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं एवं विभिन्न ग्रामों के ग्राम प्रधानों द्वारा अपने दावे प्रस्तुत किये गये। इसके अतिरिक्त राजस्व विभाग/चकबन्दी विभाग द्वारा भी जनहित में स्थानीय कृषकों के घोर विरोध

को देखते हुए ऐसे निजी काश्तकारों की भूमि, जिसमें उनके द्वारा रबी एवं खरीफ की फसलें नियमित उगाई जाती हैं, आबादी विशेष एवं ऐसे क्षेत्र जिसमें कोई विशिष्ट वानस्पतिक अथवा प्राणि विविधता नहीं है, जिनका संरक्षण बहुत आवश्यक हो, के दृष्टिगत जिलाधिकारी बलिया के पत्रांक-1945/(कार्यवृत्त), दिनांक 04.01.2021 द्वारा जारी कार्यवृत्त के क्रम में गठित समिति द्वारा वन विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण कर विस्तृत संयुक्त आख्या रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा इन दावों की भली-भाँति समीक्षा की गयी तथा जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल), पक्षी विहार के सम्बन्ध में निजी काश्तकारों/सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा दावों का राजस्व/चकबन्दी/वन विभाग द्वारा प्रस्तुत संयुक्त आख्या रिपोर्ट को स्वीकृत करते हुए जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल), पक्षी विहार की सीमा तथा क्षेत्र निम्न प्रकार संशोधित करने हेतु प्रस्तावित किया जाता है। प्राप्त दावों के निस्तारण आदेश संलग्न हैं, (संलग्नक-1 से 20 तक)

1. जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल), पक्षी विहार की गाटा के अनुसार सीमायें निम्न प्रकार से होगी -

जिला	जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार की सीमायें :
बलिया	<p>दक्षिण-पश्चिम -</p> <p>बसन्तपुर एहतमाली की गाटा संख्या-1680, 1681, 1684, 1685, 1688, 1689, 1691, 1693, 1696, 1697, 1678, 1677, 1676, 1675, 1674, 1673, ग्राम-परसपुर की गाटा संख्या-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 29, 28, 25, 24, 17, 18, 16, 10, 30 बसन्तपुर एहतमाली की गाटा संख्या-1405, 1407, 1400, 1393, 1363, 1362, 1359, 1358, 1353, 1295, 1292, 1291, 1288, 1286, 1284, 1283, 1282, 1239, 1238, 1230, 1085, 1082, 1073, 1071, 1117, 897, 941, 942, 943, 945, 938, 936, 951, 952, 953, 954, 917, 1598, 1778, 1777, 1776, 1774, 1773, 1772, 1771, 1761, 1759, 1756, 1747, 1739, 1738, 1737, 1725, 1716, 1715, 1709, 1708, 1706, 1707, 1703, 1704, 1629, 1630, 1628, 1627, 1625, 1624, 1620, 1619, 1614, 1615, 1607, 1608, 1599/2, 1598/2, 900, 909, ग्राम तालसुरहा की गाटा संख्या-46, 47, 288, 287</p>
	<p>पश्चिम - उत्तर</p> <p>विन्दवलीया की गाटा संख्या-358, 359, 360, 368, 369, 370, 395, 394, 399, 415, 416, 420, 423, 437, 444, 438, ठेलिया की गाटा संख्या-172, 174, 190, 700, 701, 203, 52, 51, 47, 46, 44, 43, 214, 215, 216, 217, 218, 251, 252, 253, 254, 250, 280, 279, 281, 282, 283, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291/1, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, कैथवली की गाटा संख्या-477, 478, 479, 481, 483, 484, 485, 488, 490, 491, 494, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 515, 516, 517, गड़ारीमाह की गाटा संख्या-1, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 68, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, अखितारपुर की गाटा संख्या-413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 426, 427, 428, 429, 430, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445,</p>

उत्तर-पूरब - गड़ारीपाह की गाटा संख्या-83, 84, 85, 90, 100, 101, 102, 110, 111, 112, 113, 123, 127, 128, 129, 13, तालसुरहा की गाटा संख्या-261/1, 261/3, 260, 259, 258, 257, 256, 255, 254, 238/1, 238/2, 237, 232, 231, 229, 226, 225, 224, 222/3, 222/1, 227, सिरमौर की गाटा संख्या-2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 22, 21, 23, 24, 36, 50, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 55, औधी की गाटा संख्या-69, 74, 77, 78, 79, 82, अनकटपुर की गाटा संख्या-169	
पूरब-दक्षिण - घवरी डुमरी की गाटा संख्या-नाला-11, 47, 85, कटहल नाला के किनारे की गाटा संख्या-101, 102, 165, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, तालसुरहा की गाटा संख्या-158, 156, 154, 153, 149, 148	

जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल), पक्षी विहार के संशोधित क्षेत्र में 1821.81 है०, भूमि है, जिसमें स्थानीय किसानों की निजी भूमि 1724.21 है० तथा ग्राम समाज की भूमि 97.60 है० है, जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल), पक्षी विहार की सीमा के अनुसार जी०पी०एस० को-आर्डिनेट्स निम्नवत है -

Row No.	Village	Latitude	Longitude
1	बसन्तपुर एहतमाली तालसुरहा (टावर)	25 49 31.02	84 09 31.91
2	बसन्तपुर एहतमाली	25 49 31.55	84 09 25.25
3	बसन्तपुर एहतमाली	25 49 19.80	84 09 25.92
4	बसन्तपुर एहतमाली व बसन्तपुर एहतमाली पूर्वी भेदपुर की सीमा	25 49 13.68	84 09 37.14
5	परसपुर व भीखपुर की सीमा बसन्तपुर एहतमाली का गाटा	25 49 13.98	84 09 52.74
6	सलेमपुर व परसपुर की सीमा बसन्तपुर एहतमाली का गाटा	25 49 15.96	84 10 10.92
7	बसन्तपुर एहतमाली का गाटा	25 49 28.98	84 10 22.92
8	बसन्तपुर एहतमाली का गाटा	25 49 46.92	84 10 41.10
9	ताल सुरहा	25 49 54.00	84 10 49.50
10	ताल सुरहा	25 50 07.32	84 11 09.84
11	ताल सुरहा	25 50 09.60	84 11 19.02
12	घवरी डुमरी कटहर नाला	25 50 15.54	84 11 25.02
13	घवरी डुमरी कटहर नाला	25 50 06.42	84 11 33.18
14	घवरी कटहरनाला कालिका माता मन्दिर	25 49 57.00	84 12 02.16
15	घवरी करन कटहर नाला	25 50 13.30	84 12 17.09
16	घवरी करन कटहर नाला	25 50 32.89	84 12 24.50
17	मैरीटार अनकटपुर सीमा	25 51 03.42	84 12 06.60
18	मैरीटार वाचटावर, जजियापुर सीमा गड़ारीपाह गाटा	25 51 06.12	84 12 03.36
19	सिधौली तालुका सुखपुरा सीमा गड़ारीपाह गाटा	25 51 41.58	84 11 19.26
20	सिधौली तालुका सुखपुरा सीमा गड़ारीपाह गाटा	25 52 04.21	84 10 32.85
21	सिधौली तालुका सुखपुरा सीमा गड़ारीपाह गाटा	25 52 05.15	84 10 22.25
22	कैथौली गड़ारी नाला अखितयारपुर नाला	25 52 01.74	84 10 02.16

23	सुर्यपुरा सीमा ठेलिया गाटा	25 51 57.42	84 09 34.80
24	सुर्यपुरा सीमा ठेलिया गाटा	25 51 45.72	84 09 16.38
25	ठेलिया गाटा	25 50 59.58	84 09 09.42
26	बसन्तपुर एहतमाली बाघा नाला	25 50 17.43	84 09 02.70
27	बसन्तपुर एहतमाली बाघा नाला	25 49 59.11	84 09 13.36
28	बसन्तपुर एहतमाली बाघा नाला	25 49 47.75	84 09 35.93
29	बसन्तपुर एहतमाली	25 49 35.43	84 09 31.55

जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल), पक्षी विहार की संशोधित सीमा के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों का क्षेत्रफलवार विवरण निम्नानुसार है -

जिला	ग्राम	स्वामित्व		कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
		निजी भूमि (हेक्टेयर में)	ग्राम समाज भूमि (हे०में)	
1	2	3	4	5
बलिया	परसपुर	25.541	1.766	27.31
	बसन्तपुर एहतमाली	262.68	3.332	266.01
	तालसुरहा	1006.37	81.50	1087.87
	द्वरीकरण	39.40	0.00	39.40
	द्वरी	75.63	0.00	75.63
	विन्दवलिया	21.142	0.589	21.73
	ठेलिया	51.95	0.00	51.95
	अख्तियारपुर	8.50	0.317	8.82
	कैथवली	17.745	1.754	19.50
	गड़ारीपाह	50.43	1.69	52.12
	ओझवलिया	70.04	3.75	73.79
	फाफर	42.23	2.43	44.66
	तिरमार	34.95	0.47	35.42
	अनकटपुर	5.373	0.00	5.373
	अँधी	12.228	0.00	12.228
	कुल योग -		1724.21	97.60

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम-1972 (यथासंशोधित) की धारा-19 के अनुसार प्रस्तावित पक्षी विहार के क्षेत्र में शामिल किये जाने वाली उपरोक्त सूची के निजी किसानों को भूमि अनुसूची-1 में तथा सार्वजनिक/राजकीय भूमि का विवरण

अनुसूची-2 में संकलित किया गया है। प्रस्तावित जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल), पक्षी विहार में सम्मिलित भूमि में हित धारक सभी व्यक्तियों के भौगिक अधिकार कतिपय शर्तों के साथ स्वीकार किये जाते हैं -

1. समस्त व्यक्तियों के भौगिक अधिकार अनुसूची-1 में उनके सम्मुख उल्लिखित भूमि पर स्वीकार किये जाते हैं।
2. विनिर्दिष्ट क्षेत्र में सम्मिलित भूमि के सम्बन्ध में कोई अधिकार वसीयती या निर्वसीयती, उत्तराधिकारी के सिवाय अर्जन नहीं किया जायेगा।
3. वर्तमान भू-आकृतिकी या भू-उपयोग में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
4. विनिर्दिष्ट क्षेत्र में भौगिक अधिकार रखने वाले व्यक्तियों द्वारा राज्य सरकार जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल), पक्षी विहार के पक्ष में भूमि का विक्रय जिलाधिकारी, बलिया द्वारा निर्धारित दरों पर किया जा सकेगा।
5. जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल), पक्षी विहार क्षेत्र में स्थित किसानों द्वारा अपनी भूमि पर खेती कार्य करने की पूर्ण छूट होगी, लेकिन ऐसे रासायनिक खाद/कीटनाशक दवायें, जिससे जलीय जीवों तथा पक्षियों को क्षति पहुँचने की सम्भावना हो सकती है, का प्रयोग प्रतिबन्धित रहेगा।
6. 15 नवम्बर से 15 फरवरी तक ऐसे जलीय क्षेत्र (कोर जोन), जहाँ पर प्रवासी/अप्रवासी पक्षियों का आगमन रहता है, उस क्षेत्र में प्रवेश करना एवं अन्य समस्त कार्यवाही जैसे-मछली का शिकार, कमलगट्टा एवं सिंघाड़ा की खेती करना पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा। प्रतिबन्धित कार्य की प्रतिपूर्ति के लिए प्रतिवर्ष जिलाधिकारी, बलिया द्वारा निर्धारित दर पर उस भूमि का किराया दिया जायेगा।

(99)

ग्राम वसन्तपुर चन्द्रमाली परगना / तहसील / जिला नलिया

(62)

क्र.सं.	खोटेदार का नाम	गाहा-सं.	रकबा एकड़ में	रकबा हेक्टेयर में	विशेष विवरण
1	शहीद स्मारक (राज्य सरकार) जिसमें जननायक चन्द्रशेखर विश्व विद्यालय में प्रस्तावित है।	६६६	००२	०-००८	आदेश न्या. विशेष धर्मि अध्यापि अधिकारी नलिया पठसं. (मोमें)
		६६९	००५	०-०१०	अध्यापि अधिकारी
		६७०	००५	०-०२०	नलिया पठसं. (मोमें)
		६७१	००६	०-०२८	सर्वेक्षण सं. दिनांक
		६७२	००६	००२८	२०/३/८६ के द्वारा
		६७५	०-१८	०-०६३	अधिकारी।
		६७६	०-१३	०-०५३	
		६७८	१-६०	०-६४८	
		"	०-३०	०-१२२	
		६७९	१-६०	०-६४८	
		६८०	०-२५	०-१०१	
		६८१	०-२२	०-०८९	
		६८२	०-६५	०-२६३	
		६८३	०-५३	०-२१४	
		६८४	०-५९	०-२३८	
		६८५	०-५५	०-२२२	
		६८६	१-०६	०-६२१	
		"	०-६०	०-२४३	
		६५०	०-६०	०-२४३	
		६५१	०-५८	०-२३६	
		६५२	०-६२	०-२५१	
		६५३	००५	०-०२०	
		६५४	००६	०-०२८	
		६५५	०-२८	०-११३	
		६५६	०-६२	०-१६०	
		६५७	१-५८	०-६३९	
		६५८	०-६१	०-२४६	
		६५९	००५	०-०२४	

२६ १३-३६ ५-६१६

(Signature)

(Signature)

(Signature)

प्रभागीय वनाधिकारी
काशी वन्य जीव प्रभाग
रामनगर-वाराणसी

कुलसचिव
जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय,
नलिया

100

ग्राम बरनापुर तहसील / पंचायत / तहसील / जिला वाराणसी

आदिवासी नाम	गाटा संख्या	रकबा टकड़ों में	रकबा टकड़ों में	विशेष विवरण
शहीद स्मारक (राज्य सरकार)	660	0-49	0-205	
जिसमें जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय प्रस्तावित है	669	0-83	0-166	
	662	0-90	0-040	
	663	0-62	0-259	
	690	0-20	0-009	
	692	0-22	0-125	
	693	0-00	0-326	
	696	0-62	0-251	
	697	0-23	0-133	
	698	0-40	0-152	
	696	0-24	0-109	
	698	0-15	0-066	
	698	0-53	0-265	
	620	9-24	0-585	
	621	8-52	9-552	
	622	0-24	0-109	
	624	0-22	0-000	
	625	0-22	0-125	
	660	0-95	0-052	
	661	0-13	0-052	
	662	0-00	0-326	
	663	0-54	0-253	
	666	0-60	0-392	
	667	0-33	0-133	
	668	0-26	0-215	
	666	9-00	0-636	
"	0-69	0-155		
	660	0-02	0-000	
"	0-55	0-300		
	668	0-55	0-209	
	626	0-10	0-040	
	626	0-26	0-136	
	620	0-06	0-260	
	628	0-55	0-256	
32		29-54 1/2	0-000	

61

अदेशा न्याय विशेष शक्ति
आस्थापित अधिकारी वाराणसी
पब्लिक / प्रो. अ. वि. प्रव. श. क.
दिनांक 20-3-86 के द्वारा
उपरोक्त है।

सनेश्वर
वस्तु
प्राप्ति
100

कुलसचिव
जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय,
वाराणसी
प्रभागीय वनाधिकारी
काशी वन्य जीव प्रभाग
प्राणनगर-वाराणसी

3
ग्राम वसन्तपुर (एडरमाली) परगना। तहसील। जिला बलिया

प्रतिदाता का नाम	गाटा संख्या	रकमा रकम.क्र.	रकमा टैकेयर.क्र.	विशेष विवरण
शहीद स्मारक (राज्य-सरकार) जिसमें जननामक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय प्रस्ता-वित है।	८६०	१-०५	०-४३५	आपका नमा. विशेष श्रमि अद्ययावत अधिकारी बलिया पत्र सं. / मैमों अगवि० अ० अ० दिनांक २०/३/६६ के द्वारा अधिग्रहीत।
	८६५	१-१० १/६	०-४४८	
	८६६	१-३०	०-५३६	
	८६६	१-२६	०-५०२	
	८६८	१-१६	०-४८१	
	८६६	१-२६	०-५०२	
	८६०	०-८०	०-३२४	
	८६१	०-४१	०-१६६	
	८६२	०-६६	०-२६६	
	८६३	१-१६	०-४८१	
	८६४	०-६२	०-२६१	
	८६५	०-८०	०-३२४	
	८६६	०-६२	०-२५१	
	८६६	०-५६	०-२२६	
	८६८	०-६६	०-१६८	
	८६६	१-०८	०-४३६	
	"	०-४०	०-१६२	
	६०५	०-५२	०-२१०	
	६०६	००६	००१६	
	१६०३	००६	००२६	
	१६०४	०-१८	००६३	

योग =	२०	१५-६८	६-३६६
सम्पूर्ण योग =	६८	५१-००	२०-६४२
शहीद स्मारक (राज्य)	४३६	०-२२	०-०८८
सरकार प्रवर्त	६३८	०-८०	०-३२४
	६३६	०-१२ १/३	००५०
	६६६	०-५०	०-२०२
	६५०	०-२६	०-१०५
योग	५	१-६० १/३	०-६६०
सम्पूर्ण योग =	८३	५२-६० १/३	२१-६१२

८६

कुलसचिव

जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय,

बलिया

प्रभागीय वनाधिकारी
काशी वन्य जीव प्रभाग
सासनगर-वाराणसी

जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय
वाराणसी
शाही लान्क, इस्ट वाराणसी

जीमि वल्लभ (हस्ताक्षर)
प्रा. व. विभा. वाराणसी
घर नं. 12, प्रताप नगर
घर सं. 179

सरकारी कार्य हेतु

24/9/18 पत्न्यावली पत्रे दुर्ग पुष्पा कराई गयी
अनुपम कुमारी का वाराणसी लान्का गंगा
साथ ही दायित्व लान्का गंगा व एड
दुर्गा गंगा पत्न्यावली कार्यों में हुआ है
की जारी है

W
24-9-18

W



25/9/18 पत्न्यावली आदेशों पर प्रस्तुत दुर्गा वान विलेख
शाहीपंजी कर सं. 1877 के आधार पर
26-2-18
प्रति वसूल हुए हस्ताक्षरों के अन्तर्गत सं. 67
आदि कुल 78 गांव हंडू हैं शाही लान्क
51-00
इस विलेख प्रा. व. वि. आदेशों के अन्तर्गत
आदेशों के अन्तर्गत जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय
वाराणसी व लान्का कोमलवासी को गठन की गयी
लान्का गंगा पत्न्यावली का अन्तर्गत वाराणसी
है

W
25-9-18

CPS

प्रभागीय वनाधिकारी
काशी वन्य जीव प्रभाग
सुसामनगर-वाराणसी

W
कुलसचिव
जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय,
वाराणसी

127

सरकारी कार्य हेतु नकल

न्यायालय चक्रवर्ती आधीकारी प्रथम बालिका नारी

दि. 179 / वर्ष 2017-18

जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय बालिका

बनाम

शहीद स्मारक ट्रस्ट बालिका

अन्तर्गत द्वारा 12 जून 2018 को अर्द्धांगी वसंतपुर एलगाली पंचायत बालिका

निर्दिष्ट

प्रस्तुत को पंचायती आदेशादि प्रस्तुत हुए पंचायती

का नाली-आदि अवलोकन किया गया। उक्त को पंचायती-

अनुच्छेदों में अपनी आदेश दिनांक 06-08-18 द्वारा 50 न्यायालय

के इस कथन के साथ कि उक्त को अर्द्धांगी शहीद स्मारक

को के कारण पंचायती निर्धारण हेतु प्राप्ति किया है।

जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय बालिका कुलसचिव

50 न्यायालय में अपनी प्रस्तुत करने कागज किया है कि अंग

वसंतपुर एलगाली के अर्द्धांगी सं. 437 आदि है शहीद स्मारक

ट्रस्ट बालिका प्राधिकार अतिक्रम है कि का जंग दान पत्र के आधार

पर धारण करने वाली का नाम अर्द्धांगी किया जाय। उक्त न्यायालय

के सचिव के जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) बालिका है। अर्द्धांगी

अधिकार प्राप्त किया गया। लोकल जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा

अर्द्धांगी को का निर्देश न करने न्यायालय को न्यायालय

न कि जिले के सचिव के अनावश्यक स्वीकार करने हेतु

लोकल अधिकार उपलब्ध कराने की गति कि सुनिश्चित है।

का आधार लेह हुए अनावश्यक पत्राचार दिनांक 20-09-2018

किया गया है।

उक्त पत्रों को नौदले जारी किया जा को बाद न्यायालय

निर्धारण पंचायती है। वाली की परमाणु न्यायालय के द्वारा

प्रभागीय चक्रवर्ती P.T.O.
काशी वन्य जीव प्रभाग
श्रीमनगर-वाराणसी

कुलसचिव
जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय
बालिका

128

(2)

गावह अनुम कुमार उपाध्ये कर्म 1 वारी की तरफ से 5 नवंबर 1971
 दान पत्र की अंतिम प्रतिलिपि दायित्व करने के साथ कार्यालय
 मैनेजिंग ट्रस्टी शहीद एमार्क ट्रस्ट (Martyrs Memorial Trust)
 वाली 58 अनाजनी 100 पर मैनेजिंग ट्रस्टी शहीद एमार्क
 ट्रस्ट वाली जिला मजिस्ट्रेट वाली एवं अध्यापक शहीद एमार्क
 ट्रस्ट वाली के हस्ताक्षर हैं। जिला प्रतिलिपि साक्ष्य संस्था
 जिला मजिस्ट्रेट सरकार (ट्रस्टी) शास्त्री गवर्नर दिल्ली व लखनऊ
 जिला उच्च प्रत्ये सरकार (प्रेम ट्रस्टी) एमार्क गवर्नर लखनऊ व अन्य
 के प्रत्ये एवं आवरण कार्यालयी हेतु प्रेषित है कि सत्य प्रतिलिपि
 एवं अपर मुद्रण लखनऊ उच्च प्रत्ये सरकार के पत्र सं-462/सं-4-
 2018-20(2)/2016 की पत्र दिनांक 09 मार्च 2018, एवं विशेषज्ञ
 उच्च प्रत्ये शास्त्री के पत्र सं-542/सं-4-2018-20(2)/2016
 दिनांक 22 मार्च 2018 एवं जिला मजिस्ट्रेट वाली के हस्ताक्षर
 एवं अन्य तथा विभिन्न गवर्नर के अंशोष मुद्रि एवं शास्त्री वल्लभ
 एतहाली पत्र व 100 वाली की संयुक्त आवण सं-25-10-17 की
 तथा प्रती, एकलक्षी शपथ पत्र दायित्व करने के साथ गौणिक
 लक्ष्य के दान-पत्र के साक्ष्य गावह अनुम कुमार सिंह पुत्र चंडवारी
 सिंह व अपना अंशोष वधान अंशोष करार कर दान विलेख को
 आविष्ट कराया है। उक्त दान विलेख के विरुद्ध कोई हाना
 नहीं आया प्रस्तुत नहीं की गयी। उक्त दान पत्र अविभाज्य
 है। दान पत्र के आधार पर न्याय-तरण जिला मजिस्ट्रेट के कोर्ट
 कोचने जाया नहीं है उपाध्ये निवेदन के आधार पर वह
 का न्याय-तरण जिला मजिस्ट्रेट है।



मुलासवि
 जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी

अंशोष
 अंशोष वल्लभ एतहाली ने 10/11/2018 गण सं-671/2018

679 / 0-05, 680 / 0-05, 681 / 0-07, 682 / 0-07, 683 / 0-13, 684 / 1-60, 685 / 0-30, 686 / 1-10

प्रभागीय वनाधिकारी
 काशी वन्य जीव प्रभाग
 शिवमनगर-वाराणसी

P.T.O

De. No. 03/2022-23,

Do. No. 01/2022-23 (कृषि मंत्रालय)

वन विभाग उ० प्र० परिधि (तकिल) कोनपुर संड (दिविजन) कृषि विभाग जीव प्रभागी
राजगढ़-वाराणसी

3211

बन्य अपराध वि० वि० प्रमोचना (रिपोर्ट) सं० ... दिनांक ०३-०५-२०२२

आदिनिमा- 1972
धारा- 27(1), 27(4), 34(क)
35(6), 37(6)

अधिपति (रिज) कृषि विभाग, वाराणसी

१-नाम, पिता का नाम और निवास स्थान- (१) श्री एस. टी. पाल, राजिप, राजगढ़, जनपद रायबरेली
वि० वि० वसन्तपुर, बलिया
श्री श्री शिवगं सिंह, डी. राय, इण्डिया जेल (का- १०२२)

२-माफी का नाम- २-तरी

३-कथित अपराध का पूरा विवरण और दिनांक- आज दिनांक- ०३-०५-२०२२ को प्रातः ११ बजे
जय प्रकाश नारायण पट्टी विहार (मुद्राएतक) विधि विभाग के
अ-वर्ग प्रमोचन विभाग हेतु स्थल की साफ-सफाई करने की
खुर्दाई का कार्य किया जाना।

४-मृत्यु

५-चावान और अनुमंथान (इन्वेस्टिगेशन) के सम्बन्ध में विशेष कथन

६- प्रमोचन (रिपोर्ट) के अंतर् और प्रमाण आदि का उल्लेख

महोदय निवेदन है कि प्राचीन आज

दिनांक- ०३-०५-२०२२ को प्रातः ११ बजे जय प्रकाश नारायण (मुद्राएतक) विहार
विधि विभाग के जेल-तर्गत गश्त कर रहा था, तो गश्त के दौरान डेस्क में आया कि कुछ
जननायक व-दशरथर वि० वि० वसन्तपुर, बलिया के राजकीय आवास के उत्तरतर्फ
वन्य जीव विहार क्षेत्र अन्तर्गत भू-खण्ड निर्माण हेतु स्थल की साफ-सफाई कर
खुर्दाई का कार्य किया जा रहा था। मुझे पर जलद्वारा कार्य करने से रोकना
तथा यह कार्य बिरकिड़ कराकरा जा रहा है, इस संबंध में उनसे प्रज्ञा करना। इसे स-
प्रमोचन विभाग में भेजे पर उपस्थित गणद्वारा करा कोई जानकारी नहीं दी जा रही।
उपरोक्त कार्य श्री एस. टी. पाल राजिप, जनपद रायबरेली वि० वि० वसन्तपुर
बलिया के आदेशानुसार श्री शिवगं सिंह, डी. राय, इण्डिया जेल (का- १०२२) द्वारा
कराया जा रहा है।

साथ ही इतनावदकार्य बिना उपरोक्त वि० वि० के अनुमति आधिकारी
की अनुमति के बिना नहीं कराया जा रहा, इस वन्य अपराध हेतु प्रथमवर्ष श्री
एस. टी. पाल राजिप, जनपद रायबरेली वि० वि० वसन्तपुर बलिया
श्री श्री शिवगं सिंह, डी. राय, इण्डिया जेल (का- १०२२) द्वारा वन्य जीव विभाग
अधिपति (रिज)- 1972 की धारा- 27(1), 27(4), 34(क) 35(6) 37(6) का उल्लंघन
किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार सूचना महोदय की सेवा में अंगेतर
कार्यवाही हेतु भेजित है।

अधीपति (रिज)
कृषि विभाग, वाराणसी

कृषि विभाग, वाराणसी

प्राची-
शिवगं सिंह
अधीपति (रिज)
कृषि विभाग, वाराणसी
जय प्रकाश नारायण पट्टी
विहार, मुद्राएतक विधि
दिनांक- ०३-०५-२०२२

F.No. WL-6/166/2023 WL
 Government of India
 Ministry of Environment, Forest and Climate Change
 (Wildlife Division)

2nd Floor, Vayu Wing,
 Indira Paryavaran Bhawan,
 Jor Bagh Road, New Delhi 110003.

Date: 19th December, 2023

To,

The Additional Chief Secretary,
 Environment, Forest and Climate Change Department,
 Government of Uttar Pradesh,
 Bapu Bhawan, Sachivalaya,
 Lucknow-226001

Sub: Proposal for use of 3.5 ha of Non-forest land from Jai-Prakash Narayan (Surhatal) Bird Sanctuary for construction of building/road in the premises of Jannayak Chandrashekhar University in Village-Basantpur Ehatmali located in Tahsil and District Ballia, Uttar Pradesh-WL/UP/SCH/427387/2023.

Sir,

Reference is invited to the subject mentioned above. The above proposal was discussed in the 75th meeting of Standing Committee of National Board for Wild Life held on 17th November, 2023 under the Chairmanship of Hon'ble Minister for Environment, Forest & Climate Change.

2. After discussions, the Standing Committee decided to recommend the proposal subject to the following conditions:

- I. The legal status of the land shall remain unchanged. The User Agency will have right only for construction, maintenance and use of different Buildings & Approach road for the use of Jannayak Chandrashekhar University, Ballia at Village-Basantpur Ehatmali in Tehsil & District-Ballia. The land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal.
- II. The instructions/orders passed by the State or Central Government and the directions issued by Hon'ble High Court/Hon'ble Supreme Court from time to time, regarding such project shall be complied with.
- III. Since this project is sub judice before Hon'ble NGT, any order passed by Hon'ble NGT shall be complied with.


Dy. Secy
 A.S.O.
 PCC (WL)
 20/12/2023

- IV. Amount of Net Present Value (N.P.V.) shall be paid by the User Agency as per directions issued by Ministry of Environment of Forest (FC Division), New Delhi vide Letter No. F.No. 5-3/2011-FC (Vol-I) dated 06.01.2022 and Letter No. F.No. 5-3/2011-FC (Vol-I) dated 19.01.2022 for proposed land 3.5 ha. falling within the Jai Prakash Narayan (Surhatal) Bird Sanctuary.
- V. The User Agency shall deposit of Rs 243.49 lakhs (Rs Two Crore Forty Three Lakhs and Forty Nine Thousand only) for mitigation measures to minimize the negative impact of the project and for ecological development of wildlife habitat in the Jai Prakash Narayan (Surhatal) Bird Sanctuary.
- VI. The personnel of User Agency working on the site should be well aware and shall be bound to follow of provision of Wild Life (Protection) Act, 1972.
- VII. For the violation of undertaking construction without having permission of NBWL under the provisions of Wild Life (Protection) Act, 1972 suitable penal provisions as per law imposed by SBWL/NBWL shall be complied with by user agency.
- VIII. The User Agency will ensure that no labour camp shall be established inside the sanctuary or any other sensitive area in eco-sensitive zone. Neither firewood nor any other forest produce from the forest will be used.
- IX. The User Agency will keep firefighting equipments as well as equipments for minimizing air & noise pollution. High mast lights/intense lights will not be used at the site.
- X. During the construction period, the user agency will establish one temporary forest check post along with the required manpower at its own cost.
- XI. User Agency will fix sign board at appropriate point of the project.
- XII. Construction waste materials shall not be thrown inside the protected forest area or eco-sensitive zone area or on the movement corridor of Wildlife.
- XIII. No work shall be allowed from sunset to sunrise.
- XIV. User Agency will take all precautions including technical measures to contain the noise and air pollution, protection from fire due to during construction activities and shall also obtain consent to operate the project work from U.P. Pollution Control Board and effectively implement all the conditions stipulated therein.
- XV. During the rainy season proper arrangements for drainage of water will be ensured so that the University does not obstruct the flow of water of the surrounding areas to reach in the aquatic area of the bird sanctuary.
- XVI. An annual compliance certificate on the stipulated conditions shall be submitted by the User Agency to the State Chief Wild Life Warden and an annual compliance certificate shall be submitted by the State Chief Wild Life Warden to Government of India.

The Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Lucknow shall monitor the action taken for violation of the provisions of the Wild Life (Protection) Act, 1972 by the User Agency and disciplinary action initiated against the staff responsible for the violation and submit quarterly report to the Ministry.


3. The minutes of the meeting have been posted online in the "PARIVESH" portal of this Ministry.


Yours faithfully,


 (Dr. Sudheer Chintalapati)
 Scientist 'E'
 Email: sudheer.ch@gov.in

Copy to:

1. Chief Wild Life Warden, Department of Environment & Forests, 17, Rana Pratap Marg, Lucknow-226001.
2. Deputy Director General of Forests (C), Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector "H", Aliganj, Lucknow-226020 for monitoring the action taken for violation of the provisions of the Wild Life (Protection) Act, 1972 by the User Agency and disciplinary action initiated against the staff responsible for the violation and submit quarterly report to the Ministry.
3. Inspector General of Forests, FC Division, MoEF&CC.
4. Joint Secretary, IA Division, MoEF&CC.


 (Dr. Sudheer Chintalapati)
 Scientist 'E'
 Email: sudheer.ch@gov.in



De. No. 184/2022-23, Re. No. 02/2022-23 (कृषि एवं इंधन)

वन विभाग, उदयपुर, परिधि (सकिल) कानपुर, घर (दिविजन) काशी, न्य जीव प्रण
अमनगर - वाशवासी

3212

वन्य अपराध व्यवस्थापन प्रणाली प्रवृत्तता (रिपोर्ट) सं. P.C.N. 02/2022-23 दिनांक 27-3-2023
1972 की धारा-27, 29 व 32

अधिक्षेत्र (रेन्ज) कानपुर, पुनर्वसिकेंद्र, साइनाय - वाशवासी

1-नाम, पिता का नाम और निवास स्थान (1) - नगर पालिका परिषद, बालिया से, अधिक्षेत्री, उदयपुर
(2) हीमेश्वर-श्री-अविनाश सिंह, 56 पशुपति रोड, राय-र
गुडियाली, जनपद - काशी

2-साक्षी का नाम - स्वयं

3-कथित अपराध का पूरा विवरण और दिनांक उजाड़ दिनांक - 27-3-2023 को लगभग 12 बजे
दिन को जयप्रकाश नारायण पट्टी विहार इलाके के अ-
न्तर्गत पड़ने लगे कुड़ा निस्तारण केन्द्र को अ-
धिक्षेत्री - स्वयं एवं मशीनरी का नगर प्रशासन,

4-मूल्य

5-चालान और अनुमंथान (इनवेस्टिगेशन) के सम्बन्ध में विशेष कथन

6-प्रवृत्तता (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रमाण आदि का उल्लेख

संदेह
निवेदन है कि जयप्रकाश नारायण पट्टी विहार (सुरक्षाला) की सीमा का निर्धारण
पूर्व में 1972 न होने के कारण लगभग 15 वर्ष पूर्व में निर्मित कुड़ा निस्तारण केन्द्र
के शोड हाइस स्वे चाउ-डू की वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं थी। आज
दिनांक-27-3-2023 को लगभग 12 बजे दिन में जीजा बसन्तपुर रहत वाली के अ-
न्तर्गत जगहा सं. 481, 482, 580/1, 581 कुल चार गाँवों में कुल 4,98 रुफ्ट में
स्थापित है कुड़ा निस्तारण केन्द्र, जो सेन्चूरी सीमा के निर्धारण एवं जॉय
के निर्माण सह ज्ञात हुआ कि पूर्व में निर्मित कुड़ा निस्तारण केन्द्र जयप्रकाश
नारायण पट्टी विहार (सुरक्षाला) की सीमा के अ-52 है। वर्तमान समय में कुड़ा
निस्तारण केन्द्र को चलाने हेतु मशीनरी आदि, लगाना जा रहा है। सेन्चूरी सीमा
के अन्तर्गत उपरोक्त कार्य कार्य भारतीय वन्य जीव संरक्षण 1972 की धारा
27, 29 व 32 का उल्लंघन किया गया है। यदि पर पूछताछ के दौरान ज
हुआ कि उपरोक्त मशीनरी आदि कार्य अधिक्षेत्री अधिकारी नगर पालिका
परिषद बालिया एवं हीमेश्वर-श्री-अविनाश सिंह, ग्राम-56 गुडियाली, जनपद-काशी के द्वारा
में करवाया जा रहा है। जो कि पर कार्य को गैर विचारणीय है।

उक्त उपरोक्त प्रवृत्तता रिपोर्ट संक्षेप की ली के साथ संलग्नक संख्या-15

प्रमुख अधिकारी

T.C
आठकान्ठे

मायगी-
उमेश सिंह

उ. न. अ.
नगर प्रशासन

वन संरक्षण
जय प्रकाश नारायण पट्टी

कार्यालय उप जिलाधिकारी सदर, बलिया

संख्या-१३०/आ०ले०-उ०जि०ब०

दिनांक: १० मई, 2023


में० ए०एफ०सी० इण्डिया
बलिया।

प्रबन्धक, में०ए०एफ०सी० इण्डिया, बलिया द्वारा दिनांक 10.04.2023 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर एस०डब्ल्यू०एम० प्लांट, बसंतपुर, बलिया के निर्माण/संचालन हेतु उक्त प्लांट की गाटा संख्या स्पष्ट करते हुए सम्बन्धित गाटा पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र इको सेंसेटिव जोन के बाहर होने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में चकबन्दी अधिकारी, सदर बलिया से आख्या प्राप्त की गयी।

चकबन्दी अधिकारी, सदर बलिया की जांच आख्या दिनांक 26.04.2023

निम्नवत् है :-

- 1 मौजा बसन्तपुर एहतमाली, परगना व तहसील बलिया के आधार पर वर्ष खतौनी खाता सं०-110 में अंकित गाटा सं०-481/2.56, 482/1.90, 580/1/0.30, 581/0.22 कुल 04 गाटा रकबा 4.98 एकड़ में से 4.56-1/2 एकड़ पर नगर पालिका बलिया का नाम अंकित है, जिस पर कूड़ा प्रबन्धन प्लांट बना हुआ है।
- 2 कूड़ा प्रबन्धन प्लांट, बसन्तपुर, सुरहाताल जलीय क्षेत्र से काफी दूर है।
- 3 सुरहाताल वॉच टावर से कूड़ा प्रबन्धन प्लांट की दूरी लगभग 1280मीटर है।
- 4 कूड़ा प्रबन्धन प्लांट बसन्तपुर के पास कमी प्रवासी पक्षी नहीं आते है।
- 5 कूड़ा प्रबन्धन प्लांट बसन्तपुर के पास बाढ़ समय को छोड़कर कमी पानी सुरहाताल का नहीं आता है।
- 6 Resettlement के उपरान्त पक्षी बिहार की सीमा वॉच टावर के पास मानते हुए कूड़ा प्रबन्धन प्लांट की दूरी 1200मीटर है, जो पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र इको सेंसेटिव जोन की सीमा (1.00 किमी) से बाहर आता है।


(प्रशान्त कुमार नायक)
उप जिलाधिकारी,
सदर-बलिया

वन जीव(संरक्षण) अधिनियम 1972(यथा संशोधित) की धारा (22/24) के अन्तर्गत कार्यवाही।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर वाराणसी के पत्रांक संख्या 1874/2023-24 दिनांक 18.10.2023 द्वारा उप जिलाधिकारी/बन्दोबस्त अधिकारी तहसील बांसडीह को सम्बोधित कर मौजा-बसंतपुर एहतमाली कृषकों के कुल अधिसूचित भूमि क्षेत्रफल, 702.59हे० एवं पूर्व में अधिसूचित सीमा से निकाली गयी भूमि का क्षेत्रफल 34.012हे० है, तथा वर्तमान में कृषकों द्वारा खेती की जा रही भूमि का क्षेत्रफल 402.510हे० तथा ग्राम समाज की भूमि पानी के बाहर का क्षेत्रफल 15.196हे० एवं कृषकों की भूमि जो वर्तमान में पानी के अन्दर है, जिसमें पानी भरा रहता है का क्षेत्रफल 262.682हे० एवं ग्राम समाज की भूमि जो वर्तमान में पानी के अन्दर है जिसमें पानी भरा रहता है का क्षेत्रफल 3.332हे० तहसीलदार सदर बलिया एवं प्रभागीय वनाधिकारी काशी वन्य जीव प्रभाग रामनगर की संयुक्त जांच आख्या के अनुसार ग्राम के कृषकों के निजी भूमि वर्तमान समय में जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार की अधिसूचित क्षेत्र की तहसील सदर बलिया की सीमा के सम्बन्ध में निम्न प्रकार है-

दावा संख्या-74

1	कुल अधिसूचित भूमि का क्षेत्रफल	702.59हे०
2	पूर्व में अधिसूचित सीमा से निकाली गयी भूमि का क्षेत्रफल	34.012हे०
3	वर्तमान में कृषकों द्वारा खेती की जा रही भूमि का क्षेत्रफल जो पानी के बाहर है।	402.510हे०
4	ग्राम समाज की भूमि का क्षेत्रफल जो पानी के बाहर है।	15.196हे०
5	कृषि भूमि जो वर्तमान में पानी के अन्दर है, जिसमें पानी भरा रहता है।	262.682हे०
6	ग्राम समाज की भूमि जो वर्तमान में पानी के अन्दर है, जिसमें पानी भरा रहता है।	3.332हे०

क्र० सं०	खाता सं०	गाटा संख्या	क्षेत्रफल हे० में	खातेदारों का नाम व पता	जलमग्न की स्थिति
1	2	3	4	5	6
1	378	159	0.279	अवलेश, निलेश, विजयप्रताप पुत्रगण जन्म निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		181	0.073		
		182	0.105		
		194	0.016		
		195	0.235		
		196	0.138		
		155	0.097		
		171	0.134		
		1128	0.032		
2	370	1272	0.089	सत्यनारायण पुत्र बदन निवासी बसंतपुर आदि	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1376	0.563		
		226	0.045		
		1273	0.121		
		1345	0.049		
3	515	151	0.166	सुरेन्द्रनाथ, कृष्णकुमार, अरूण कुमार पुत्रगण हवलदार निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1255	0.182		
		1253	0.636		
		1252	0.522		
		1251	0.134		

		1250	0.170		
		225	0.559		
		247	0.522		
		307	0.182		
		1244	0.162		
		729/2	0.109		
4	325	67	0.243	कन्हैया, सुदर्शन पुत्रगण राधाकिसुन निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		120	0.413		
		164	0.182		
		167	0.324		
		213	0.053		
		1084	0.073		
		1200	0.121		
		1201	0.158		
		1212	0.113		
		1267	0.012		
		1268	0.020		
		1271	0.142		
		1304	0.369		
		1360	0.146		
5	208	67	0.198	बलेश्वर पुत्र रामनन्दन निवासी बसंतपुर आदि	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		165	0.182		
		166	0.336		
		1202	0.210		
		1267	0.020		
		1268	0.020		
		1269	0.130		
		1270	0.126		
6	472	150	0.081	सीताराम पुत्र रामएकबाल निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		369	0.352		
		376	0.207		
		1388	0.271		
		366	0.154		
		1372	0.065		
		1374	0.061		
		356	0.073		
		362	0.105		
		398	0.097		
		1371	0.494		
		368	0.162		
		1197	0.053		
		1191	0.020		
		1198	0.061		
		1205	0.020		
		1206	0.028		
		1208	0.065		
		1258	0.170		

7	134	150	0.020	अनिरुद्ध, गणेश पुत्रगण सुखराम नि० बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		452	0.251		
		1347	0.158		
		1373	0.020		
8	113	252	0.203	ओमधारी पुत्र बहोरन नि० बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		255	0.263		
		329	0.211		
9	203	121/1	0.117	बालेश्वर, जलेश्वर पुत्रगण रामबालक निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		251/1	0.089		
		334/2	0.113		
		335/1	0.219		
		330	0.543		
		337/2	0.182		
		888/1	0.069		
		901/1	0.077		
		1097	0.138		
		1103	0.032		
		1101	0.219		
1154	0.340				
10	331	329/2	0.207	हीरा देवी पत्नी रामपति नि० बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
11	407	598/3	0.008	लक्ष्मी पुत्र सुभग निवासी बसंतपुर आदि	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		604/2	0.020		
		610	0.073		
		659/3	0.065		
12	188	319/1	0.057	फलेश्वर मुनि, जलेश्वर पुत्रगण गर्जन निवासी बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1139/2	0.198		
13	241	325	0.458	श्री भगवान, महात्मा, पुत्रगण जंगबहादुर नि० चितबड़गांव हा०मु० बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		326	0.190		
		350	0.551		
14	495	249/2	0.146	सूर्य, रामाश्रय पुत्रगण निशान्त निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		327	0.320		
		334/1	0.227		
		888/3	0.073		
		1111/2	0.178		
15	151	120/3	0.117	नथून, रामअसरे, सूर्य पुत्रगण निशान्त निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		249/1	0.065		
		333/1	0.121		
		328	0.401		
		335/2	0.215		
		931/1	0.069		
		901/2	0.077		
		902/2	0.081		
		1095	0.202		
		1098	0.121		
		1100	0.194		
		1103	0.061		
		1229/3	0.126		

16	209	1280	0.045	बलेसर पुत्र रामनन्दन नि0 बसंतपुर आदि	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
17	529	1286	0.453	त्रिलोकीनाथ, अंजनी कुमार, राजेन्द्र, नगेन्द्र पुत्रगण रामा निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		66	0.490		
		1305	0.304		
		1307	0.271		
		920/1	0.097		
		1094/1	0.036		
		1139	0.490		
		1401	0.265		
		903	0.551		
		943	0.162		
18	301	7	0.036	त्रिवेणी पुत्र रामकृपाल निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		9	0.061		
		10	0.032		
		13	0.134		
		16	0.040		
		17	0.053		
		18	0.044		
		19	0.036		
		37	0.215		
		38	0.142		
		55	1.960		
		56	1.523		
		57	0.393		
		58	0.190		
		61	0.393		
		62	0.215		
		63	0.579		
		68	0.182		
		69	0.182		
		71	0.223		
		72	0.223		
		73	0.166		
		74	0.219		
		75	0.219		
		100	0.996		
		108	0.531		
		109	0.409		
		110	0.401		
		111	0.385		
		112	0.417		
		113	0.134		
		116	1.304		
		125	0.579		
		193	0.725		
		274	0.142		
		272	0.198		

		281	0.093		
		828	0.304		
		1150	0.235		
		1151	0.275		
		1171	0.117		
		1172	0.134		
		1173	0.138		
		1174	0.085		
		1187	0.506		
		1188	0.190		
		1192	0.207		
		1193	0.122		
		1195	0.122		
		1227	0.275		
		1281	0.057		
		154	0.551		
		209	0.352		
		117	0.362		
19	277	31/11	0.130	रामगोबिन्द, श्रीराम पुत्रगण गुप्तेश्वर निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		96	0.097		
		663/2	0.065		
20	124	31	0.004	मिथिलेश, आशुताष पुत्रगण प्रदीप कुमार, कमला देवी पत्नी प्रदीप कुमार नि0 बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		135	0.186		
21	529	310	0.190	त्रिलोकीनाथ पुत्रगण निवासी बसंतपुर आदि	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		311/2	0.065		
22	97	309	0.393	जगमोहन पुत्र महानन्दन नि0 बसंतपुर आदि	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		311/1	0.065		
		313	0.065		
23	212	261	0.077	बिजयशंकर, उमाशंकर, पुत्रगण श्रीराम निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		262	0.077		
		311/2	0.065		
		314	0.049		
		374	0.049		
		375	0.053		
24	527	1600/2	0.069	त्रिभुवन पुत्र मधुबन निवासी बसंतपुर आदि	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1601/1	0.211		
25	569	1601/1	0.069	राजकुमार, शम्भुपु0गण सखीचन्द, नि0 बसंतपुर, अ.	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
26	4	1602/3	0.219	रणजीत बहादुर पत्र अखिलेश नि0 बसंतपुर अ.	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
27	312	1602/3	0.174	राजेन्द्र पुत्र नन्दलाल नि0 बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
28	18	1602/4	0.117	ओमप्रकाश, सत्यप्रकाश, दशरथ, पुत्रगण इन्द्रदेव निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1603/2	0.296		
		1604/2	0.211		
		1605/1	0.154		
		1605/2	0.150		
		1606	0.344		
		1610	0.292		

29	504	485/1	0.174	धनजय, मिथिलेश पुत्रगण शत्रुघन आदि निवासी बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		570	0.073		
		565/2	0.049		
		578	0.093		
		599/2	0.077		
		613	0.397		
		614/1	0.223		
		622/6	0.146		
		623/1	0.786		
		659/1	0.117		
		664/2	0.219		
		670	0.543		
		838	0.158		
		836	0.308		
		603/2	0.470		
		1613	0.215		
30	289	1361	0.125	राधाकिसुन, बालकिसुन, बृन्दा पुत्रगण घनश्याम निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1279	0.360		
31	290	1370	0.093	राधाकिसुन, बालसुन पुत्रगण घनश्याम निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1369	0.150		
32	3	1352	0.109	रणजीत बहादुर पत्र अखिलेश्वर नि0 बसंतपुर अ.	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
33	48	1352	0.109	श्री प्रकाश रणवीरबहादुर पुत्रगण शिवनानथ निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
34	142	25/1	0.047	नौमी स्वामीनाथ, रघुनाथ, शम्भू पुत्रगण बृजा निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
35	143	25/1	0.026	नौमी पुत्र बृजा निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
36	375	28	0.057	अमरदेव, हृदयानन्द, पुत्रगण रामराज निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
37	153	30/1	0.186	नर सिंह पुत्र नवाब नि0 बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
38	49	30/2	0.065	कृष्णा, माधो, पत्र सत्यराम नि0 बसंतपुर आदि,	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
39	321	30/1	0.138	राधाकिसुन पुत्र नन्दकिशो नि0 बसंतपुर आदि.	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		203/2	0.219		
40	349	31/1	0.069	रामधारी पुत्र बसगीट नि0 बसंतपुर आदि	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		32/2	0.089		
41	304	31/3	0.895	त्रिवेणी पुत्र रामकृपाल नि0 बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
42	306	31/4	3.240	त्रिवेणी पुत्र रामकृपाल नि0 बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
43	307	31/10	0.138	विजय कुमार पुत्र राजेन्द्र निवासी बसंतपुर अ.	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		31/12	0.012		
44	103	297	0.097	जमेदार पुत्र मुखी निवासी	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
45	178	300	0.624	प्रेमचन्द्र, केदार, पुत्रगण राजन्म नि0 बस0 आदि.	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
46	522	301	0.186	हरमुन पुत्र फुलचन्द्र नि0 बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
47	556	602/1	0.105	विश्वनाथ पुत्र गगन निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		623/2	0.105		
		633	0.012		
		634	0.004		
		636	0.073		

48	551	637	0.178	द्वारिका पुत्र सूचित नि0 बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
49	564	638	0.016	श्यामा पुत्र फेकु नि0 बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		639	0.170		
50	544	639	0.004	चन्ददीप पुत्र जोगी नि0 बसन्तपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
51	568	639	0.203	शिवदत्त पुत्र रंगी निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
52	211	642	0.239	बिशुन पुत्र देवसरन नि0 बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
53	558	644	0.057	बनवारी पुत्र इन्द्रदेव नि0 बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
54	506	648/2	0.393	सीताराम पुत्र हरिहर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
55	557	624	0.142	बलिराम पुत्र शिवदत्त नि0 बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
	651	651	0.049		
56	267	648/3	0.328	मोहन पुत्र ललित नि0 बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		776	0.061		
		777/1	0.065		
57	28	270	0.162	ऋषिदेव, बहम्देव, ओमकारनाथ पुत्रगण श्री	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		271	0.089	राम निवासी बसंतपुर।	
		318	0.275		
		332	0.130		
		1124	0.219		
		283	0.174		
		289	0.121		
		290	0.032		
58	39	290/1	0.113	कुलदीप पुत्र मिश्री पुत्र मुसाफिर नि0 बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
59	466	292	0.198	सुरेन्द्र पुत्र श्रीराम नि0 बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
60	342	293	0.113	विनय कुमार पुत्र राजेन्द्र नि0 बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
61	221	295	0.065	चन्द्रिका, शिव प्रसाद पुत्रगण विश्वनाथ नि0	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		296	0.042	बसंतपुर आदि।	
		294	0.009		
		305	0.046		
		306	0.079		
62	394	294	0.091	रामदयाल, शिवदयाल आदि पुत्रगण भिरीखी	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		295	0.065	निवासी बसंतपुर आदि।	
		296	0.042		
		305	0.047		
		306	0.079		
63	432S	283/2	0.008	शिवनरायन परिखा पुत्रगण हीरा निवासी	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		284/2	0.036	बसंतपुर आदि।	
64	260	285/1	0.300	राजा, प्रभुनाथ, उर्फ कुटेली पुत्रगण मिठू	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
				बसंतपुर आदि।	
65	192	285/2	0.057	विश्वनाथ पुत्र घुईस नि0 बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
66	116	279	0.065	जमुना पुत्र केशवर रामपति पुत्र रामरक्षा	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		280	0.138	निवासी बसंतपुर आदि।	
		282	0.045		
		288/2	0.158		
		291	0.089		
		317	0.259		
		331	0.089		

		1125	0.117		
		718	0.113		
67	519	279	0.032	हीरा,मुन्नी,जौने,जमुना नि० बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		280	0.069		
		282	0.024		
		288/2	0.077		
		291	0.045		
		317	0.130		
		331	0.004		
		718/10	0.028		
68	94	105	0.057	जय प्रकाश विजय प्रकाश पुत्रगण अवध विहारी निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		107	1.102		
		156/2	0.802		
		156/3	0.482		
		157/2	0.170		
		158	0.166		
		178	0.186		
		186	0.389		
		21	0.134		
	94A	1133/2	0.531		
69	512	24	0.026	हरमुन पुत्र लहुधर निवासी बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
70	432	283/1	0.016	शिवशंकर,रमाशंकर पुत्रगण नगीना निवासी बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		284/1	0.117		
71	432 A	283/3	0.085	श्रीमती झुबरा जौजे मेहीलाल नि०रसडा हा०मु० बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		284/3	0.004		
72	432	283/4	0.004	काशीनाथ, रामबली, रामबचन पुत्रगण कहरी नि० बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		284/4	0.004		
73	350	5	0.182	विनय कुमार पुत्र राजेन्द्र नि०बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		102	0.215		
74	470	6	0.028	सुधाकर पुत्र नन्दजी नि० बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
75	30	11/2	0.065	ओमप्रकाश पुत्र रामसूरत नि० बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		11/1	0.049		
		260/2	0.130		
		340/1	0.065		
76	213	11/1	0.065	बरमेश्वर उदयनरायन, पुत्रगण जंग निवासी बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		12/2	0.049		
		260/1	0.134		
		340/2	0.065		
77	413	24	0.039	लक्ष्मण पुत्र शिवबचन नि० बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
78	58 A	31	1.024	प्रभास्कर पुत्र शिवनाथ नि० बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		34	0.182		
		137	0.174		
		1390	0.142		
79	314	120/2	0.409	राजेन्द्र, भुपेन्द्र, इन्द्रप्रकाश पुत्रगण शिशंकर नि० बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		352/1	0.020		
		353	0.126		

		354	0.024		
		939 / 2	0.069		
		944	0.077		
		945	0.077		
		1360 / 2	0.142		
		1366	0.251		
		1368	0.073		
		323	0.032		
		1699 / 1	0.032		
		324 / 170	0.004		
		1			
80	324	351	0.113	हरेन्द्र पुत्र रामजी निवासी बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		352 / 2	0.024		
		375 / 2	0.109		
		323	0.016		
		1699 / 2	0.016		
81	311	908	1.114	रमाशंकर उर्फ कड़ा नि० बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		920	0.458		
82	468	519	0.413	पंचानन्द, शारदानन्द, पुत्रगण बृजविलास आदि बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		539	0.004		
		614 / 2	0.174		
		667 / 2	0.109		
		835	0.320		
		657 / 2	0.045		
		659 / 2	0.032		
		669	0.158		
		866	0.527		
		1616	0.263		
83	570	1621 / 1	0.045	सत्यराम पुत्र गुलजार नि० बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1628	0.004		
84	195	598 / 2	0.018	बासदेव पुत्र दरोगा नि० बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		604 / 2	0.045		
		610	0.154		
		659 / 3	0.150		
		1611 / 2	0.045		
85	408	1611 / 2	0.004	बासदेव पुत्र नगीना नि० बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
86	38	615	0.087	कृष्ण चन्द्रमणि पुत्र शम्भूनाथ आदि बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		648 / 1	0.879		
		621 / 1	0.170		
		622 / 2	0.263		
		494 / 1	0.263		
		1612 / 2	0.441		
		1612 / 3	0.413		
87	187	1609 / 4	0.162	फूलकेशरी वेवा रामभवन नि० बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
88	483	1609 / 6	0.417	सीताराम, रामाशंकर, कामेश्वर पुत्रगण	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		652 / 2	0.093	शिवपूजन नि० बसंतपुर आदि।	

		653/2	0.194		
89	546	1611/1	0.036	शिवकुमार, पुत्र जुडी नि0 बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		666/1	0.121		
		667	0.016		
		625	0.154		
		549	0.292		
		553	0.020		
		554	0.032		
		555	0.020		
90	572	1601/1	0.069	सरल पुत्र कृपाल निवासी बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
91	137	1601/2	0.073	देवेन्द्र, नागेन्द्र, अशोक, राधवेन्द्र, राजेश पुत्रगण	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1604/3	0.251	रामजतन निवासी बसंतपुर।	
92	426	1602/1	0.040	शिव प्रताप विजय प्रताप रामप्रताप, पुत्रगण	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1609/2	0.158	नोखराम नि0 बसंतपुर।	
		364	0.102		
93	89	1391	0.158	चन्दशेखर, चन्द्रमौली, रामेश्वर, जनार्दन, भरत,	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1392	0.421	मनोज कुमार विवेक पुत्रगण दीनदेयाल नि0	
		1365	0.462	बसंतपुर आदि।	
		1296	0.239		
		1277	0.113		
		1316	0.235		
		1317	0.126		
		1319	0.069		
		1321	0.207		
		1322	0.130		
		1348	0.077		
		1349	0.223		
		1351	0.790		
		338	0.405		
		1367	0.122		
		1278/1	0.040		
		1279/2	0.628		
		1274	0.016		
		1275	0.024		
		1276	0.474		
		1287	0.219		
		312	0.178		
		316	0.231		
		65	0.911		
		948/2	0.146		
		1248	0.397		
		1249	0.101		
		1300	0.024		
		1302	0.567		
		1308	0.045		
		1309	0.016		

		1311	0.134		
		1312	0.008		
		1313	0.073		
		1314	0.049		
		1315	0.117		
94	287	286	0.227	राधाकिसुन बृन्दा पुत्रगण घनश्याम नि०	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		339	0.279	बसंतपुर आदि।	
		865	0.494		
		918	0.077		
		425	0.243		
95	286	423	0.089	राधाकिसुन पत्र घनश्याम नि० बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
96	32	384	0.069	कमईच्छा पुत्र सरदर्शन नि० बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		385	0.134		
		386	0.142		
97	258	387	0.288	मुन्नीलाल, ददन पुन्नीलाल पुत्रगण सिंपाही	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		388	0.284	नि० बसंतपुर।	
98	146	389	0.267	नथून, रामअसेर, सूर्य, पुत्रगण निशान ददन पुत्र	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
				सिपाही निवासी बसंतपुर।	
		394	0.198		
99	263	392	0.292	स्वामीनाथ पुत्र जीइठ निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
100	97 A	264 / 1	0.117	जगमोहन पुत्र महानन्द नि० बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		390	0.170		
		391	0.109		
101	278	253	0.093	रामाशंकर, सचित्तानन्द पुत्रगण चन्द्रिका	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		395	0.134	निवासी बसंतपुर।	
		772	0.138		
		780	0.158		
102	23	139	0.194	परशुराम, सुखराम, सोमेश्वर नि० बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
				आदि।	
		142	0.024		
		143	0.158		
		144	0.388		
		145	0.203		
		1259	0.612		
		1344	0.267		
		1375	0.057		
103	310	236	0.324	राजेन्द्र प्रसाद, पुत्र रघुनन्दनलाल नि० बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		375 / 6	0.275	आदि।	
104	189	232 / 1	0.109	पवन कुमार पुत्र फतेबहादुर नि० बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		375 / 7	0.223	आदि।	
		238	0.146		
105	85	233	0.036	चित्रगुप्तनाथ उर्फ छोटमन निवासी बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		375	0.069	आदि।	
		383	0.028		
		413	0.065		
		420	0.016		
		421	0.016		
106	332 A	375 / 6	0.267	राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रघुनन्दन प्रसाद नि०	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।

		383	0.109	बसंतपुर आदि ।	
		420	0.016		
		421	0.053		
		420	0.032		
		413	0.239		
		233	0.100		
		615	0.288		
107	445 A	1375	0.365	रामा पत्नी विश्वनाथ निवासी बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1368	0.203		
		1385	0.373		
108	313	85	0.344	रामआशीष पुत्र उमा, रामजी पत्र सुखदेव नि०	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		608	0.664	बसंतपुर आदि।	
		84	0.482		
109	219	86	0.377	राजेन्द्र पुत्र बिन्धाचल निवासी बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		87	0.271		
110	501	91 / 2	0.089	सुबेदार पुत्र बच्वालाल नि० बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
111	309	95	0.097	विनय कुमार पुत्र राजेन्द्र आदि निवासी बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		97 / 2	0.223		
		98	0.239		
112	224	97 / 1	0.198	सुरेशचन्द्र, श्रीनिवास, उमेश, मदन पुत्रगण	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		101	0.348	बृजकिशोर मिश्र आदि निवासी बसंतपुर।	
		103	0.105		
		104	0.093		
		105	0.020		
		106	0.648		
		254	0.215		
		257	0.413		
113	452 A	99	0.279	श्याम पत्नी विश्राम निवासी बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
114	493	718 / 17	0.243	मुटुर पत्र गंगासागर आदि नि० बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1268 / 3	0.073		
115	63	79	0.142	बच्चा, कामता, रामऔतार हा०मु० रामसुन्दर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
				निवासी बसंतपुर।	
116	78	80 / 16	0.251	चन्द्रदेव पुत्र महानन्द, आदि निवासी बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		551 / 3	0.053		
		627 / 2	0.373		
117	232	80 / 216	0.251	बिदेशी, हीरा रमा, जगेशर पुत्रगण शिवनन्दन	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		551 / 3	0.057	निवासी बसंतपुर।	
		627 / 4	0.369		
118	523	80 / 3	0.126	हीराराम पुत्र जोखन, आदि निवासी बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		80 / 5	0.126		
		551 / 4	0.057		
		627 / 3	0.377		
		1168 / 1	0.121		
119	80	80	0.251	गोबिन्द. पुत्र किसुन नि० बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
120	98	718 / 8	0.012	विजयशंकर, दयाशंकर, उमाशंकर, निर्मल	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1175 / 2	0.352	पुत्रगण जगदीश निवासी बसंतपुर आदि।	
121	268	718 / 9	0.109	मोहन पुत्र ललित निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।

122	225	718/16	0.194	बृजलाल पुत्र सुदर्शन नि० बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1117/14	0.247		
123	222	718/18	0.810	विश्वनाथ पुत्र सुन्दर निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1117/18	0.271		
124	490	478	0.101	सीताराम पुत्र धनन्जय नि० बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		718/13	0.028		
		831/2	0.121		
125	256	375/3	0.023	कु० माधुरी श्री उमाशंकर निवैदिया हा०मु० बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		382	0.126		
126	333	709	0.092	राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रघुनन्दन नि० बसंतपुर आदि	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
127	448	709/2	0.009	सुशीलचन्द्र पुत्र जीऊत नि० बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
128	242	114/1	0.053	रमेश पुत्र राजनाथ निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
129	194	718/1	0.166	विश्वनाथ, सुअज, सचितानन्द, बालेश्वर पुत्रगण छोटकन निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		718/2	0.150		
130	9	718/15	0.020	श्रीभगवान, श्रीप्रकाश, पुत्रगण अवधविहारी नि० बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		718/5	0.215		
		718/15	0.097		
131	337	483/1	0.004	कौशल, संतोष, राजकुमार पुत्रगण रामजन्म निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		718/7	0.036		
		800/1	0.113		
		850/3	0.178		
132	159	362/1	0.073	प्रपम पुत्र सत्यनारायन निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
133	296	365	0.162	राधामुनी, मुसाफिर निवासी बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		312	0.101		
		377	0.089		
134	343	238/1	0.113	विनय कुमार पुत्र राजेन्द्र निवासी बसंतपुर आदि।	
		240	0.166		
		241	0.162		
		243	0.186		
		367	0.288		
		373	0.166		
		1387	0.296		
135	418ए	190/1	0.888	शान्ति जौजे भोला निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		368/1	0.162		
136	15	368/2	0.162	अनिरुद्ध, गणेश पुत्रगण सुखराम नि० बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		378	0.198		
		1205/2	0.020		
		1206/1	0.024		
137	532	59/1	0.385	गणेश, महेश रंगलाल पुत्रगण चन्द्रिका निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
138	82	59/2	0.192	चन्द्रिका पुत्र गोविन्द निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		897/2	0.288		
		941	0.591		
139	82ए	597	0.071	शिवजी पुत्र देवमुनी निवासी बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		598/1	0.194		
140	60	356	0.093	गौरीशंकर पुत्र रामरक्षा, सीताराम पुत्र रामबालम निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
	60ए	402/3	0.032		

		397	0.219		
		399/2	0.307		
		399/1	0.089		
		398	0.146		
		1132	0.101		
		718/4	0.134		
141	55	357/2	0.142	कमईच्छा पुत्र सुदर्शन निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		245/2	0.158		
142	410	76	0.490	विश्राम, श्रीरात, जयराम पुत्रगण कैलाश निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		626	1.980		
		217	0.749		
		89	0.356		
143	316	340/1	0.122	मु0रमती पति जौहर निवासी बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		348	0.134		
144	111	264/2	0.275	जोमधारी पुत्र बहोहल निवासी बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		344	0.190		
		345	0.004		
		346	0.093		
145	220	53/2	0.117	राजेन्द्र पुत्र रामजन्म निवासी बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		349	0.093		
146	269	323	0.089	मालती पति फतेबहादुर निवासी बसंतपुर आदि	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		352/1	0.020		
		354	0.024		
		981	0.397		
		1148	0.194		
		1149	0.223		
147	147	121/2	0.121	नथुन, रामअसरे, सूर्य पुत्रगण निशान्त निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		251/2	0.045		
		333/2	0.121		
		335/2	0.109		
		336	0.150		
		335/3	0.109		
		888/2	0.061		
		901/3	0.077		
		902/3	0.081		
		931/2	0.073		
		1088	0.174		
		1089	0.113		
		1099	0.113		
		1102	0.231		
		1103	0.061		
		1152	0.316		
148	5	337/1	0.130	अलख पुत्र रामअगन निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		359	0.122		
		1108/1	0.247		
149	373	36	0.304	राघव पुत्र रामदास निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।

		47	1.000		
		90	0.178		
		91/1	0.154		
150	385	39	0.020	राघव पुत्र रामदास निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
151	217	40/1	0.527	विजय बहादुर पुत्र यमूना निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		40/3	1.640		
152	399	40/2	1.110	श्रीराम, रामसमल हरी पुत्रगण नौहव निवासी शिवपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
153	526	45	0.385	त्रिलोकीनाथ पुत्र सदानन्द निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
154	163	46	0.352	परमेश्वरी पुत्र जगेशर निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
155	216	46	0.138	मदनमाहेन पुत्र हरिहर निवासी बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
156	450	48	0.741	सर्वानन्द पुत्र सचितानन्द नि० बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		138/1	0.126		
157	444	53/1	0.081	शिवरतन पुत्र दर्शन निवासी बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
158	183	52/2	0.069	श्री प्रकाश अमित कुमार पुत्रगण बीरभद्रव कमला कान्त पुत्र रामचन्द्र नि० बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
159	538	603	0.292	कुलदीप पुत्र पवसी निवासी- बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		662	0.053		
160	261	663/1	0.065	मैना पुत्र योगी निवासी बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
161	404	663/4	0.134	लल्लन श्रीभगवान पुत्रगण विहारी नि० बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
162	185	35/1	0.057	पारसनाथ पुत्र रामछबिला नि० बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		32	0.162		
163	58	31/2	0.761	काशीनाथ पुत्र रामाधार नि० बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		34/1	0.130		
		34/2	0.049		
		52/1	0.105		
		58/1	0.154		
		59/13	0.004		
		134	0.215		
164	412	35	0.170	लक्ष्मी पुत्र जानकी नि० बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		53/1	0.077		
		54	0.466		
		83	0.158		
165	253	402/1	0.016	मुखराम, विजयबहादुर, हरेशराम, श्रीराम पुत्रगण दूधनाथ निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		405/1	0.032		
		1117/4	0.291		
		1126/1	0.190		
		1134	0.053		
166	174	402/2	0.203	परमहंस पुत्र समनराम, रंगबहादुर, श्यामलाल, सुग्रीव, परमहंस पुत्रगण रामनरेश नि० बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
167	416	405/2	0.203	शशिभूषण पुत्र उदयनरायन नि० बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
168	284	417/2	0.121	रामाशंकर, दिवाकर पुत्रगण पशुपति नि० बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
169	168	417/3	0.134	पदुमदेव पुत्र रामबृक्ष नि० बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
170	338	431	0.081	रामनाथ शिवगोबिन्द पुत्रगण बाबूराम निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		773	0.336		
		767	0.097		

		781	0.170		
		784	0.081		
171	182	114/2	0.073	परशुराम छोटेलाल सुनिल कुमार पुत्रगण रामदेयाल निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
172	233	118	0.320	बटोही, अलख पुत्रगण रामनरेश व परमा पुत्र हीरा निवासी बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		338	0.405		
173	171	119	0.117	प्रीती पुत्र शिवगोबिन्द नि० बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
174	274	123	0.130	राजेन्द्र पुत्र कृष्णा नि० बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1263	0.097		
175	218	400	0.105	ब्रह्मदेव पुत्र गोकुल धर्मदेव पुत्र बेवा माधव निवासी बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
176	401	401	0.142	जगदीश, परमेश्वर पुत्रगण शिवनाथ निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		403/1	0.089		
		404	0.352		
		405/3	0.032		
		1128/2	0.170		
		1191/4	0.020		
		1197/1	0.028		
		1198/1	0.032		
		1206/1	0.012		
		1208/2	0.032		
		1258/2	0.081		
		1323/1	0.117		
177	317	824	0.113	रिखदेव पुत्र रामसागर नि० बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
178	147	888/2	0.061	नथून, रामअसरे, निवासी बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
179	84	897/2	0.146	चन्द्रभान पुत्र तारा निवासी बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		941	0.296		
180	147	1155	0.445	कल्लू पुत्र यमुना निवासी बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
181	515	1229/1	0.486	हवलदार पुत्र सूर्यबदन नि० बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1318/2	0.282		
		1346	0.264		
182	291	1257/2	0.263	राधाकिशुर, बालकिसुन वृन्दा पु०गण घनश्याम निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
183	461	1376	0.194	सतयनरायन पुत्र बदन नि० बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
184	134	1381	0.162	अनिरुद्ध, गणेश पुत्रगण सुखराम नि० बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
185	58ए	1384/2	0.081	काशीनाथ, दत्तक पुत्र रामधार निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1403	0.081		
186	349	1403	0.154	रामधारी पुत्र बसगीत नि० बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
187	58	1403	0.158	काशीनाथ दत्तक पुत्र रामाधार नि० बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
188	185	1404	0.061	पारसनाथ पुत्र दविला नि० बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
189	282	1144	0.020	रामएकबाल, सुरश पुत्रगण दूधनाथ नि० बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1170/1	0.085		
190	107	1146	0.138	जगदीश काशीनाथ, रामप्रवेश पुत्रछोटू नि० बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
191	77	1156/2	0.085	गोपाल, कृपाल मुनीब पुत्रगण राजेश	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।

206	214	1211	0.235	बीरहादर पारसनाथ पुजारा तथा नि० बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
205	374	1217/2	0.152	रामधरा पुत्र सौदागर नि० बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1217/1	0.231		
		1210/1	0.028		
		1209/1	0.113		
		1208/1	0.008		
204	530	1210/3	0.008	निलोकी, बही, विशाल पुजारा गोरख नि०	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1210/2	0.008		
		1209/3	0.109		
		1206/2	0.040		
		1206/1	0.012		
		1205/3	0.045		
		1191/3	0.065		
203	476	1204	0.130	सुवाष पुत्र शिवशंकर निवासी बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1203	0.109		
		1196	0.072		
202	239	1204	0.103	वकील पुत्र शिवशंकर निवासी बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1203	0.109		
		1196	0.072		
201	41	1178	0.190	कपाल सुंदर पुजारा विहाही नि० बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1177	0.134		
200	204	1176/2	0.016	विजय दयाशंकर पुजारा जगदीश प्रसाद निवासी बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1176/1	0.077		
199	499	1186/1	0.073	समभोजि पुत्र सुधन नि० बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1174/3	0.097		
198	283	1186/3	0.073	रामएकबाल सुंदर पुजारा सुंदरनाथ नि०	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1174/2	0.113		
		1170/1	0.385		
197	517	1225	0.057	हरिबहा पुत्र रामानन्द नि० बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1169	0.142		
196	102	1163/3	0.194	जयपाल पुत्र शिकार नि० बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		140	0.304		
195	96	1163/2	0.097	जयपाल शिवमंगल नि० बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1167/2	0.036		
194	467	1167/1	0.012	सालिम पुत्र शिवनन्दन नि० बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1166	0.105		
		1165	0.113		
		1160	0.117		
		1162	0.146		
193	247	1156/3	0.085	भानी पुत्र रामलाल नि० बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1174/2	0.036		
		1168/2	0.122		
192	135	1158	0.668	दशरथ, कमला, भरत, पञ्चानेवध नि० बसंतपुर आदि	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1157	0.077		
		1161	0.150		

				आदि।	
207	54	1217 / 3	0.075	कामेश्वर, राजनाथ, हरeram पुत्रगण गौरीशंकर निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1218 / 1	0.113		
		1219	0.077		
208	53	1220	0.073	कामेश्वर राजनाथ हरeram पुत्रगण गौरीशंकर नि0 बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
209	110	1377	0.372	हरेन्द्र पुत्र सुदामा निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1378	0.344		
		1303	0.838		
		1330 / 1	0.081		
		1331 / 3	0.352		
		1331 / 5	0.130		
		1332	0.142		
		1334	0.142		
		1338	0.162		
		1339	0.162		
		1343	0.158		
		1323	0.117		
210	184	1324	0.288	परशुराम, छोटेलाल, सुनील कुमार सिंह पुत्रगण रामध्यान निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1330	0.081		
211	303	1331 / 1	0.583	त्रिवेणी पुत्र रामकृपाल निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
212	353	1331 / 2	0.122	त्रिवेणी पुत्र रामकृपाल निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
213	162	1331 / 3	0.177	परशुराम, श्रीराम शिवकुमार पुत्रगण केदारनाथ नि0 बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1335	0.215		
		1261	0.130		
		1264	0.053		
214	430	1265	0.255	सीताराम पुत्र धनन्जय नि0 बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1337	0.162		
		1265 / 2	0.300		
		1260	0.142		
		1300	0.130		
		1301	0.377		
		1340	0.142		
		1341	0.142		
215	264	897	0.591	रमाशंकर गौरीशंकर, देवी किसुन जनार्दन पुत्रगण रामनगीना निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
216	400	898	0.109	रामगोबिन्द पुत्र टेगरी निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
217	329	920 / 2	0.081	ओमप्रकाश अरविन्द पुत्रगण जीतन निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		932	0.028		
		933	0.061		
		934	0.275		
		935	0.102		
218	521	930	0.069	हवलदार पुत्र बदन निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
219	323	939 / 2	0.069	रामाशंकर गौरीशंकर देवकिसुन, जनार्दन पुत्रगण रामनगीना निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		944	0.076		
		945	0.081		
220	482	1076	0.130	स्वामीनाथ नौवमी दूधनाथ, शम्भूनाथ पुत्रगण	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।

				बृजा निवासी बसंतपुर आदि।	
221	75	1077	0.117	सुदामा, दीनानाथ पुत्रगण स्वरूप निवासी	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1112	0.093	बसंतपुर आदि।	
		1114	0.182		
222	521	1109	0.065	हवलदार पुत्र बदन निवासी बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1110	0.089		
		930	0.069		
223	46	1103	0.028	कीनू लौहर पुत्रगण बलिराज नि० बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1104	0.121	आदि।	
		1105	0.166		
		1106	0.316		
		1147	0.146		
		1278	0.356		
224	405	1078	0.081	लोनारी पुत्र सुखारी निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
225	105	1086/1	0.162	जितेन्द्र पुत्र सुरेन्द्र निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
226	529	1139	0.263	त्रिलोकीनाथ अंजनी कुमार पुत्रगण रामा	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1280/1	0.134	निवासी बसंतपुर आदि।	
227	514	1139/3	0.016	हीरा पुत्र तुलसी निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1140	0.361		
228	386	1142/1	0.441	रामजन्म पुत्र तुलसी निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1180	0.198		
229	384	1142/2	0.259	रामाधार, सुदर्शन, कमला पुत्रगण नि० बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1143	0.547	आदि।	
		1145	0.182		
		1156	0.170		
230	16	1126/2	0.308	अमरेश कामेश्वर बृजेश शैलेश पुत्रगण पशुपति	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
				निवासी बसंतपुर आदि।	
231	308	1127	0.105	विनय कुमार पुत्र राजेन्द्र नि० बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1128/1	0.956		
232	128	1128/3	0.202	देवशरण लालमोहन निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
233	159	1129/1	0.328	पुष्पक रूपक, पुत्रगण सत्यराम नि० बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1130/1	0.073	आदि।	
234	130	1117/11	0.057	दरोगा बलिराम पु०ग० शिवम्भूति नि० बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
235	481	1117/15	0.117	सचितानन्द लल्लू पुत्रगण	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
				बेनीमाधव नि० बसंतपुर अ.	
236	411	1118/1	0.049	लौजारी पुत्र सुखारी निवासी बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
237	429	1120	0.138	शिवमुनी पुत्र ठेला निवासी बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
238	44	1123	0.117	कमला फागू पुत्रगण सीताराम नि० बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
				आ०	
239	439	1117/1	0.036	शिवगोविन्द पुत्र चिरकट नि० बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1118/2	0.045		
240	164	1117/3	0.020	पराहु पुत्र दुर्जन निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
241	445	1117/3	0.004	शिवनरायन पुत्र हीरा निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
242	492	1117/6	0.069	सुदामा दीनानाथ पुत्रगण रामस्वरूप	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
				नि० बसंतपुर अ.	
243	20ए	1117/5	0.247	आनन्द प्रकाश ज्ञान प्रकाश प्रेम प्रकाश	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1117/13	0.304	राजकुमार, जितेन्द्र कुमार, शैलेश कुमार पुत्रगण	

		1264	0.251	श्रीकान्त निवासी बसंतपुर आदि।	
		1296	0.328		
		1351	0.405		
244	43	1117/8	0.012	कमला फागू पुत्रगण सीताराम नि० बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1175/1]3	0.348		
245	147ए	1107	0.587	नथु रामश्रय, सूर्य पुत्रगण निशान निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
246	179	1108/2	0.243	परमात्मा पुत्र नथुन निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
247	149	1111/1]2	0.275	नथुन, रामआश्रय पुत्रगण निशान नि० बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1111/3	0.093		
248	492	1112	0.028	सुदामा दीनानाथ पुत्रगण रामस्वरूप निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
249	405	1113	0.203	लौजारी पुत्र सुखारी निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1115	0.130		
250	76	1087	0.450	गोपाल कृपाल मुनीब पुत्रगण रोशन नि० बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1094/1	0.036		
		1094/2	0.032		
		1096	0.178		
251	27	1090	0.134	उमाशंकर पुत्र राधामुनी निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1093/1]2	0.352	उमाशंकर पुत्र राधामुनी निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
252	148	1091/2	0.089	नथुनराम, रामआश्रय सूर्य पुत्रगण निशाना निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
253	150	1092	0.271	नथुनराम रामआश्रय सूर्य पुत्रगण निशाना निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
254	460	1104	0.158	सज्जन बलिराम, रंगबहादुर पुत्रगण हीरा निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
255	571	491	0.045	सुदामा पुत्र सीताराम निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		548	0.024		
256	447	551/1	0.132	सुखवानिश शम्भू पुत्रगण बगी गलाह सुकल पुत्र इसी निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
257	446	551/2	0.109	संतोष प्रसाद पुत्र हरी प्रसाद गनेश महेश पुत्र शिवनन्दन निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
258	71	552	0.243	गनेश पुत्र हृदया निवासी बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
259	443	563/2	0.130	शिवपूजन पुत्र बंदी निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1229/2	0.117		
260	398	272/5	0.008	श्री राम पुत्र रामजन्म निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
261	57	274/1	0.077	कपिलदेव, ब्रह्मदेव, सत्यदेव वीरन पुत्रगण बैजनाथ निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		274/3	0.182		
		895/2	0.215		
		1163/1	0.102		
		1179/1	0.259		
262	326	276/1	0.049	रामजन्म पुत्र रादौर निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1208/1	0.049		
		1221	0.073		
		1223	0.138		
		1224	0.004		

263	52	276/2	0.231	कामेश्वर, राजनाथ, हरेराम पुत्रगण गौरीशकर निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
264	34	267	0.288	काशीनाथ पुत्र शिवदत्त निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		278	0.288		
265	88	281/4	0.275	चन्द्रशेखर चन्द्रमौली, पुत्रगण दीनदेयाल निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		281/5	0.275		
		921	0.158		
		950	0.203		
266	432	283/1	0.016	शिवशंकर रमाशंकर पुत्रगण नगीना निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		284	0.117		
		1141	0.077		
267	432ए	283/3	0.004	श्रीमती झुगरा जोजे हीराला निवासी रतसड़ हा0मु0 बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		284	0.004		
268	497	277	0.130	सुखविलास, चन्द्रिका पुत्रगण रामामुनी निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
269	354ए	492	0.433	रामअहार रामकृपाल राजदेयाल पुत्रगण त्रिभुअन निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		495	0.506		
		519/4	0.032		
		529	0.057		
270	361	493	0.200	त्रिवेणी पुत्र रामकृपाल निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
271	363	497	0.474	त्रिवेणी पुत्र रामकृपाल निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
272	351	497	0.551	विनय कुमार पत्र राजेन्द्र नि0 बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
273	352	521/1	0.527	त्रिवेणी पुत्र रामकृपाल निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
274	368	521/2	0.409	त्रिवेणी पुत्र रामकृपाल निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
275	356	521/3	0.146	त्रिवेणी पुत्र रामकृपाल निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		521/5	0.324		
		521/6	0.045		
		521/7	0.142		
		526	0.142		
		527	0.023		
		528	0.239		
		529	0.247		
		530	0.093		
		531	0.093		
		533	1.215		
		534	1.422		
		535	1.604		
276	355	532	0.466	त्रिवेणी पुत्र रामकृपाल निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
277	357	532	0.004	बच्चा पुत्र हरिकेश निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
278	469	539	0.251	सीताराम रघुबीर पुत्रगण लाल बहादुर निवासी गजिया पुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
279	503	540	0.539	सीताराम शिवजी जनार्दन शत्रुधन पुत्रगण हरिहर निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
280	299	829	0.263	त्रिवेणी पुत्र रामकृपाल निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		830	0.506		
281	393	884/2	0.275	रामाश्रय पुत्र बेचू निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		885	0.462		

		887	0.198		
		888 / 2	0.012		
		904	0.255		
		922	0.150		
		927	0.146		
		928	0.397		
		940	0.271		
		946	0.158		
		947	0.134		
		948 / 1	0.219		
		949	0.190		
		1275	0.020		
		1278 / 2	0.036		
		1278 / 3	0.024		
		1280 / 2	0.162		
		1289	0.288		
		1390 / 2	0.770		
		1391 / 1	0.365		
		2			
		900	0.365		
282	285	850	0.348	रामजन्म पुत्र परमहंस नि० बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
283	288	886	0.312	राधाकिसुन, बालकिसुन बृन्दा पुत्रगण घनश्याम निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		889	0.130		
284	300	113	0.077	त्रिवेणी पुत्र रामकृपाल नि० बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		115	0.113		
		126	0.227		
		127	0.142		
		128	0.279		
		129	0.069		
		130	0.284		
		157 / 1	0.081		
		191 / 1	0.170		
		192 / 1	0.251		
		200 / 1	0.251		
		201	0.239		
		208 / 2	0.089		
		281 / 1	0.186		
		281 / 2	0.093		
		281 / 3	0.182		
		31 / 5	3.122		
		156 / 1	0.506		
285	403	31 / 7	0.101	विश्राम पुत्र कैलाश निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		596 / 3	0.085	भुनेश्वर पुत्र राधामोहन निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
286	243	31 / 8	0.284		
		114 / 2	0.020		

287	279	768	0.186	रामाशंकर सचिदानन्द पुत्रगण नि0 बसंतपुर आदि	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		782	0.061		
		799	0.138		
288	121	774	0.061	जितेन्द्र, भुपेन्द्र शिवप्रताप पुत्रगण रामाशंकर निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		779	0.069		
		852	0.093		
		1117 / 1	0.093		
289	130	778	0.089	दरोगा बलिराम पुत्रगण शिवभूति नि0 बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		775	0.073		
		1117 / 14	0.057		
290	395	804 / 2	0.296	राधामोहन राजिनन्द पुत्रगण रामसागर नि0 बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		828 / 2	0.028		
		793	0.360		
		795	0.032		
		796 / 1	0.288		
291	419	797 / 1	0.275	शिवपूजन, सीताराम पुत्रगण रामबालम त्रिवेणी पुत्र रामकृपाल निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		802 / 1	0.012		
		454 / 1	0.336		
		1117 / 15	0.130		
		1117 / 17	0.498		
292	8	797 / 2	0.279	श्री भगवान श्रीप्रकाश पुत्रगण अवधविहारी निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		797 / 2	0.239		
		802 / 2	0.198		
293	206	483 / 1	0.081	विजय बहादुर पुत्र हरदेव निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		801 / 1	0.113		
294	281	801	0.466	रामएकबाल सुरेश पुत्रगण दूधनाथ निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		895 / 1	0.211		
		1117 / 2	0.121		
		1170 / 3	0.194		
		1186 / 2	0.073		
		1174 / 4	0.109		
1119	0.109				
295	176	803	0.312	परशुराम बड़कू छोटकू पुत्रगण बगाली निवासी बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		804 / 1	0.203		
		1117 / 7	0.174		
		1121	0.158		
		1122	0.178		
296	169	124	0.040	परमेश्वरी पुत्र जगेश्वर निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		138 / 2	0.021		
297	245	131 / 1	0.093	भोला पुत्र शिवकुमार निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		132 / 1	0.085		
		133 / 1	0.085		
298	349	136	0.203	कमलाकान्त पुत्र रामचन्द्र श्रीप्रकाश अमित कुमार निवासी बसंतपुर आदि	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
299	451	141	0.243	सतानन्द विजयनन्द पुत्रगण संचितानन्द निवासी	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।

				बसंतपुर आदि।	
300	157	142/2	0.786	परशुराम सुखराज, सोमेश्वर श्रीकृष्ण पुत्रगण कीनू निवासी बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		151	0.235		
		152	0.154		
301	1	151/3	0.194	रणजीत पुत्र अखिलेश निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
302	160	146	0.279	पूर्णवासी उर्फ बोगा पुत्र भगवान नि० बसंतपुर अ.	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		147	0.535		
		1199	0.194		
		1331/7	0.049		
		1380	0.211		
303	13	148	0.680	अनिरुद्ध गणेश पुत्रगण सुखराम नि० बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		150/2	0.081		
304	453	149	0.012	सत्यनारायण पुत्र नन्दन निवासी बसंतपुर आदि	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
305	297	151/1	0.340	त्रिवेणी पुत्र रामकृपाल निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		151/4	0.101		
		151/8	0.032		
306	119	151/2	0.247	जगदीश परमेश्वर पुत्रगण विश्वनाथ नि० बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
307	127	162	0.174	दीनानाथ पुत्र कुबेर नि० बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		163	0.032		
		155/1	0.032		
		168	0.203		
		198	0.126		
		1242	0.203		
308	294	175	0.174	रामजी लक्ष्मण जी अनील पुत्रगण तिवारी निवासी बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		176	0.158		
		177	0.069		
		191/3	0.130		
		192/2	0.235		
		197	0.130		
		170	0.170		
		155/3	0.032		
309	347	620/2	0.162	रामाश्रय, दीनदेयाल पुत्रगण लाल बच्चा निवासी बसंतपुर आदि	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		591/3	0.162		
310	511	605/2	0.308	हरेन्द्र पुत्र विशाल निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		621/2	0.794		
311	548	625/1	0.178	जगू पुत्र किसुन निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
312	401	627/1	0.745	लल्लन प्रसाद पुत्र सुखदेव प्रसाद निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
313	414	628/1	0.130	लल्लन प्रसाद पुत्र सुखदेव प्रसाद निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
314	423	628	0.812	जमुना पुत्र ठगी मल्लाह नि० बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
315	81	628	0.944	चन्द्रिका पुत्र गोबिन्द नि० बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
316	552	629	0.061	देवमुन रामनन्द निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		617	0.121		

317	574	606	0.146	हरिद्वारा पुत्र अलगू निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		630	0.008		
		631	0.020		
		632	0.024		
318	126	155/2	0.032	दीनानाथ पुत्र कुबेर निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		169/2	0.105		
		161	0.223		
		180	0.247		
319	223	169/1	0.089	बृजकिशोर पुत्र हरदेव निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		172/2	0.073		
		190/2	0.073		
320	454	172/1	0.073	संजय पुत्र मुनी निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		184	0.219		
321	21	173	0.510	ओमप्रकाश पुत्र हरिबंश निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		174	0.518		
		187/2	0.405		
		188	0.207		
		189	0.535		
		1123/1	0.117		
322	170	179	0.251	प्रधान पुत्र अवध कुमार पुत्र अरुण निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1325	0.190		
323	420	24	0.262	शिवदयाल रामदेव पुत्रगण कपिलदेव निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		185	0.401		
		246	0.207		
324	14	187/1	0.206	तेजबहादुर पुत्र रामाधार निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
325	22	187/3	0.284	ओमप्रकाश पुत्र हरिबंश नि० बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1167/3	0.032		
326	379	160	0.271	रामचन्द्र रामजन्म रामराज रामेश्वर पुत्रगण रामसिंहासन भिखारी पुत्र पहलाद नि० बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		183	0.113		
		194	0.186		
		199	0.211		
		200/2	0.130		
		1241	0.170		
327	534	203/1	0.810	रामनाथ पुत्र सुखारी, परमात्मा पुत्र भाट नि० बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		210	0.324		
328	344	214	0.336	रामनाथ भरत पुत्रगण जोनधारी नि० बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		215	0.360		
329	562	580/2	0.004	मिश्री पुत्र गुलजार निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		585	0.032		
		586	0.024		
		604/1	0.030		
		605/3	0.004		
330	87	600/1	0.150	बलजीत पुत्र चन्द्रभान निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		608	0.158		

		230	0.697		
		231/1	0.377		
331	118	600/2	0.300	जगदीश परमेश्वर पुत्रगण विश्वनाथ हरनारायण पुत्र सुन्दर निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		608/2	0.510		
		1128/3	0.089		
		1131	0.239		
332	249	609	1.721	श्री भगवान श्री प्रकाश पुत्रगण अवध विहारी निवासी बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
333	436	609	0.539	शिवविहारी हरिकिसुन, निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
334	505	489/2	0.146	धनन्जय मिथिलेश पुत्रगण शत्रुघ्न नि० बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		542/2	0.116		
		614/2	0.142		
335	173	615	0.105	प्रभुनारायण, उदयनारायण, सत्यनारायण पुत्रगण सीतल निवासी बासुदेवपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
336	553	616	0.198	नन्दजी पुत्र अलगू निवासी बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
337	559	617	0.198	बालचन्द्र पुत्र कन्हैया निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
338	539	618	0.138	काशी पुत्र कन्हैया निवासी बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
339	533	218	0.405	अर्जुन पुत्र गुलजार निवासी बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
340	480	219	0.506	सचिदानन्द बालेश्वर पुत्रगण छोटमन नि० बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		220	0.365		
341	463	222	0.518	सुरुज पुत्र छोटमन निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		224	0.102		
342	136	222/3	0.170	दीपक पुत्र सुरुज निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		231/4	0.020		
343	315	223	0.454	रघुनाथ जगरनाथ बैजनाथ, पुत्रगण बोधी नि० बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
344	383	223	0.202	रघुनाथ बैजनाथ जगरनाथ निवासी बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
345	461	226	0.215	सत्यनारायण पुत्र बदन निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1345	0.093		
		1376	0.194		
346	167	288	0.121	परमजोता कुवरी श्रीकेवलालल नि० बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		229	0.069		
347	120	239	0.227	जगरनाथ पुत्र रामनगीना नि० बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1386	0.247		
348	540	587	0.158	कमला पुत्र सीताराम निवासी बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		596/1	0.049		
349	565	562	0.053	शिवपूजन पुत्र रामयाद निवासी बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		588	0.081		
350	566	573	0.073	विनोद पुत्र श्यामदेव निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		574	0.065		
		575	0.065		
		579	0.065		
351	567	589	0.081	शिवशंकर पुत्र नगीना निवासी बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		590	0.016		
		592	0.069		

352	346	591 / 1	0.089	रामाश्रय दीनदयाल पुत्रगण लालबच्चा नि. बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
353	75	458	0.182	गनेश रामजी लक्ष्मन अरविन्द पुत्रगण जगरनाथ निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		477	0.121		
		593	0.174		
354	36	442	0.097	मु0 कौशल्या कु0बेवा गोरख नि0 बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		594	0.170		
		680	0.126		
		681	0.004		
		683	0.194		
		1331	0.223		
355	186	596	0.008	श्रीपति पुत्र महानन्द निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
356	246	550	0.348	भरत पुत्र माधो निवासी बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		596	0.130		
357	175	444	0.745	परमहंस पुत्र रामनरेश निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
358	229	449	0.097	विश्वनाथ पुत्र रामकृपाल निवासी बसंतपुर आदि	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
359	422	59 / 2	0.192	शिवशंकर विभिषण पुत्रगण रामाधारनि0 बसंतपुरअ.	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		551 / 1	0.132		
		597	0.070		
360	424	598 / 1	0.194	शिवशंकर विभिषण पुत्रगण रामाधार नि0 बसंतपुरअ	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
361	33	599 / 1	0.373	किशुन बट्टी जगरनाथ पुत्रगण पृथ्वी शिवशंकर विभिषण पुत्रगण रामाधार निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
362	334	601	0.271	रमेश्वर बरमेश्वर रामधारी पुत्रगण श्यामरथी निवासी बसंतपुर आदि	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		647	0.282		
363	389	231 / 2	0.105	रामनगीना रामाधार छबिला पुत्र मुननी नि. बसंतअ.	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
364	61	232	0.109	गोगा, फेकू, श्यामदेव लक्ष्मी राजा पुत्रगण शिवप्रसाद निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		237 / 1	0.182		
		233	0.046		
365	190	234	0.186	विश्वनाथ शिवनाथ रामनाथ भगौती प्रसाद पुत्र गण कठिन निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		582	0.603		
366	262	235	0.182	मदनलाल पुत्र हरिहर निवासी बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
367	45	237 / 2	0.065	केदार पुत्र जगरनाथ निवासी बसंतपुर आदि	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
368	51	242	0.243	कामेश्वर, राजनाथ, हरेराम पुत्रगण शिवशंकर निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1184	0.146		
		1222	0.154		
		1223 / 1 / 2	0.178		
		1224	0.004		
		1258 / 1	0.178		
		1218	0.332		
		1209	0.016		
1208 / 1	0.049				

		276	0.049		
		1221	0.073		
369	457	455	0.652	सुरेन्द्र प्रसाद पुत्र रामकुमार नि0बसंतपुर आदि	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		456	0.506		
370	215	467	0.267	विद्याधारी पत्नी शिवपूजन निवासी बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		468	0.203		
371	366	485	0.058	रामाशंकर पुत्र राधाकृष्ण नि0 बासदेवपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		541	0.137		
		563/3	0.098		
		565	0.016		
		566	0.017		
		569	0.021		
		571/2	0.043		
372	412ए	485/2	0.115	लक्ष्मी पुत्र सुभम निवासी बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		541	0.272		
		563	0.196		
		565	0.032		
		566	0.029		
		569/2	0.042		
		571/2	0.083		
373	547	556	0.016	जकी पुत्र मुनी निवासी बसंतपुर आदि	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		558	0.032		
		559	0.057		
		560	0.020		
		561	0.020		
		564.11	0.036		
		568	0.032		
		569/1	0.008		
		571/1	0.049		
		572	0.073		
374	542	576	0.045	गरीब पुत्र महाबीर निवासी बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		579/1	0.077		
375	259	583/1	0.057	मु0 रउफ अली मुहम्मद पुत्रगण शेख अफजाल निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
376	6	583/2	0.057	अकबर पुत्र जहुर निवासी बसंतपुर आदि	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
377	7	583/3	0.166	अकबर इद्रीस इस्तियाक फूलमुहम्मद पुत्रगण आलम शाह निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
378	525	583/3	0.057	हनीफ महबूब पुत्रगण अब्दुल निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
379	17	584/1	0.194	अरुण कुमार पुत्र भरत निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
380	92	248	0.013	छितेश्वर पुत्र सुरुज निवासी बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
381	158	250	0.263	प्रभुनाथ पुत्र मिटू निवासी बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
382	161	256	0.340	प्रभुनाथ द्वारिका पुत्रगण बृजनाथ नि0बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
383	213	11/1	0.065	परमेश्वर उदयनरायन पुत्रगण जंग नि0बसंतपुरअ.	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		12/2	0.049		

		260	0.134		
		340/2	0.065		
384	40	263	0.348	केशर मुखा देवानाथपुत्रगण बंगाली नि० बसंतपुरअ.	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		265	0.243		
		266	0.203		
		268	0.279		
		270	0.146		
385	132	272/1	0.150	देवमुनी पुत्र रामनन्द नि० बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		272/2	0.097		
		273	0.097		
386	252	272/2	0.186	महेश जगलाल छोटेलाल पुत्रगण कपिलदेव नि० बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		275	0.227		
387	387	474	0.117	धुवनरायन, पृथ्वी नरायन, राजनरायन पुत्रगण सीताराम निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
388	433	545	0.632	शिवबचन शिवबालक, हीरालाल, रामसिंगासन नागा पुत्रगण बलदेव निवासी श्रीपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		546	0.008		
		547	1.284		
		548/1	0.486		
389	139	1312	0.096	हरिछन कैलाश लखीचन्द शिवकैलास पुत्रगण राजा राम निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1318/2	0.094		
		1346	0.087		
390	10	1212/1	0.102	अवधबिहारी कुलबिहारी, पुत्रगण धुरन निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1342	0.255		
391	289	1347/1	0.045	राधाकिसुन बालकिसुन बृन्दा पुत्रगण घनश्याम नि० बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1371	0.032		
392	181	1347	0.527	परशुराम छोटेलाल पुत्रगण रामश्याम नि० बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
393	197	1352	0.105	किसुन पुत्र जिवबुधन निवासी बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
394	112	1352	0.057	जरगनाथ पुत्र जानकी नि० बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
395	228	1331	0.202	किसुन पुत्र जिवबुधन निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
396	449	1185	0.239	सागर शिवदहिन निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
397	287	1189	0.073	राधाकिसुन बालकिसुन बृन्दा पुत्रगण घनश्याम निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1190	0.089		
398	487	1191	0.130	सूर्यपाल, सुरेन्द्र पुत्रगण रामेश्वर निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
399	286	1191	0.016	राधाकिसुन बालकिसुन बृन्दा पुत्रगण घनश्याम निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
400	278	1215	0.126	रामाशंकर सचिदानन्द पुत्रगण चन्द्रिका निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1216	0.146		
401	290	1347/1	0.028	राधाकिसुन बालकिसुन बृन्दा पुत्रगण घनश्याम निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1369	0.150		
		1370	0.093		
402	524	213/2	0.482	हीरालाल मोतीलाल जवाहीरलाल कारीलाल पुत्रगण मुनी निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
403	180	1263	0.388	प्रभु, राधा मोहन शारदा नन्द पुत्रगण भुनेश्वर निवासी बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।

404	473	1266	0.032	सुरेन्द्र हरेन्द्र पुत्रगण श्रीराम नि0 बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1267	0.211		
405	298	1267	0.053	त्रिवेणी पुत्र रामकृपाल निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
406	201	1273	0.595	विश्वनाथ पुत्र छबिला निवासी बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
407	209	1280	0.045	बालेश्वर पुत्र रामनन्दन नि0 बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1358	0.219		
408	89	1298/2	0.097	चन्द्रशेखर चन्द्रमौली, पुत्रगण दीनदयाल निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1299	0.110		
		891	0.154		
409	569	1304/2	0.145	सखीचन्द्र पुत्र बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		218	0.182		
410	572	1304/2	0.105	साल पुत्र कृपाली नि0 बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
411	108	1306	0.251	जगमोहन पुत्र महानन्द नि0 बसंतपुर आदि	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
412	11	226	0.057	अवधबिहारी कृजबिहारी पुत्रगण घुरन नि0 बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
413	262	235	0.182	मदन पुत्र हरिद्वारलाल निवासी बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
414	231	701	0.150	बद्री सुदामा परशुराम भोली पुत्रगण रामनरेश नि0 बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
415	28	1130/1	0.020	ऋषिदेव ब्रह्मदेव ओमकानाथ पुत्रगण श्रीराम नि0 बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1131/2	0.024		
416	86	1130/2	0.040	चन्द्रिका कृपाल छोटेला ल श्रीराम पुत्रगण छविदेव निवासी भीमापुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1131/2	0.012		
417	477	1129/2	0.215	सूर्यपाल सुरेन्द्र पुत्रगण रामेश्वर नि0 बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
418	472	1130/2	0.053	सीताराम पुत्र रामएकबाल नि0 बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1132	0.069		
		1331/1	0.202		
		1379	0.227		
		1382	0.174		
419	253	1133/1	0.028	विनोद कुमार सुनील कुमार पुत्र अजयशंकर नि0 बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
420	235	1135	0.421	विश्राम श्रीराम व जयराम, पुत्रगण कैलाश नि0 बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1170	0.109		
		1331	0.405		
421	428	1136	0.138	शिव प्रसाद पुत्र विश्वनाथ नि0 बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1137	0.138		
		1138	0.113		
422	227	355	0.198	बजरंगी पुत्र श्रीसाधु नि0 बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		375	0.032		
		380	0.352		
		403	0.336		
		406	0.126		
		407	0.247		
		446	0.182		
		447	1.061		
764	0.458				

423	155	418	0.117	रामप्रकाश पुत्र सूर्यपाल निवासी बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		440	0.032		
		441	0.016		
		445	0.049		
		584	0.190		
		224	0.101		
		221	0.733		
424	177	240	0.032	पारसनाथ, अमरनाथ, विश्वनाथ पुत्रगण श्री सहदेव लाल नि० बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		441	0.016		
		445	0.053		
		584	0.174		
		715	0.174		
425	56	469	0.409	काशीनाथ, रामनाथ, रामानन्द सुरेश, गिरीश पुत्र गण दूधनाथ नि० छोड़हर बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
426	327	464	0.126	अजय, विनोद, अवधेश पुत्रगण श्रीगोविन्द नि० बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
427	199	463	0.045	गेजन्द्रपाल पुत्र सूर्यबदन निवासी बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		461	0.069		
		450	0.470		
		462	0.057		
		453/2	0.207		
		452	0.458		
		454/2	0.016		
428	198	460	0.178	रितेश, राकेश, पुत्रगण श्री रमेश पत्नी उमेश अमित पुत्र बालिस्टर उर्मिला पत्नी बालिस्टर नि० बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
429	406	484/2	0.332	वासदेव पुत्र दरोगा रामदेव पुत्र जगरनाथ नि० बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		663/5	0.065		
430	360	510	0.251	रामानन्द, भृगुनाथ पुत्रगण श्री विजय आदि। नि० छोड़हर (बसंतपुर)	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		509	0.109		
		508	0.279		
431	362	507	0.211	त्रिवेणी पुत्र रामकृपाल नि० बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		506	0.413		
		504	0.322		
		524	0.150		
		525	0.146		
432	356	502	0.198	त्रिवेणी पुत्र रामकृपाल नि० बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		501	0.122		
		500	0.203		
		498	0.219		
		497	0.475		
		499	0.231		
		503/1	0.057		
503/2	0.417				
433	104	501	0.122	हरिशंकर विजयशंकर पुत्रगण शिवजन्म नि०-गजियापुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
434	352	497	5.682	त्रिवेणी पुत्र रामकृपाल नि० बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।

435	500	496	0.802	सहदेव पुत्र लक्ष्मन नि० ग्राम छोडहर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
436	229	480	0.203	विजय बहादुर दशरथ पुत्रगण विश्वनाथ निवासी बसंतपुरफ	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1602/2	0.036		
		1609/1	0.316		
437	496	476	0.182	ईश्वरदयाल पुत्र सूर्यदेव नि० बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		476	0.162		
438	207	472	0.065	ध्रुव श्यामनरायन राजनरायन पृथ्वीनरायन पुत्रगण श्री सीता राम नि० बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		473	0.247		
		483/2	0.081		
		800	0.113		
		718/6	0.028		
439	508	519/2	0.109	धनन्जय मिथिलेश पुत्रगण श्री शत्रुघ्न आदि नि० बसंतपुर ।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		578	0.093		
		611	0.174		
		612	0.142		
		613	0.312		
		623/4	0.089		
		837	0.162		
		1609/5	0.198		
		1618	0.316		
		1703	0.786		
		1704	3.187		
		1705	0.028		
440	409	578	0.093	बासुदेव पुत्र श्री दरोगा निवासी बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		579	0.575		
		659/3	0.028		
		660	0.178		
		661	0.190		
		662/2	0.085		
		610	0.077		
		666/2	0.117		
		600/3	0.077		
		601/2	0.057		
		602/2	0.279		
		604/2	0.073		
		1611/2	0.121		
441	354	517	0.441	त्रिवेणी पुत्र श्री रामकृपाल निवासी बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		516	0.514		
		515	0.878		
		514	0.603		
		513	0.045		
		512	0.324		
		511	0.097		
		518	1.703		
442	74	154	0.247	गणेश रामजी, लक्ष्मन, अरविन्द पुत्रगण जगरनाथ निवासी बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		677	0.166		
		381	0.381		

		375	0.077		
		1609/3	0.101		
		440	0.093		
		441	0.190		
		457	0.198		
		459	0.166		
		679	0.130		
		684	0.089		
		685	0.036		
		686	0.271		
443	563	439	0.061	राजेन्द्र पुत्र श्री सीताराम निवासी बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		480	0.001		
		485	0.061		
		486	0.016		
		487	0.024		
		521	0.085		
		440	0.061		
		437	0.020		
444	441	29	0.040	शिवदत्त रामगोपाल, पुत्रगण पकशन नि० बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
445	531	470	0.915	दयाशंकर, विरेन्द्र, बृजेन्द्र पुत्रगण श्री अमरदेव नि० बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		471	0.632		
		484/1	0.713		
		488	1.170		
		519	0.757		
		542	0.470		
		605	0.636		
		651	0.510		
		657	0.689		
		489/1	0.786		
		557	1.190		
		567	1.077		
		607	0.437		
		635	0.101		
		1622	0.458		
446	452	469	0.089	रामाशंकर, ओमनाथ पुत्रगण श्री मुरली निवासी बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		149	0.373		
		244	0.527		
		298	0.134		
		370	0.053		
		379	0.065		
		408	0.267		
		409/1	0.130		
		410	0.352		
		414	0.352		
		415	0.061		
		422/2	0.437		

		423/3	0.263		
		465	0.020		
		466	0.093		
		697	0.069		
		706	0.429		
		791	0.255		
		740	0.281		
447	125	485	0.308	दयाशंकर विरेन्द्र, बृजेन्द्र पुत्रगण श्री अमरेदव निवासी बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		486	0.089		
		487	0.146		
		577	0.207		
		605	0.020		
		665	0.203		
		636	0.102		
		667	0.093		
		439	0.312		
		437	0.097		
		440	0.316		
		491	0.231		
		553	0.093		
		554	0.170		
		521	0.425		
		548	0.117		
		549	0.148		
		555	0.105		
		556	0.081		
		558	0.158		
		559	0.312		
		560	0.105		
		561	0.105		
		562	0.267		
		568	0.170		
		569	0.049		
		571	0.231		
		572	0.352		
		573	0.365		
		574	0.316		
		575	0.328		
		576	0.227		
		579	0.388		
		564	0.190		
		580	0.020		
		585	0.150		
		586	0.134		
		587	0.806		
		588	0.413		
		589	0.421		

		590	0.085		
		592	0.547		
		595	0.235		
		596	0.243		
		602	0.733		
		603	1.462		
		604	0.595		
		605	0.057		
		606	0.721		
		616	0.988		
		617	1.535		
		618	0.693		
		623	0.531		
		624	0.701		
		625	0.515		
		630	0.040		
		631	0.223		
		632	0.146		
		633	0.049		
		634	0.360		
		637	0.879		
		639	2.082		
		640	0.113		
		641	0.235		
		644	0.288		
		645	0.543		
		646	0.514		
		649	0.219		
		650	0.385		
		662	0.251		
		668	0.150		
		638	0.073		
		675	0.020		
		680	0.003		
		681	0.122		
		688	0.648		
		689	0.583		
		638	0.720		
		864	1.251		
		907	1.219		
		1611 / 1	0.174		
		1621 / 1	0.231		
448	430	227	0.117	अभयशंकर, जयप्रकाश, संजय कुमार राजेश कुमार, सुनिल कुमार पुत्रगण सीता राम निवासी बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		298	0.134		
		370	0.053		
		379	0.065		
		438	0.429		

		694	0.239		
		697	0.065		
		702	0.040		
		703	0.020		
		704	0.061		
		705	0.263		
		720	0.668		
		718/12	0.235		
		721	0.130		
		727	0.102		
		741	0.134		
		742	0.146		
		765	0.158		
		827	0.284		
		833	0.271		
		122	0.450		
449	91	484	0.166	चन्द्रसेन पुत्र श्रीलोकनाथ निवासी बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		485	0.174		
		536	0.231		
		537	0.053		
		538	0.203		
		563	0.024		
		564	0.255		
		565	0.049		
		591	0.680		
		620	0.324		
		622	0.745		
		568	0.121		
		562	0.117		
		564	0.170		
		665	0.243		
		754	0.028		
		755	0.113		
		756	0.170		
		758	0.247		
		789	0.271		
		790	0.065		
		794	0.288		
		805	0.227		
		892	0.117		
450	397	434	0.211	श्रीराम पुत्र सत्यराम निवासी बहुआरा	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		435	0.502		
		436	0.271		
451	516	433	0.134	शिवानन्द नित्यानन्द, पुत्रगण हरिहरदास	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		696	0.016	निवासी बसंतपुर।	
		748	0.628		
452	237	259	0.292	विजय कुमार, पुत्र श्री रामाशंकर नि० बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।

		419	0.251		
		451	0.158		
		716	0.413		
		423	0.126		
453	367	320	0.040	सतीशचन्द, हरिश्चन्द, मनोजकुमार पुत्रगण श्री रामेशवर, सिद्धार्थ शंकर पुत्र बाबू राम ललिता पत्नी सिद्धार्थ शंकर निवासी बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		321	0.016		
		322	0.016		
		430	0.126		
		432	0.065		
		690	0.102		
		691	0.089		
		743	0.032		
		744	0.049		
		786	0.057		
		785	0.040		
		787	0.057		
		788	0.040		
		798	0.085		
		766	0.069		
		771	0.012		
454	376	302	0.308	जगदीश, दिनेश पुत्रगण श्री शिवजी निवासी बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		303	0.308		
		304	0.207		
		324	0.190		
		429	0.810		
		700	0.032		
		710	0.454		
		711	0.203		
		942	0.279		
		943	0.138		
		982	0.284		
455	290	426	0.365	राधाकिसुन पुत्र घनश्याम निवासी बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		427	0.255		
		428	0.288		
456	302	2	0.243	तेजबहुद पुत्र रामाधार निवासी बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		3	0.146		
		4	0.073		
		5	0.012		
		7	0.239		
		8	0.061		
		9	0.053		
		10	0.024		
		14	0.105		
		15	0.077		
		16	0.012		
		17	0.008		
		18	0.008		

		19	0.008		
		23	0.117		
		25	0.198		
		41	0.190		
		42	0.170		
		43	0.227		
		44	0.308		
		49	0.158		
		50	0.130		
		51	0.138		
		70	0.182		
		77	0.150		
		78	0.134		
		81	0.166		
		82	0.223		
		88	0.194		
		92	0.174		
		93	0.178		
		94	0.243		
		131/2	0.502		
		132/2	0.401		
		153	1.016		
		154/2	0.304		
		204	0.235		
		205	0.251		
		206	0.235		
		207	0.271		
		208	0.887		
		102	0.016		
		133/2	0.450		
		1086/2	0.162		
		1179/2	0.251		
		1181	0.235		
		1227/1	0.275		
457	365	521	0.255	त्रिवेणी पुत्र रामकृपाल निवासी बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
458	114	20	0.113	अइगा पुत्र जोगस्वरूप नि0 बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		584	0.190		
		714	0.154		
459	177	240	0.032	पारसनाथ अमरनाथ विश्वनाथ पुत्रगण सहदेव	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		441	0.016	निवासी ग्राम बसंतपुर।	
		445	0.053		
		584	0.174		
		715	0.174		
460	48	729	0.045	श्री प्रकाश रणवीर बहुदर पुत्रगण श्री शिवनाथ	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
				निवासी बसंतपुर।	
461	10	299/1	0.065	श्री भगवान श्री प्रकाश पुत्रगण श्री अवध बिहारी	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		299/2	0.065	निवासी बसंतपुर।	

		279	0.060		
		370	0.049		
		299	0.061		
		416	0.089		
		708	0.263		
		717	0.166		
		719	0.851		
		728	0.089		
		737	0.174		
		738	0.223		
		890	0.134		
		893	0.121		
462	35	712	0.774	विजयशंकर ओमप्रकाश पुत्रगण श्री प्रदेशनरायन निवासी बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		713	0.340		
		722	0.239		
		724	0.778		
		736	0.559		
463	172	443	0.405	परमेश्वर जगदीश पुत्रगण श्री विश्वनाथ निवासी बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
464	162	723	0.227	परशुराम, श्रीराम, शिवकुमार पुत्रगण केदनाथ निवासी ग्राम बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		725	0.737		
		726	0.097		
		237	0.178		
		299	0.190		
		370	0.049		
		379	0.065		
		409	0.267		
		411	0.105		
		412	0.130		
		697	0.069		
		707	0.235		
		739	0.117		
		718	0.057		
		831	0.227		
		832	0.053		
		834	0.316		
465	2	729	0.045	रणजीत बहादुर पुत्र अखिलेश्वर नि० बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
466	197	729	0.093	कृपाशंकर नित्यानन्द राजीव पुत्रगण श्री विशुनदेव निवासी ग्राम बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
467	328	729	0.093	तेजबहादुर, पंचबहादुर विनोद कुमार पुत्रगण रामजन्म निवासी बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
468	402	393	0.158	कमलाऊदीन नसीरुदीन सदरुदीन जहीर पुत्रगण खेदारु निवासी बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		396	0.348		
		730	0.551		
		896	0.680		
469	180	123	0.385	राधामोहन, शारदानन्द, पुत्रगण मुनेश्वर नि० बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		731	0.073		

		732	0.045		
		792	0.182		
		806	0.377		
		807	0.247		
470	427	731	0.065	कृष्णचन्द्रमणि ,पुत्र शम्भू नि0 बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		732	0.016		
		792	0.061		
		806	0.126		
		807	0.081		
471	479	274	0.203	दिनेश पुत्र सचितानन्द सिद्धार्थशंकर पुत्र	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		319	0.053	बाबूराम ललिता देवी पत्नी सिद्धार्थशंकर नि0	
		746	0.146	बसंतपुर	
		733	0.296		
		734	0.158		
		767	0.097		
472	440	384	0.034	शिवदुलारी पत्नी शिवशंकर नि0 बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		396	0.146		
		745	0.076		
		770	0.166		
		783	0.061		
473	488	709	0.073	लीलावती पत्नी ओमप्रकाश आशीष, गौरव	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
				पुत्रगण ओमप्रकाश निवासी बसंतपुर	
		735	0.656		
474	555	640	0.130	प्रभु पुत्र शारदा निवासी ग्राम बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		665	0.040		
475	573	577	0.045	सरजू पुत्र शारदा निवासी बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		646	0.012		
		655	0.089		
476	518	643	0.082	कन्हैया पुत्र बीरबहादुर ओमकार पुत्र राजबहादुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		655	0.219	निवासी बसंतपुर।	
477	520	480	0.020	अमित कुमार पुत्र विनोद संजीव, संजीत पुत्रगण	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		655	0.454	शिवजी निवासी बसंतपुर।	
478	421	643	0.165	दशरथ पुत्र सुनर निवासी बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		655	0.437		
479	144	655	0.352	अमाउल्लाह पुत्र शमसुलहक नि0 बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
480	140	652	0.113	बलिराम विक्रमा पुत्रगण शिवसरन नि0	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		653	0.032	बसंतपुर।	
		654	0.150		
		656	0.470		
		672	0.782		
		673	0.263		
		674	0.182		
		1599	0.219		
		1600/1	0.567		
481	545	645	0.105	फेकनी पुत्री श्रीराम निवासी ग्राम खड़ीचा	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		650	0.077		
482	537	602	0.126	अवध पुत्र शाहा नि0 बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।

		649	0.053		
483	244	652	0.113	मुनेश्वर रामधर पुत्रगण संकदीप नि0 बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		653	0.033		
		674	0.182		
		654	0.344		
		1599	0.259		
484	320	475	0.899	कन्हैया भानुप्रताप पुत्रगणवीरबहादुर नि0 बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		671	0.296		
		678	0.429		
		1604/3	0.231		
485	484	651	0.154	कामेश्वर पुत्र शिवपूजन निवासी बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1610/1	0.243		
		1610/4	0.336		
486	541	668	0.028	राजरूप, रामरूप पुत्रगण खोभारी नि0 बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		675	0.004		
		907	0.081		
487	507	1612	0.077	धनन्जय मिथिलेश पुत्रगण शत्रुधन नि0 बसंतपुर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1617	0.490		
488	510	657	0.049	हरेन्द्र पुत्र विशाल निवासी बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		664	0.012		
		1617	0.016		
489	485	678	0.154	कामेश्वर पुत्र शिवपूजन नि0 बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
490	37	650	0.470	श्रीमती मानकी देवी पत्नी पंचानन्द निवासी ग्राम बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		675	0.644		
491	68	216	0.425	गोपाल पुत्र जमुना निवासी बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1194	0.304		
		1213	0.312		
		1214	0.020		
		1226	0.381		
		1245	0.223		
		1246	0.288		
492	513	308	0.178	हरिहर इन्द्रदेव पुत्रगण कुबेर नि0 बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1243	0.186		
		1254	0.102		
		1274	0.012		
		1275	0.020		
		1276	0.360		
		1277	0.084		
		1297	0.081		
		1298	0.028		
		1300	0.194		
		1309	0.016		
		1310	0.122		
		1311	0.097		
		1313	0.057		
		1315	0.085		
1316	0.174				

	442	0.016		
	495	0.020		
	33	0.158		
	212	0.300		
	424	0.040		
	453	0.202		
	263	0.081		
	544	0.105		
	490	0.024		
	520	0.049		
	537	0.053		
	23 / 1	0.040		
	285 / 3	0.008		
	641	0.049		
	663	0.130		
	354	0.024		
10	739	0.300	मत रूक	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
	105	0.012		
	113 / 3	0.081		
	417 / 3	0.138		
	769	0.146		
	771	0.117		
	781	0.089		
	782	0.016		
	783	0.016		
	803	0.020		
	919	0.089		
	1091	0.178		
	1172	0.012		
	1182	0.102		
	1210 / 4	0.032		
	1212 / 3	0.012		
	1229 / 2	0.036		
	1554	0.130		
	1257 / 2	0.061		
	1258 / 1	0.012		
	1262	0.142		
	1298 / 1	0.069		
	1298 / 2	0.126		
	1299	0.028		
	1300 / 2	0.230		
	1302	0.008		
	1304 / 2	0.190		
	1314	0.061		
	1318 / 1	0.040		
	1322	0.016		

		1317	0.089		
		1319	0.053		
		1320	0.036		
		1322	0.081		
		1348	0.057		
		1349	0.170		
		1350	0.158		
		1353	0.113		
		926	0.215		
		927	0.081		
493	393	65	0.045	रामजी पुत्र केदार निवासी बसंतपुर।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1297	0.182		
		1309	0.024		
		1310	0.161		
		1320	0.081		
		287	0.214		
		288	0.073		
		341	0.036		
		342	0.061		
		343	0.057		
		347	0.093		
		357	0.142		
		1079	0.182		
		1080	0.158		
		1081	0.292		
		1247	0.174		
		60	0.312		
		64	0.539		
		315	0.186		
		1214	0.024		
		1243	0.425		
		1254	0.105		
		1256	0.146		
		1296	0.219		
		1300	0.190		
		1308	0.016		
		1310	0.121		
		1311	0.097		
		1313	0.057		
		1314	0.049		
		1315	0.085		
		1316	0.296		
		1317	0.089		
		1318	0.117		
		1319	0.053		
		1322	0.097		

		1348	0.057		
494	393	1349	0.166	रामाश्रय पुत्र बेचू निवासी बसंतपुर आदि।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1350	0.154		
		1351	0.166		
		1364	0.368		
		1367	0.122		
		211	0.142		
		245	0.158		
		899	0.433		
		1384	0.081		
		1276	0.356		
		1277	0.085		
		1296	0.219		
	योग		402. 510		
1	579	31/8	0.028	गड़ही	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
2	577	1	0.008	नाली	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		22	0.012		
		619	0.235		
		629	0.085		
3	287	424	0.040	मतारुक	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		423	0.040		
4	575	26	0.186	बंजर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		27	0.802		
		114/4	0.988		
5	576	417/1	0.166	नाला	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		718/15	0.871		
6	578	1331/9	0.652	ताल पोखरी	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
7	581	202	0.174	राहछवर	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		217	1.272		
		218	0.040		
		258	0.672		
		494/2	0.020		
		543	0.186		
		1036	0.097		
		1038	0.154		
		1116	0.583		
8	110	580/1	0.121	नगर पालिका परिषद बलिया।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		581	0.089		
		481	1.049		
		482	0.770		
9		67/2	0.040	मतारुक	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		666	0.101		
		141	0.012		
		592	0.040		
		595	0.049		
		234	0.040		

		1333	0.102		
		1347 / 1	0.215		
		1350	0.202		
		1372 / 1	0.036		
		1383	0.012		
		1388 / 2	0.271		
		1610 / 1	0.117		
11	18	1602 / 4	0.053	युवा कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश।	पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है।
		1603 / 1	0.134		
		1604 / 1	0.097		
		1604 / 2	0.097		
		1603 / 2	0.134		
		1605 / 1	0.069		
		1605 / 2	0.0069		
		1606	0.158		
		योग	15.196		

उक्त दावे में अनुरोध किया गया है उक्त वर्णित भूमि रबी एवं खरीफ की दोनों फसल नियमित रूप से उगायी जाती है तथा इन क्षेत्रों में कोई विशिष्ट वानस्पतिक अथवा प्राणि विविधता नहीं है, तथा उपरोक्त भूमि को पक्षी विहार की सीमा से बाहर करने से पक्षी विहार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। उपरोक्त भूमि को जय प्रकाश नारायण पक्षी विहार क्षेत्र की सीमा से बाहर कर दिया जाय।

उक्त दावा/आपति प्राप्त होने उपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 10.06.2023 को उपरोक्त गाटा एवं बिन्दु के सम्बन्ध में कार्यालय के पत्रांक संख्या 1417/आ0ले0उ0जि0 तहसील बांसडीह दिनांक, 10.06.2023 के द्वारा तहसीलदार बलिया एवं प्रभागीय वनाधिकारी काशी, वन्य जीव प्रभाग रामनगर को निर्धारित प्रारूप पर प्रपत्र (क) दिनांक 16.06.2023 के पूर्व उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया।

दिनांक 25.08.2023 को कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, काशी जीव प्रभाग रामनगर वाराणसी के पत्रांक संख्या 1874/2023-24 दिनांक 18 अक्टूबर 2023 के द्वारा दिनांक 14.12.2023 को प्राप्त कराया गया है कि मौजा-बसंतपुर एहतमाली तहसील बांसडीह बलिया के दावे के सम्बन्ध में वन विभाग एवं राजस्व विभाग अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा मौके का स्थलीय संयुक्त निरीक्षण किया गया तथा संयुक्त आख्या प्रपत्र (क) पर निम्नवत् है-

1. ग्राम बसंतपुर एहतमाली तहसील सदर जनपद बलिया स्थित उपरोक्तानुसार कृषको की निजी भूमि वर्तमान समय में जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार की अधिसूचित सीमा के अन्दर है।
2. स्थानीय कृषको द्वारा बिन्दु संख्या-3 की भूमि पर रबी एवं खरीफ की दोनों फसले नियमित रूप से उगायी जाती है। इन क्षेत्रों में कोई विशिष्ट वानस्पतिक अथवा प्राणि विविधता नहीं है जिसका संरक्षण बहुत आवश्यक हो।
3. संयुक्त आख्या रिपोर्ट के अनुसार बिन्दु-3 एवं 4 के भू-खण्ड सुरहाताल के जल स्तर से काफी ऊंचे है। केवल वर्षाकाल में गंगा नदी में भीषण बाढ़ आने पर कटहल नाले से बाढ़ का पानी सुरहाताल में आने पर ही कुछ दिनों तक पानी आंशिक रूप से उक्त भू-खण्डों में रहता है तथा बाढ़ का स्तर कम होने पर समस्त पानी निकल जाता है।
4. बिन्दु-3 एवं 4 के गाटों/भूमि में जल भराव न होने के कारण देशी/विदेशी पक्षियों का आवागमन इस क्षेत्र में नहीं रहता है और न ही पक्षियों द्वारा नेस्टिंग ही की जाती। उक्त गाटों जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार के वर्तमान जलीय क्षेत्र से काफी दूर है।

5. बिन्दु-3 एवं 4 की गांटों की भूमि जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार की सीमा से बाहर किये जाने पर जलीय जीवों एवं पक्षियों के वास-स्थल एवं परिस्थितिकीय की दृष्टि कोण से कोई दुष्प्रभाव पक्षी विहार पर नहीं पड़ेगा।

संयुक्त टीम की जांच आख्या रिपोर्ट में ग्राम-बसंतपुर एहतमाली तहसील सदर बलिया जनपद बलिया कुल अधिसूचित भूमि के कृषकों के कुल क्षेत्रफल, 702.59हे० भूमि में से वर्तमान में कुल आ०न० गाटा संख्या 398 के कृषकों द्वारा खेती की जा रही भूमि का क्षेत्रफल 402.510हे० भूमि को जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार की अधिसूचित सीमा से बाहर किये जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या प्रेषित गयी है।

वन अनुभाग-3 संख्या 1088(1)/14-3:19/वी०९ लखनऊ दिनांक 27 मार्च 1991 के द्वारा वन जीव (संरक्षण अधिनियम 1972(अधिनियम संख्या 53सन् 1972 की धारा 18 की उप धारा (1) के अधीन शावित का प्रयोग करके कुल रकबा क्षेत्र, 3,432.93हे० यानि 34.329 वर्ग कि०मी० सीमा वर्णित की गयी है तथा सर्व साधारण जिस किसी के भी हित प्रभावित हो रहे हो अथवा निहित है से उक्त क्षेत्र को पक्षी विहार बनाने में आपत्तियाँ/दावे आमंत्रित किये गये है।

अधिनियम की धारा 20 के अनुसार 'अधिकारो के प्रोद्भवन का वर्जन' धारा 18 के अधीन अधिसूचना निकाले जाने के पश्चात ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट क्षेत्र की सीमाओं में आने वाली भूमि में उस पर या उसके सम्बन्ध में कोई अधिकार वसीयती, या निर्वसीयती, उत्तराधिकारी के सिवाय अर्जित नहीं किया गया जायेगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 21 के अन्तर्गत उद्घोषणा वर्ष 2006 में हुयी है।

प्रभागीय वनाधिकारी इस क्षेत्र के प्रभारी है। इनकी आख्या से स्पष्ट होता है कि उपरोक्त ग्राम बसंतपुर एहतमाली के कुल अधिसूचित भूमि का क्षेत्रफल, 702.59हे० भूमि में से बिन्दु संख्या-3 कृषकों द्वारा खेती की जा रही खेती का कुल रकबा 402.510हे० अलग करते हुए बिन्दु संख्या-4 एवं 6 के विभिन्न गांटों की रकबा 266.014हे० भूमि जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार की अधिसूचित सीमा के अन्दर किये जाने तथा बिन्दु संख्या-3 की गांटों की रकबा 402.510हे० भूमि को अधिसूचित सीमा से बाहर की जाने की संस्तुति की गयी है। वर्तमान में जल स्तर में या ताल क्षेत्रों से सटी भूमि के क्षेत्रफल 262.682 हे० होने के कारण शेष वर्तमान में कृषकों द्वारा खेती की जा रही भूमि का क्षेत्रफल 417.706 हे० पक्षी अभ्यारण्य के अस्तित्व के लिए अपरिहार्य नहीं है। उक्त भूमि सुरहाताल के जलस्तर से काफी ऊंची है। जलीय क्षेत्र जहाँ वर्ष भर पानी रहता है से उक्त काफी दूर है। पक्षी अभ्यारण्य के लिए अधिसूचित भूमि 3432.93हे० है, इसमें वन विभाग की भूमि शून्य है, तथा ग्राम समाज की भूमि का क्षेत्रफल मात्र 132.78हे० है। पक्षी विहार की अधिसूचित क्षेत्र में लगभग 1088.00हे० क्षेत्रफल में वर्ष भर पानी रहता है, जिससे प्रवासी/अप्रवासी पक्षी आते हैं, तथा पक्षियों के लिए पर्याप्त है। यह भूमि पक्षी विहार के अस्तित्व के लिए अनिवार्य/अपरिहार्य नहीं है।

अतः अधिनियम 1972की धारा 24 2(क) के अनुसार प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए दावा संख्या 74 में वर्णित भूमि को प्रस्तावित में से कुल 505 गांटों की रकबा 417.706 हे० भूमि को पक्षी अभ्यारण्य के अधिसूचित क्षेत्र से पृथक किया जाता है।

(राजेश कुमार गुप्ता)
उप जिलाधिकारी/बन्दोबस्त अधिकारी
बांसडीह, बलिया।

संख्या 1208/11/आ०ले०-बन्दोबस्त दिनांक 22-12-2023
प्रतिलिपि-1.जिलाधिकारी महोदय बलिया को सूचनार्थ प्रेषित।
2.प्रभागीय वनाधिकारी काशी, वन्य जीव प्रभाग रामनगर वाराणसी।
3.तहसीलदार बलिया।

बन्दोबस्त अधिकारी
बांसडीह, बलिया

संलग्नक संख्या-2

क्षेत्र पर्यावरण
Gram : Paryavaran



क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

आजमगढ़

REGIONAL OFFICE

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD-AZAMGARH

(Azamgarh, Ballia, Mau)

संदर्भ सं० ५४५/N.G.T. Ballia/818/2024

Ref. No.

" प्रदूषण रोकिए पर्यावरण बचाईए"
फोन - (05462)-247517
फैक्स - (05462)-247517

दिनांक :
Date : 28/8/2024

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
बलिया।

विषय- माननीय एन०जी०टी०, नई दिल्ली में योजित ओ०ए नं०-818/2024 धर्मेन्द्र कुमार सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.07.2024 के क्रम जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के आस-पास ध्वनि स्तर के सम्बन्ध में आख्या प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि माननीय एन०जी०टी०, नई दिल्ली में योजित ओ०ए नं०-818/2024 धर्मेन्द्र कुमार सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.07.2024 के क्रम जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के आस-पास ध्वनि स्तर का मापन इस कार्यालय द्वारा दिनांक 23.08.2024 को किया गया अनुश्रवण अख्या पत्र के साथ संलग्न कर सादर प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

गवदीय

AK
(अजीत कुमार सुमन)
क्षेत्रीय-अधिकारी

प्रतिलिपि-मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-8), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

कार्यालय : जयरामपुर मज रोड, आजमगढ़ - 276001, www.uppcb.com, E-mail- roazamgarh@uppcb.com

: टी.सं. 12सं, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 # दूरभाष : 2720828, 2720681, 2720691, 2720831

फैक्स : 0522-2720764 # ई-मेल : info@uppcb.com # वेबसाइट : www.uppcb.com

माननीय एनजीओटी०, नई दिल्ली में मोडित ओ०ए नं०-०१०/२०२४ परमेश कुमार सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक १२.०७.२०२४ को तम जनजायक वन्दारेश्वर निरवधिपालय नदिया के आस-पास ध्वनि स्तर के सम्बन्ध में आख्या।

माननीय एनजीओटी०, नई दिल्ली में मोडित ओ०ए नं० ०१०/२०२४ परमेश कुमार सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक १२.०७.२०२४ को तम जनजायक वन्दारेश्वर निरवधिपालय नदिया के आस-पास ध्वनि स्तर का मापन दिनांक २३.०८.२०२४ को किया गया जो निम्नवत् है।

क्र.सं.	स्थल का नाम	ध्वनि स्तर	मानक (A) लेव*
१.	विश्वविद्यालय के बाहर	८५.०	८०.०
२.	विश्वविद्यालय परिसर	६०.०	६०.०
३.	सुरेही ताल मार्ग के अन्दर	८०.०	६०.०

मात्र dB(A) लेव*

केन्द्रीय दूरस्थ नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानक निम्न साहित्य के अनुसार है।

Area Code	Category of Area/Zone	Limits in dB (A) leq*	
		Day Time	Night Time
(A)	Industrial Area	75	70
(B)	Commercial Area	65	55
(C)	Residential Area	55	45
(D)	Silence Zone	50	40

नोट- विश्वविद्यालय Silence Zone में है।

उपरोक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

Signature
28/08/24
(अखिलेश कुमार)
अनुश्रवण सहायक

सहायक वैज्ञानिक अधिकारी/क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

Signature
20/8/24

Signature
AK
20/8/24